सप्तम माला, खंड 48, अंक 49 शुक्रवार, 4 मई 1984/ 14 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 49 शुक्रवार, 4 मई, 1984/14 वैशाख 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 927, 928, 931, 934, 935 और 937	1--20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 926, 930, 932, 933, 936 और 938 से 944	20—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9827 से 9877, 9879 से 9931, 9933 से 9951, 9953 से 10001 10003 से 10042, 10044 से 10049 10051 से 10059 और 10059-क	28—205
पाकिस्तानी अधिकृत उत्तरी काश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों के समाचार के बारे में वक्तव्य	205—206
श्री आर० वेंकटरामन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	206—210
राज्य-सभा से संदेश	210—211
सभा का कार्य	211—218
एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एल्युमिनियम उपक्रम का अर्जन और अंतरण) विधेयक	218—240
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री आरिफ मोहम्मद खां	218
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	219
श्री गिरधारी लाल व्यास	223
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	226
श्री टी० आर० शमन्ना	228
श्री राजेश कुमार सिंह	230
श्री रामवतार शास्त्री	232

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

खण्ड 2 से 31 तथा पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री आरिफ मोहम्मद खां 238—240

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक 240—267

विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री निहार रंजन लास्कर 240
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 242
श्री गिरधारी लाल व्यास 247
श्री राजेश कुमार सिंह 250
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम 252
श्री एन० सुन्दरराजन 255
श्री अब्दुल रशीद काबुली 256
डा० ए० कलानिधि 259
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा 261

विधेयक—पुरः स्थापित

कृषक ऋण-ग्रस्तता उन्मूलन विधेयक 261—262
श्री उत्तराव पाटिल 261

जानकारी की स्वतन्त्रता विधेयक 261
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी

तकनीकी सफाई-मरम्मत एककों का विनियमन तथा नियंत्रण विधेयक 261—262
श्रीमती जयन्ती पटनायक 263—267

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 169 का संशोधन)
श्री चित्त बसु 263

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए) आरक्षण विधेयक 267—302
श्री सूरज भान

विचार करने लिए प्रस्ताव
श्री अजित बाग 267
श्री अर्जुन सेठी 269
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा 272
श्री हीरा लाल आर० परमार 275
श्री अशफाक हुसैन 277
श्री पी० नामग्याल 279
श्री गिरधारी लाल व्यास 281
श्री गिरधारी लाल डोगरा 285
श्री रामावतार शास्त्री 288
श्री हरिकेश बहादुर 289
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 290
श्री सूरज भान 294

लोक सभा

शुक्रवार, 4 मई 1984/4 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युतचालित छिड़काव उपकरणों (पावर स्प्रेयर्स) का आयात

*927. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बता बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब के बागों में छिड़काव करने के लिए 2000 विद्युतचालित छिड़काव उपकरणों (पावर स्प्रेयर्स) के आयात हेतु आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस छिड़काव कार्य के लिए देशी उपकरण उपलब्ध हैं;

(ग) क्या छिड़काव उपकरणों के आयात से विदेशी मुद्रा कोष की हानि के अतिरिक्त भारत की आत्मनिर्भरता की सामान्य नीति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन छिड़काव उपकरणों के आयात की अनुमति दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मै० हिमाचल प्रदेश हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कार्पोरेशन ने ठोस डिजाइन वाले लाइट वेट हाई प्रैशर पावर स्प्रेयर्स, जिन्हें सेब के बागों में छिड़काव के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से ले जाया जा सकता है, के आयात के लिए आवेदन किया था ।

(ख) तुलनीय विशिष्टियों वाले स्वदेशी समकक्ष स्पेयर्स, डी० जी० टी० डी० द्वारा उपलब्ध नहीं बताए गए हैं ।

(ग) तथा (घ) 3 विभिन्न डिजाइनों तथा आकारों में 2300 अदद लाइट वेट हाई प्रैशर पावर स्प्रेयर्स के आयात की अनुमति दी गई है क्योंकि तुलनीय विशिष्टियों के स्वदेशी समकक्ष स्प्रेयर्स उपलब्ध नहीं थे । डी० जी० टी० डी० ने मै० हिमाचल प्रदेश हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग

एण्ड प्रोसैसिंग कार्पोरेशन लि० और साथ ही घरेलू विनिर्माताओं को लिखा है कि वे विशेषत: पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग के लिए ठोस डिजाइन वाले पावर स्प्रेयर्स का स्थानीय विनिर्माण शुरू करें। महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा इस मामले पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों पर छिड़काव उपकरण खरीदने सम्बन्धी सरकार की सामान्य नीति आत्म-निर्भरता की घोषित नीति के अनुरूप नहीं है और क्या यह सच नहीं है कि इस तथ्य के वावजूद कि चार-पांच ऐसे देशी निर्माता हैं जो हिमाचल प्रदेश और अन्य ऐसे स्थानों की, जहां सेब के बाग हैं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु तैतार हैं और इस तथ्य के बावजूद कि 2000 की मांग बढ़ा-चढ़ाकर की गई है, मैं यह अनुभव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों के लिए 500 से अधिक छिड़काव उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। निर्माता यह भी कह रहे हैं कि आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों के बाद वे आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आपने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया है और व्यर्थ में छिड़काव उपकरणों का आयात कर रहे हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रहे हैं?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, छिड़काव उपकरणों के आयात सम्बन्धी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि छिड़काव उपकरणों का आयात न तो प्रतिबन्धित मदों की सूची में आता है और न ही खुले सामान्य लाइसेंस की सूची में आता है। अत: उनका आयात पर प्रायोजक प्राधिकारी अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी की सिफारिशों तथा परिस्थितियों के अन्तर्गत उनकी जरूरत को मद्दे नजर रखते हुए किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से भी तकनीकी विकास महानिदेशालय से भी अनुमति प्राप्त कर ली जाती है और उपलब्धता के प्रश्न पर भी विचार किया जाता है। ऐसे मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार में ओद्योगिक विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चतम निकाय है। यह एक समन्वित निकाय है जो ऐसे मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। उन्होंने सभी आवश्यकताओं पर अवश्य ही विचार किया होगा। लाइसेंस जारी करने के लिए मामला मुख्य आयात और नियन्त्रक के पास भी आया था। इससे पूर्व यह इन सभी अभिकरणों से होकर आया था और इन सभी अभिकरणों ने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताने के लिए कि देशी निर्माताओं के छिड़काव उपकरणों में कुछ तकनीकी विशेषताओं का अभाव था इसलिए आयात अनिवार्य हो गया था, विभिन्न अभिकरणों द्वारा दी गई सलाह को उद्धृत किया है। इसके प्रकाश में मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न मेरे द्वारा रखे जाने वाले कतिपय तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। आप इन्हें या तो स्वीकार कीजिए या इनका खंडन कीजिए। यदि आप कहते हैं कि चूंकि देशी उत्पादों में वे सुधार या परिवर्तन उपलब्ध नहीं थे इसलिए उनका आयात अपरिहार्य हो गया था तो मैं एक उत्पादक का, जो आवश्यक देशी छिड़काव उपकरण उपलब्ध कराता आ रहा, तीन वर्ष का अनुभव

उद्धृत करता हूं :

वर्ष	उपर्युक्त निर्माता का देशी उत्पादन	आयात
1981	982	शून्य
1982	1042	शून्य
1983	1715	शून्य
1984 (जनवरी और फरवरी तक के आंकड़े)	485	शून्य

अत: वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 (जनवरी, फरवरी तक) के आंकड़ों के अनुसार आयात बिल्कुल नहीं किया गया। इसके बावजूद हाल ही में ऐसा क्या हुआ है जिससे विवश होकर आपने यह कह कर विदेशी उपकरणों में सुधार की आवश्यकता है, उनका आयात किया। इसकी पुष्टि कीजिए अथवा इसका प्रतिवाद कीजिए और हमें बताइए कि सरकार आत्मनिर्भरता की घोषित नीति के सन्दर्भ में गलती क्यों की है? मैं एक और वास्तविक आंकड़े देकर प्रश्न समाप्त करता हूं। मैं उनसे पुष्टि कराना चाहता हूं। आपको अन्दाजा हो जाएगा कि वे कितनी अधिक विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रहे हैं। एक देशी छिड़काव उपकरण का थोक मूल्य 1590 रुपए और इंजन का 2525 रुपए है। इस प्रकार देशी छिड़काव उपकरण की कुल उत्पादन लागत 4115 रुपए आती है। इसके विपरीत यदि आप उपकरण का आयात करें तो देश में उसकी कीमत 2670 रुपए और उस पर 3337 रुपए आयात शुल्क भी देना पड़ता है और इस प्रकार कुल कीमत 6007 रुपए प्रति छिड़काव उपकरण पड़ती है।···(**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय पीठासीन हैं। महोदय, क्या आपने अपनी शक्तियों को विकेन्द्रित किया है? यदि यह उनकी समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, इसका नीति से सम्बन्ध है। मैं मन्त्री जी को बता रहा हूं कि यदि हम देशी उपकरण लें तो प्रति इकाई लागत 4115 रुपए आती है और इसके विपरीत यदि हम आयातित उपकरण लें तो हमें देश में उसकी कीमत 6007 रुपए पड़ती है। देशी और आयातित इकाई के मूल्य में पर्याप्त अन्तर के बावजूद तथा इस तथ्य के बावजूद कि हमने 1981, 1982 और 1983 में उनका आयात किया ही नहीं, तो ऐसी कौन-सी विशेष परिस्थितियां थीं जिसने आपको 1984 में आयात करने के लिए विवश किया?

श्री निहार रंजन लास्कर : माननीय मित्र द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का मैं उत्तर दे चुका हूं। हमारा केवल जारी करने वाला अभिकरण है। हमारे समक्ष आने से पूर्व कई तकनीकी

निकाय प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। कृषि मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है जो आयात की सिफारिश करता है। तकनीकी विकास महानिदेशालय इसकी तत्काल मांग और सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयात की अनुमति देता है। यद्यपि चार या पांच कम्पनियां इसका निर्माण कर रही हैं परन्तु क्षेत्र में केवल एक है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वे इस उपकरण को, छिड़काव उपकरण के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों को, सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं। इसी कारण आयात की सिफारिश की गई है।

मैं माननीय सदस्य के सूचनार्थ केवल इतना कहूंगा कि देश में निर्मित छिड़काव उपकरणों के तकनीकी ब्यौरे की तुलना जापान में निर्मित उपकरणों से करने के पश्चात् केवल सीमित मात्रा में आयात की अनुमति दी गई है। आयात के लिए प्रस्तावित उपकरण लाइट वेट हाई प्रेशर उपकरण थे जिनका वजन 20 से 21 किलो और 10 किलो था जबकि देश में निर्मित उपकरणों का वजन क्रमश: इंजन के बिना 40 किलो और इंजन के बिना 28 किलो किलो था। एक मुद्दा यह है।

आयातित छिड़काव उपकरण, ऊंचाई पर स्थित पेड़ों पर पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रेशर पैदा करेंगे। ये छिड़काव उपकरण अधिक संघठित डिजाइन, और वजन में हल्के तथा हाई प्रेशर के साथ काम करने वाले होंगे। इन विशेषताओं के कारण उनके आयात का निर्णय लिया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने चार वर्षों के आंकड़े देते हुए एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है, जब एक ही किस्म के छिड़काव उपकरणों से समान कार्य लिया गया और आयात की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आपके तकनीकी निकाय ने आपको क्या सलाह दी है, मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है उनसे आपको तय करना है, यहां तक कि उनकी सलाह के आधार पर भी पिछले चार वर्षों में कोई आयात नहीं किया गया, आपको आयात की आवश्यकता अब क्यों महसूस हुई ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय सदस्य देशीकरण के बारे में चिन्तित हैं और हम भी इस बारे में चिन्तित हैं। उद्योग मंत्रालय और तकनीकी विकास महानिदेशालय ने देशीकरण के पहलू पर अथवा आयात की अनुमति देकर देशी क्षमता को संरक्षण देने के पहलू पर विचार करने के बाद ही अपनी शिफारिशें दी थीं। हम अधिकांशत: प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ही कार्य करते हैं इस मामले में प्रशासनिक मंत्रालय उद्योग मंत्रालय और तकनीकी विकास महानिदेशालय है और यही देशी दृष्टिकोण का भी ध्यान रखते हैं। दूसरे, देशी निर्माण के अतिरिक्त उत्पादकों का, बागवानी करने वालों का किसानों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि ऊंचाई पर छिड़काव करने के लिए उच्च दबाव वाले यन्त्रों की आवश्यकता है। ये पम्प यहां देश में नहीं बनाए जा रहे हैं, तकनीकी विकास महानिदेशालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। अत: किसानों के हित में, कृषि मंत्रालय की जोरदार सिफारिश पर एक सीमित मात्रा में आयात किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : ऊंचाई पहले मौजूद थी या आयात का निर्णय लेने के बाद बन गई ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मामला इससे कुछ अधिक है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कृषक हैं आप इसका अनुमान लगा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ये तर्क किसी चीज का आयात करने के लिए दिए जा सकते हैं, क्योंकि आयातित वस्तुएं बेहतर होती हैं। महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये तर्क इन सभी चीजों का आयात करने के लिए दिए जा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह कहते हैं कि दबाव के कारण पूरी मशीनरी काम नहीं कर सकती। ऊंचाई तो काफी समय से है। ऊंचाई फरवरी के बाद तो बनी नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परन्तु इस समस्या को अब हल किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह रहा हूं। समय-समय पर प्रौद्योगिक विकास होता रहता है और हम जब देखते हैं कि कुछ परिवर्तन जरूरी हैं, प्रौद्योगिक विकास जरूरी है यद्यपि मैं देशी उत्पादन के हक में हूं और हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं निर्माण करना चाहिए और यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए और हमें भारत में ये चीजें अवश्य ही उपलब्ध करानी चाहिए। मैं जानता हूं कि कभी-कभार लोग यह अनुभव करते हैं कि यह बैग अत्यन्त भारी है तब किसान कहते हैं "हम वह क्यों न प्राप्त करें।" अतः हमें वह अवश्य ही उपलब्ध कराना चाहिए। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। मैंने हाल ही में देखा कि हमारे शैफ, हार्वेस्टर कम्बाइन बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इनके बिना आप कटाई नहीं कर सकते। आजकल बड़े-बड़े खेत हैं। और जब यहां देश में बेलर का रहा था, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई और इसे छोड़ दिया गया। हम स्वयं पहल क्यों नहीं करते और इनका निर्माण यहीं क्यों नहीं करते ताकि हम किसानों की सहायता कर सकें। न केवल ऊंचाई पर स्थित सेब के बागों के लिए बल्कि आमों और अन्य फलों के लिए तथा निम्बू वंश के फलों के लिए हमें इनकी आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि हमें उनके लिए अत्यधिक प्रभावी छिड़काव उपकरणों की जरूरत है। हमें बढ़िया किस्म के उपकरणों की आवश्यकता है और कृपया हमें उपलब्ध कराने में सहायता कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, यह स्पष्ट रूप से उद्योग मंत्रालय का काम है। यदि वे सिफारिश करते हैं कि अमुक चीज उपलब्ध नहीं है, चूंकि हम तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उपलब्ध है या नहीं है, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आयात के लिए कोई दबाव डाला गया था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कृषि और उद्योग मंत्रालय द्वारा जायज दबाव डाला गया था। यदि वे यह कहते हैं कि यह चीज देश में उपलब्ध नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उपलब्ध है ?

(व्यवधान)

अखिल भारतीय विद्युतचालित करघा संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

*928. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मदें लघु उद्योग के विद्युतचालित करघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अखिल भारतीय विद्युतचालित करघा संघ ने उपर्युक्त (क) तथा विद्युतचालित करघा उद्योग को उसकी प्रगति के लिए कुछ प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिए हैं;

(ङ) क्या उन अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है और कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह महसूस किया जाता है कि हथकरघा क्षेत्र तथा मिल क्षेत्र की तुलना में बिजलीकरण क्षेत्र को इस समय उत्पादन की मदों के अनन्य तौर पर किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है।

(घ) अखिल भारतीय बिजलीकरण परिसंघ, ईचलकरंजी (महाराष्ट्र) और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम (तमिलनाडु) से बिजलीकरण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) तथा (च) सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : इस हाउस में रोजाना स्माल-स्केल इंडस्ट्री पर चर्चा होती है और हम लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहते रहते हैं। आज हमें यह जवाब मिला है कि पावरलूम को, स्माल-स्केल इंडस्ट्री में है, कोई आइटम एक्सकूलसिव मैनुफेक्चर के लिए नहीं दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सरकार ने महसूस किया है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा सरवे है, कौन सा आधार है, जिसकी बिना पर यह महसूस किया है कि पावरलूम सैक्टर में प्रोडक्शन के लिए कोई आइटम रिजर्व न किए जाएं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पिछले पांच वर्षों में पावरलूम्ज की संख्या में जो वृद्धि हुई है, अगर आप उसको देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पावरलूम में इतनी शक्ति है कि वह अपने

पांव पर खड़ा हो सके। 1977 में देश में 3·47 लाख पावरलूम थे और 31-.-84 को उनकी संख्या बढ़ कर 6·22 लाख हो गई। पांच साल में वृद्धि लगभग दुगनी हुई। इसके अलावा जहां मिल सैक्टर में उत्पादन में कमी हुई, वहां पावरलूम सैक्टर में उत्पादन में भी वृद्धि हुई। 1983-84 में लक्ष्य 4070 मिलियन मीटर का था और पावरलूम ने 5407 मिलियन मीटर का उत्पादन किया। इससे साबित होता है कि आर्थिक रूप में स्वयं सक्षम हैं कि वृद्धि करें और विकास करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : यह बात सही है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन आबादी भी स्पीड के साथ बढ़ती जा रही है इसलिए यह वृद्धि कंपरेटिव है। हम रोजाना इस बात को कहते हैं कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसमें कमजोर लोग काम करते हैं और जो बड़े-बड़े कारखाने वाले हैं वे अपने मतलब के लिए काम करते हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आल इंडिया पावरलूम फेडरेशन ने या और लोगों ने जो मांगें रखी हैं उसमें मुख्य बातें क्या हैं, वह बता दीजिए, और उन पर अभी तक विचार खत्म क्यों नहीं हुआ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक तो उनकी डिमाण्ड थी रिजर्वेशन के बारे में, तो उसके बारे में आपको बता दिया कि उसको सरकार स्वीकार नहीं करती क्योंकि पावरलूम स्वयं सक्षम है। उनकी एक डिमाण्ड यह थी कि समय का एक्सटेंशन दे दिया जाए, एल-4 लाइसेन्सेज के लिए और टेक्स-मार्क के लिए, तो दोनों के लिए पहली बार समय दिया गया था 30-6-81 तक का, दरख्वास्त देने के लिए, उसमें अन्त में दो बार वृद्धि करके 31-12-82 तक बढ़ाया गया। करीब डेढ़ साल का समय और दिया गया बल्कि उससे भी ज्यादा दिया गया और यह यथेष्ट समय था। अगर इसको और बढ़ाया जाता तो यह आभास होता कि अन-अथराइज्ड लगा लेंगे। इसलिए इसको नहीं स्वीकार किया।

दूसरी बात यह है कि कन्ट्रोल्ड क्लाथ सब्सीडी के साथ पावरलूम को दिया जाए तो कन्ट्रोल्ड क्लाथ का उत्पादन ए० टी० सी० और हैंडलूम सेक्टर में होता है। इस सम्बन्ध में यह दो सेक्टर रखे गए हैं, हैंडलूम में और वृद्धि कर दी गई है, उत्तरोत्तर हैंडलूम में वृद्धि हो रही है, 650 मिलियन मीटर में साढ़े तीन सौ मिलियन मीटर का उत्पादन हैंडलूम के लिए रखा गया है। जो पावरलूम है उसको एकत्र करके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डालने में दिक्कत होगी इसलिए पावरलूम पर कन्ट्रोल्ड क्लाथ के लिए विचार नहीं किया गया। यह जरूर है कि उसको सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि पावरलूम एक उपयोगी सेक्टर है, उसका अपना स्थान है और वह अपना योगदान करता है। इसलिए 20 पावरलूम सर्विस सेन्टर्स के लिए निर्णय किया गया है जिनमें 12 सेन्टर्स खुल चुके हैं, 8 अभी और खुलेंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि देश में कुल कितने पावरलूम्स हैं जोकि अन-अथराइज्ड हैं, अन-लाइसेंस्ड हैं और खासकर के किस इलाके में हैं ? जब टेक्सटाइल में स्ट्राइक चल रही थी तो पावरलूम सेक्टर में अधिक से अधिक

कपड़े का उत्पादन हुआ। क्या सरकार का कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जो अन-अथराइज्ड और अनलाइसेंस्ड पावरलूम्स जो चल रहे हैं उनको रेग्युलराइज किया जाए ? यदि हां, तो कब तक ऐसा कर देंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अनअथराइज्ड को जानते ही वह अथराइज्ड होने लगेंगे। अगर अनअथराइज्ड की गिनती मालूम होती तो वह अनअथराइज्ड नहीं रहते। आगे अनअथराइज्ड को अथराइज्ड करने का विचार सरकार का नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि विद्युत करघों के कोई अप्राधिकृत और प्राधिकृत वर्ग नहीं हैं। यह एक गलत दृष्टिकोण है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि अप्राधिकृत विद्युत-करघे न चलें अथवा उन्हें किन्हीं परिस्थियों में प्राधिकृत किया जाए। और यह सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि राज्य सरकारें उन कर्त्तव्यों का पालन करें जिन्हें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है। माननीय सदस्य ने अप्राधिकृत हथकरघों के बारे में पूछा है। मैंने उत्तर दिया, 'यदि मेरे पास गिनती होती तो वे अप्राधिकृत न रहते।' (**व्यवधान**) परन्तु यह सच है कि विद्युत चालितअप्राधिकृत करघे मौजूद हैं।

दिल्ली के पंचतारा होटलों में गाय का मांस परोसा जाना

*931. **श्री नवल किशोर शर्मा**† :

श्री राम विलास पासवान : क्या **पर्यटन और नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली में पंचतारा होटलों में खुले आम गाय का मांस परोसा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजधानी और देश के अन्य भागों में पंचतारा होटलों में गाय का मांस परोसे जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) दिल्ली में किसी होटल में गाय का मांस नहीं परोसा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है— "नो" और ऐसा नहीं होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका अर्थ है, यह इस समय होटल में उपलब्ध नहीं है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : अभी पिछले दिनों टैलो के इम्पोर्ट को लेकर कुछ निहित स्वार्थ लोगों ने और राजनीतिक दलों ने इसका वेजा फायदा उठाने की कोशिश की है। लोगों के सैंटीमेंट्स को भड़काया है। यह समाचार अखबारों में भी छपा था कि दिल्ली के होटलों में यह सप्लाई किया जाता है। हमारा देश एक ऐसा देश है, जिसमें धर्म की आस्था अभी भी लोगों में है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसके लिए भगवान का शुक्र है।

श्री नवल किशोर शर्मा : आपके लिए नहीं। इसलिए मैं यह पूछ रहा था कि यह समाचार जो अखबारों में छपा है, उस समाचार का होटल कारपोरेशन ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया, ताकि लोगों में गलतफहमी पैदा न हो ?

अध्यक्ष महोदय : आठ अप्रैल को छपा है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने जवाब विश्वास के साथ और तहकीकात के बाद दिया है या साधारणतया जैसा उनको बताया गया, वैसा ही उन्होंने जवाब दे दिया है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : गाय के मांस के बारे में मैं इस देश की भावनाओं को भली-भांति समझता हूं। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जब यह प्रश्न आया, तब हमने इस पर समुचित रूप से विचार किया। निःसन्देह, दिल्ली के कुछ होटलों के मीनू कार्ड में 'बीफस्टेक' भी शामिल था। परन्तु यह गाय का नहीं अपितु भैंस के मांस का बनता है इसलिए हमने उनसे कहा कि वे यह न लिखें कि यह गाय का मांस है बल्कि यही लिखें कि 'स्टेक्स' हैं। यह वास्तविक तथ्य है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम भी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत चिंतित हैं कि इन होटलों में गाय का मांस न परोसा जाए ।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब अनुतरित रहा है। मेरा प्रश्न यह था कि जब यह बात अखबारों में छपी तो उसके बाद होटल कारपोरेशन या टूरिस्ट डवेलपमेंट कारपोरेशन ने इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया ? क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि जब ऐसे सवालात के बारे में कोई चीज छपे तो देश के लोगों को सही जानकारी देने के लिए इनके पब्लिक रिलेशन आफिसर का यह उत्तरदायित्व नहीं था कि वे प्रतिवाद करते ? मंत्री महोदय ने इसका जवाब नहीं दिया है। प्रश्न का जवाब अनुतरित रहा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अनुतरित से क्या मतलब है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : अनरिप्लाइड—मैं थोड़ा सा हिन्दी बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए ट्रांसलेशन भी करवा रहा हूं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : इसी के साथ-साथ मैं यह भी अर्ज कर रहा था कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो मीनू है, उसमें यह लिखा हुआ है । इसका मतलब यह हुआ कि हम कस्टमर्स को चोट कर रहे हैं । यह लिखकर हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। यदि फाइव स्टार होटल इस तरह का आचरण करते हैं, तो उस पर क्या आप एक्शन लेंगे कि आइंदा इस तरह की चीज न हो ।

दूसरा प्रश्न—आपने कहा है कि दिल्ली के होटलों में बीफ सप्लाई नहीं किया जाता है, मैं इसको मान लेता हूं, लेकिन हिन्दुस्तान के जो दूसरे पांच-सितारा होटल हैं क्या उनमें बीफ सप्लाई होता है ? यदि होता है तो उसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवाद न करने के बारे में पूछे गए प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच नहीं है और इसलिए हमने प्रतिवाद करना ठीक नहीं समझा । यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि ऐसे अवसर पर प्रतिवाद करना आवश्यक है तो हम निश्चय ही हम उनकी इस सलाह को मानेंगे ।

अब जहां तक शब्द 'धोखाधड़ी' का सम्बन्ध है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है यदि आप आक्सफोर्ड शब्द-कोष को देखें तो उसमें 'बीफ' का निम्नलिखित अर्थ दिया गया है :

> "बैल, सांड अथवा गाय का मांस । इस शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है …भैंस सहित किसी भी प्रकार का पशु इसमें भैंस भी सम्मिलित है ।"

श्री नवल किशोर शर्मा : आपको शब्दकोष के अनुसार नहीं अपितु लोक विश्वास और भावनाओं के अनुसार चलना चाहिए । ऐसे समय शब्दकोष का किसको ध्यान रहता है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र को बता रहा हूं न कि उन लोगों को जो पढ़े-लिखे नहीं हैं । मैंने पढ़कर बताना उचित समझा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप प्रत्येक पांच तारा होटल में आक्सफोर्ड शब्दकोष क्यों नहीं रखवा देते ।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे विद्वान मित्र को इसकी जानकारी है और वह यह भी जानते हैं कि सभी शिक्षित लोगों को आक्सफोर्ड शब्दकोष और उसकी विषय-वस्तु की जानकारी है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला है । अन्य स्थानों पर गाय का मांस परोसे जाने के बारे में उन्हें क्या कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अन्य शहरों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, चूंकि यह प्रश्न केवल दिल्ली के बारे में था, इसलिए हमारे पास केवल दिल्ली के बारे में जानकारी उपलब्ध है। परन्तु हमने अनौपचारिक रूप से देश में होटलों की प्रमुख शृंखलाओं से पता लगाया है और उनमें से तीन ने बताया है कि उनके यहां कहीं भी गाय का मांस नहीं परोसा जाता है। परन्तु उन्हें पुष्ट जानकारी अभी देनी है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो पूछा गया था, वास्तव में मैंने पूछा था—8 अप्रैल, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में मोटे अक्षरों में निकला था—"दिल्ली के पांच तारा होटलों में गोमांस"। तब मैंने लिख कर दिया था और आपने भी इसको पढ़ा है, इसमें पूरे-का-पूरा विवरण दिया गया है। इस समय मैं सदन की जानकारी के लिए दो-चार लाइनें पढ़कर सुनाता हूं—जिनमें लिखा गया है :—

"भारतीय पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत संचालित एक होटल रेस्टोरेंट की भोजन सूची में गोमांस से बना एक व्यंजन 34 रुपए में ग्राहकों को उपलब्ध है। एक अन्य पांच तारा होटल में कई प्रकार के व्यंजनों द्वारा गोमांस ग्राहकों को परोसा जा रहा है।"

गत वर्षों में राजधानी में आयोजित "एशियाड, 1982, निर्गुट आन्दोलन सम्मेलन और चोगम" जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के समय कुछ सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के कड़े विरोध के कारण सरकार व होटल के प्रबन्धकों की ओर से सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि दिल्ली के किसी होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। परन्तु आज स्थिति दूसरी ही है। इन होटलों में गोमांस की खपत दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जहां गत दो वर्ष पूर्व यह केवल 30-40 किलो प्रतिदिन ही थी, वहां अब यह बढ़कर 200 से 250 किलो प्रतिदिन तक पहुंच गई है।

अध्यक्ष महोदय, उस समय की प्रेस कटिंग्ज मेरे पास हैं। यहां दिल्ली के पटेल चौक पर 100 लोगों ने इस विरोध में गिरफ्तारी दी थी। परन्तु आज स्थिति यह है कि इसकी खपत 30-40 किलो प्रतिदिन से बढ़कर 200 से 250 कि० प्रतिदिन हो गई है। इतना ही नहीं—मंत्री जी ने अभी बीफ की मीनिंग बतलाने का प्रयास किया, उन्होंने डिक्शनरी से कोट किया, मैं उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं-- डिक्शनरी में एक और शब्द "वील" है जिसका अर्थ है—गाय के बछड़े का मांस। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं—इसी अखबार में लिखा है—

"गुड्स रिसीट वाउचर पर गोमांस नहीं लिखा जाता। इसको सप्लाई करने वाले का नाम होता है, वजन होता है और गोमांस की जगह "अण्डरकट" लिखा जाता है। ऐसे ही एक होटल की रसीद में "वन आइटम अण्डरकट 55.5 किलो" लिखा हुआ है। इस पर स्टोरकीपर तथा गुड्स रिसीट क्लर्क के हस्ताक्षर भी हैं।"

मैं मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं—जिस समाचार का उल्लेख मैंने इस समय किया है, मंत्री महोदय ने उसकी कोई इन्क्वायरी करवाई या नहीं? इसमें जो नाम दिया है,

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल का, तो वीरेन्द्र अग्रवाल जी अगर जर्नलिस्ट होंगे, तो एक्स-एम०पी० भी हो सकते हैं और यह इंक्वायरी से पता चल सकता है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह सब जो रिपोर्ट है, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो सरकार ने उस पर कोई जांच करवाई थी और अगर करवाई थी, तो किसके माध्यम से करवाई थी, किसको इंक्वायरी करने के लिए कहा था और क्या आप एक पार्लियामेंटरी कमेटी इसके लिए नियुक्त करने को तैयार हैं जो इन सारे तथ्यों की जांच करे । क्या सरकार ऐसी कमेटी नियुक्त करने के लिए तैयार है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हम जब कोई स्पष्ट वक्तव्य देते हैं तो हम सम्बन्धित होटल से लिखित रूप में पक्की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं । उन्होंने हमें लिखकर दिया है कि उनके यहां गाय का मांस नहीं परोसा जाता, केवल भैंस का मांस परोसा जाता है और मैंने भी यहां यही बात कही है । मेरे विचार में यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर संसदीय समिति विचार करे ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारी आप रक्षा कीजिए । मैंने अखबार से कोट किया है और जिस अखबार में मैंने पढ़ा है, उसकी बेसिस पर यह प्रश्न पूछा गया था । मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं कि इसमें जो आइटम निकला है, उसकी आपने जांच करवाई है ? आपने कहा है कि हमने पूछा है, तो किस-किस होटल से पूछा है । किसी एक होटल का नाम इसमें नहीं हैं और बहुत से होटल हैं । आपने अपने मंत्रालय के किसी अफसर से इसकी जांच करवाई है और उसने जाकर कोई छानबीन की है । मैं चैलेंज कर रहा हूं । मंत्री महोदय हाऊस को गुमराह कर रहे हैं । मीट खाना या न खाना यह एक अलग बात है । मैं आपको चैलेंज करता हूं । आपको विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा ।

हमारे पास जानकारी है और मैं सदन के पटल पर इसको बाद में रखूंगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे अभी भी इसको कन्फर्म करते हैं या डिनाई करते हैं और इसके लिए इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री के० लकप्पा : क्या वह मंत्री को इस प्रकार धमका सकते हैं कि वह उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि मंत्रालय के होटल अनुभाग, जो कि होटलों और अन्य पहलुओं को देखता है, के माध्यम से सम्बन्धित होटल से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह सूचना दी है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष सूचना है तो वह कृपया मुझे दे दें । हम इस पर और विचार करेंगे और जांच करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमें आपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने गाय को पवित्र घोषित कर दिया था । यदि आप पड़ौसी देशों की ओर देखें तो उनके यहां गाय की संख्या बहुत कम रह गई है जबकि भारत में अभी भी काफी है । अत: गाय को संरक्षण देने की नीति की, जो कि हमारे संविधान का एक अंग भी है, रक्षा करनी होगी । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि भैंस के मांस के नाम पर गाय का मांस परोसा जा रहा है और

यह भी कि उनके मंत्रालय में जो पांच सितारा होटलों की देखभाल करता है और उनका प्रबन्धक भी है, इस बात को प्रमाणित करने वाला कोई निरीक्षण विभाग नहीं है। मेरे कुछ होटल वाले जानकार यह कहते हैं कि उनके यहां सफेद मांस परोसा जाता है उनसे प्राप्त अनुभव से मैं जानता हूं कि···

श्री के० लकप्पा : इस विषय पर चर्चा नहीं की जानी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने जब भैंस का प्रश्न उठाया तो वह उठ खड़े हुए।

(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : आपको इन सभी बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं मंत्रालय विश्वास कैसे कर सकता है। भैंस के नाम पर वे गाय का मांस परोस सकते हैं। वास्तव में होटल प्रबन्धकों में से कुछ लोग कहते हैं कि वे सफेद भैंस का मांस परोसते हैं। इसका क्या अर्थ है ? यह शब्दाडम्बर है। वे वास्तव में वे गाय का मांस परोसते हैं। उनमें से कुछ इसके स्थान पर आयातित गाय का मांस रख देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके यहां कोई निरीक्षण तन्त्र है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि गाय का मांस नहीं परोसा जाता है।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारे मंत्रालय में निरीक्षण अनुभाग है। परन्तु यह यदा-कदा होटलों में निरीक्षण के लिए नहीं जाता बल्कि एक-दो साल में जाता है। लेकिन सामान्यतः जब कभी हमें ऐसी कोई शिकायत मिलती है हम उस पर ध्यान देते हैं तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि क्या सम्बन्धित होटल द्वारा दिया गया विवरण सही है या नहीं, हम मामले की पूरी जांच करते हैं।

श्री के० लकप्पा : सर्वप्रथम मैं नहीं चाहता कि इस मामले पर इस तरह चर्चा की जानी चाहिए··· (**व्यवधान**) मैं मानता हूं कि गाय पवित्र पशु है। गोरक्षा के लिए आप कृपया गाय के चारे के बारे में बात कीजिए न कि होटलों में भोजन के वितरण सम्बन्धी बातों पर।

इसमें दो मामले अन्तर्ग्रस्त हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय गाय का मांस नहीं खाएंगे लेकिन कुछ लोग अपनी सामाजिक आदतों के कारण या किसी अन्य कारण से गाय का मांस खाना चाहते हैं। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि आई० टी० डी० सी० के अंतर्गत आने वाले होटलों में जहां कहीं भी जो भोजन परोसा जाए, वह अच्छी किस्म का हो तथा ग्राहकों के साथ किसी तरह का धोखा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नवल किशोर जी का जो क्वेश्चन था उसमें 'बीफ' वर्ड यूज किया गया और मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि :

"दिल्ली में किसी भी होटल में गाय का मीट नहीं परोसा जाता।"

यह परपजली मिनिस्टर साहब को गुमराह किया गया है और उनके द्वारा इस हाऊस को गुमराह किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि देवनार के पास इंडिया का सब से बड़ा बूचड़खाना है। उसमें काऊ के कटने पर रोक है, बुल्क के कटने पर रोक नहीं है। तो मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि यह जो उनके जवाब में वर्ड 'काऊ' गुमराह करने के लिए यूज किया गया है, क्या वे इस बात का आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि गाय का अर्थ गाय या बछड़े दोनों के मांस से है - दोनों में 'बछड़े' का मांस होता है। और ये दोनों के मीट सर्व नहीं होते हैं। इसका वे स्पेसिफिक आन्सर दें कि ये वहां सर्व नहीं होते हैं। क्या वे यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, मुझे होटल की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि गाय और बछड़े दोनों का मीट इस्तेमाल नहीं होता है। अगर माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि ऐसा नहीं होता है तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हम फिर एक मर्तबा इसकी जांच कर लेंगे कि न काऊ का, न बछड़े का और न बुल्क का सर्व हो।

डा० कर्ण सिंह : मैं इस समय गाय वध सम्बन्धी व्यापक प्रश्न पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन मुझे बहुत दुःख है कि जिन मंत्री महोदय के लिए मेरे मन में बहुत आदर था उन्होंने सदन में स्पष्ट रूप से गलत वक्तव्य दिया है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें पंचतारा होटल में साथ ले जाकर दिखा सकता हूं कि वहां गाय का मांस केवल परोसा ही नहीं जाता अपितु मीनू कार्ड में 'बीफ' लिखा भी हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : आपको छद्मवेश धारण करना होगा।

डा० कर्ण सिंह : मीनू कार्ड पर 'गोमांस' लिखा होता है। इसे केवल गाय के मांस के रूप में परोसा ही नहीं जाता। मुझे बहुत दुःख है। कृपया आप कोई ऐसी बात न कहिए जिससे आपके विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया जा सके। मंत्री महोदय आपने गलत वक्तव्य दिया है। आप अभी प्रश्न काल समाप्त होने के बाद मेरे साथ आइए। क्या वहां 'गोमांस' लिखा देखकर आप सहमत हो जाएंगे कि वहां इसे परोसा जाता है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने पहले कहा है कि कुछ जगह व्यंजन-सूचियों में 'गोमांस' लिखा हुआ था। हमने उन्हें कहा कि जब वे 'गोमांस' परोस नहीं रहे हैं तो सूची में से 'गोमांस' शब्द निकाल दीजिए। वे केवल भैंस का मांस परोसते हैं।

डा० कर्ण सिंह : वे इसे 'गोमांस' के रूप में दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने सदन को यह आश्वासन दिया है कि आप इसकी आगे जाँच करेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है···। अब वह इस पर विचार करेंगे।

श्री जी० वाई० कृष्णन — अनुपस्थित

श्री लक्ष्मण मलिक — अनुपस्थित

जिला केन्द्रों के लिए विमान सेवा

*934. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख जिला केन्द्रों को विमान सेवा से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सभी प्रमुख जिला केन्द्रों के लिए विमान सेवाएं प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, पर्याप्त यातायात सम्भाव्यता अपेक्षित आधार संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त, देश के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों तथा नगरों को विमान सेवा से जोड़ दिया गया है।

श्री के० मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि विमान सुविधाएं आरंभ करने के प्रस्ताव का आधार क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कितने जिला मुख्यालयों को विमान सेवाओं से जोड़ा गया है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, 1981 की गणना के अनुसार हमें बताया गया है कि जिलों की संख्या 412 है ; इनमें से इन जिलों में 75 स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ा गया है।

श्री के० मालन्ना : महोदय, मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का, अर्थात क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है, का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह कि मंत्री महोदय ने पटना में कहा था कि सरकार के पास इन अगम्य क्षेत्रों में वायु सेवा आरम्भ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वायुदूत को इन क्षेत्रों तक चलाए जाने का कोई विचार है। यदि हां, तो क्या मैं उसका विवरण जान सकता हूं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय 'इंडियन एयरलाइंस' ने अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। यह सब प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए निवेदन पर निर्भर करता है। जहां तक व्यवहार्यता का संबंध है, मैंने यह नहीं कहा कि वायुदूत सेवा निष्क्रिय है। मैंने कहा है कि यह बहुत जागरुक निर्णय लिया गया था कि पूर्वी प्रदेश में वायुदूत सेवा आरम्भ करना अधिक लाभप्रद नहीं होगा।

जहां तक वायुदूत सेवा के विस्तार का सम्बन्ध है, हमारे विमान तथा संसाधन सीमित हैं। अतः जब भी हमारे पास अतिरिक्त विमान उपलब्ध होंगे तभी इसका विस्तार किया जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वायुदूत सेवा आरम्भ करने का एक उद्देश्य यह भी था कि सुदूर क्षेत्रों को जोड़ा जाए। यदि यह सच है तो मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। मुझे पता चला है कि आइजोल को जोड़ने वाली वायुदूत सेवा अगले तीन महीनों के लिए रद्द की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके रद्द किए जाने का क्या कारण है ? क्या मैं जान सकता हूं कि यदि आइजोल की वायुदूत सेवा पुनः आरम्भ करनी है तो इसके लिए कार्यवाही कब की जाएगी ? वर्षा काल के दौरान इस क्षेत्र का सम्पर्क रेल तथा सड़क संचार मार्ग से टूट जाता है। यदि भू-स्खलन आदि के कारण सम्पर्क भी टूट जाता है तो वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। आइजोल के लिए पुनः अपनी सेवाएं आरम्भ करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : आइजोल सेवा जारी है। वहां की एकमात्र समस्या हवाई पट्टी की है। वहां इसकी मरम्मत की कठिनाई है। हम यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि वायुदूत के प्रयोग के लिए इस पट्टी का रख-रखाव किया जाए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कलकत्ता से कूच बिहार के वायुदूत सेवा सप्ताह में तीन बार आरंभ कर दी है। उन्होंने कलकत्ता से जमशेदपुर के लिए प्रति दिन उड़ान के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कलकत्ता से जमशेदपुर की वायुदूत सेवा को पानाघाट और आसनसोल में रोके जाने के उपयुक्त निदेश देंगे ताकि दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को और आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र भी वायुदूत सेवा उपलब्ध हो सके। उसमें अधिक यात्री जाएंगे तथा इस आर्थिक दृष्टि से भी लाभ होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह शीघ्र ही कलकत्ता से जमशेदपुर तक की वायुदूत सेवा को सप्ताह में एक बार पानाघाट तथा आसनसोल में रोके जाने के आदेश देंगे। इससे विश्वभारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकेगी। विदेशी पर्यटक यहां पर विश्वभारती विश्वविद्यालय देखने भी जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा प्रश्न है, कृपया आप छोटा प्रश्न पूछिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने इससे संबद्ध छोटा प्रश्न ही पूछा है।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह यातायात पर निर्भर है। हमें सर्वेक्षण करना होगा। तब ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

अभ्रक व्यापार में निजी क्षेत्र की भूमिका

*935 **श्री पुचालापल्ली पेंचालैया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभ्रक व्यापार सरणीबद्ध अथवा राष्ट्रीयकृत है;

(ख) अभ्रक व्यापार में निजी क्षेत्र द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है;

(ग) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड की भूमिका क्या है और क्या वह किसी रूप में निर्धन वर्ग के लिए सहायक है; और

(घ) कमीशन के आधार पर भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा व्यापारियों से की गई खरीद पर हुए मुनाफे का क्या उपयोग किया जाता है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) अभ्रक स्क्रैप सहित संसाधित अभ्रक का निर्यात भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है। संसाधित अभ्रक स्क्रैप के अलावा अभ्रक फैब्रिकेटिड अभ्रक, अभ्रक पाउडर आदि के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस पर है। सरणीकरण अभिकरण के नाम में आर्डर लाने वाले गैर-सरकारी निर्यातकों को भी 50 प्रतिशत तक संसाधित अभ्रक के निर्यात व्यापार में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

इस सहभागिनी प्रबंध के अन्तर्गत, मिटको व्यापार के कमजोर वर्गों से अपने स्वयं की अधिप्राप्ति तथा साथ ही अपने स्वयं के संसाधन केन्द्रों के माध्यम से सभी निर्यात आर्डरों के 50 प्रतिशत की व्यवस्था करता है। मिटको अभ्रक की खरीद पूरे वर्ष नियमित तौर पर डीलरों से करता है। मूल्य की दृष्टि से ऐसी खरीदारियों का 90 प्रतिशत से भी अधिक अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों से है। मिटको भी खरीदे गए अभ्रक के लिए उचित तथा लाभकर कीमतें अदा करता है और ऐसी अदायगियां तत्परता से की जाती हैं।

मिटको डीलरों से खरीदारियां कमीशन आधार पर करता है।

• **श्री पुचालापल्ली पेंचालैया** : अभ्रक के व्यापार में, सरणीबद्ध एजेंट, भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा 50% तक विदेशी आर्डर प्राप्त किए जाते हैं। क्या किसी अन्य वस्तु के लिए भी ऐसा कोई कारखाना है ? यदि नहीं, तो यह कारखाना केवल अभ्रक के लिए ही क्यों बनाया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, अभ्रक के सम्बन्ध में देखा गया कि अभ्रक के 85% व्यापार केवल 20 पोतवणिक अपना एकाधिकार जमाए हुए थे। और कमजोर वर्ग को उचित लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने अभ्रक को सरणीबद्ध करने का निर्णय लिया और चूंकि यह संक्रमणकालीन अवस्था है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसका अधिग्रहण करने और इसे पूर्णतः सरणीबद्ध करने की बजाय इसकी गैर-सरकारी व्यापार और 'मिटको' के साथ भागीदारी कर दी जाए, पहले इसकी भागीदारी 30% रखी गई थी बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया : यदि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम कमजोर वर्गों की सहायता

कर रहा है तो निगम निर्यात के लिए तैयार और चुनी हुई मदें खरीद क्यों रहा है ? जिनके लिए उनके पास आर्डर दिए हैं। अन्य उत्पादित मदों का क्या होगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : स्वभावत: हम वही मदें बेच सकते हैं, जिनके लिए आर्डर हैं। जहां तक अन्य संसाधित और फैब्रिकेटिड अभ्रक, अभ्रक पाउडर आदि का प्रश्न है इसके लिए भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की अब अभ्रक के माइक्रोनाइज्ड पाउडर की दो इकाइयां हैं; इसने एक इकाई फेब्रिकेटिड अभ्रक की स्थापित की है और अभ्रक को संसाधित करने की इसकी 7 इकाईयां हैं।

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया : अभ्रक में 20 से 35 प्रतिशत तक लाभ मिलता है, विशेषकर उन मदों पर जो कमजोर वर्गों द्वारा खरीदी जाती हैं। क्या इसका अभिप्राय उनकी सहायता करना है या उन्हें लूटना ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका अभिप्राय है कमजोर वर्गों की सहायता करना।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में जो छोटे-छोटे अभ्रक के खदान वाले हैं, उनसे मिटको द्वारा माईका नहीं खरीदने की वजह से पूरी की पूरी माइका की खानें बन्द हो गई हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 70 परसेंट मिटको के द्वारा और तीस परसेंट प्राइवेट ट्रेडर्स द्वारा खरीदने की व्यवस्था है, लेकिन मिटको द्वारा बड़े-बड़े लोगों की खानों से माल खरीदने पर हजारों छोटी खानें बन्द हो गई हैं और हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि मिटको द्वारा छोटी-छोटी खानों से माइका खरीदने की व्यवस्था की जाएगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मिटको द्वारा 90 प्रतिशत वीकर सैक्शन से खरीद की जाती है। जहां तक राजस्थान का सवाल है कि और प्रयास किया जाए, वह सुझाव माननीय सदस्य का स्वीकार है।

श्री पसाला पेंचालैया (तिरुपति) : आंध्र प्रदेश भी एक अभ्रक निर्यात करने वाला राज्य है। परन्तु इस समय बाजार में अभ्रक की भरमार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या सरकार ने अन्य देशों को अभ्रक निर्यात करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हां, तो किन-किन देशों में ? अभ्रक के भरमार के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : संसाधिक अभ्रक का सबसे बड़ा खरीददार रूस है। अन्य प्रकार का अभ्रक जैसे कि विरचक अभ्रक तथा परिवर्धित मूल्य अभ्रक सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में जाता है तथा अमेरिका भी एक खरीददार है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मालूम है कि माइका उद्योग में काफी लाभ हुआ है लेकिन वहां मजदूरों ने बीस प्रतिशत बोनस की मांग की है, जो कि समाज का सबसे वीकर सैक्शन है। क्या मंत्री महोदय मजदूरों को बीस प्रतिशत के हिसाब से बोनस देने पर विचार करेंगे। दूसरे इसके डीलर वीकर सैक्शन में आते हैं, जिन लोगों को बी० ए० नम्बर दिया गया है, क्या गारन्टी के साथ प्रति माह उनसे खरीदारी की जाएगी ताकि वीकर सैक्शन की रक्षा हो सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बोनस देने के सम्बन्ध में उनकी बिहार सरकार के साथ बातचीत हुई है और बीस प्रतिशत बोनस की मांग उन्होंने की है। परन्तु बिहार सरकार के इण्टरवैंशन से यह मामला 9.5 प्रतिशत बोनस पर तय हुआ। अभी भी कुछ मामला लेबर सुपरीन्टैन्डैंट, बिहार सरकार के पास पड़ा हुआ है, जिसमें मिटको ने अपने एकाउन्टस वगैरह सबमिट किए हुए हैं और निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही बोनस दिया गया है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी के द्वारा जिनको बी० ए० नम्बर दिया गया है, वे वीकर सैक्शन में आते हैं जब कि कच्चा माल बड़े लोगों से खरीदा जाता रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को बिजनैस एजेंसी दी गई है, कम्पनी माइका खरीदने के के लिए, बड़े एक्सपोर्टर्स के स्थान पर गारन्टी के साथ इन वीकर सैक्शन के लोगों से माइका खरीदेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया कि 90 प्रतिशत माइका वीकर सैक्शन से ही खरीदा जाता है और सीधे मजदूरों को लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रोसैसिंग यूनिटस मिटको खुद चला रहा है।

स्वदेशी काटन मिल्स का प्रबन्ध

*937. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स के अधिग्रहण के बारे में 26 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के अधिग्रहण की तीन बार बढ़ाई गई अवधि 30 अप्रैल, 1984 को समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों का पूर्ण क्षमता पर सुचारू और कुशलता से काम करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) स्वदेशी काटन मिल्स ग्रुप के सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इन यूनिटों को भूतपूर्व प्रबन्ध मण्डल को लौटा दिया जाएगा अथवा उनका कर्मचारी और अन्य द्वारा किए अभ्यावेदन के अनुसार जनहित में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर से सम्बन्धित छः उपक्रमों के समूह के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि 31 जुलाई, 1984 तक तथा उसे मिलाकर 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

(ग) तथा (घ) उपक्रमों के समूह के भावी स्वरूप पर अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : सर, स्वदेशी कौटन मिल्स को 1978 में टेक ओवर किया गया था और उसके बाद यह चौथी बार टाइम अवधि बढ़ाई गई है। उस मिल में 13 हजार मजदूर संकटग्रस्त हैं। यदि इसी तरह से सरकार काम करती रही तो जहां इस मिल में 50 हजार किलो-ग्राम प्रति दिन सूत तैयार किया जाता है'''और 2 लाख मीटर कपड़ा तैयार होता है, 13 लाख मजदूरों का जीवन उस पर निर्भर है। अगर इस तरह से हर बार टाइम बढ़ाते चले जायेंगे तो इससे अभी तक 113 करोड़ रुपए के लासेस और लायब्लिटी और लूटपाट होती चली जा रही है, क्या मंत्री जी गारन्टी देंगे कि इसके बाद नेशनलाइज करने के बारे में कोई फाइनल निर्णय करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहली बात 5 साल के लिए लिया गया था तो 83 तक के लिए यही अवधि थी। जहां तक मजदूरों का सवाल है, समय बढ़ाने से उनकी सुरक्षा ही है, उससे मजदूरों की हानि नहीं है। यह मामला सुप्रीमकोर्ट के अन्दर है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सी० टी० सी० चाय के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध का हटाया जाना

*926. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** सी० टी० सी० चाय के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध को वापस लेने की मांग के बारे में 16 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी० टी० सी० चाय के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खालों, चमड़ा और चमड़े की विभिन्न वस्तुओं का निर्यात

*930. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को खालों, चमड़े और चमड़े की बनी विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान कुल कितना निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको यह निर्यात किया गया;

(ग) सरकार ने इसके फलस्वरूप कितनी धनराशि अर्जित की; और

(घ) वर्ष 1984-85 में निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कच्ची खालों तथा चमड़े पर निर्यात के लिए रोक है। अर्ध-संसाधित तथा परिष्कृत खालों व चमड़े के उत्पादों का निर्यात किया जाता है।

(ख) और (ग) 1983-84 (अप्रैल, 1983 फरवरी, 1984) के दौरान चमड़े तथा उत्पादों के निर्यात लगभग 376 करोड़ रुपए के थे। जिन मुख्य देशों को ये निर्यात किए गए उनमें सोवियत संघ, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, इटली, जर्मन संघीय गणयाज्य, फ्रांस, यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान शामिल हैं।

(घ) इस क्षेत्र में 1984-85 के लिए निर्यात लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

इनलेंड कन्टेनर डिपुओं के माध्यम से निर्यात को बढ़ाना

*932. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनलैंड कन्टेनर डिपुओं के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) अन्तर्देशीय केन्द्रों में निर्यातकों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बंगलौर छावनी, गुन्टूर/अनापर्ती, कोयम्बटूर तथा प्रगति मैदान (नई दिल्ली) में प्रायोगिक परियोजना आधार पर अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो स्थापित किए गए हैं। गोहाटी में एक आई० सी० डी० स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसी सभी सुविधाएं, जो सामान्य तौर पर समुद्री पत्तनों पर विद्यमान होती हैं, जैसे कि भण्डागार, सीमा शुल्क निर्वाधन, भराई/रीताई, बैंकिंग, नौवहन कम्पनियों/स्टीमर एजेंटों की सेवाएं इन अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अन्तर्देशीय कन्टेनर

डिपुओं से निर्यातकर्त्ताओं को इन्टरमाडल ट्रांसपोर्ट के जरिए कन्टेनर भारों में निर्यात लदान की सीधी बुकिंग की बहुत ही जरूरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इन सुविधाओं से निर्यातों का संवर्धन करने में मदद मिलेगी।

देश की सभी झीलों में पक्षियों के शिकार करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव

*933. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी झीलों पर उनके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए पक्षियों के शिकार पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय महत्व की झीलों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय, गोआ, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में शिकार करने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है।

2. तथापि, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ स्पीशिज तक सीमित रखते हुए ऋतुओं के दौरान प्रतिबन्धित शिकार की अनुमति है।

3. पर्यटक मार्किट की मांगों, परस्पर प्राथमिकताओं, परिवेश सम्बन्धी पक्ष और धनराशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, झीलों पर, जो प्राथमिक रूप से पक्षी-विहार हैं, पर्यटक सुविधाओं का विकास, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा नियमित वन्य जीव पर्यटन विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में प्रारम्भ किया गया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए नौकाओं की व्यवस्था करने और पर्यटन महत्व की झीलों पर अन्य प्रकार की मनोरंजनकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना (स्कीम) भी है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के एककों में श्रमिक असंतोष

*936. **श्री एस० टी० जक्कायन** :

श्री विजय कुमार यादव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 1984 तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक एकक में हिंसात्मक श्रमिक असंतोष की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) ये घटनाएं किस प्रकार की थीं तथा प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम के एककों में श्रमिक असंतोष में हुई वृद्धि के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(घ) पर्यटन के विकास में भारतीय पर्यटन विकास निगम की सार्थक भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम एककों में औद्योगिक असंतोष को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 1. 84 तक भारत पर्यटन विकास निगम के किसी भी एकक में हिंसात्मक श्रमिक असंतोष की कोई भी घटना नहीं हुई। हमले की घटनाओं और अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक कर्मचारी के बारे में ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम में औद्योगिक सम्बन्ध कुल मिलाकर मधुर हैं।

विवरण

घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

एकक का नाम	घटना का स्वरूप	की गई कार्रवाई
1	2	3
1. होटल वाराणसी अशोक	30-.-83 को दो विरोधी यूनियन कामगारों के दो ग्रुपों के बीच झगड़ा हुआ।	भारत पर्यटन विकास निगम के मैनेजमेंट द्वारा चार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
2. होटल जयपुर अशोक	20-12-84 को स्टाफ केन्टीन में कामगारों को चाय वितरित करने के बारे में कामगारों के एक ग्रुप में झगड़ा हुआ एक कामगार को जब बिना कूपन के चाय देने से मना किया गया तो इसके विरोध में उसने	मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मामले की जांच करने के लिए भेजा था। बातचीत के दौरान, यूनियन के प्रतिनिधियों ने इस घटना के लिए माफी मांगी और यह

1	2	3
	क्राकरी तोड़ी। जिस अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए भेजा गया था उस पर एक सुरक्षा गार्ड ने शारीरिक हमला किया और उसकी पिटाई की।	वायदा किया कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। सुरक्षा-गार्ड को निलम्बित कर दिया गया है। भारत पर्यटन का विकास निगम के मैनेजमेंट द्वारा नौ कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए हैं।
3. होटल जनपथ	27-2-84 को कुछ प्रशासनिक मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए आई० टी० डी० सी० होटस वर्कर्स यूनियन के कुछ पदधारी उप-प्रबन्धक कार्यालय, जनपथ होटल, नई दिल्ली गए। यह सूचना मिली है कि उनमें से कुछ ने उप-प्रबन्धक पर शारीरिक हमला किया।	भारत पर्यटन विकास निगम के मैनेजमेंट ने सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस को एक रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी निवेश के बारे में नरसिम्हम् समिति

*938. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों में सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी निवेश के बारे में नरसिम्हम् समिति ने कहा है कि मनोनीत निदेशकों को संस्थानों की दैनिक प्रबन्ध व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो नरसिम्हम् समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं और इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नरसिम्हम् समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि मनोनीत निदेशकों को चाहिए कि वे सहायता-प्राप्त कम्पनियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बहुत बारीकी से नजर रखें और उस पर अपना प्रभाव डालें। लेकिन उन्हें प्रबन्ध के रोजमर्रा के काम में आमतौर पर दखलअन्दाजी नहीं करनी चाहिए।

(ख) नरसिम्हम् समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध परिवर्तनीयता खण्ड, मनोनीत निदेशकों की भूमिका, सहायता-प्राप्त कम्पनियो के निरन्तर रिकार्ड के मूल्यांकन, वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित शेयरों की बिक्री और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शीर्ष भूमिका से है। समिति

की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने अब तक परिवर्तनीयता खण्ड और मनोनीत निदेशकों के सम्बन्ध में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं जो 1 मार्च, 1984 से लागू हो गए हैं।

बॉल और रोलर बियरिंग का आयात

*939. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बाल और रोलर बीयरिंग के आयात की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आयात का स्वदेशी निर्माणकर्त्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) जी हां। स्वदेशी तौर पर अनुपलब्ध बाल तथा रोलर बियरिंग के आयात की अनुमति है। सभा संगत बातों, जिनमें स्वदेशी उत्पादन तथा मांग शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए 1984-85 के लिए बाल तथा रोलर बियरिंग्स हेतु आयात नीति अधिक प्रतिधबांत्मक बनाई गई है।

मजदूर संघों की संयुक्त वार्ता समिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को शामिल करना

*940. **श्री दलोप सिंह भूरिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एन० बी० एण्ड जीवन बीमा कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत) की ओर से सरकार/प्रबन्धकों से बातचीत करने के मामले में सभी मजदूर संघों की संयुक्त वार्ता समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसे विचार विमर्श/बातचीत के लिए जो सामान्यतः कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन तथा उनकी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में होता है, उन्हीं संघों को आमंत्रित किया जाता है जो कि अधिसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो कि पहले किए गए समझौते में पक्षकार होते हैं। जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों द्वारा उन संघों को ऐसे विचार-विमर्श में शामिल नहीं किया जाता जो कि किसी विशेष समूह अथवा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विशाखापतनम से चीन को लौह अयस्क का निर्यात

*941. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चीन को लौह अयस्क का निर्यात पहली बार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विशाखापतनम बन्दरगाह पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1978 तथा 1979 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मद्रास/पारादीप पत्तनों से चीन को कुल 1.2 लाख मै० टन लौह अयस्क के चार लदान किए गए। तथापि, 1984 की अन्तिम तिमाही के दौरान पारादीप पत्तन से पहला आजमाइशी लदान, जिसके परिणामस्वरूप बाओशान स्टाल वर्क्स (जिसे मध्य 1985 तक चालू किया जाना है) के लिए लौह अयस्क की दीर्घकालिक सप्लाई हो सकती है, किया जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) क्रेताओं के साथ के पारस्परिक सहमति प्राप्त सामग्री ग्रेडों तथा लदाई पत्तनों को ध्यान में रखते हुए लदान मद्रास तथा पारादीप से किए गए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी में वृद्धि

*942. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को दिए गए समयोपरि भत्ते में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या समयोपरि भत्ता कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ निर्देश भी जारी किए गए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंकों में समयोपरि भत्ता किसी कर्मचारी द्वारा किए गए काम के वास्तविक घण्टों के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक बैंक के अधिकारियों और यूनियन द्वारा तय किए गए घण्टों के आधार पर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कार्यालय के समय के बाद ही किए गए वास्तविक कार्य और वह भी जब ऐसा करना नितांत आवश्यक हो, कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाए। बैंकों से स्टाफ को दिए जाने वाले समयोपरि भत्ते की अदायगी पर समय-समय पर नजर रखने के लिए भी कहा गया था ताकि इसे न्यूनतम रखा जा सके। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंकों के समयोपरि बिल में काफी कमी हो गई है और यह राशि 1980 में 34.31 करोड़ रुपए से घटकर 1983 में 11.42 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रह गई।

(ग) और (घ) बैंकों ने सूचित किया है कि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता कार्यालय के समय के अलावा वास्तव में किए गए काम के लिए ही दिया जाता है।

"मिटको" के माध्यम से अभ्रक व्यापार को सारणीबद्ध करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की नीति

*943. **श्री ए० के० राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1983 को धनबाद से प्रकाशित एक हिन्दी दैनिक में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार सरकार ने "मिटको" के माध्यम से अभ्रक व्यापार को सारणीबद्ध करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की नीति का विरोध किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार द्वारा की गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार ने इस तथ्य को नोट किया है कि मिटको के माध्यम से अभ्रक का निर्यात जारी रखने के सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा उद्योग मंत्री को समाचार-पत्र में छपे जिन विचारों के लिए जिम्मेवार ठहराया है वे संशोधित अभ्रक निर्यातकों के सरणीकरण सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुरूप हैं।

खाड़ी के देशों से आने-जाने वाले यात्रियों को मंगलौर-बम्बई क्षेत्र के विमान टिकटों की पुष्टि कराने में कठिनाई

*944. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के देशों से आने-जाने वाले बहुत से यात्रियों को मंगलौर के इंडियन एयरलाइन्स कार्यालय में मंगलौर-बम्बई क्षेत्र की विमान टिकटों की पुष्टि कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें खाड़ी के देशों में पुष्टिकृत वापसी टिकटें जारी किए जाने के बावजूद इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइंस, मंगलौर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। खाड़ी के केवल उन्हीं यात्रियों को मंगलौर-बम्बई क्षेत्रक पर टिकटों की पुष्टि करवाने में कठिनाई होती है, जो इण्डियन एयरलाइंस के बुकिंग स्टेशन पर अल्प-सूचना पर पुष्टि के लिए सम्पर्क करते हैं।

(ख) जी, नहीं। खाड़ी के देशों में जारी की गई पुष्टिकृत वापसी टिकटों के धारक यात्रियों को सीटें प्राप्त करने में केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :

(1) अगर इण्डियन एयरलाइंस से पुष्टि प्राप्त किए बिना ही खाड़ी के देशों में टिकट जारी करने वाले कार्यालय द्वारा टिकटों की पुष्टि कर दी गई है;

(2) अगर यात्री ने इंडियन एयरलाइंस द्वारा निर्धारित की गई कार्यावधि के अनुसार टिकट की पुनः पुष्टि नहीं कराई है।

(ग) सामान्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) इन शिकायतों की इण्डियन एयरलाइंस द्वारा जांच की जा रही है।

जैन वनस्पति लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड पर भेजी हुई हुंडी का मामला

9827. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 1983 के "टाइम्स आफ इण्डिया" मैं० जैन वनस्पति द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड पर भेजी हुई 1.07 करोड़ रुपए की हुंडी सम्बन्धी मामले से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध एवं अनुज्ञेय सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एक नया अनुच्छेद अन्त: निगमित करने से इन्कार

9828. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने 5 जनवरी को हुई अपनी सामान्य सभा की असाधारण बैठक में वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 1982 के का० ज्ञा० सं० 6/1/एम० डी० ए०/82 के अनुसार दिए गए निम्नलिखित नए अनुच्छेद को शामिल करने से इन्कार कर दिया है;

सरकार को :

(1) उसके कृत्यों का निर्वहन और पालन करने के लिए परिषद द्वारा ऐसे निदेश देने और परिषद द्वारा ऐसे निदेशों का प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित करने का;

(2) सम्पत्ति तथा परिषद की अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की रिपोर्टें, रिटर्नें तथा अन्य जानकारी, जिसकी समय-समय पर आवश्यकता होती है को मंगवाने का;

(3) परिषद के राजस्व और पूंजी बजट, अर्थात् संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों को अनुमोदित करने का; और

(4) परिषद के साथ किए जाने वाले करारों, जिसमें विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त है, को मंजूर करने का अधिकार होगा; और

(ख) सरकार का अब क्या करने का प्रस्ताव है क्योंकि अन्य सभी परिषदों ने अनुच्छेदों में उपर्युक्त उपबन्ध अपना लिए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने सूचित किया है कि 5-1-84 को हुई असाधारण आम बैठक में परिषद की अगली आम बैठक तक मामले पर विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास में आफीसर्स एसोसिएशन की मांगें

9829. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक का प्रबन्ध निदेशक उस समय विदेश चला गया, जबकि उसे यह पता था कि दिनांक 18 जनवरी, 1984 को इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास में आफीसर्स एसोसिएशन से सम्बद्ध अधिकारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेंगे;

(ख) क्या दिनांक 24 जनवरी, 1984 को जब इस बैंक के छः क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली,

हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और त्रिची में काम ठप्प हो गया था, मद्रास में केन्द्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक भी उपस्थित नहीं था और वह उत्तर प्रदेश में दौरे पर था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आफीसर्स एशोसिएशन की मांगों की नवीनतम स्थिति क्या है तथा मान ली गई मांगों और विचाराधीन मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इस मामले के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) इंडियन ओवसीज बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के अधिकारी संघ ने केरल के एक शाखा प्रबन्धक को दिए गए निलम्बन आदेश और उसे चार्जशीट दिए जाने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 19-1-1984 को एक आन्दोलन शुरू किया था। बैंक के कार्यपालक निदेशक को 18 जनवरी, 1984 को महत्वपूर्ण सरकारी कार्य के सम्बन्ध में, जिसके लिए भेंट कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका था और जिसके लिए उन्होंने सरकार से पहले अनुमति प्राप्त कर ली थी, इण्डोनेशिया और मलयेशिया जाना था। केरल में 19-1-1984 को शाखा अधिकारी सामूहिक तौर पर आकस्मिक अवकाश पर चले गए और इसके बाद मद्रास क्षेत्र तथा केन्द्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने 20-1-84 को सामूहिक रूप से आकस्मिक छुट्टी कर ली और 23-1-1984 को दिल्ली तथा चंडीगढ़ समेत कुछ अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने भी सामूहिक आकस्मिक छुट्टी ले ली। कार्यपालक निदेशक जो 19 और 20 जनवरी, 1984 को प्रधान कार्यालय में उपस्थित थे, प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक आंतरिक व्यवस्था करने के पश्चात् 21 जनवरी की रात को किसी महत्वपूर्ण सरकारी काम पर दिल्ली/लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के निलम्बन के आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद 24-1-84 को अधिकारी संघ ने आन्दोलन वापस ले लिया। बैंक के अनुसार 19-1-84 को अधिकारियों के आन्दोलन करने के लिए और कोई मुद्दा मांग अंतर्ग्रस्त नहीं थी।

मैसूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बंगलौर तथा मारुति लिमिटेड के प्रबन्धग्रहण पर मुआवजे के भुगतान में भेदभाव किया जाना

9830. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1-4-1974 को बंगलौर में मैसूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का राष्ट्रीयकरण करते समय कम्पनी को उसकी 4 करोड़ रु० की आस्तियों की सूचना में 83,97,000 रु० (जिसमें केवल सरकारी देय शामिल हैं) का मुआवजा दिया गया था जबकि मारुति लिमिटेड को उसकी काफी कम आस्तियों के बावजूद 4 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया;

(ख) मुआवजे की राशि निर्धारित करने में स्पष्ट अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) किसी उद्योग का प्रबन्धग्रहण करते समय मुआवजा निर्धारित करने का क्या फार्मूला और मानदण्ड है;

(घ) मुआवजे की राशि में सरकार का देय राशियों का भुगतान करने के पश्चात् मैसूर मिल्ज को दिए गए मुआवजे में से शेयर धारकों को भुगतान करने के लिए कितनी राशि शेष रही; और

(ङ) मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स तथा (दो) मै० मारुति कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीयकरण के कितने महीने बाद मुआवजा का भुगतान किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, बंगलौर के मालिकों को देय राशि 84.97 लाख रुपए है। मारुति लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मारुति लिमिटेड कंपनी की, देय राशि 434 लाख रु० है। ये राशियां सम्बद्ध अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रदान की गई हैं।

(घ) तथा (ङ) मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स के मामले में रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत, दूसरी अनुसूची में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्येक रुग्ण वस्त्र उपक्रम के मालिकों को देय राशियां वितरित करने के उद्देश्य से नियुक्त किए गए भुगतान आयुक्त, कंपनी द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की स्वीकृति दिए जाने के कारण अभी तक दावों का निपटान नहीं कर सके हैं।

मारुति कम्पनी लिमिटेड के मामले में, भुगतान आयुक्त, जिन्हें मारुति उद्योग (उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, 434 लाख रु० की राशि में से देयताएं निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना में चोरी तथा माल कम पाए जाने की घटनाएं

9831. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना में 1 जुलाई, 1983 से अब तक चोरियों, माल कम पाए जाने आदि की कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) 1 जुलाई, 1983 से अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या दोनों प्रकार के मामलों में सरकार तथा जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ऐसी दो घटनाओं की रिपोर्ट की गई हैं।

(ख) 329 स्थानांतरणों का आदेश दिया गया है।

(ग) तथा (घ) सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं। दोनों मामलों में, पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट की गई थी। एक मामले में चोरी हुए माल को पुलिस प्राप्त कर सकी तथा दूसरा मामला उनकी जांच के अधीन है। स्थानान्तरण उनके लोकहित में किए गए थे।

उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग में संकट

9832. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूत के मूल्य में 40 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सूत के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग की सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार सिंह लास्कर) : (क) सरकार के पास सूती यार्न की कीमत में वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में संकट के सम्बन्ध में सरकार के पास न राज्य सरकार से और न गैर-सरकारी बुनकरों से कोई रिपोर्ट आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हथकरघा क्षेत्र को उचित कीमतों पर यार्न की नियमित और समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी वस्त्र मिलों पर यह कानूनी दायित्व डाला गया है कि वे अपने विपणन योग्य यार्न का कम से कम 50 प्रतिशत भाग हैंकों के रूप में पैक करें जिसमें से 85 प्रतिशत 40 या उससे कम काउंटों का होना चाहिए। राज्य सरकारों से संगठित क्षेत्र में केप्टिव प्रयोग के लिए सहकारी कताई मिलों, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों, राज्य वस्त्र निगमों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न को पूल करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को, जिसे हाल ही में स्थापित किया गया है, एक उद्देश्य राज्य सरकारों की मार्फत हथकरघा बुनकरों को यार्न की अधिप्राप्ति तथा सप्लाई करना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एजेंसी की मार्फत राज्य सरकारों के बराबर के अंशदान से हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने या ऐसी मिलों का विस्तार करने के लिए सरकार किसी सहायता की एक योजना कार्यान्वित करती रही है। इस योजना के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान 32 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से

उत्तर प्रदेश में पच्चीस-पच्चीस हजार तकुओं वाली 7 नई सहकारी कताई मिलें स्थापित की जा रही हैं।

चाय की बिक्री और निर्यात करने वाली एक कम्पनी पर आयकर छापे

9833. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों ने एक ऐसे मामले का, जैसा कि 13 सितम्बर, 1983 के दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है, पता लगाया है जिसमें चाय की बिक्री और निर्यात करने वाली एक कम्पनी ने करोड़ों रुपयों की कर वंचना की है और 59 लाख रुपए सावधि जमा लेखा में जमा कराए और 17 लाख रुपए अन्य कम्पनियों में विनियोजित किए; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी का नाम और पता क्या है तथा इसके निदेशकों के नाम क्या है और कम्पनी द्वारा अन्य क्या कार्य किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) दैनिक जागरण (कानपुर सिटी संस्करण) में 13 सितम्बर, 1983 को छपी खबर को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। तथापि, कलकत्ता के मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया है कि विभाग ने ऐसे किसी मामले का पता नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वायुदूत द्वारा विशेष पैकेज टूर सम्बन्धी समारोह को स्थगित करना

9834. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** वायुदूत द्वारा विशेष पैकेज टूर स्थगित करने के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत द्वारा 21 नवम्बर, 1983 से शुरू किए जाने वाले विशेष पैकेज टूर के स्थगन सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए 20,400 रुपए का व्यय का खर्चा करने के लिए वायुदूत के महाप्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय अन्य क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली में छपे इस आशय के लेख की ओर दिलाया गया था कि वायुदूत के महाप्रबन्धक ने काफी बड़ी रकम खर्च करके अपने कार्यालय को नया रूप प्रदान किया है; यदि हां, तो इस काम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और

(ख) समारोह को सरकार के परामर्श से रद्द किया गया था। विलम्ब की इस स्थिति में आमंत्रितों को असुविधा होने से बचाने के लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया गया। वायुदूत के महाप्रबन्धक को यह हिदायत दे दी गई है कि भविष्य में वे, जहां भी नियमों में ऐसा करना अपेक्षित हो, निदेशक मण्डल तथा अन्य अधिकारियों का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करें।

(ग) मौजूदा पदधारी की नियुक्ति किए जाने के पश्चात्, वायुदूत के महाप्रबन्धक के कार्यालय की आंतरिक साजसज्जा अथवा नवीकरण करने पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

ग्रामीण विकास अधिकारियों की भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में प्रबन्धकों के रूप में नियुक्ति

9835. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी अधिकारियों (कृषि) को जिन्हें अब ग्रामीण विकास अधिकारी कहा जाता है, भारतीय स्टेट बैंक की कृषि सघन शाखाओं के प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या उस बैंक का विचार तकनीकी अधिकारी (लघु उद्योग) के भविष्य को ऊंचा उठाने का है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की यह नीति है कि वरिष्ठ अधिकारियों (स्केल-IV से लेकर आगे तक) को निश्चित अन्तराल के बाद अखिल भारतीय आधार पर स्थानान्तरण किया जाए, यदि हां, तो यह बैंक अपने स्थानीय मुख्यालयों के अथवा केन्द्रीय कार्यालय के परामर्शी कक्षों में मुख्य तकनीकी अधिकारियों के संवर्ग हेतु इसी प्रकार की नीति का पालन क्यों नहीं करता ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में काम कर रहे तकनीकी अधिकारी (लघु उद्योग) मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल II में पदोन्नति के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और सफल अधिकारियों को पदोन्नति की वही सम्भावनाएं उपलब्ध हैं जो बैंक के सामान्य अधिकारी संवर्ग के लिए होती हैं।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड स्केल IV और IVक के अधिकारियों का उन मण्डलों से जहां तुलनात्मक दृष्टि से स्टाफ की स्थिति अच्छी होती है, स्टाफ की कमी वाले मण्डलों में तबादला किया जा सकता है। लेकिन मुख्य तकनीकी अधिकारियों के मामले में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है अतः बैंक ने उनका अन्य क्षेत्रों में तबादला करने पर विचार नहीं किया है। केन्द्रीय कार्यालय में मुख्य तकनीकी अधिकारी का कोई पद नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की गुजरात सहायक कम्पनी में जालसाजी

9836. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की गुजरात सहायक कम्पनी में 75 लाख रुपए की जालसाजी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली के लिए और अपराधियों को दण्ड देने के लिए उचित कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात) द्वारा किए गए 75 लाख रुपए के तीन अनियमित सौदों का पता चला है । सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और मामला सी० बी० आई० को गहराई से जांच किए जाने के लिए सौंप दिया गया है । राशि की वसूली करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

एपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अदालती कार्यों पर किया गया खर्च

9837. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एपैरल निर्यात सम्वर्धन परिषद 19 मई, 1983 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक बैंच द्वारा स्पष्ट निर्णय दिए जाने के बाद, जिसमें कि उसने छोटे निर्यातकों/सम्बद्ध सदस्यों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाले अनुच्छेदों को अवैध ठहराया था, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में और कम्पनी कानून बोर्ड, नई दिल्ली/क्षेत्रीय निदेशक, कानपुर कम्पनी कार्य विभाग आदि में अभ्यावेदन करने हेतु, वकीलों की फीसों, अदालती कार्यवाही सम्बन्धी अन्य खर्चों, कार्यकारी समिति के सदस्यों के कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर । नई दिल्ली जाने हेतु उनके यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों पर, तथा कानूनी मामलों सम्बन्धी उप-समिति की बैठकों पर हुए खर्च के रूप में, अब तक कितनी राशि खर्च की ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	विवरण	राशि (रुपए)
1	2	3
1.	19-5-1983 से 30-4-1984 तक न्यायालयों में अभ्यावेदनों पर खर्च राशि ।	42,841.00

1	2	3
	2. 19-5-1983 से 30-4-1984 तक कार्यकारी समिति के सदस्यों को कानूनी उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए दिया गया हवाई जहाज का किराया।	32,862.00
	3. 30-4-1984 तक काउन्सिल को दिया गया हवाई जहाज का किराया।	12,965.00
	4. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड तथा सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के साथ बैठक के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य को दिया गया हवाई जहाज का किराया।	2,958.00
		91,626.00

(योग—इक्यानवे हजार छः सो छब्बीस रुपए)

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के कर्मचारी

838. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया में 1-3-1984 को क्षेत्र-वार, संवर्ग-वार अर्थात् निचले कर्मचारी, लिपिकीय और अधिकारी संघ सहित संघवार, कामगार संघों के अन्य और अधिकारी संघों के कितने सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के सदस्य हैं;

(ख) बैंक के किसी मजदूर संघों के स्वतन्त्र, 1-3-1984 को क्षेत्र-वार और संवर्ग-वार, सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) बैंक में 1-3-1984 को अपने मूल संगठनों से सम्बन्धित क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त/बहुमत संघों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक द्वारा सूचित स्थिति अनुबन्ध-I और अनुबन्ध-II में दी गई है।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8329/84**]

(ख) बैंक द्वारा भेजी गई सूचना अनुबन्ध-III में दी गई है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8329/84**]

(ग) सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने एवार्ड स्टाफ के लिए केवल एक यूनियन अर्थात् आल इण्डिया सैण्ट्रल बैंक एम्प्लाईज फैडरेशन को मान्यता प्रदान की है, जो आल इण्डिया बैंक एम्प्लाईज ऐसोसिएशन क्षेत्रों में उसके राज्य एककों के साथ सम्बद्ध है। बैंक द्वारा एवार्ड स्टाफ अथवा अधिकारियों की किसी और यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है।

लीजिंग कम्पनियों की वित्तीय गतिविधियां

9839. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लीजिंग कम्पनियों द्वारा वित्त इकट्ठा किए जाने और उनकी अन्य वित्तीय गतिविधियों पर ध्यान दिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कितनी कम्पनियां हैं उनके पास कितने मूल्य की परिसम्पत्तियां हैं और ये किन उद्योगों में सक्रिय हैं; और

(ग) क्या इन कम्पनियों की कोई ऐसी गतिविधियां दिखाई दी हैं जिन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वित्तीय वर्ष 198?-84 के दौरान, 3? कम्पनियों को, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, लीजिंग भी था, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत 60.56 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी तथा ऋण-पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए थे।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग, जो कि कम्पनियों के सम्बन्ध में आंकड़ें रखता है, उसके पास फिलहाल लीजिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में अलग से कोई कोड नहीं है। इसलिए यह सूचना देना सम्भव नहीं है। यदि किसी विशेष कम्पनी के बारे में सूचना की आवश्यकता हो तो वह इकट्ठी करके दी जा सकती है।

(ग) लीजिंग कम्पनियों को दिए जाने वाले बैंक वित्त के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उपयुक्त मार्ग-निर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संस्थानों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर कुछ रोक लगाना

9840. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संस्थानों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने पर हाल ही में कुछ रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की रोक लगाई है;

(ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के समाचारपत्रों, स्मारिकाओं और अन्य प्रकाशनों में विज्ञापनों पर लाखों रुपए व्यर्थ किए जाने की क्या आवश्यकता है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन के इस प्रकार का व्यर्थ किए जाने को रोकने के लिए इस ओर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन निकायों को अपनी कुछ स्लाइडें दूरदर्शन पर दिखाने के लिए भी धन देना पड़ता है, यदि हां; तो उसकी दरें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 2 मार्च, 1984 को ऐसे अनुदेश जारी किए हैं कि सितम्बर, 1984 तक विज्ञापनों, विशेष परिशिष्टों, स्मारिकाओं आदि के प्रकाशन जैसे सभी प्रकार के प्रचार व्यय को तत्काल बन्द कर दिया जाए जबकि इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ये अनुदेश अनिवार्य विज्ञापनों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक, जब कभी आवश्यकता पड़ने पर, समाचार-पत्रों आदि में विज्ञापन दे रहे थे। विज्ञापनों तथा प्रचार सम्बन्धी अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) सरकार ने सदा ही विज्ञापनों पर खर्च में पूर्ण किफायत बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

(ङ) जी, हां। इन निकायों को अपनी स्लाइडों के प्रदर्शन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दूरदर्शन विभाग को भुगतान करना पड़ता है।

भारत पर्यटन विकास निगम के चेयरमेन के पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव

9841. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन के उम्मीदवार की अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव क्या होने चाहिएं; और

(ख) क्या वरिष्ठता पर भी कोई विचार किया जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के पद को इस क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों के अपेक्षित अनुभव और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पब्लिक एन्टरप्राइजेज स्लैक्शन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भरा जाता है।

विज्ञापन अस्वीकृति के कारण लाभ में कमी

9842. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 प्रतिशत विज्ञापन अस्वीकृति के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के लाभ में कमी आई है;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने विज्ञापन अस्वीकृति के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि विज्ञापन अस्वीकृति का बोझ आम आदमी पर पड़ गया हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 की संगत उपधारा (3क) 1-4-1984 से ही जोड़ी गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खातों में इस उपबन्ध के प्रभाव का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता।

कम्बलों के निर्माण और सशस्त्र सेनाओं की पूर्ति के लिए "फोर्टीज क्वालिटी वूल" की उपलब्धता की जांच

9843. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कपड़ा आयुक्त अथवा राजकीय वस्त्र फैक्टरी (गवर्नमेंट क्लोथिंग फैक्टरी), शाहजहांपुर में कम्बलों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले "फोर्टीज क्वालिटी वूल" की वास्तविक उपलब्धता, ऐसे ऊन का मूल्य और न्यूनतम मूल्य पर कम्बलों का निर्माण किए जा सकने और सशस्त्र सेनाओं को उसकी पूर्ति की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) सेनाओं की कम्बलों की अधिकांश मांगें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से प्राप्त सप्लाई से पूरी की जाती हैं। महानिदेशालय इन कम्बलों को सिविल व्यापारियों से कुछ निर्धारित विनिर्दिष्टियां, जिनमें मुख्य वस्त्र निरीक्षक, कानपुर द्वारा निर्धारित ऊन की डिग्री और गुणवत्ता शामिल होती हैं पूरी करने पर खरीदता है।

आयुध वस्त्र निर्माण, शाहजहांपुर द्वारा भी कुछ मात्रा में कम्बल तैयार किए जाते हैं। इसके लिए 40-एस ग्रेड के अनुरूप जिस ऊन की जरूरत होती है वह पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से मंगाई जाती है। यहां से ऊन प्राप्त करने में इस निर्माणी को अभी तक कोई कठिनाई नहीं हुई है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा मंजूर किए गए नवीनतम टेंडर के अनुसार मूल ऊन (ऊन के धागे) की दर 22.68 रु० और 23.00 रु० प्रति कि० ग्रा० के बीच है। वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर द्वारा निर्मित कम्बल की कीमत वर्तमान भाव पर, लगभग 118 रु० प्रति कम्बल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भिवानी की छः फर्मों के विरुद्ध स्टेट बैंक आफ पटियाला के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें

9844. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भिवानी (हरियाणा) की छः फार्मों द्वारा स्टेट बैंक आफ पटियाला की भिवानी शाखा से 12.70 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उपरोक्त कार्यों की जांच पूरी करने के बाद गम्भीर अनियमितताओं के कारण स्टेट बैंक आफ पटियाला के महा-प्रबन्धक को बर्खास्त करने अथवा पदमुक्त करने के बड़े दण्ड की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबन्धकों ने उक्त महा-प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार उसने भिवानी (हरियाणा) की दो फर्मों द्वारा स्टेट बैंक आफ पटियाला के साथ 12.70 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी करने के मामलों की जांच की थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट विभागीय जांच आयुक्त की सिफारिशों और अन्ततः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करने के पश्चात् बैंक ने अधिकारी को "निन्दा" का दण्ड दिया।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी परिवहन कम्पनियों से प्राप्त शिकायतें

9845. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी परिवहन कम्पनियों से इस आशय की कोई शिकायतें मिली हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सीमेंट और बिहार राज्य में कोयले की ढुलाई के लिए विभिन्न (1) सीमेंट कारखानों (2) कोयला खानों के अधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा क्या भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी परिवहन कम्पनियों को प्राथमिकता देने हेतु पुनर्वास "निदेशालय" रक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों अथवा सरकारी उपक्रमों/गैर-सरकारी उपक्रमों को कोई मार्ग-निदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में सीमेंट ले जाने/ढोने वाली भूतपूर्व सैनिक परिवहन कम्पनियों से कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन बिहार में कोयला ढोने वाली भूतपूर्व सैनिक परिवहन कम्पनियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें ठेकों की मंजूरी और निष्पादन में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब, पेश किए गए बिलों की रकम घटाना, बकाया रकम की तुरन्त अदायगी तथा अधिक काम मंजूर करने में विलम्ब की शिकायत है। कुछ अवधि के भीतर चल रहे ठेकों के कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली इस तरह की समस्याएं पुनर्वास महा-निदेशालय ने कोल इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्धित अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्वक विचार तथा उपचारात्मक कार्रवाई के लिए भेजी हैं। हाल में इस तरह के अधिकांश मामले सौहार्दता से निपटा लिए गए हैं।

देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

9846. **श्री रामलाल राही** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है तथा जवानों और अधिकारियों के रूप में उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या के बारे में सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्यों में अभी तक इनकी गणना नहीं की गई है। परन्तु उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 40 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक जवानों और भूतपूर्व सैनिक अफसरों की वास्तविक संख्या भी अलग से उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसे अफसरों और जवानों की अनुमानित संख्या क्रमशः 70,000 और 39,30,000 के लगभग है।

तिब्बत सीमा बल को सप्लाई किए गए "क" किस्म के कम्बलों को रद्द करने के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

9847. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बतन सीमा बल को "क" किस्म के कम्बलों के सप्लायर के विरुद्ध "क" किस्म के कम्बलों को रद्द किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय चांच ब्यूरो की जांच लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट आनी है।

न्यायालयों में दानापुर छावनी बोर्ड से सम्बन्धित लम्बित पड़े मामलों का निपटान

9848. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानपुर छावनी बोर्ड से सम्बन्धित आजकल कितने मामले उच्चतम न्यायालय, दिल्ली, पटना उच्च न्यायालय, पटना, जिला न्यायालय और दानापुर उप-संभागीय न्यायालय में लम्बित पड़े हैं;

(ख) दानापुर छावनी बोर्ड के वकीलों की फीस देने, अधिकारियों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते देने तथा स्टाम्प पेपर खरीदने पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) दानापुर छावनी बोर्ड के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंहदेव) : (क) दानापुर छावनी बोर्ड के जो मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और उप-सम्भागीय न्यायालय में विचाराधीन हैं उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	—	2
उच्च न्यायालय, पटना	—	2
एस० डी० ओ० न्यायालय, दानापुर	—	5
एस० डी० जे० एम०, दानापुर	—	104
मुंसिफ न्यायालय, दानापुर	—	10
जिला न्यायाधीश, पटना	—	21
जिला मजिस्ट्रेट, पटना	—	1

(ख) 1983-84 के दौरान, वकीलों की फीस देने, स्टाम्प पेपर खरीदने तथा अधिकारियों को भत्ते और दैनिक भत्ते देने पर 21,717.74 रु० की धनराशि खर्च हुई।

(ग) विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों, काउंसलों और छावनी बोर्ड द्वारा देखा जा रहा है और उनकी सूक्ष्म रूप से समीक्षा की जा रही है।

दानापुर छावनी में रहने वाले लोगों के पास करों की बकाया धनराशि

9849. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी में रहने वाले लोगों के पास मार्च, 1984 तक करों की बकाया राशि कितनी थी; और

(ख) इन करों की बकाया राशि की वसूली के लिए छावनी बोर्ड द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार 2,62,627 रु०।

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए, पटना के कलेक्टर के माध्यम से छावनी कार्यवाहक अधिकारी द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

बिहार में रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करना

9850. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार काफी समय से यह मांग कर रही है कि भारत सरकार को बिहार राज्य में रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि उनके राज्य में रक्षा उत्पादन एकक स्थापित किए जाएं। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि इस सम्बन्ध में नए प्रस्तावों पर विचार करते समय उनके अनुरोधों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुएं

9851. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 से फरवरी, 1984 की अवधि में विदेशों से सरकारी और

गैर-सरकारी जहाजरानी कम्पनियों के जरिए कुल कितने रुपए मूल्य का माल आयात किया गया और किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया;

(ख) क्या वे आयातित वस्तुएं देश में ही पैदा नहीं की जा सकती थी; और

(ग) उन विदेशी कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं जिनके जरिए विदेशी माल आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) उपलब्ध अद्यतन अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 की अवधि के दौरान भारत में आयातित माल का मूल्य 15,799 करोड़ रुपए बैठता है ।

भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े वस्तुओं के आयात/निर्यात उद्भव/गणतव्य देशों के अनुसार उनके विवरण के आधार पर संकलित किए जाते हैं । सरकारी तथा गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों द्वारा वस्तुवार आयात/निर्यात के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत के प्रमुख आयातों में औद्योगिक कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ तथा पूंजीगत माल और साथ ही कतिपय आवश्यक उपभोक्ता मदें शामिल हैं ताकि घरेलू उपलब्धता तथा अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अन्तराल को पूरा किया जा सके ।

कपड़ा उद्योग के सहकारी क्षेत्र के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण

9852. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कपड़ा उद्योग के सहकारी क्षेत्र के लिए भारी ऋण स्वीकृत किया है; और

(ख) क्या सरकार विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि से स्वदेशी मशीनें खरीदने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है अथवा सहकारी क्षेत्र को इस बात की अनुमति देने की कोई सम्भावना है कि वह विद्यमान स्वदेशी क्षमता के बावजूद कपड़ा मशीनों का आयात करें ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की तीसरी परियोजना का मूल्यांकन करने के बाद सूचित किया है कि वह 4396 लाख अमेरिकी डालर की कुल परियोजना लागत में, जिसमें शुल्क और कर शामिल नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के एक ऋण के अन्तर्गत इस समय 2200 लाख अमेरिकी डालर के बराबर का वित्तपोषण करने की योजना बना रहा है । एकीकृत कपास तथा बीज प्रसंस्करण एककों की स्थापना इस परियोजना का ही एक उपघटक है ।

(ख) यदि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बातचीत सफल हो गई तो परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों को विश्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का पालन करना होगा जिनके अन्तर्गत घरेलू

बोलीदाताओं (बिड्डर्स) को बोली में 15 प्रतिशत की कीमत सम्बन्धी तरजीह के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (बिड्डिग) की व्यवस्था है।

इंडियन ओवरसीज बैंक, बिहार में निर्यात ऋण के लिए लम्बित पड़े आवेदन

9853. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **वित्त मंत्री** बिहार में ओवरसीज बैंक की शाखाएं खोलने के लिए स्वीकृति की प्रतीक्षा में पड़े आवेदन के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3963 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात पैंकिग ऋण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन अभी भी लम्बित पड़े हैं जबकि इस बीच काफी समय बीत चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है जिससे कि बैंक की मंथर गति से की जाने वाली कार्रवाई का निर्यातकों पर और आगे प्रभाव न पड़ सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और नियमों के अधीन अनुज्ञेय और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त सायफर ब्यूरो विंग में काम करने वाले तकनीकी साहयकों की वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट)

9854. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सायफर ब्यूरो विंग में काम करने वाले तकनीकी सहायकों के लिए तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्राधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया गया है जिसके कारण उन्हें आवर्ती वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अगस्त, 1982 में कुछ तकनीकी सहायकों ने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और दिनांक 4-5-1976 के एस० आर० ओ० 28 (ई) के उपबन्धों के अन्तर्गत तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां देने और एक वर्ष की निरन्तर सेवा पर एक सामान्य वेतनवृद्धि देने के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अभ्यावेदन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तकनीकी सहायकों को यह वेतन वृद्धियां कब तक दे दी जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की खेड़ा वजेहड़ा शाखा द्वारा ऋण दिया जाना

9855. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री रामप्यारे पनिका : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की खेड़ा वजहेड़ा शाखा, गांव खेड़ा वजहेड़ा में जहां प्रत्येक बधुवार को पशु-बाजार लगाया जाता है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं, बैलों और भैंसों की खरीद के लिए किन कारणों से धनराशि की व्यवस्था नहीं करती और उक्त शाखा दूरस्थ बाजारों से उनकी खरीद क्यों करती है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध और अनुज्ञेय सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खली का निर्यात

9856. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खली का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में खली का निर्यात किया गया; और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि खली के निर्यात में कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और 1984-85 के दौरान खली का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान मूंगफली निस्सारण, बिनौला निस्सारण तथा सोयाबीन निस्सारण के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (000 मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1981-82	1,588	169.09
1982-83	1,122	128.61
1983-84 (अनन्तिम)	1,177	161.75

(ग) तथा (घ) पशु चारे में एफलाटोक्सिन के अनुज्ञेय स्तरों के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयातक देशों में और अधिक कठोर नियन्त्रण के परिणामस्वरूप विशेष रूप से भारत से मूंगफली निस्सारणों का निर्यात कम हो गया है। आयातक देशों में अनुज्ञेय स्तर तक मूंगफली निस्सारण में एफलाटोक्सिन का स्तर कम करने के लिए तकनीक विकसित करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता द्वारा निर्यात करने वाली फर्मों को ऋण

9857. **श्री गुलशेर अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मामलों पर जिन्हें बैंक द्वारा प्रोटेस्टेड बिल खातों में अन्तरित किए जाने का विचार था, उन पार्टियों के विगत में शानदार निर्यात निष्पादन को देखते हुए अब पुनर्विचार किया गया है और उनकी पुनरीक्षा की गई है और बैंक ने उनके निर्यात ऋण खातों को फिर से बहाल करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) क्या उन पार्टियों/घटकों ने भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता के अनुरोध का प्रत्युत्तर दिया है और वापस अदायगी कार्यक्रम और निर्यात व्यापार के भावी कार्यक्रम को दर्शाने वाले प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और निर्यात व्यापार को बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुसार उन्हें निपटाने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है; और

(घ) उनमें से कितनों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात गृह श्रेणी के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और नियमों के अधीन अनुज्ञेय और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा-निवृत्त होने वाले और सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि की बकाया राशि का देर से भुगतान

9858. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, महाराष्ट्र ने कुछ समय पहले यह वायदा किया था कि राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के सेवा-निवृत्त होने वाले अथवा सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि की बकाया राशि का देर से भुगतान करने पर, उस पर ब्याज देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) राज्य सरकार के कर्मचारियों, जिनकी संख्या 5575 है, के सभी मामलों की महालेखाकार, महाराष्ट्र द्वारा समीक्षा की गई है और अतिरिक्त ब्याज (6 मास की अवधि से ऊपर एक वर्ष तक) जहां यह स्वीकार्य था, की अनुमति दे दी गई। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते विभागीय आधार पर रखे जाते हैं, महालेखाकार द्वारा नहीं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अतिथि-सत्कार तथा विज्ञापन पर खर्च की गई राशि

9859. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में तथा विदेशों में अतिथि-सत्कार तथा विज्ञापन पर खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि में कितना परिचालन राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) निर्धारित की गई धनराशि के स्वरूप तथा नीतियों सम्बन्धी कार्य करने वाले अधिकारियों पर विशेश रूप से विदेशों में विज्ञापन के सम्बन्ध में नियन्त्रण रखने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा पद्धति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) विदेशों में विज्ञापन पर होने वाले खर्चे की पूर्ति भारत पर्यटन विकास निगम की विदेशी मुद्रा आय में से निगम को उपलब्ध इन्सेंटिव कोटे में से की जाती है। यह कोटा सरकार द्वारा नियन्त्रित होता है और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रत्येक विज्ञापन सरकार की अनुमति से रिलीज किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन, प्रचार, बिक्री बढ़ाने और मनोरंजन पर किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

	1981-82	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
1. विज्ञापन, प्रचार और बिक्री बढ़ाने पर किया गया खर्च			

	1981	1982	1983-84 अनन्तिम
(क) भारतीय मुद्रा में	71.64	72.87	60.58
(ख) विदेशी मुद्रा में	9.64	15.03	9.00
योग :	81.28	87.90	69.58
2. मनोरंजन	3.39	3.25	3.40
3. औप्रेटिंग रैवन्यु	3667.29	4767.04	5075.57

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक घराने

9860. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापारिक घरानों के नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते रहे हैं;

(ख) उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कुछ व्यापारिक घरानों के विरुद्ध अभी भी कुछ मामले लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के क्या नाम हैं और ये मामले कितनी अवधि से लम्बित हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) 1981 से 1983 तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) ने जांच-पड़ताल के लिए 15071 मामले दर्ज किए थे जिनमें व्यष्टियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी शामिल हैं। उसी अवधि के दौरान विभागीय न्यायनिर्णयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिएं 7965 मामलों में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे जिसमें व्यष्टियों के मामले भी शामिल हैं।

1-1-1984 की स्थिति के अनुसार, उन मामलों की संख्या, जिनमें जांच-पड़ताल है करनी बाकी है तथा उन मामलों की संख्या, जिनमें न्यायनिर्णयन करना है, (व्यष्टियों के खिलाफ मामलों सहित) क्रमशः 7335 और 430 थी।

केवल व्यापारिक गृहों के खिलाफ मामलों की अलग से सूची नहीं रखी जाती है। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख करें तो उसके बारे में सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

कोरापुट जिले में काफी बागान

9861. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह पता है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में जलवायु काफी बागानों के लिए अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो काफी बोर्ड द्वारा काफी विकास कार्यक्रम के एक अंश के रूप में इस जिले में बड़े पैमाने पर काफी बागान लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को कोरापुट जिले में चाय बागान लगाने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस बारे में क्या विकासीय कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) काफी बोर्ड इस क्षेत्र में काफी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विकास परिदान, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहा है । बोर्ड ने कोरापुट में काफी प्रदर्शन फार्म में विद्यमान काफी को भी रखा है । इस बारे में उड़ीसा सरकार से मंत्रालय द्वारा कोई पृथक प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया ।

शेयरों के गैर-कानूनी व्यापार का पता लगाने हेतु आय कर अधिनियम के अन्तर्गत सर्वेक्षण

9862. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराधान अधिकारियों द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 133क के आय कर अधिनियम में शामिल किए जाने के समय से अब तक इस धारा के अन्तर्गत कभी कोई सर्वेक्षण किए गए हैं, और यदि हां, तो विशेष रूप से शेयरों के गैर-कानूनी व्यापार तथा शेयर बाजार में लेखाबाह्य धन के निवेश का पता लगाने हेतु इन सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

कपड़े से बने माल का निर्यात

9863. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री नवीन रावणी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े की किन-किन वस्तुओं का निर्यात होता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि निर्धारित लक्ष्य से कम निर्यात हुआ और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कपड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारत विभिन्न किस्मों के वस्त्र उत्पाद निर्यात करता है यथा, धागा, फैब्रिक्स, तैयार वस्त्र तथा विभिन्न रेशों के सिलेसिलाए परिधान । एक **विवरण** संलग्न है जिसमें 81-82 तथा 82-83 एवं 83-84 (अप्रैल से फरवरी) से दौरान किए गए निर्यातों के आंकड़े दर्शाए गए हैं ।

(ग) समग्र रूप से मोटे तौर पर सभी वस्त्र उत्पादों के वास्तविक निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । तथापि, विशेष मदों के निर्यातों का अनियमित रुख रहा है । वस्त्र मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्ति मुख्य कदम उठाए गए हैं :

(1) वस्त्र मदों की बहुत-सी श्रेणियों के लिए 1 जनवरी, 84 से नकद मुआवजा सहायता की दरें संशोधित करके बढ़ायी गई हैं, (2) निर्यातकों को उनकी उत्पादन क्षमता का आधुनिकीकरण करने के लिए वस्त्र मशीन विनिर्माताओं के जहां कहीं आवश्यक हो, विदेशी सहयोग की सहायता से आधुनिकीकरण की अनुमति दी जाती है । अधिक चौड़ाई वाले शटल रहित करघों तथा रोटर कताई मशीनों की रियायती आयात शुल्क पर उसे निर्यात दायित्व के साथ सम्बद्ध करके, अनुमति दे दी जाती है, (3) परिधान निर्यातकों के लिए आवश्यक मशीनों को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा गया है, इनमें से बहुत-सी मशीनों का रियायती शुल्क का भुगतान करके आयात किया जा सकता है, (4) अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात के लिए आर० ई० पी० लाइसैंसों के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति है । निर्यात उत्पादन सम्बन्धी अग्रिम लाइसैंसिंग योजना के अन्तर्गत अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों का आयात करने की अनुमति दी जाती है, (5) सरकार संवर्धनात्मक कार्यकलापों को प्रायोजित करती रही है, निधिकरण करती रही है जैसे कि बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता बैठकें, उत्पादक तथा क्षेत्रों की दृष्ठि, से हमारे निर्यातों में वृद्धि करने तथा उसका विविधीकरण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शिनयों में भाग लेना, (6) प्रतिबन्धित स्तरों का पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने तथा इकाई मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार निर्यात हकदारी वितरण नीति का

उदार ढंग से तैयार करती है एवं कार्यान्वियन करती है, (7) निर्यात हेतु परिधानों का निरीक्षण के लिए कार्यविधि को सरल एवं कारगर बनाने की दृष्टि से निरीक्षण की सरलीकृत प्रणाली आरम्भ की गई है।

(घ) 1984-85 के लिए लक्ष्य पूरे वर्ष, 1983-84 के दौरान हुए निर्यातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने के बाद तैयार किए जाएंगे।

विवरण

1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान वस्त्र निर्यात दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	मद	1981-82	1982-83 (अनन्तिम)	1983-84 (अप्रैल-फरवरी) (अनन्तिम)
1.	सूती वस्त्र			
2.	तैयार वस्त्र तथा अन्य वस्त्र	405.48*	457.46	432.45
3.	सूती धागा			
4.	सिलेसिलाए परिधान	669.81	629.25	631.68
5.	मानव निर्मित वस्त्र	40.31	57.59	53.55
6.	ऊन तथा ऊनी वस्त्र	112.10	98.61	53.17
7.	रेशम	69.73	82.83	97.52

स्रोत : (1) निर्यात संवर्धन परिषदें (2) वस्तु बोर्ड

*हथकरघा सहित।

इण्डियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

9864. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास में पदोन्नति के बारे में 9 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिन्हें आरोप पत्र दिए गए थे, विभागीय जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध मुख्यतः कर्मचारियों का दल बनाने और उन्हें भड़काने तथा कर्मचारियों आदि के कुछ वर्ग द्वारा बैंक के अन्दर

बैंक के भीतर ही फूट डालने की गतिविधियों के बारे में और शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बैंक के समुचित विकास के लिए और वहां एक उपयुक्त व्यक्ति तैनात करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो वहां कोई असामन्जस्यता पैदा किए बिना विभागाध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों को कुशलतापूर्वक चला सके और उन सभी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है जिन्हें चार्ज-शीट दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्हें चार्ज-शीट किया गया था, विभागीय जांच अभी बाकी है। चार्ज-शीट किए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई विभागीय जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेंगी। इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उसे कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

निर्यात और आयात बैंक की शाखाएं

9865. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक निर्यात और आयात बैंक की स्थापना की है यदि हां, तो इसकी शाखाओं की संख्या कितनी है और ये देश में कहां स्थित हैं;

(ख) बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) इसे कितनी सफलता मिली है;

(घ) आयातकों और निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस बैंक की देश में और विदेशों में और शाखाएं खोलने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की स्थापना भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के अधीन 1 जनवरी, 1982 को की गई थी। एक्जिम बैंक का प्रधान कार्यालय बम्बई में है और इस समय बैंक के नई दिल्ली और कलकत्ता में दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

(ख) एक्जिम बैंक की स्थापना देश के विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उसका सम्वर्धन करने तथा उसका वित्त-पोषण करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात और आयात का वित्त-पोषण करने वाले संस्थानों के कार्यों का समन्वय करने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।

(ग) जैसाकि बैंक के ऋण देने के परिचालनों से पता चलता है, एक्जिम बैंक के कार्यों के परिणाम काफी सन्तोषजनक रहे हैं। पिछले वर्ष (मार्च-दिसम्बर 1982) में एक्जिम बैंक की समग्र वित्त-पोषण गतिविधियों की वर्ष 1983 की गतिवधियों के साथ तुलना करने पर यह पता चलता है कि 198: में निधिक सहायता की कुल वचनबद्धताओं, स्वीकृतियों और उपयोग में क्रमश: 7 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यातकों को वित्तीय सहायता की प्रत्यक्ष स्वीकृति में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) एक्जिम बैंक के ऋण कार्यक्रमों के अन्तर्गत फिलहाल भारतीय निर्यात के संवर्धन की ओर ध्यान दिया जा रहा है। एक्जिम बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता निधिक और उससे भिन्न सहायता के रूप में दी जाती है। निधिक सहायता के ऋण कार्यक्रमों में निर्यातकों की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, विदेशी निवेश, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी। निर्यात के लिए वित्त पोषण और परामर्शदात्री सेवाओं, लादान पूर्व ऋण, विदेशी क्रेता ऋण, विभिन्न ऋण, निर्यात ऋण का वित्त-पोषण, निर्यात हुण्डियों का पुनर्भाजन और विदेशों में बैंकों को पुन: ऋण देने की सुविधा प्रदान करना शामिल है। एक्जिम बैंक भारतीय निर्यातकों/संविदाकारों की ओर से विदेशी आयातकों/निर्यातकों और बैंकों के पक्ष में विदेशी मुद्राओं में गारंटियों के निर्गम में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के साथ भाग लेता है। ये गारंटियां बोली (बिड) बांडों, अग्रिम अदायगियों और निष्पादन गारंटियों, प्रतिधारण धनराशि गारंटियों और विदेशों में धन जुटाने की गारंटियों के रूप में होती हैं।

(ङ) फिलहाल एक्जिम बैंक का मद्रास में एक प्रतिनिधि कार्यालय तथा भारत से बाहर मनीला आबिदजान और वाशिंगटन में 3 प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखाएं खोलना

9866. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आल उड़ीसा, पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन" ने बैंक प्रबंधकों पर यह आरोप लगाया है कि वे बैंक के विस्तार और विकास कार्यक्रम में उड़ीसा की उपेक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाने का विचार किया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में पंजाब नेशनल बैंक की खोले जाने वाली नई शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि आल उड़ीसा पंजाब नेशनल बैंक इम्पलाईज यूनियन बैंक का उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर में अलग से एक आंचलिक कार्यालय खोलने के साथ राज्य में अधिक शाखाएं खोलने की मांग कर रही है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब नेशनल बैंक की उड़ीसा की शाखाओं की संख्या सीमित है और बैंक राज्य के किसी भी जिले का अग्रणी बैंक नहीं है। उड़ीसा के 13 जिलों में से 12 जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए बैंक रहित केन्द्रों में बैंक शाखा खोलने के आबंटन के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों के अतिरिक्त केन्द्रों के आबंटन पर विचार करते समय इन बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका राज्य में उचित प्रतिनिधित्व हो। तदनुसार पंजाब नेशनल बैंक को राज्य ने किसी केन्द्र में अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखा खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक का भुवनेश्वर में आंचलिक कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्यात गृहों को वित्तीय सहायता देना

9867. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वित्त मंत्री** भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्यात गृहों को वित्तीय सहायता देने के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता के आह्वान पर सम्बन्धित निर्यातकों ने अपने निर्यात ऋण लेखाओं को पुनः चालू करने के लिए व्यापक प्रस्ताव, इस बीच भेज दिए हैं, ताकि वे निर्यात व्यापार बढ़ा सकें;

(ख) क्या इसमें ब्याज का विलम्ब काल, कुल संचित ऋण का पुनर्भुगतान, और आगे निर्यात ऋण आदि शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या हैं तथा बिना और विलम्ब किए लेखाओं को पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि ये निर्यातक बहूमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें तथा उन्हें कानूनी कार्यवाही शुरू किए बिना लगातार बैंक के ऋणों का पुनर्भुगतान करने का अवसर प्राप्त हो सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और नियमों के अधीन अनुज्ञेय और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और हंगरी के बीच व्यापार में वृद्धि

9868. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1984-85 के दौरान हंगरी के साथ सहयोग क्षेत्रों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो हंगरी के साथ व्यापार सम्बन्धों में वृद्धि करने के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 के दौरान सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) व्यापार में स्थिरता के साथ बढ़ोत्तरी तथा नए क्षेत्रों में विविधीकरण के दोहरे उद्देश्य के साथ हंगरी के साथ भारत का व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त आयोग, स्थाई कार्यकारी दल, संयुक्त व्यवसाय परिषद आदि की समय-समय पर बैठकें होती हैं और इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है। व्यापार सम्बन्धी स्थाई कार्यकारी दल की बैठक मई, 1984 में होनी है।

समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता का प्रावधान

9869. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री गुफरान आजम : क्या वाणिज्य मंत्री समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को कलकत्ता के झींगा मछली/समुद्री उत्पादों के निर्यातकों से भारतीय स्टेट बैंक से निर्यात पैंकिंग ऋण सहायता उपलब्ध न होने और निर्यात कारोबार बढ़ाने में उन्हें पेश की जा रही बैंकिंग सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों के बारे में कई अभ्यावेदना/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उन्हें उचित वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उन आवेदकों के नाम और उनके पिछले कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) कलकत्ता, बम्बई और कोचीन अथवा दक्षिण भारत में झींगा के निर्यातकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कुल कितना निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र के इन सभी निर्यातकों को समुचित सहायता देने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को सहायता अनुदान

9870. **श्री सूरज भान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को, इसके शुरू होने के वर्षों से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी है; और

(ख) प्रत्येक वर्ष वास्तव में कुल कितनी धनराशि का कारोबार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को, उसके आरम्भ होने से लेकर वर्ष 1983-84 तक वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अदा की गई सहायता अनुदान की राशियां निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1977-78	384.97
1978-79	432.14
1979-80	354.63
1980-81	422.88
1981-82	698.72
1982-83	870.38
1983-84	876.68

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1977-78 से 1983-84 तक प्रगति मैदान में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/राष्ट्रीय मेलों/वस्तु मेलों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए कारोबार की राशि को दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान किए गए कारोबार की राशि	राष्ट्रीय/वस्तु मेलों के दौरान किए गए कारोबार की राशि
1	2	3
1977-78	मेला आयोजित नहीं किया गया	कुछ नहीं

1	2	3
1978-79	मेला आयोजित नहीं किया गया	कुछ नहीं
1979-80	2,970 मिलियन रु०	कुछ नहीं
1980-81	मेला आयोजित नहीं किया गया	264.83 लाख रु०
1981-82	5,000 मिलियन रु०	207.05 लाख रु०
1982-83	18,000 मिलियन रु०	178.00 लाख रु०
1983-84	11,000 मिलियन रु०	67.02 लाख रु०

1977-78 से 1983-84 के दौरान विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/भारतीय प्रदर्शनियों/विशेषीकृत वस्तु मेलों में भारत द्वारा भाग लिए जाने के दौरान प्रतिवर्ष किए गए कारोबार की राशि दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रु० में)

वर्ष	बेची गई प्रदर्शित वस्तुएं	अन्तिम रूप दिया गया कारोबार
1977-78	37.32	1,588.04
1978-79	61.39	2,168.58
1979-80	50.81	1,750.37
1980-81	131.98	2,693.95
1981-82	56.01	1,233.85
1982-83	120.26	9,050.41
1983-84	130.99	5,911.59

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण

9871. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1983-84 में किसानों को कुल कितना ऋण दिया है, और

(ख) लिए गए ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1983 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल कृषि अग्रिमों की बकाया राशि 5591.17 करोड़ रुपए थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की चालू ब्याज दरें विवरण में दी गई हैं। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत पात्र किसानों को मंजूर किए गए ऋणों के ब्याज की दर 4 प्रतिशत है।

विवरण

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष वित्त) पर ली जाने वाली ब्याज दरें

कृषि	ब्याज दर वार्षिक प्रतिशतता
1. अल्पावधिक ऋण	
(क) 5000 रुपए तक	11.5
(ख) 5000 रुपए से अधिक और 10,000 रुपए तक	12.5
(ग) 10,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	14.0 से अधिक नहीं
(घ) 25,000 रुपए से अधिक	16.5 से अधिक नहीं
2. 3 वर्ष से अनाधिक सावधि ऋण	
(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.0
(ख) अन्य प्रयोजन	
(i) छोटे किसान	10.0
(ii) अन्य किसान	12.5

मिजोरम में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की कथित हत्या

9872. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **रक्षा मंत्री** मिजोरम में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की कथित हत्या के बारे में 25 फरवरी, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी पायनियर कम्पनी के दोषी आफिसर कमांडिंग के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) यदि लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्षों के बाद भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही पूरी नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने का फिर से आदेश देने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) दोषी कार्मिकों के विरुद्ध शीघ्र ही कोर्ट मार्शल की सामान्य कार्यवाही की जानी है ।

कलकत्ता में कस्टम्स एग्जामीनरों के पदों पर सीधी भर्ती

9873. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **वित्त मंत्री** कलकत्ता में कस्टम्स एग्जामीनरों के पदों पर सीधी भर्ती के बारे में 2(अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92९2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि जहां तक विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वर्ष 1981 और 1982 के लिए जांच अधिकारियों (एग्जामिनिंग आफिसर्स) के ग्रेड के लिए चयन का सम्बन्ध है, उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करने हेतु यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित रिकार्ड की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जांच कर ली गई है और उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क समाहर्ता कलकत्ता ने समीक्षा प्रारम्भ कर दी है और इसके पूरा होने के पश्चात् अन्तिम आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

न्यू इन्डिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड की मेरठ शाखा द्वारा बस दुर्घटना सम्बन्धी मुआवजा-दावों का भुगतान

9874. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इण्डिया इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड मेरठ शाखा को 1982-83 के दौरान बस दुर्घटनाओं सम्बन्धी मुआवजा दावों के निपटान और भुगतान के कितने मामले प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से आज तक कितने दावे निपटाए जा चुके हैं और कितने लम्बित पड़े हैं, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मोटर दुर्घटना सम्बन्धी भुगतान में वृद्धि करने के बारे में उक्त कम्पनी से कोई याचिका प्राप्त हुई थी। और यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त याचिका पर क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) न्यू इन्डिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड की मेरठ शाखा को कैलेन्डर वर्ष 1982 और 1983 के दौरान क्रमशः कुल 96 और 124 बस दुर्घटना दावों की सूचना दी गई थी।

(ख) 1982 और 1983 से सम्बन्धित उपर्युक्त दावों में से अब तक क्रमश. 89 और 83 ऐसे दावों का निपटान किया जा चुका है। शेष दावे बीमाकृत व्यक्तियों से आवश्यक समर्थनकारी दस्तावेजों अर्थात् वाहन के कागजात, मरम्मत के बिल आदि के प्राप्त न होने के कारण निपटान के लिए पड़े हुए हैं।

(ग) दावे की राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कम्पनी की मेरठ शाखा को दिनांक 8-3-1984 की केवल एक याचिका प्राप्त हुई है। दावेदार दावे के पूर्ण और अन्तिम निपटान के रूप में दावे की राशि पहले ही स्वीकार कर चुका है। इस याचिका पर विचार किया गया था और 3-4-1984 को उसका उत्तर दे दिया गया था।

भारतीय निर्यात संगठन के परिसंघ द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष

9875. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1984 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय निर्यात संगठन के परिसंघ द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात से कहां तक सहमत है कि भारतीय निर्यात मुख्य देशों के बाजारों में अपनी साख नहीं बिठा पाया है जिससे कि वहां उसका स्थायी प्रभाव बना रह सके; और

(ग) उक्त अध्ययन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि भारतीय निर्यातों के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि में रुकावट के लिए विश्वव्यापी मंदी और उद्योगीकृत देशों द्वारा संरक्षणवाद जारी रहा फिर भी भारत के समग्र निर्यात तथा प्रमुख देशों के बाजारों को होने वाले निर्यात बढ़ रहे हैं।

(ग) निर्यात सम्वर्धन एक सतत प्रक्रिया है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और स्वदेशी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जब कभी आवश्यक हो, समुचित उपाय किए जाते हैं।

इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड न्युट्रिशन, पूसा, नई दिल्ली के प्रेक्टिकल स्टाफ एसोसिएशन से ज्ञापन

9876. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड न्युट्रिशन, पूसा, नई दिल्ली के प्रेक्टिकल स्टाफ एसोसिएशन का दिनांक 29 मार्च, 1984 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। इस ज्ञापन में सेवा शर्तों यथा समयबद्ध पदोन्नति, अतिरिक्त आवास, अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन आदि से सम्बन्धित मांगें दी गई हैं।

(ग) होटल प्रबन्ध, खान-पान और पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली के कार्यों का प्रबन्ध सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत की गई एक स्वायत्त सोसायटी के द्वारा किया जाता है। सोसाइटी के बोर्ड आफ गवरनर्ज ने स्टाफ सदस्यों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए एक उप-समिति स्थापित की थी। समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जिन पर बोर्ड आफ गवरनर्ज द्वारा विचार किया जाएगा।

कारखाना अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आयुध कारखाना अम्बरनाथ के कैंटीन कर्मचारियों को शासित करना

9877. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित सांविधिक कैंटीनों के कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार गैर-औद्योगिक कर्मचारी घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने पहले सभी आदेशों पर रोक लगाते हुए दिनांक 25 जून, 1983 को समयोपरि भत्ते के बारे में आदेश जारी किए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि असैनिक कर्मचारियों को रक्षा सेवाएं प्राक्कलन से भुगतान किए गए समयोपरि भत्ते का अनुदान दिनांक 25 जून, 1983 के आदेशों के अनुसार शासित किया जाएगा।

(ग) यदि हां, तो क्या इन आदेशों को आयुध कारखाने अम्बरनाथ के कैंटीन कर्मचारियों के मामले में भी लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र करने के बाद इस प्रश्न का पूरा उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9879. **श्री जी० भूपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का स्वरूप और संख्या क्या है तथा उनके निष्पादन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वर्तमान आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए कितनी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें विश्व बैंक की सहायता से आन्ध्र प्रदेश में इस समय क्रियान्वित की जा रहीं परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) प्रत्येक वर्ष भारत सरकार सहायता के हेतु विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाओं (केन्द्रीय और राज्य दोनों ही क्षेत्रों) की एक सूची तैयार करती है। उन परियोजनाओं की ठीक-ठीक संख्या जिनके लिए सहायता सम्बद्ध की जा सकेगी तथा ऐसी सहायता का परिणाम बैंक समूह की धनराशियों की उपलब्धता और परियोजना तैयारी की स्थिति प्रथा प्रगति पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	सहायता की राशि	रकम लाख डालर में 31 मार्च, 1984 तक प्रयुक्त सहायता की राशि जिसमें सहायता के लिए रखे जाने वाले दावे भी शामिल हैं
1	2	3	4	5
1.	आ० प्र० मीन उद्योग	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	175	87·8

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय बीज-I	अ० पु० नि० और वि० बे०	250	118·6
3.	काजू*	अं० वि० सं०	220	52·6
4.	दूसरी राष्ट्रीय सहकारिता विकास*	अं० वि० सं०	1250	322·5
5.	आ० प्र० कृषि विस्तार*	अं० वि० सं०	60	6·0
6.	दूसरी जनसंख्या*	अं० वि० सं०	460	149·5
7.	आ० प्र० सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजना	अं० पु० नि० और वि० बैंक	1450	1130·5

*ये बहुराज्यीय परियोजनाएं हैं जिनमें आंध्र प्रदेश सहभागी है। आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में सहायता प्रयुक्त करने के ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

छोटे सिक्कों की कमी

9880. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में छोटे सिक्कों की अभी भी बहुत कमी है;

(ख) क्या इस कमी का कारण कुछ लोगों द्वारा छोटे सिक्कों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी करना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की है, छोटे सिक्कों के उन जमाखोरों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से छोटे सिक्कों की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप 1983-84 में सिक्कों की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। टकसालों में अनेक पारियां शुरू किए जाने और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा उत्पादन में और आगे वृद्धि होने की संभावना है। इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा उपाय सिक्कों की पूर्ति में वृद्धि करना है।

तथापि, गलाने के आशय मे सिक्कों की जमाखोरी छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्रनिषिद्ध है। कुछ राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पाद शुल्क में धोखाधड़ी

9881. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **वित्त मंत्री** हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पाद शुल्क में धोखाधड़ी करने के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुबद्ध पैट्रोलियम उत्पादों को लाने ले जाने हेतु अनुपालित नियमों का ब्यौरा क्या है और प्रतिष्ठानों पर इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की अदायगी का हिसाब लगाने हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जा रही है;

(ख) प्रतिष्ठानों पर अनुबद्ध उत्पादों की आयतन में कमी/वृद्धि के लिए किस दर पर उत्पाद शुल्क की अदायगी की जाती है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड विभिन्न प्रतिष्ठानों/डिपुओं में प्राकृतिक कारणों के अलावा तापमानों पर आधारित आयतनों और आयतनों में कमी के कारणों को दिखाकर अनुबद्ध उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की चोरी कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को उक्त अनुबद्ध पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में उसके विभिन्न प्रतिष्ठानों/डिपुओं में उक्त तरीके को अपनाने के कारण प्रतिदिन कितने राजस्व का घाटा हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) बंधकित पैट्रोलियम उत्पादों को लाने-ले-जाने संबंधी कार्यवाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 139 और 152 से 156-ख के अधीन विनियमित है। पैट्रोलियम उत्पादों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित अंशांकित टैंकों में स्टोर किया जाता है। शुल्क-निर्धारण का मात्रक 15° सें० तापमान पर किलोमिटर होने के नाते, टैंक तापमान पर निर्णीत आयतन को आयतन न्यूनक कारक का इस्तेमाल करके 15° सें० में बदला जाता है। इस प्रकार तेल के 15° सें० में बदले गए आयतन शुल्क-निर्धारण उचित दरों से किया जाता है।

(ख) भण्डारण के दौरान होने वाले नुकसान को कतिपय प्रतिशत-अनुपातों तक माफ किया जाता है जो तकनीकी सलाह के आधार पर विनिर्दिष्ट किए गए हैं। क्षम्य सीमाओं से अधिक के नुकसान पर शुल्क, निर्धारित प्रभावी दरों के हिसाब से, देय होता है। लाभ को प्राप्तियों के प्रति हिसाब में ले लिया जाता है और शुल्क की अदायगी, निकासी की तारीख को प्रचलित दरों के हिसाब से की जाती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

स्माल पेपर मिल एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन

9882. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया स्माल पेपर मिल एसोसिएशन ने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) 1984 के बजट में, कागज उद्योग को उत्पादन शुल्क में कतिपय रियायतें दी गई थीं। इस संदर्भ में, अखिल भारतीय लघु कागज मिल संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया था कि अपरम्परागत कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने वाली लघु और मझौली कागज मिलों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क का पुनर्गठन किया जाए और लकड़ी की लुगदी पर आयात शुल्क से पूरी छूट दी जाए। उन्होंने ऐसी कागज मिलों द्वारा निर्मित कागज पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क को और कम करने का भी अनुरोध किया था।

सरकार ने, अन्य क्षेत्रों से इसी प्रकार के प्राप्त हुए अनुरोध पर विचार करने के साथ-साथ इन अनुरोधों पर भी विचार किया था और 18-4-1984 को निम्नलिखित रियायतों की घोषणा की गई थी :—

(1) मुद्रण और लेखन के कागज तथा क्राफ्ट कागज की विनिर्दिष्ट किस्मों पर, उद्ग्रहणीय मूल उत्पादन-शुल्क को और कम करके इस बात पर निर्भर करते हुए उसे क्रमश: 275 रु०, 550 रुपए और 730 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था कि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में सभी किस्म के कागज और गत्ते की कारखाने से निकासियां क्रमश: 3,000 7,500 और 16,500 मीट्रिक टन से अधिक नहीं थीं।

(2) जो कागज मिलें कम-से-कम 50 प्रतिशत अपरम्परागत कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करती हैं और साथ ही पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में जिनकी निकासियां 16,500 मीट्रिक टन से अधिक थीं परन्तु 24,000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं थीं, ऐसी कागज मिलों के सम्बन्ध में एक नया खण्ड बनाया गया था। ऐसी कागज मिलों के सम्बन्ध में, शुल्क-दर को क्राफ्ट कागज के मामले में मूल्यानुनार 7 प्रतिशत + 900 रुपए प्रति मीट्रिक टन से कम करके 1200 रु० प्रति मीट्रिक टन, तथा मुद्रण और लेखन के कागज के मामले में मूल्यानुसार 7 प्रतिशत + 645 रु० प्रीति मीट्रिक टन से कम

करके 950 रु० प्रति मीट्रिक टन किया गया था। बहरहाल, संघ के अन्य सुझाव स्वीकार नहीं किए गए थे।

कृषि उत्पादों का निर्यात

9883. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के निर्यात से भारत को कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ख) इसमें प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात (चाय, काफी तथा इलायची जैसा बागान फसलों को छोड़कर) 14.2 करोड़ रु० का हुआ था।

(ख) राज्यवार विदेश व्यापार आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा काफी के निर्यात को बढ़ावा

9884. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी का इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रों द्वारा हाल ही में लंदन में कोई समझौता किया गया था;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन काफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद्, जिनका प्रतिनिधित्व काफी उत्पादन और साथ ही काफी उपभोक्ता देशों द्वारा किया गया, ने अपनी लंदन में अप्रैल, 1984 की हाल की बैठक में आगामी दो वर्षों के लिए विश्व काफी निर्यात कोटे के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय न कर सकी तथा इस मामले में सितम्बर, 1984 की बैठक में निर्णय लिए जाने की आशा है।

भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करने के लिए जापान की इच्छा

9885. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारतीय समुद्री उत्पादों का आयात करने की इच्छा दिखाई है;

(ख) क्या जापानी शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ग) भारत में समुद्री उत्पादों के निर्यात में जापान का कितना हिस्सा है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1982-83 के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यातों में जापान का अंश मात्रा की दृष्टि से 53 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से 73 प्रतिशत था। जापान को समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें तीन वर्षों की और अवधि के लिए टोकियो में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के व्यापार संवर्धन ने कार्यालय का जारी रखा जाना, टोकियों में व्यापार संवर्धन कार्यालय द्वारा बाजार सूचना की मानिटरिंग जिसे नियमित तौर पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापारी वर्ग को भेजा जाता है, टोकियो में आयोजित विशेषीकृत खाद्य मेलों में सहभागिता समाचार पत्रों में विज्ञापनों तथा मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार, बाजार अध्ययन/व्यापार/बिक्री प्रतिनिधिमण्डलों आदि का प्रायोजित किया जाना शामिल हैं।

पुराने पेंशन भोगियों (1973 से पूर्व) को राहत

9886. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनुदान पेंशन फार्मूला जैसा कि रक्षा पेंशन भोगियों पर लागू किया गया है से पुराने पेंशन-भोगियों (1973 से पहले के) को कम पेंशन पाने, विभिन्न अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले समान रैंक और समान सेवा अवधि के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में असमानता के बारे में कोई राहत नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने और पेंशन-भोगियों की कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसम्बर, 1982 के निर्णय के अनुसरण में 1 अप्रैल, 1979 से उदारीकृत पेंशन फार्मूला उन सभी पेंशनरों के लिए भी लागू किया गया है जो 31 मार्च, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। 9 सितम्बर, 1970 तक जो पेंशन फार्मूला लागू था वह 1-4-1979 से शुरू किए गए पेंशन फार्मूलों (खण्ड प्रणाली) से अधिक लाभकर था इसलिए जो लोग 10 सितम्बर, 1970 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उनके मामले में खण्ड प्रणाली लागू करने से पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

लेकिन 10-9-1970 और 31-12-1972 के बीच जो फार्मूला लागू था वह खंड प्रणाली के मुकाबले थोड़ा लाभकर था इसलिए जो लोग इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए थे उनके मामले में खंड प्रणाली लागू करने से पेंशन में कुछ वृद्धि हुई है।

पेंशन के मामले में अब कोई विसंगति नहीं है और सभी पेंशनरों के लिए पेंशन की गणना के सम्बन्ध में यही फार्मूला लागू है भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। परन्तु पेंशन योग्य वेतन और पेंशन के लिए अर्हत सेवा के आधार पर, जो समय-समय पर अलग-अलग होती है, पेंशन का हिसाब लगाया जाता है इसलिए एक ही रैंक के कार्मिकों की जो अलग-अलग तारीखों को सेवानिवृत्त होते हैं अलग-अलग पेंशन होगी।

एडजुटेंट जनरल ब्रांच में कार्य करने वाले जे० सी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों के वेतनमानों में कमी

9887. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल ब्रांच में बहुत से जे० सी० ओ० तथा अन्य अधिकारी अनेक प्रकार के कोषों और योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अब उनके वेतनमानों में कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा होने पर बढ़ती कीमतों के इन दिनों में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय एडजुटेंट जनरल के विभाग की कार्य प्रणाली की जांच करेगा तथा जे० सी० ओ० और अन्य अधिकारियों के विभाग से तत्सम्बन्धी भय को दूर करने के प्रयास करेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) विभिन्न निधियों और कल्याण योजनाओं के प्रबन्ध के लिए एड्जुटेंट जनरल ब्रांच में दो तरह के कार्मिक नियुक्त किए जाते हैं अर्थात् (1) प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए सेना के सेवारत कार्मिक (2) दोबारा रोजगार प्राप्त सेवा निवृत्ति कार्मिक। पहली श्रेणी के कर्मिकों के वेतनमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे सेना के किसी भी दूसरे कार्मिक के समान होते हैं। दूसरी श्रेणी के कार्मिकों को इस समय भिन्न-भिन्न परिलब्धियां मिल रही हैं जो उस संगठन/निधि पर निर्भर करती हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दी जा रही परिलब्धियों को युक्तिसंगत बनाने और उनमें एक रूपता लाने के लिए एड्जुटेंट जनरल ब्रांच ने अधिकारियों का एक बोर्ड नियुक्त किया है। बोर्ड की रिपोर्ट की अभी प्रतिक्षा है।

रक्षा सेवा कार्मिकों को पेंशन देने के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति

9888. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रेणियों के रक्षा सेवा कार्मिकों को पेंशन मंजूर करने में कार्यकुशलता

बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के बारे में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या समिति ने सी० आई० ए० (पी०) संगठन के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की है और क्या सरकार ने इसे स्वीकार करके विकेन्द्रीकरण के आदेश जारी किए थे; और

(ग) क्या जारी किए गए आदेशों को बाद में रद्द कर दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) समिति ने अन्य बातों के साथ सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूर के अधिकार, जो इस समय नियन्त्रक रक्षा लेखा (पेंशन) के पास हैं, विभिन्न संगठनों को देने की सिफारिश की थी। तदनुसार, नौसेना और वायुसेना के अफसरों और कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी करने के अधिकार नियन्त्रक रक्षा लेखा (नौसेना) और उप-नियन्त्रक रक्षा लेखा (वायुसेना)/नियन्त्रक रक्षा लेखा (वायुसेना) को देने के आदेश जारी कर दिए गए । लेकिन नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद और अन्य स्टाफ एसोशियनों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण नौसेना से सम्बन्धित आदेश रद्द कर दिए गए और वायुसेना से सम्बन्धित आदेशों का अनुपालन स्थगित रखा गया ।

तट रक्षक जहाज जीजाबाई द्वारा महिला यात्रियों को पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अण्डमान ले जाया जाना

9889. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट रक्षक जहाज जीजाबाई महिला यात्रियों को 4 अप्रैल, 1984 को पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अण्डमान और 6 अप्रैल, 1984 को वहां से वापस ले गया और क्या नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति है; और

(ख) क्या उनसे कोई भाड़ा वसूल किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के उप-राज्यपाल के अनुरोध पर तट रक्षक संगठन पोत "जीजाबाई" से उप-राज्यपाल तथा अण्डमान और निकोबार वन तथा वृक्षारोपण निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा उनकी पत्नियों को 4 अप्रैल, 1984 और 6 अप्रैल, 1984 को पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अण्डमान तक लाया और वापस ले जाया गया । यह यात्रा अण्डमान और निकोबार वन तथा वृक्षारोपण निगम के 5 अप्रैल, 1984 के वार्षिक दिवस समारोहों के सम्बन्ध में की गई थी । आमतौर पर उप-राज्यपाल, स्थानीय प्रशासन की नौका का उपयोग करते हैं। लेकिन इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन की कोई भी पुरानी नौका उपलब्ध नहीं थी । इस तरह के अनुरोध तट रक्षक मुख्यालय के पास भेजे जाते हैं और तट रक्षक महानिदेशक

का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इन यात्राओं का किराया वसूल करने का कोई नियम नहीं है।

केरल में रबड़ उत्पादकों के स्वामित्व की लघु जोतें

9890. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रबड़ की कृषि के अन्तर्गत कुल कितनी लघु जोतें हैं और इन लघु जोतों से कितने प्रतिशत उत्पादन होता है;

(ख) क्या कम उपज वाले पौधों के स्थान पर अधिक उपज देने वाले पौधों को लगाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केरल में मार्च 1983 के अन्त तक लघु जोतों की कुल संख्या 2.3 लाख थी। 1982-83 के दौरान भारत तथा केरल में रबड़ के कुल उत्पादन में इन लघु जोतों का भाग क्रमश: 68 तथा 74 प्रतिशत था।

(ख) जी हां।

(ग) कम उपज वाले क्षेत्रों में अधिक उपज वाली किस्मों के पौधों के पुनर्रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बागान विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायताएं दी जाती हैं :—

(1) 20 हेक्टेयर वाले लघु जोतों को प्रत्येक हेक्टेयर पर 5000 रु० की दर से तथा 20 हेक्टेयर से अधिक बड़े जोतों को प्रति हेक्टेयर पर 3000 रु० का नकद उपदान।

(2) केवल नैवार्ड की कृषि ऋण स्कीम के अन्तर्गत 20 हेक्टेयर वाली लघु जोतों को ऋण पर 3 प्रतिशत के दर से ब्याज उत्पादन।

(3) बोर्ड से नि:शुल्क परामर्शी एवं विस्तार सहायता।

(4) छह हेक्टेयर से अधिक भूमि जिनके पास नही है, ऐसी लघु जोतों को अधिक उपज की सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति, निर्धारित उर्वरकों की आधी लागत एवं भूमि संरक्षण के लिए उपदान।

सूखा से प्रभावित इलायची के पेड़ों को पुन: रोपने की योजना

9891. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा से कितने हेक्टेयर इलायची बागान प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या बोर्ड ने इस क्षेत्र में पुनः रोपण करने की एक योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) क्या केन्द्र द्वारा इस परियोजना को स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इलायची बागान के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत सूखे से प्रभावित हुआ ।

(ख) से (घ) इलायची बोर्ड ने सूखे से प्रभावित बागानों का कायाकल्प करने के लिए पुनर्रोपण ऋण-सह-सहायता योजना बनाई है जिसको 21-4-1984 को फिर से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है । इस योजना के लिए वित्तीय परिव्यय 4.42 करोड़ रु० है तथा 1984-85 से कार्यान्वित होगी ।

एन० सी० सी० एफ० द्वारा लाइसेंस सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन

9892. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एन० सी० सी० एफ० को सुपर बजार के माध्यम से बिक्री के लिए सूखे फलों का आयात करने और अपनी बिक्री पर जनता से केवल 5 प्रतिशत लाभ लेने के लिए दिनांक 18 जून, 1982 को अपने लाइसेंस संख्या पी/2/032/424/ग के अनुसार 100 लाख रुपए मूल्य का तदर्थ लाइसेंस मंजूर किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि एन० सी० सी० एफ० ने इस तदर्थ आयात लाइसेंस में से 70 लाख रुपए की सी० सी० आई० एफ० मूल्य का आयात किया था और सम्पूर्ण आयातित भण्डार को कथित और नकली उपभोक्ता सहकारी समितियों के नाम पर अधिक मूल्य पर, बम्बई के बाजारों में बेच दिया था; और

(ग) एन० सी० सी० एफ० द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एन० सी० सी० एफ०, नई दिल्ली को, 5 प्रतिशत की लाभ-दर पर सुपर बजारों की मार्फत उपभोक्ता पैकों में वितरण हेतु मेवों के आयात के लिए 100 लाख रु० मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ई/एक्स/0321/424/सी/एक्स एक्स/83/डी/82, दिनांक 18 जून, 1982 जारी किया गया था।

(ख) तथा (ग) एन० सी० सी० एफ०, नई दिल्ली ने बताया कि उन्होंने 68.22 लाख रु० मूल्य के मेवों का आयात किया । अन्य जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गोल डाकखाना, नई दिल्ली से सेना अधिकारियों को पेंशन देने के कार्य का अन्तरण

9893. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के आनरेरी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन की अदायगी का कार्य गोल डाकखाना, नई दिल्ली से लेने के लिए पेंशन मास्टर्स संगठन के गठन कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि गोल डाकखाना, नई दिल्ली में पेंशन अदायगी करने वाले प्राधिकारियों ने सेवा के सेवानिवृत्त कैप्टनों को अप्रैल के महीने में देय मार्च के महीने की पेंशन की अदायगी नहीं की है जिससे उनको कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो गोल डाकखाना, नई दिल्ली से पेंशन अदायगी का कार्य लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपने तथा मार्च, 1984 के बाद जून, 1984 तक की पेंशन की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) दिल्ली में सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों और मानद कमीशन प्राप्त अफसरों को पेंशन वितरण करने का काम क्रमिक आधार पर डाकघरों से पेंशन पे मास्टरों द्वारा किया जाएगा। पेंशन पे मास्टरों के लिए स्टाफ पहले ही मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली में पेंशन पे मास्टर का कार्यालय खोलने के लिए अवास प्राप्त कर लिया गया है। कार्यालय स्थापित करने के लिए आरम्भिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। गोल डाकखाने से पेंशन वितरण का कार्य पेंशन पे मास्टर द्वारा हाथ में लिए जाने पर सम्बन्धित पेंशनरों को, यदि वे चाहें अपनी पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त करने का विकल्प स्वतः प्राप्त हो जाएगा। सेना के मानद कमीशन प्राप्त, कैप्टन के रैंक के किसी भी अफसर को, गोल डाकखाना, नई दिल्ली के प्राधिकारियों ने अप्रैल, 1984 में देय मार्च 1984 की पेंशन का भुगतान करने से इन्कार नहीं किया।

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर

9894. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किस दर पर ब्याज की वसूली की जाती है अथवा क्या यह सभी जगह विशेषकर बिहार में समान है;

(ख) क्या बिहार के किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋण लेने वालों से लिए गए अधिक ब्याज की वापसी के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भांति अपने अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज लेते हैं। ये दरें ऋण के प्रयोजन सुविधा की किस्म और ऋण की अवधि और उसकी राशि पर निर्भर करती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू ब्याज दरें विवरण में दी गई हैं। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बिहार के किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने ऋणकर्ताओं से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए निर्देशों से भिन्न दर पर ब्याज लिया गया है। अतः वापसी का सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के ब्याज की दरें

1. कृषि	**ब्याज दर**
(i) अल्पावधिक ऋण	प्रतिशत वार्षिक
(क) 5000 रु० तक	11.5
(ख) 5000 रु० से ऊपर और 10,000 रुपए तक	12.5
(ग) 10,000 रुपए से ऊपर और 25,000 रुपए तक	14.0 से अधिक नहीं
(घ) 25,000 से ऊपर	16.5 से अधिक नहीं
(ii) 3 वर्ष से अनधिक सावधि ऋण	
(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.0
(ख) अन्य प्रयोजनों के लिए	
(i) छोटे किसान	10.0
(ii) अन्य किसान	12.3
2. लघु उद्योग	
(क) 25,000 रुपए तक का × ऋण × संयुक्त	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.0
(ख) अन्य क्षेत्र	12.0

अल्पावधिक अग्रिम	प्रतिशत वार्षिक
(क) 2 लाख रुपए तक और सहित	14.9 से अधिक नहीं
3 वर्ष से अनधिक सावधि ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	12.5
(ख) अन्य क्षेत्र	13.5
3. उर्वरकों के वितरण के लिए खुदरा व्यापारियों को अग्रिम	
(क) 5,000 रुपए तक	11.5
(ख) 5000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	14.0 से अधिक नहीं
(ग) 25,000 रुपए तक	16.5 से अधिक नहीं
4. अन्य खुदरा व्यापारी	
(क) 5000 रुपए तक और सम्मिलित सीमाएं	12.5
(ख) 5000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	15.0 से अधिक नहीं
5. व्यावसायिक व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों तथा महिला उद्यमियों को अग्रिम	
(क) सावधि ऋण के अतिरिक्त अग्रिम	14.0
(ख) सावधि ऋण	13.5
6. गृह निर्माण	4.0
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण 5000 रुपए तक और सहित	
7. सड़क परिवहन परिचालक	
2 वाहनों तक	12.5
8. अनिर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	
अल्पावधिक ऋण	16.5 से अधिक नहीं
अन्य सभी सावधि ऋण	15.0

टिप्पणी :

(क) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र हिताधिकारियों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जा सकता है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक है।

अवकाश वेतन पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा कर वापसी न किया जाना

9895. **श्री ईरा मोहन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा छुट्टियों के वेतन की अदायगी नहीं की जा रही है जिस पर आयकर की छूट है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारिती को धनराशि कब तक वापिस किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10कक) के अन्तर्गत वह भुगतान जो किसी कर्मचारी को अधिवार्षिकी पर या अन्यथा सेवा-निवृत्त होने के समय अर्जित छुट्टी की अवधि की बाबत छुट्टी-वेतन के समतुल्य नकदी के रूप में किया गया हो, विनिर्दिष्ट सीमाओं में कर से छूट प्राप्त होता है। अत: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10कक) के अनुसार वापसी नहीं दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इन भागों के उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना

9896. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय के कुछ सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल ब्रांच के अधीन कुछ कल्याण परियोजनाओं में पुन: रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कर्मचारी किस तारीख को सेवानिवृत्त हुए और अब वे पुन: किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रकार पुन: नौकरी पर लगाए गए कर्मचारियों को दो पहचान पत्र दिए गए

हैं जिसमें से एक उनके कार्य करने के स्थान के लिए तथा दूसरा सभी खण्डों में प्रवेश के लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है तथा हाल ही में किए गए सुरक्षात्मक उपायों के विपरीत उन्हें पीले पास जारी करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

काफी बोर्ड के दिल्ली कार्यालय में प्रति-नियुक्ति पर कार्य कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारी

9897. **श्री सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के दिल्ली कार्यालय में कोई सेवानिवृत्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रधानमंत्री के निदेशों का उल्लंघन करते हुए बोर्ड में उसकी सेवाओं को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्रालय का एक अनुभाग अधिकारी जो कि काफी बोर्ड के नई दिल्ली कार्यालय में 700-1300 रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहा था, 31-3-1984 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया । तथापि, उनके पिछले अनुभव को देखते हुए काफी बोर्ड ने 30-3-1984 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि उनकी सेवाओं को संविदा की शर्तों पर तब तक जारी रखा जाय जब तक कि पद प्रतिनियुक्ति पर नियमित आधार पर न भरा जाय, जिसके लिए बोर्ड ने पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है ।

इण्डियन तम्बाकू कम्पनी की ओर बकाया आयकर

9898. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनी की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) उक्त आयकर की राशि कब से बकाया है; और

(ग) क्या इस धन को वसूल करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं और यदि नहीं, तो कम्पनी से उक्त धन कब तक वसूल किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) इस प्रकार मैसर्स

इण्डियन टुबैको कम्पनी लि० की तरफ कोई कर बकाया नहीं है। तथापि, मैसर्स त्रिवेणी टिश्यूज लि० जो कि आई० टी० सी० समूह के मामलों में सूचीबद्ध एक कम्पनी है, की तरफ 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार 42.64 लाख रुपए की मांग बकाया थी। इस मामले में मांग, वित्तीय वर्ष 1982-83 में जारी की गई थी।

सम्पूर्ण मांग आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विवादास्पद थी जिसने अब मामले को निपटा दिया है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा निर्यातकर्ताओं को ऋण

9899. **श्री गुफरान आजम** : क्या **वित्त मंत्री** इण्डियन ओवरसीज बैंक दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता द्वारा निर्यातकर्ताओं को ऋण के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4132 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में निर्यात ऋण के लिए बहुत बड़ी संख्या में ऋण मिलने या न मिलने के बारे में अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और सरकार की नीति के अनुरूप प्रत्येक निर्यातकर्ताओं को निर्यात व्यापार बढ़ाने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और पूर्वी क्षेत्र के निर्यात ऋण के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है और प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और नियमों के अधीन अनुज्ञेय और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जाली फर्मों द्वारा विशेष इस्पात का आयात

9900. **श्री वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1984 के "ब्लिट्ज" में "स्पींज 6 करोड़ डाउन दि ट्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने, उसमें उल्लिखित नामों की दिल्ली और बम्बई की जाली फर्मों द्वारा विशेष इस्पात का धोखाधड़ीपूर्ण आयात करने के मामले की जांच की है;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान बम्बई के गोदामों में भण्डार किए गए आयातित इस्पात पर आसूचना निदेशालय द्वारा छापा मारा गया था, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक सम्बद्ध फर्म द्वारा किए गए विशेष इस्पात के आयात की

बारीकी से जांच की है, यदि हां, तो उनमें से कितनी फर्में बेनामी, जाली या नकली न्यास से सम्बद्ध थीं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर इस्पात आयात करने सम्बन्धी इस धोखाधड़ी की जांच करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) आयकर विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा नवम्बर, 1981 में ली गई तलाशियों के दौरान, बहुत सी पार्टियों से सम्बन्धित इस्पात, उसे प्राप्त करने के स्रोत का प्रमाण न मिलने तक विभिन्न गोदामों में सील कर दिया गया था। कुछ माल या तो उसे प्राप्त करने का स्रोत स्पष्ट करने पर अथवा स्वीकार की गई छिपाई गई आय पर करों का भुगतान करने की वजह से रिलीज कर दिया गया था। लगभग 25 लाख रु० मूल्य का माल इस समय भी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत है। आयकर विभाग इस मामले को समझता है।

थामसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड, फरीदाबाद को कागज का आयात करने हेतु लाइसेंस

9901. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थामसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड, फरीदाबाद को कागज के आयात का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कितने मूल्य और कितने टन के आयात का लाइसेंस दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्रेस ने कागज का आयात किया लेकिन इसने स्वयं इस कागज का उपयोग नहीं किया और इसे अधिक मूल्य पर बाजार में बेच दिया; और

(घ) यदि हां, तो क्या भविष्य में उक्त प्रेस को कागज का आयात लाइसेंस दिए जाने को रद्द करने और इस प्रेस को काली सूची में रखने का सरकार का विचार है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जारी किए गए सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे "आयात लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस तथा औद्योगिक लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन बुलेटिनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

(ग) तथा (घ) आयात लाइसेंस के दुरुपयोग का कोई मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

गुजरात के काडी नगर स्थित में नवज्योति टैक्सटाइल मिल्स का कार्यकरण

9902. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के काडी नगर में स्थित नवज्योति टैक्सटाइल मिल्स को पांच वर्ष चलाने के लिए जयन्ती लाल ग्रुप को सौंप दिया गया था, और यह मिल गत दिसम्बर से बन्द पड़ी है और क्या इस मिल को शीघ्र पुन: खोलने के प्रयास किए जाएंगे;

(ख) क्या उक्त ग्रुप, जिसे मिल चलाने का काम सौंपा गया था, ने मिल की विभिन्न किस्म की मशीनें बेच दी हैं, ताकि मिल में दुबारा काम शुरू न हो सके;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की जाएगी तथा नई मशीनें खरीद करके मिल को पुन: खोला जाएगा; और

(घ) क्या इस मिल के प्रबंधकों ने श्रमिकों के 40 दिन की मजूरी का भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो क्या उनके वेतन का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मै० नवजोत मिल्स, काड़ी का सितम्बर, 1980 में जयन्ती लाल बी० पोपट द्वारा अधिग्रहण किया गया था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण मिल 18-12-1983 से बन्द पड़ी थी। गुजरात में बन्द पड़ी मिलों की समस्याओं का पता लगाने और उन एककों के लिए जो सक्षम हैं, पुर्नस्थापना करने के लिए अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रबन्धकों द्वारा मशीनों के बेचे जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक आफ बड़ौदा की बारोट शाखा द्वारा धनराशि का दुर्विनियोग

9903. **श्री रामजीभाई मावणि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा की बारोट (इलाहाबाद) शाखा के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपयों की धोखाधड़ी और दुर्विनियोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की धोखाधड़ी की गई है और इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1984 के पहले सप्ताह के दौरान उपर्युक्त शाखा के

प्रबंधक ने जिले के बाहर के व्यक्तियों को हजारों रुपए के ऋण, अभिलेखों में उनकी प्रविष्टि किए बिना दे दिए और जांच के दौरान बैंक की नकदी में वह राशि कम पाई गई;

(घ) यदि हां, तो अभिलेखों में प्रविष्टि किए बिना कुल कितनी राशि की अदायगी की गई और इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या इस धोखाधड़ी की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने और भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त अधिकारियों की सेवायें निलंबित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बारोट के शाखा के प्रबंधक ने प्रक्रिया सम्बन्धी, अनियमितताएं की ओर अपने विवेकाधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया है ।

(ख) शाखा द्वारा मंजूर की गई अनियमित सुविधाओं में अन्तर्ग्रस्त कुल राशि कुछ लाख रुपए बताई जाती है । बैंक ने सूचित किया है कि वह समझा-बुझाकर तथा कानूननी अर्थात् दोनों तरीकों में अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है ।

(ग) और (घ) बैंक के अनुसार, इस मामले की जांच के दौरान न तो किसी अनियमितता का पता चला है और न ही अभी तक कोई सूचना मिली है ।

(ङ) और (च) बैंक ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्यवाई की है ।

वाराणसी और श्रीनगर में गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना के उप-निदेशकों को चैक भुनाने का अधिकार दिया जाना

9904. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और श्रीनगर में गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उप-निदेशकों को चैक भुनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या इन अधिकारों का निजी हित के लिए अनधिकृत रूप से सरकारी धन निकाल कर दुरुपयोग किया जाता है;

(ग) क्या ढुलाई आदि के लिए अनुमोदित और काम पर लगाए गए ठेकेदारों के अलावा अन्य ठेकेदारों को भुगतान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सम्बद्ध धन-राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण अभी तक ध्यान में नहीं आया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय व्यापारिक नौवहन बेड़े को सुसज्जित करना

9805. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारिक नौवहन बेड़ा युद्ध के दौरान हिन्द महासागर में यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में सभार तंत्र की सहायता करने/(लांजिस्टिक सपोर्ट) और व्यापार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सज्जित है;

(ख) यदि हां, तो बेड़े का कुल पंजीकृत टन भार क्या है; और

(ग) भारतीय व्यापारिक नौवहन बेड़े द्वारा देश का कुल कितना विदेशी व्यापार संभाला जाता है और उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां। युद्ध के दौरान भारत के व्यापारिक पोत भारतीय नौसेना के पूर्ण नियंत्रणाधीन काम करेंगे और तटीय तथा समुद्री पोत परिवहन संगठन का काम भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा।

(ख) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुई तिमाही में कुल पंजीकृत टन भार (जी० आर० टी०) 60.92 लाख था।

(ग) 1980-81 से 1982-83 के दौरान भारतीय व्यापारिक पोतों द्वारा किया गया कुल विदेशी व्यापार इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यापारिक पोतों द्वारा किया गया कुल आयात और निर्यात (मिलियन टन में)	भारतीय पोतों द्वारा किया गया आयात और निर्यात	कुल माल के मुकाबले भारतीय व्यापारिक पोतों द्वारा उठाए गए माल का प्रतिशत
1980-81	74.93	24.21	32.30
1981-82	77.36	24.27	31.37
1982-83	77.76	32.24	41.46

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध में सुधार करने के प्रस्ताव

906. **श्री गुलाम मोहम्द खां** : क्या **पर्यटन और नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के पूंजी परिव्यय, मूल्यह्रास ब्याज और वेतन बिल क्या-क्या थे;

(ख) इस अवधि के दौरान नए होटल खोलने, विस्तार करने, सज्जित करने आदि से सम्बन्धित परियोजनाएं क्या थीं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुमानतः कितनी लाभ/हानि हुई; और

(घ) निगम द्वारा प्रबन्ध और काम-काज में सुधार करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के क्या प्रस्ताव हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना विवरण में दी गई है ।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबन्ध को कारगर बनाने/कामकाज के परिणामों में सुधार लाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं—जोरदार विपणन, उत्पाद में सुधार और लागत नियंत्रण, विदेशों में परामर्शी क्षेत्र में जोरदार ढंग से प्रवेश, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन विश्राम-कक्षों में शुल्क मुक्त दुकानें खोलना, प्रशासनिक व्यय में किफायत के कड़े उपाय, आदि ।

विवरण

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान पूंजी परिव्यय, मूल्यह्रास, ब्याज और वेतन बिल, परियोजनाओं पर किया गया खर्च और निगम का लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मद/शीर्ष	वर्ष (लाख रु० में) 1981-82	1982-83	(अनन्तिम) 1983-84
1	2	3	4	5
1.	पूंजी परिव्यय	1329.91	1887.68	808.00
2.	मूल्यह्रास	231.01	386.08	523.88
3.	ब्याज	88.51	184.41	321.74

1	2		4	5
4.	अनुषंगी लाभों आदि सहित मजदूरी बिल	1038.79	1381.85	1611.74
5.	नए होटल खोलने, विस्तार करने, सज्जित करने आदि सम्बन्धी परि-योजनाओं पर किया खर्च	23.02	24.32	24.00*
6.	लाभ/हानि (कर के बाद)	133.02	201.56	52.48

*(संयुक्त उद्यम परियोजनाओं और पर्यटन विभाग की परियोजनाओं के 6 लाख रुपए सहित)।

परमिट जारी करने के बारे में वस्त्र आयुक्त के लिए अनुदेशों वाले पत्र बन्द करना

9907. **श्री दया राम शाक्य :**

श्री भीखा भाई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने अपने 22 फरवरी, 1980 के पत्र संख्या 3/4/80-सी० पी० द्वारा वस्त्र आयुक्तों को निदेश दिया था कि वे जारी किए गए परमिटों की सूची भेजे जिससे कि विद्युतकरघा बुनकरों के संघ को स्थिति से अवगत कराया जा सके 22 दिसम्बर, 1980 तक अनुपालित किए अनुदेशों के अनुसार उनके सदस्यों को सूचित किया जा सके लेकिन आयुक्त ने परमिट भेजना बन्द कर दिया; और

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) दिनांक 8 सितम्बर, 1980 के पत्र सं० 3/4/80-सी० पी० के जरिए वस्त्र आयुक्त को विद्युतकरघा बुनकर एसोसियेशन, भिवांडी, को परमिटों की सूची भेजने की सलाह दी गई थी।

बाद में, यह समाप्त कर दिया गया क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई द्वारा प्राप्त हजारों आवेदन पत्रों में से एसोसियेशन के सदस्यों का पता लगाना बहुत कठिन हो गया था तथा आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान पर बल दिया गया था। तथापि, एसोसिएशन से अनुरोध किया गया था कि वह उन सदस्यों के नामों की जानकारी दे जिनको परमिट प्राप्त नहीं हुए। एसोसिएशन ने कुछ नाम भेजे जिनका सत्यापन किया गया तथा उत्तर भेजा गया।

राज्यों की राजधानियों में शुष्क पत्तन की सुविधाओं का प्रस्ताव

9908. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली सहित कुछ राज्यों की राजधानियों में शुष्क पत्तन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गायब हुए राडार वैज्ञानिक की वापसी

9909. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक राडार वैज्ञानिक जो इलैक्ट्रोनिक और राडार विकास प्रतिष्ठान बंगलौर से दिसम्बर, 1983 में किसी समय रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया था और अब ऐसा पता चला है कि वह केलीफोर्निया की एक फर्म में काम कर रहा है जिसको इलैक्ट्रोनिक और राडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा ठेका दिया गया था, उसकी वापसी के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यह जानने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इलैक्ट्रानिक और राडर विकास प्रतिष्ठान के अधिकारियों ने उसको सरकारी पासपोर्ट क्यों दिया था जबकि वह उसको देश से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) इलेक्ट्रानिकी तथा राडार विकास स्थापना, बंगलौर (एल० आर०डी० ई०) में वैज्ञानिक "घ" श्री एम०के० शंडास को वापस बुलाने का मामला विदेश मंत्रालय को भेजा गया है जो इस मामले में निर्णय लेने के सक्षम प्राधिकारी हैं।

(ख) श्री एम० के० शंडास को एल० आ ० डी० ई० द्वारा किए गए तकनीकी जानकारी सम्बन्धी ठेके के सिलसिले में जनवरी, 1980 में भेजा गया था। जनवरी, 1983 में जब अमेरिकी कम्पनी के साथ आगे बातचीत की जानी थी तो उस समय उन्हें वापस बुला लिया गया था। इस कम्पनी के साथ बातचीत पूरी करली गई और श्री शंडास को फिर से 120 दिन के लिए भेजने का

प्रस्ताव रखा गया। इस सम्बन्ध में जुलाई, 1983 में सरकारी स्वीकृति जारी की गई। एल० आर० डी० ई० ने जून, 1983 में उनका सरकारी पारपत्र फिर से वैध कर दिया ताकि उन्हें अमेरिका भेजा जा सके।

उन्हें सरकारी पार पत्र इसलिए दे दिया गया था ताकि वे अपने उस सामान को छुड़ा सकें जो जनवरी, 1983 में अमेरिका से वापस लौटते समय उनके द्वारा पोत में लाया जा रहा था।

अगस्त में यह अधिकारी छुट्टी पर चला गया। निजी पारपत्र के लिए उन्होंने आवेदन किया था जिसे नामंजूर कर दिया गया। इस अधिकारी ने अपनी छुट्टी तीन महीने और बढ़ाने के लिए आवेदन किया था और उसे भी नामंजूर कर दिया गया। उसे त्रिवेन्द्रम में अपने स्थायी आवास पर या बंगलौर में अस्थाई आवास ढूंढने की कोशिश की गई पर वहां भी नहीं पाया गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह अधिकारी अपने सरकारी पारपत्र से जिसका वीजा 120 दिन के लिए वैध था, अमेरिका चला गया होगा। कम्पनी के प्रेजिडेंट से, जिनके साथ करार किया गया था, इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री शंडास ने उनके यहां नौकरी चाही थी लेकिन उन्हें किसी तरह की नौकरी नहीं दी गई थी।

दानापुर छावनी बोर्ड में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और आदिवासी कर्मचारियों की संख्या

9910. **श्री कुंवर राम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दानापुर छावनी बोर्ड में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों और आदिवासी कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : दानापुर छावनी बोर्ड में कुल 177 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 123 अनुसूचित जातियों के हैं। हाल में, कोई आदिवासी नौकरी पर नहीं लगा है। छावनी बोर्ड में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कोई वर्गीकरण नहीं है।

वर्ष 1983-84 के दौरान आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

9911. **श्री बापू साहिब परुलेकर** :

प्रो० अजित कुमार साहा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयात लाइसेंसों को पहले जारी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 19..3-84 के दौरान ऐसे कितने लाइसेंस जारी किए गए और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गए;

(ग) क्या सरकार को इन लाइसेंसों के दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो इस किस्म के मामलों का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लाइसेंस धारकों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सभी आयात लाइसेंस आयातों से पहले जारी किए जाते हैं। तथापि, शायद प्रश्न का उद्देश्य पंजीकृत निर्यातकों को शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के तथा शुल्क छूट लाभ के बिना पहले जारी किए गए अग्रदाय लाइसेंसों के तथ्य जानने का है।

1983-84 (अक्तूबर 1983 तक) 1281 अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस जारी किए गए थे। जिन पार्टियों को ये लाइसेंस जारी किए गए थे उनके नाम आयात लाइसेन्स, निर्यात लाइसेन्स, तथा औद्योगिक लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन में मुद्रित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रानीखेत छावनी नगरपालिका क्षेत्र में असैनिक जनसंख्या के लिए अलग खेल का मैदान

9912. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि रानीखेत नगरपालिका क्षेत्र में असैनिकों के लिए कोई पृथक खेल का मैदान नहीं है और उन्हें सेना के मैदान की उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि एन० सी० सी० मैदान छावनी नगरपालिका के स्वामित्वाधीन था किन्तु सेना ने इसके चारों ओर बैठकें बना ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस नगर की असैनिक जनसंख्या की खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थाई रूप से खेल का एक मैदान छावनी नगरपालिका को देने अथवा खेल का नया मैदान बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां। रानीखेत छावनी में दो मैदान हैं जिनका नाम "राष्ट्रीय कैडेट कोर मैदान"; और "नरसिंह मैदान" है। पहले की भूमि 5·30 एकड़ है और दूसरे की 4·07 एकड़। "राष्ट्रीय कैडेट कोर मैदान" को श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह छावनी बोर्ड के अधिकार में है जबकि "नरसिंह मैदान" को श्रेणी "क" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह सीधे सेना प्राधिकारियों के नियंत्रण में है।

(ख) रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर द्वारा "रा० कै० कोर मैदान" के कुछ भाग का उपयोग प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है और इसमें 0.803 एकड़ भूमि में कार्यालय, रसोईघर और शौचालन बने हुए हैं।

(ग) सरकार "रा० कै० कोर मैदान" का कुछ भाग खेल-कूद सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

विदेशों से आयात की गई रुई की गांठों के भार की जांच

9913. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 170 किलोग्राम प्रतिगांठ के भार वाली सभी 11·61 लाख गांठों का लदान से पूर्व का वह कुल भार कितना है जिस पर कि मूल्य का भुगतान किया गया है और बिक्री के बाद सभी गांठों का कुल भार कितना था;

(ख) क्या उसमें कोई अन्तर रहा है वह कितने क्विंटल है और उसका मूल्य कितने रुपए है;

(ग) क्या उनका तोल करने वालों की निगरानी के लिए भारतीय रुई निगम के अधिकारी नियुक्त किए गए थे जिसके लिए निगम ने भुगतान किया;

(घ) क्या भारत में इन गांठों को प्राप्त करने के बाद इनके भार की कोई सरसरी जांच भी की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसे ही 97 करोड़ रुपए की हानि का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) लदान के समय 11·61 लाख गांठों (प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की) का कुल वजन, जिनके लिए शिपरों ने बीजक बनाए, 40.93 करोड़ पौंड है। गांठों की वास्तविक संख्या 9,09,897 गांठ है। उतरते समय के वजन के ब्यौरे भारतीय रुई निगम के पास सहज ही उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वजन में अन्तर के ब्यौरे, भारतीय रुई निगम के पास सहज ही उपलब्ध नहीं है। कीमत की दृष्टि से अन्तर इस प्रकार हैं :

(i) वजन में कमी के लिए किया गया दावा 2.60 करोड़ रु०;

(ii) वजन में बढ़ोतरी 1.04 करोड़ रु०।

(ग) संविदाओं की शर्तों के अनुसार उतराई बन्दरगाह पर आयातित गांठों का वजन, शिपरों द्वारा नियुक्त किए गए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकृत नियंत्रकों की उपस्थिति में गांठों के भारत में पहुंचने पर किया जाना था। वजन करते समय गांठों के क्लियरेंस के लिए भारतीय रुई निगम/क्रेता मिलों द्वारा नियुक्त किए गए एजेन्ट भी उपस्थित थे। विदेशी शियरों को अन्तिम भुगतान केवल उतरे हुए वजन के आधार पर किया जाना था और इसलिए निगम के किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई।

(घ) चूंकि गांठों का वजन, गन्तव्य बन्दरगाह पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकृत नियंत्रकों की उपस्थिति में किया गया था; अतः निगम द्वारा, गांठों के भारत पहुंचने पर उनके वजन की यों ही कोई जांच करने का प्रश्न नहीं था।

(ङ) जी, नहीं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा निविदा

9914. श्री बी० के० नायर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े हवाई अड्डों पर यात्रियों का सामान ढोने का कार्य सीधे हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा कराया जाता है अथवा ठेकेदारों के माध्यम से;

(ख) क्या निविदा दरों, सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में श्रमिकों की सहकारी समितियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है और क्या समय-समय पर इन पदों में संशोधन किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 1980 में एक गैर-सरकारी पार्टी नियुक्त की गई निविदा पर 1984 में विचार शुरू किया गया है;

(घ) इस हवाई अड्डे पर 1980 से 1984 तक यात्री यातायात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इस कार्य के लिए फिर से निविदा न मंगाने और निविदा की राशि में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों तथा अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों पर यात्री सामान का भारिक कार्य ठेकेदारों के जरिए किया जाता है। भारिक कार्य खुली निविदाओं के आधार पर दिया जाता है।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार सहकारी समितियों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है।

(ग) जी, नहीं। उच्चतम निविदाकर्ता मैसर्स क्लीनवैल को लाइसेंस देने का निर्णय वर्ष 1980 में किया गया था तथा इस पार्टी को इस बारे में जून, 1981 में सूचित किया गया था। केरल नागर विमानन सामान्य कामगार सहकारी समिति द्वारा दायर न्यायालय मामले के कारण, पिछला ठेकेदार मैसर्स क्लीनवैल 31 मार्च, 1984 तक यह कार्य आरम्भ नहीं कर सका।

(घ) वर्ष 1980 से वर्ष 1983 तक त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र पर यात्री यातायात में हुई वृद्धि इस प्रकार है :—

1980	1983
2,26,461	4,23,585

(ङ) त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र पर भारक लाइसेंस के लिए फिर से निविदाएं न मंगवाने का कारण यह है कि लाइसेंस देने का कार्य खुली निविदा के जरिए प्राप्त उच्चतम तथा वैध निविदा को स्वीकार करने के आधार पर किया गया था तथा केरल नागर विमानन सामान्य कामगार सहकारी समिति, जो दूसरी उच्चतम निविदाकर्ता थी, द्वारा इस निविदा को दिए जाने के विरुद्ध दायर मामले को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था तथा इसलिए नागर विमानन विभाग के पास उच्चतम निविदाकर्ता मैसर्स क्लीनवैल को लाइसेंस देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

भारतीय पटसन के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान

9915. **श्री नोरेन घोष** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के निदेश का उल्लघंन करते हुए भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों को दिनांक 1 अगस्त, 1981 से 28 फरवरी, 1982 तक की अवधि के अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) इस धनराशि को ब्याज की 19% दर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से उधार लेकर अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए भारतीय पटसन निगम पर ब्याज का कुल कितना दायित्व है;

(ग) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कदम उठाए गए हैं जो इस भारी लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को किया गया यह अवैध भुगतान इस सम्बन्ध में न्यायालय के विनिर्णय के बाद कर्मचारियों से अब 20 किस्तों में वसूल किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) भारतीय पटसन निगम लि० ने सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 23-3-82 के का० ज्ञा० सं० 13017/6/81-ई II (ख) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1-8-81, 1-10-81, 1-11-81 तथा 1-1-82 से प्रभावी महंगाई भत्ते की चार किस्तें रिलीज की गई थी। उपरोक्त आदेश में एक अनुबन्ध यह था कि 28-2-82 तक के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी और भविष्य निधि खाते में जमा की गई महंगाई भत्ते की बकाया राशि में से 31-3-1983 तक कोई वापसी अथवा अग्रिम भुगतान नहीं होगा। चूंकि भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते सरकार के माडल के अनुसार मिलते हैं, उपरोक्त अवधि के लिए सभी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता उपरोक्त आदेश के अनुसार रोक लिया गया था। रोके गए महंगाई भत्ते को रिलीज करने पर विचार करने के लिए भारतीय पटसन निगम अंशदायी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के बोर्ड की बैठक 14-4-1983 को हुई। चूंकि सरकार के ऊपर बताए गए आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि 31-3-83 के बाद रोके गए महंगाई भत्ते को रिलीज कर दिया जाए अथवा नहीं, ट्रस्टियों के बोर्ड ने रोके गए महंगाई

भत्ते को रिलीज करने का विनिश्चय किया और तदनुसार कर्मचारियों को लगभग 2.85 लाख रु० की कुल राशि रिलीज की गई। बाद में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 18-4-83 को यह विनिश्चय किया कि उपरोक्त अवधि के लिए महंगाई भत्ते की बकाया राशि को 1-4-83 से कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा खाते के सामान्य शेष में जोड़ दिया जाएगा, और सम्बन्धित भविष्य निधि नियमों के सामान्य उपबन्धों के अनुसार निकालने/अग्रिम भुगतान के लिए उपलब्ध होगा। इस आदेश के 25-5-83 को प्राप्त होने पर कर्मचारियों को रिलीज की गई महंगाई भत्ते की रोकी गई राशि को 10 किस्तों में वसूल करने का भारतीय पटसन निगम ने निर्णय लिया। तब भारतीय पटसन निगम के कुछ कर्मचारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सम्मुख एक याचिका दायर की और राशि को वसूल न लेने के सम्बन्ध में अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। बाद में दोनों पार्टियों की सुनवाई करने के बाद, न्यायालय ने आदेश जारी किए कि सम्बन्धित कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया जाए जिससे यदि कोई आपत्तियां हों तो, वे उन्हें दें, और उसके बाद रकम की वसूली के लिए प्रबन्ध को उचित निर्णय लेना चाहिए। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए, रोके गए महंगाई भत्ते को दस किस्तों में वसूल करने के प्रारम्भिक निर्णय में संशोधन किया गया और यह निश्चय किया गया कि दिसम्बर, 1983 से आरम्भ होकर रकम को 20 किस्तों में वसूल किया जाए। बाद में भारतीय पटसन निगम को पता चला कि भारतीय खाद्य निगम ने अपने कर्मचारियों को रोका गया महंगाई भत्ता रिलीज कर दिया है। तदनुसार, लोक उपक्रम ब्यूरो को परामर्श के लिए पत्र लिखा गया और उन्होंने 17-4-84 को स्पष्ट किया कि ऊपर बताए गए आदेश सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होते, और उन्हें भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों को रोकी गई राशि को रिलीज करने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए, और वसूली को रोकने तथा पहले वसूल की गई राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों को रिलीज करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

14-4-83 से 25-4-84 तक की अवधि के लिए 16.5% की दर से भारतीय पटसन निगम के नकद ऋण खाते से रकम निकाल कर अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए भारतीय पटसन निगम पर ब्याज की कुल देनदारी लगभग 0.48 लाख रु० आती है।

लोक उपक्रम ब्यूरो से अब जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 14-4-83 को भारतीय पटसन निगम अंशदायी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय सही था। इसलिए इस मामले में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेना मुख्यालय और मंत्रालय में लम्बित अनिर्णित याचिकायें और अभ्यावेदन

9916. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना अधिनियम तथा रक्षा सेवा विनियमों के अन्तर्गत सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय को दी गई याचिकाओं और अभ्यावेदनों पर उनके द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब किए जाने के कारण अनेक सैनिक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा कितनी याचिकायें तथा अभ्यावेदन आज तक लम्बित हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) इस समय सेना कार्मिकों के लिए नियमों तथा अधिनियमों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके अन्तर्गत वे अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए याचिका/अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं।

शिकायतों/याचिकाओं पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसके लिए निम्न विरचनाओं आदि से टिप्पणियां मंगाना आवश्यक होता है। कुछ मामलों में विधि मंत्रालय की सलाह भी ली जाती है। इन प्रशासनिक कठिनाइयों के अन्तर्गत इस बात का हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि याचिकाओं को समुचित समय के भीतर निपटाए जाए। अभी तक याचिकाओं के निपटान में विलम्ब करने के कारण न्याय न मिलने का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

सांविधिक अपीलों और अभ्यावेदनों के बारे में सूचना एकत्र की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी रूप से सेकिन्डिड सर्विस अधिकारियों का युद्ध के प्रति उत्तरदायित्व

9917. **श्री अजय विश्वास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय में स्थाई रूप से सेकिन्डिड सर्विस अधिकारियों का युद्ध के प्रति वही उत्तरदायित्व है जो कि रिजर्व सूची में भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों का होता है;

(ख) क्या निरीक्षण महानिदेशालय में स्थाई रूप से सेकिण्डिड सर्विस अधिकारियों को नियमित सेना में कार्यरत सैनिक अधिकारियों के समान राशन, आवास और अन्य "पर्क" मिलते हैं जबकि रिजर्व सूची में असैनिक अधिकारियों को ये "पर्क" नहीं मिलते;

(ग) निरीक्षण महानिदेशालय में स्थाई रूप से सेकिन्डिड अधिकारियों को इतनी तरजीह तथा ऐसी सुविधाएं देने के क्या कारण हैं जो सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों या उसी संगठन में साथ-साथ काम कर रहे सिविलियन अधिकारियों को उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या इस संगठन में अधिकारियों के एक वर्ग को इस प्रकार की तरजीह देने से सिविलियन अधिकारियों में रोष व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी रूप से उपनियुक्त सेना अफसरों पर उनके

अपने-अपने सेवा अधिनियम लागू होते हैं और इसलिए वे उन्हीं सेवा शर्तों के लाभ पाने के हकदार हैं जो नियमित सेना के अफसरों को प्राप्त हैं। अतः उनका सेवा शर्तों की तुलना निरीक्षण महानिदेशालय में सिविलियन अफसरों अथवा सेना निवृत्त सेना अफसरों से नहीं की जा सकती।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान दिल्ली के महिला कर्मचारियों का स्थानान्तरण

9918. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिमी कमान की कुछ महिला कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या महिला लिपिकों के इस प्रकार के स्थानान्तरण विशेष कर जिनकी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं पर सामान्यतः जोर नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित स्थानान्तरण के मामलों में भी उनकी वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हालांकि महिला कर्मचारियों को स्थानान्तरण में छूट नहीं दी जाती है लेकिन उनकी वास्तविक कठिनाइयों पर उचित विचार किया जाता है और उनकी पसंद के स्टेशनों पर उन्हें बनाए रखने अथवा स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित उनके अनुरोधों को प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य समझे जाने पर स्वीकार कर लिया जाता है।

न्यू बैंक आफ इण्डिया में पदोन्नति सम्बन्धी नीति

9919. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू बैंक आफ इण्डिया में मुख्य कार्यालय के अधिकारियों, जिला मुख्यालयों के अधिकारियों और क्षेत्र अधिकारियों के लिए पृथक-पृथक वरीयता रखने से पदोन्नतियों में व्यापक भेदभाव पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यू बैंक आफ इण्डिया के मुख्य कार्यालय और जिला मुख्यालयों में कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति मिल गई है जबकि सेवा की समान अवधि होते हुए भी क्षेत्र में पदोन्नति नहीं मिली;

(ग) यदि हां, तो ऐसी विषमताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) न्यू बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि प्रधान कार्यालय जिला मुख्यालय और क्षेत्रीय अधिकारियों की अलग से कोई वरीयता सूची नहीं है और सभी अधिकारियों का स्केल-वार एक ही वरीयता क्रम है ।

(ख) न्यू बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि प्रधान कार्यालय और जिला मुख्यालय के अधिकारियों की पदोन्नति हो गई है जबकि उसी स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी उससे वंचित रह गए हैं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

कोलाबा, बम्बई में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

9920. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलाबा, बम्बई में रक्षा विभाग की सरकारी भूमि पर गैर-सरकारी भवन निर्माताओं द्वारा हाल ही में अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा हथियाई गई इस भूमि को नियमित कर दिया गया है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी पार्टियों को की गइ इस बिक्री के विरुद्ध कोई शिकायत की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम का तीसरे देश के साथ व्यापार

9921. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री बी० बी० देसाई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बड़े नीति परिवर्तन में यह निर्णय किया है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम को तीसरे देश के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या निगम का मुख्य जोर गैर-सरणीकृत मदों के क्षेत्र में होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) एम० एम० टी० सी० ने तृतीय देश व्यापार के लिए प्रस्ताव रखा है परन्तु अभी तक निगम को नीति निर्देश नहीं दिया गया है ।

मेसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड द्वारा चाय की जमाखोरी

9922. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड के पास 30 जून, 1983 को चाय का 14,000 टन का भण्डार था;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड द्वारा चाय की जमाखोरी से बाजार में चाय के उपभोक्ता मूल्य में सीधे 30-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चाय पैकेट के उपभोक्ता मूल्य पर बहुराष्ट्रों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए चाय के पैकेटों पर मूल्य नियंत्रण लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) मै० ब्रुक बांड इण्डिया लि० से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जून 1983 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के पास विशुद्ध चाय, सम्मिश्रित चाय तथा पैकेज चाय, जिसमें 14325 मै० टन निर्यात के लिए चाय भी शामिल है, के रूप में जो अन्तिम स्टाक था वह जून 1982 के स्टाक से कम था। कम्पनी अपनी अधिकांश पैकेट चाय सीधे खुदरा विक्रेताओं को बेचती है तथा अपने कारखानों तथा वितरण गोदामों सहित सम्पूर्ण देश में 1300 से अधिक बिक्री डिपों में स्टाक पहुंचाती है। ऊपर बताए गए स्टाक स्तर सामान्य कार्य स्टाकों को दर्शाते हैं जोकि कम्पनी के 2 महीनों की बिक्रियों के बराबर हैं। घोषित स्टाकों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मै० ब्रुक बॉड इण्डिया लि० द्वारा जमाखोरी का कोई प्रयास किया गया था।

(ग) सरकार का चाय के पैकेटों पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के ऋण हेतु आवेदन को अस्वीकृत करना

9923. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोलाघाट बिजली संयंत्र हेतु 160 करोड़ रुपए के ऋण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आवेदन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि इस बीच उक्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे अस्वीकृत किए जाने के आधार क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) को पश्चिमी बंगाल सरकार से कोलाघाट बिजली संयंत्र के लिए 160 करोड़ रुपए के ऋण के वास्ते अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

सिहोर जिले में बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

9924. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं ने पिछले चार वर्षों के दौरान कृषि लघु सिचाई समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा लघु क्षेत्र उद्योग को वित्त प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) डी० एल० सी० सी० द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न शाखाओं के लिए क्या लक्ष्य नियत किए गए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना और समेकन प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । फिर भी 1980 से 1982 तक मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में सभी बैंकों के जिला ऋण आयोजना परिव्ययों और उपलब्धियों से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपए)

समय	कृषि	लघुउद्योग	सेवाएं	कुल
1980-82				
परिव्यय	1347.53	123.08	116.92	1587.53
उपलब्धि	758.50	26.50	122.21	907.21

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले

9925. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए सतर्कता के मामलों की स्थिति क्या है और कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं और उनके निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन मामलों में कितने कार्यकारी और कितने गैर-कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं तथा सिद्ध हो चुके अपराधिक मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(घ) प्रत्येक मामले में हुए अपराध और दिए गए दंड का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों (1-1-81 से 31-12-83) के दौरान आई० टी० डी० सी० के कर्मचारियों के विरुद्ध 211 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 120 कार्यकारी और 454 गैर-कार्यकारी अधिकारी शासिल थे। निगम में सतर्कता का कोई भी मामला जांच के लिए तीन वर्ष से अधिक से अवधि से लम्बित नहीं पड़ा है। आई० टी० डी० सी० से 14 मामलों में कार्यवाही की है। 23 मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(घ) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रमांक	पदनाम/एकक	आरोप	दण्ड
1	2	3	4
1.	हैल्पर, अशोक यात्री निवास	कैश मीमोज के मैनूप्लेशन से सम्बन्धित आरोप	सेवा समाप्त कर दी गई।
2.	उप मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक, मुख्यालय	यात्रा अवकाश रियायत की राशि का देयता से अधिक आहरण करने सम्बन्धी आरोप	अधिक राशि जमा करा दी गई तथा चेतावनी दी गई।
3.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (टेलीफोन्स) अशोक होटल, नई दिल्ली	यात्रा अवकाश रियायत की राशि के जाली आहरण का आरोप	क्लेम की गई राशि लौटा दी गई है तथा चेतावनी दी गई है।
4.	इन्चार्ज बेकरी अशोक होटल, नई दिल्ली	—वही—	—वही—
5.	शेफ ग्रेड-I, अशोक होटल	—वही—	—वही—
6.	शेफ, अशोक होटल	—वही—	—वही—
7.	सहायक प्रबन्धक (बिल्स) अशोक होटल, नई दिल्ली	—वही—	—वही—

1	2	3	4
8.	वरिष्ठ सेल्ज एसिसटैंट, शुल्क मुक्त दुकान, बम्बई	वस्तुओं की जाली बिक्री	सहायक समाहर्ता द्वारा जुर्माना किया गया राशि जमा कराने के बाद समाहर्ता कस्टम, बम्बई को अपील फाइल की गई।
9.	उप-प्रधान प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक (टेलीफोन्स) अकबर होटल	वैध गेट-पास के बिना अकबर होटल से टेलीफोन उपस्कर ले जाने का आरोप	परिनिन्दा की गई।
10.	प्रबन्धक, हसन होटल	कदाचार का आरोप	एडवाइजरी नोट दिया गया।

केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल से एकत्रित किया गया शुल्क

9926. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल से आयकर उत्पादन शुल्क, निगम शुल्क तथा अन्य स्रोतों के रूप में एकत्रित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शुल्क एकत्रित करने तथा धन वितरण करने की नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) विवरण 1 तथा 2 संलग्न हैं जिसमें क्रमशः यह दर्शाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल से आयकर, उत्पादन शुल्क इत्यादि के रूप में कितनी रकम वसूल की है तथा कितनी रकम केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान उस राज्य को दी है।

(ग) केन्द्रीय करों की उगाही तथा वितरण को संविधान के वित्त अध्याय I, भाग XII में विभिन्न उपबन्धों तथा उत्तरोत्तर वित्त आयोगों की सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का वितरण योजना आयोग द्वारा किया जाता है तथा नैसर्गिक विपत्तियों के संबंध में राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता उत्तरोत्तर वित्त आयोगों की सिफारिशों से निर्धारित की जाती है।

विवरण—1

वर्ष 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल से सरकार ने आयकर, उत्पादन शुल्क आदि के रूप में जितनी रकम वसूल की, उसके ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

	(करोड़ रु० में)
1. आयकर	121.80
2. निगम कर	371.20
3. ब्याज कर	14.41
4. धन कर	8.12
5. दान कर	0.67
6. सम्पदा शुल्क	2.02
7. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (फरवरी तक)	696.01*

विशेष ध्यान दीजिए : सभी आंकड़े अनतिम हैं ।

*इसमें सिक्किम राज्य तथा अण्डमान और निकोबर द्वीप समूह संघ शासित प्रदेशों से सम्बन्धित आंकड़े भी शामिल हैं ।

विवरण—2

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल को जितने हिस्सों में करों आदि को अदा किया गया उसको दर्शाने वाला विवरण-पत्र :

	(करोड़ रु० में)
1. आयकर	93.94
2. मूल उत्पादन शुल्क	275.90
3. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	58.35
4. सम्पदा शुल्क	5.73

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल को दी गई अन्य सहायता :

	(करोड़ रु० में)
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	147.41
2. राज्य योजना में विदेश से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सहायता	22.50

3. पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	(करोड़ रु० में) 6.38
4. सूखे से राहत के लिए अग्रिम योजना सहायता	16.83
5. ओवरड्राफ्ट समस्या से निपटने के लिए विशेष मध्यावधि गैर योजना ऋण	73.72
6. असम शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के लिए	0.91
7. रेलवे यात्री किराए पर कर के स्थान पर अनुदान	2.00
8. कृषि सम्पति पर धन कर के कारण सहायता अनुदान	0.34
9. प्रशासन के स्तरों को बढ़ाने के लिए सहायता अनुदान	2.02

सहायक आयकर आयुक्त के कार्यालय को फैजाबाद से गोरखपुर ले जाना

9927. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय मार्च, 1983 में फैजाबाद से गोरखपुर ले जाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय को यहां से ले जाने से और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 31 मार्च, 1983 से आज तक आयकर की कोई अपील नहीं सुनी गई है;

(घ) क्या यह सच है कि फैजाबाद के लोगों ने इसके विरुद्ध अपना असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां। 1 अप्रैल, 1983 से फैजाबाद के आयकर परिमण्डलों की अपीलों पर क्षेत्राधिकार को फैजाबाद से बदलकर गोरखपुर किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। फैजाबाद परिमण्डलों की 90 अपीलें सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थीं तथा जनवरी और फरवरी, 1984 के महीनों में 15 अपीलों की वास्तव में सुनवाई की गई।

(घ) अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार को फैजाबाद से बदल कर गोरखपुर करने के खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने अभ्यावेदन दिए हैं ।

(ङ) फैजाबाद के आयकर परिमण्डलों में इतना कार्य नहीं होता जिसे एक अपीलीय सहायक आयुक्त को महीने के अधिकांश समय तक व्यस्त रखा जा सके । फैजाबाद में अपीलीय सहायक आयुक्त का कार्यालय रखना समीचीन नहीं है । 1 मई, 1984 से फैजाबाद के आयकर परिमण्डलों से अपीलों पर क्षेत्राधिकार, अपीलीय सहायक आयुक्त, गोरखपुर से बदलकर अपीलीय सहायक आयुक्त, इलाहाबाद कर दिया गया है । आयुक्त (प्रशासन) तथा आयुक्त (अपील) के प्रधान-कार्यालय भी इलाहाबाद में हैं । अपीलीय सहायक आयुक्त, इलाहाबाद, जिसका फैजाबाद के आयकर परिमण्डलों की अपीलों पर क्षेत्राधिकार है, को सलाह दी गई है कि वह फैजाबाद में ठहर कर फैजाबाद परिमण्डलों की अपीलों की सुनवाई करे । इसलिए, फैजाबाद के कर दाताओं को असुविधा नहीं होगी ।

बिहार के मुंगेर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

9928. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मुंगेर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं; और

(ख) (एक) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (दो) स्व: नियोजन के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने (तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (चार) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पांच) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (छः) प्राथमिक और ग्रामीण बाजारों के लिए सुविधाएं (सात) गोदामों के निर्माण (आठ) ग्रामीण विकास के बारे में प्रौद्योगिकी का स्थानातरण और ज्ञान के प्रसार के योजनाओं के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना और आंकड़ा समेकन प्रणाली से जिस प्रकार खण्डवार सूचना मांगी गई है वैसी सूचना प्राप्त नहीं होती । दिसम्बर, 1983 के अन्त में उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार के जिला मुंगेर में वाणिज्यिक बैंकों की 122 शाखाएं कार्यरत थीं । मुंगेर जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की राशि मार्च 1982 के अन्त में 16.25 करोड़ रुपए से बढ़ कर मार्च 1983 में 18.07 करोड़ रुपए हो गई ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पार्टियों के विरुद्ध दायर मुकदमें

9929. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा गत दो वर्षों (1982-83) के दौरान, पार्टियों और

कम्पनियों के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किए गए हैं जिनकी ओर दावे की राशि 20 लाख अथवा उससे अधिक है;

(ख) दायर किए गए मुकदमों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इन मुकदमों/वसूली के अवसरों की क्या स्थिति है;

(घ) क्या इस प्रकार किसी राशि को बिना वसूल किया जाने वाला अथवा बट्टे खाते में डालने योग्य धन माना गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय आभूषणों और जवाहरात को विदेशों में लोकप्रिय बनाना

9930. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय आभूषणों और जवाहरात को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए हैं;

(ख) क्या इनको कुछ देशों में प्रदर्शित करने के प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार सोने के आभूषणों के निर्यात पर कुछ सीमा शुल्क राहत भी देना चाहेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित कीं :—

1981-82 संयुक्त अरब अमिरात तथा कुवैत में

1982–83 संयुक्त अरब अमिरात तथा कुवैत में

1983-84 संयुक्त अरब अमिरात, कुवैत म्यूनिख (प० जर्मनी) तथा कतार में ।

(ग) सोने के आभूषणों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है और प्रतिपूर्ति के रूप में आयात किए गए सोने पर कोई आयात शुल्क नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हवाई अड्डों पर प्रयोग में लाने के लिए भार तोलन मशीनों का आयात

9931. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्रीमती प्रमिला दडंवते :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 मार्च, 1984 के "इकानोमिक टाइम्स" में "एक्सचेंज ड्रेन लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा खर्च करके भारतोलन मशीनों के आयात करने के क्या कारण हैं जबकि स्वदेशी भारतोलन मशीनें उपलब्ध हैं और देश के अनेक हवाई अड्डों पर बिना किसी खराबी के ठीक कार्य कर रही हैं;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और कितनी मशीनों की आवश्यकता है और उन्हें कौन से स्टेशनों पर लगाया जाएगा;

(घ) आयातित मशीन और स्वदेशी मशीन के मूल्य में कितना अन्तर है; और

(ङ) क्या यह वाणिज्य मंत्रालय की सहमति से किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतोलन की ये मशीनें जांच-काउंटरों तथा वाहक-पद्धतियों का अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार की संघटित भारतोलन मशीनें देश में उपलब्ध नहीं हैं । हवाई अड्डों पर मौजूदा प्रतिष्ठानों पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दिल्ली में 52 तथा बम्बई में 42 भारतोलन पैमाने लगाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक भारतोलन पैमाने की कीमत लगभग 1350 पौंड है ।

(घ) चूंकि एक विशेष किस्म की भारतोलन मशीनें देश में उपलब्ध नहीं हैं, अत: कीमतों की कोई तुलना नहीं की जा सकती ।

(ङ) जी, हां ।

स्टोर-कीपिंग स्टाफ की सेवा अवधि

9933. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की प्रत्येक सेना कोर में स्टोर-कीपिंग कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) स्टोर-कीपर, सीनियर स्टोर-कीपर, स्टोर सुपरिंटेंडेंट और सीनियर स्टोर सुपरिंटेंडेंट का अनुपात कितना है;

(ग) आयुध निदेशालय के अधीन प्रत्येक डिपो में सिविलियन आर्डनेंस अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सुरक्षा अधिकारियों की तरह इन अधिकारियों की भी सेवा अवधि निर्धारित होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो सेवा अवधि कब तक निर्धारित और लागू की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

हनोवर मेले में की गई निर्यात पूछताछ और दिखाई गई प्रतिक्रिया

9934. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में आयोजित किए गए हनोवर मेले, जिसमें भारत ने भारी पैमाने पर भाग लिया था कि निर्यात पूछताछ संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने, निर्माण सुविधाओं को स्थापित करने, स्थल पर क्रय आदेश में दिखाई गई प्रतिक्रिया, तथा विदेशी फर्मों तथा क्रेताओं द्वारा दिखाई गई रुचि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मेले में 20 करोड़ रु० के निर्यात आर्डरों को अन्तिम रूप दिया गया तथा लगभग 30 करोड़ रु० के व्यापार के बारे में बातचीत चल रही है । कवर की गई मदों में शामिल हैं : जीपें, स्विच गियर्स, इलैक्ट्रानिक कन्ट्रोल्स, प्रासैस इक्विपमैंट, ओसिलियोस्कोप्स, रिले फ्यूजिज, हार्डनेस टैस्टर्स, सिलिन्डर, वैल्डिंग कन्ज्यूमेबल्स, सेमि-कन्डक्टर, बाईसिकल प्रोडक्ट्स, एब्रैसिव, पम्प, कन्स्लटैन्सी, पावर लाइन एसैसरी, जनेरेटर, इलैक्ट्रिक कन्ट्रैक्टिंग इन्सुलेटर, अर्थ मूविंग इक्विपमैंट, कार, पाइप तथा टूल, कन्सट्रक्शन इक्विपमैंट, बाल तथा रोलर बियरिंग एवं टूल, मोटर हैंडटूल, पंखे, वायर नेल मेकिंग मशीनरी, लाइटिंग, क्रेन पार्टस तथा होयस्ट पार्टस, विभिन्न प्रकार के पम्प, मशीनरी औजार, डूप्लिकेटिंग इंक, अतिरिक्त पुर्जे, डूप्लिकेटर, पेपर शीडर्स, कंप्रैसर्स, फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमैंट, लघु क्षेत्र की इंजीनियरी मदें, आदि ।

इसके अतिरिक्त, मेले में भाग लेने वाली भारतीय कम्पनियों ने निम्नोक्त सहयोग प्रस्ताव प्राप्त किए हैं :—

सऊदी अरब तथा इराक में संयंत्र तथा पाइप लाइन परियोजना के लिए ।

भारत में संयुक्त उत्पादन तथा तीसरे देशों को इनका निर्यात; स्टेज इक्विपमैंट, रेल डिब्बों के पहिए, क्रेनें तथा अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण, एफ० एल० पी० बैटरी लोको, रेल माऊन्टिड क्रेनें तथा डिजल इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव ।

फ्रांस के साथ प्रशीतित माल के इन्सुलेशन से सम्बन्धित माल के लिए।

डेनमार्क के साथ ऊर्जा प्रणालियों के लिए परामर्शी सेवा के लिए।

भारत में यू०एस०ए० सोलेरेक्स के साथ सिल्कोन क्रिस्टल फोटोवोलेटिक सिस्टम के लिए।

तुर्की में चाक संयंत्र के लिए जर्मन संघीय गणराज्य के साथ टर्नकी परियोजना।

ईरान तथा नाईजीरिया में सोडियम संयंत्र की स्थापना के लिए।

जांबिया में सिमेंट ब्लाक तथा रैड ब्रिक प्लांट के लिए।

नीदरलैंड में वाटर ट्रीटमैंट प्लांट के लिए।

इटली में केनाल लाइनिंग के लिए प्लास्टिक की शीटों के विशेष प्रकार के लिए।

हंगरी में हाइड्रोलिक पम्पों, सिलिंडरों तथा वाल्वों के लिए।

स्वीडन के लिए रेल पटरी सामग्री के लिए।

फ्रांस को इन्सर्शन मशीनों के लिए।

जर्मन संघीय गणराज्य को बिजली की मोटरें तथा औद्योगिक पंखों तथा सीमलैस ट्यूबों के लिए और स० रा० अमरीका को हौट रोल्ड कोल्ड शीट्स प्लेटों के लिए।

क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आवेदन पत्र की तारीख को निर्धारित शैक्षिक योग्यता

9935. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड (स्टेट बैंक ग्रुप) नई दिल्ली द्वारा आवेदन की तिथि को शैक्षिक योग्यता निर्धारित की है जबकि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) द्वारा इस प्रकार की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग अधीनस्थ कर्मचारी चयन अयोग जैसी भर्ती करने वाली अन्य एजेंसियों, की भांति नीति का अनुसरण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी के बारे में जो निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, बैंकिंग भर्ती बोर्ड से अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (बी० एस० आर० बी० और भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय भर्तीय बोर्ड) आर० आर० बी०-एक समान नीति का

अनुसरण करते हैं अर्थात् उम्मीदवार ने आवेदन की तारीख को निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो ।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है । लेकिन इस सम्बन्ध में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों और लगने वाले समय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि उम्मीदवारों को आनन्तिम रूप से शामिल करना वांछनीय नहीं होगा । केन्द्रीय सरकार इस नीति में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

आयकर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों का वरिष्ठता क्रम निर्धारित करना

9936. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम दृष्टया यह सिद्ध किया गया है कि आय-कर विभाग, दिल्ली में उच्च श्रेणी लिपिकों की 1 सितम्बर, 1984 को वरिष्ठता क्रम का गलत निर्धारण हुआ है और जिनके बाद में संशोधन करके जून, 1981 में सही तौर पर सिफारिश किया गया है;

(ख) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) उच्च श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा मामला न्याय-निर्णयाधीन है ।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय एथलैटिक टीम के किट को बेचना

9937. **श्री अनवार अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एथलिटीकिय जिसने कुवैत में हुई एशियाई एथलैटिक चैम्पियनशिप में भाग लिया था, के किट को देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रयोग के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर प्राप्त किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार प्राप्त हुई, उपरोक्त किट को सीमा-शुल्क अधिकारियों के केन्द्रीय सीमा-शुल्क भवन में अपनी परचून की दुकान पर बेच दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त किट को बेचने के क्या कारण हैं जबकि यह किट अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए था और न कि आम आदमियों के लिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) पालम हवाई अड्डे पर 11 नवम्बर, 1983 को एअर इण्डिया उड़ान सं० 808 से कोई श्री उमराव सिंह उतरे थे और उन्होंने 8 पैकेटों के सम्बन्ध में यह कहकर एक अवतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था कि उन पैकेटों में

भारतीय खिलाड़ी दल की वर्दी है। ये आठ पैकेट 15 दिसम्बर, 1983 को एअर इण्डिया उड़ान सं० 804 से अव्यवस्थित ढंग से रखे गए सामान के रूप में प्राप्त हुए थे। विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह सामान देश के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए था।

(ख) अव्यवस्थित ढंग से रखे गए सामान के रूप में प्राप्त इन आठ पैकेटों में से, दो पैकेट क्षतिग्रस्त हालत में पाए गए थे और चूंकि 15 दिसम्बर, 1983 से 2 मार्च, 1984 तक न तो श्री उमराव सिंह और न ही उनका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा एमेचर एथलेटिक फेडरेशन आफ इण्डिया का कोई प्रतिनिधि, पालम सीमाशुल्क से माल की निकासी करवाने आया था, इसलिए उन दोनों क्षतिग्रस्त पैकेटों को निपटान हेतु 2 मार्च, 1984 को सीमाशुल्क गृह में भेज दिया गया था। उन दोनों पैकेटों में पाया गया माल खुदरा बिक्री की दुकान को निपटान हेतु 8 मार्च, 1984 को अन्तरित कर दिया गया था। अब अधिकांश माल का निपटान हो चुका है। शेष छः पैकेटों की निकासी शुल्क की अदायगी पर 31-3-1984 को की जा चुकी है।

(ग) उक्त माल का निपटान मौजूदा हिदायतों के अनुसार सामान्य तरीके से किया गया है।

चीनी के निर्यात के लिए ठेके

9938. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के निर्यात के ठेकों के बारे में मैसर्ज नोगा जनैवा के साथ किया गया समझौता प्रभावी हो गया था;

(ख) यदि हां, तो यह विवाद कितनी चीनी के बारे में था मामले के तथ्य क्या हैं और यह कितने रुपए मूल्य की चीनी का मामला था;

(ग) विवाद पैदा हो जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस बारे में हुए समझौते के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) मै० नोगा, जनेवा के साथ विवाद 13,419 मे० टन चीनी के बारे में था। 1974-75 में, मै० नोगा, जनेवा को 158.87 करोड़ रु० मूल्य की 2.84 लाख मै० टन की मात्रा बेची गई। चीनी की उपरोक्त मात्रा में से कम्पनी ने लगभग 2,21,100 मै० टन का उठान किया और शेष मात्रा 62,900 मै० टन रह गई। तथापि, कम्पनी ने 37.14 करोड़ रु० मूल्य के 59,150 मै० टन का उठान करने का वचन दिया। उपरोक्त चूक के विषय में नोगा के साथ जुलाई, 1975 में

किए गए समझौते के अन्तर्गत, उन्होंने 21.21 करोड़ रु० मूल्य की 45,731 मे० टन मात्रा का उठान किया।

(ग) विवाद तब खड़ा हुआ जबकि समझौते से अनुसार 13,419 मे० टन० की शेष मात्रा का उठान करने में उन्होंने चूक की।

(घ) किए गए समझौते के अनुसार, मै० नोगा की उपरोक्त चूक को देखते हुए, राज्य व्यापार निगम के 24,25,901.75 अमरीकी डालर दावे का भुगतान करना था।

(ङ) मै० नोगा से 24,25,901.75 अमरीकी डालर की राशि वसूल की गई है।

मद्रास में लगातार पिछले 10 वर्षों से कार्यरत प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अधिकारी

9939. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर बोर्ड को यह शक्तियां प्रदान की है कि यह उसके स्वविवेक पर निर्भर है कि वह किसी अधिकारी को अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेशों में छूट देकर एक ही स्थान पर 10 से 13 वर्षों तक लगातार कार्य करते रहने दे सकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो बोर्ड के मद्रास कार्यालय में लगातार दस अथवा उससे अधिक वर्षों से कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जिनमें कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गयी है, जिसके बाद किसी अधिकारी को एक अधिकार क्षेत्र/स्थान से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है। फिर भी, विशिष्ट मामलों में अधिकारियों को जनहित में उसी स्थान पर रोका जा सकता है/वे वहीं पर बने रह सकते हैं, यद्यपि, यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही पद पर बने रहें।

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक का वितरण कार्यक्रम

9940. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1984-85 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी धनराशि वितरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) उपरोक्त वर्ष में किस काम के लिए उक्त धनराशि का ऋण देने का प्रस्ताव है; और

(ग) उड़ीसा में उक्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के वितरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा

कैलेन्डर वर्ष 19"4 के दौरान वितरित की जाने वाली प्रस्तावित राशि का प्रयोजन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(राशि लाख रुपए)

प्रयोजन	वितरित की जाने वाली राशि
वाणिज्यिक तथा संस्थागत	900
खाद्य-भिन्न ऋण	
लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, शिल्पकार आदि	1153
सेवाएं और लघु व्यवसाय	906
कृषि	4228
वैयक्तिक ऋण	
(क) कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋणों सहित आवास ऋण	375
(ख) अन्य उपभोग ऋण	750
कुल	8312

इसके अलावा बैंक उड़ीसा सरकार और भारतीय खाद्य निगम की जरूरतों के अनुसार खाद्य ऋण भी देगा।

जैसलमेर और बीकानेर को विमान सेवा से जोड़ना

9941. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वायुदूत सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में राजस्थान के सीमान्त शहरों जैसलमेर और बीकानेर को विमान सेवा से जोड़ने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सामाजिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन सीमान्त जिलों को वायुदूत सेवा से निश्चित रूप से किस तारीख तक जोड़ दिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसी निश्चित तारीख के, जब तक कि इन स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ दिया जाएगा, कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए जा सकते।

भारत पर्यटन विकास निगम के मद्रास स्थित परिवहन एकक द्वारा अर्जित लाभ

9942. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के मद्रास स्थित परिवहन एकक को कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या कोई हानि हुई थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के इस एकक को लाभप्रद बनानने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के मद्रास स्थित परिवहन एकक का लाभ-हानि लेखा इस प्रकार है : —

(लाख रुपए में)

वर्ष	लाभ/हानि
1981-82	(—) 2.43
1982-83	(—) 10.13
1983-84	(+) 1.85 (अनंतिम)

हानियों के प्रमुख कारण हैं-- राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा कम टैरिफ निश्चित करना, उच्च सड़क कर, पुराना बेड़ा होने की वजह से मरम्मत और रख-रखाव लागत का उच्चतर भार, वाहनों के सुचारू रूप से चलते रहने की अवधि 9 वर्ष से घटकर 6 वर्ष होने के परिणामस्वरूप उच्चतर मूल्यह्रास, आदि।

(ग) निगम द्वारा इस एकक को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) गैर-किफायती एम्बैसेडर कारों को धीरे-धीरे हटाना;

(2) मर्सिडीज बेज कारें और नए कोच लगाना;

(3) विपणन संबंधी प्रयासों को तेज करना; और

(4) प्रभावी लागत नियंत्रण, व्यय में किफायत, आदि।

एयर लाइन्स कर्मचारियों द्वारा तस्करी

9843. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों ने हवाई अड्डों पर वर्ष 1980 से मार्च, 1984 तक कितनी

बार तस्करी का माल पकड़ा और क्या एयरलाइन्स के कर्मचारी इस प्रकार की तस्करी में शामिल पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो एयर लाइन्स के कितने कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) देश में छः अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, त्रिवेन्द्रम और अमृतसर में 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 (फरवरी तक) के वर्षों में जिनके लिए आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं, नीचे दिया गया है :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	पकड़े गए तस्करी के सामान का मूल्य
1980	387.21
1981	585.62
1982	1209.46*
1983	889.76
1984 (फरवरी तक)	183.42*

(*ये आंकड़े अनन्तिम हैं)

सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करी की गतिविधियों में एअरलाइन्स के कुछ कर्मचारी भी सम्बद्ध हैं।

(ख) वर्ष 19९0 से 1984 (फरवरी तक) (जनके लिए आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं), विभिन्न एअरलाइन्स के 56 कर्मचारी तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए थे।

अन्तर्ग्रस्त माल को जब्त किए जाने तथा विभागीय न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही के तहत लगाए जाने वाले वैयक्तिक अर्थदण्ड के अलावा समुचित मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमें भी दायर किए जाते हैं। उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन, ग्रस्त व्यक्तियों को नजरबन्द भी किया जाता है।

चालू योजना अवधि के दौरान पर्यटक स्थलों का विकास

9944. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू योजना अवधि के दौरान पर्यटक स्थलों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पर्यटक सुविधाओं का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। चालू योजना अवधि के दौरान विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से देश के विभिन्न भागों में आधारिक-संरचना संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाएं हैं; यथा :—

(1) वन गृहों, युवा होस्टलों, पर्यटक गांवों, धर्मशालाओं (समाज के कमजोर वर्ग के लिए) का निर्माण, महत्वपूर्ण स्मारकों पर प्रदीप्तिकरण, क्रीड़ा अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में मिनी बसों एवं हाथियों की व्यवस्था, मेले और त्यौहारों का संवर्धन, आदि।

(2) फतहपुर सीकरी, श्रावस्ती, कुशीनगर, और ब्रजभूमि का राष्ट्रीय विरासत केन्द्रों के रूप में संरक्षण एवं योजनाबद्ध विकास के लिए अनेक मास्टर प्लानें/लैण्ड यूज प्लानें और माइक्रो प्लानें तैयार करना।

(3) विभाग ने राज्य सरकारों के परामर्श से 61 यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं जिनके अन्तर्गत 441 केन्द्र आते हैं जहां केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों से अवस्थानुसार रूप में पर्यटन आधारिक संरचना का विकास किया जाएगा।

(4) भारत पर्यटन विकास निगम ने भी पर्यटक आकर्षणों के प्रमुख स्थानों पर अनेक होटलों का निर्माण किया है, परिवहन एकक स्थापित किए हैं और हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें खोली हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के पास विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में तीन स्टार होटलों का निर्माण करने के प्रस्ताव भी हैं।

प्राइवेट सेक्टर द्वारा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए होटल और परिवहन क्षमता में वृद्धि की गई है।

जल सप्लाई और स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से प्राप्त कुल ऋण

9945. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जल सप्लाई और स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कुल कितना ऋण मिला है और कितना ऋण मिलना है; और

(ख) उपरोक्त ऋण में से किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) 1983-84 में तीसरी कलकत्ता शहरी

विकास परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 1470 लाख डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए जल शोधन संयंत्रों का निर्माण, मौजूदा जल शोधन संयंत्रों का सुधार और विस्तार तथा मौजूदा जलमल निकासी केन्द्रों (पम्पिंग स्टेशनों) का सुधार भी शामिल है ।

1984-85 में, अब तक जल सप्लाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी सहायता करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं ।

"पाम्सटियरिन" का आयात

9946. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री मनोहर लाल सैनी :

श्री भीम सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने देश में साबुन निर्माताओं द्वारा चर्बी के स्थान पर उपयोग के लिए "पाम्सटियरिन" का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1984 तक देश में कुल कितनी मात्रा में "पाम्सटियरिन" का आयात किया गया है;

(ग) अब देश में खपत के लिए कुल कितनी मात्रा में उक्त सामग्री की आवश्यकता थी; और

(घ) देश में उन साबुन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्हें यह सामग्री सप्लाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए प्रोत्साहन

9947. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को रक्षा उपकरण खरीदने के मामले में उदार, प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन देने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा रक्षा में उपयोग के लिए किन मुख्य उपकरणों का निर्माण किया गया;

(ग) निर्माण वस्तुओं के मुख्य निर्माता कौन हैं, इस क्षेत्र में प्रमुख दस अग्रणी निर्माताओं को कितने मूल्य का आर्डर दिया गया; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में बेरोजगार स्नातकों/पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) सिविल क्षेत्र के उद्योगों (निजी क्षेत्र जिनका एक भाग) को कई तरह की प्रोत्साहन सहायता के माध्यम से पहले ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप होता है।

(ख) प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने के समय से कई हजार मदों का निर्माण हुआ है। तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों (निजी क्षेत्रों समेत) द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख मदें नीचे दी जा रही हैं :—

1. पनडुब्बियों की बैटरियां।
2. फ्यूज।
3. डीजल जनरेटिंग सेट।
4. लोचदार फैबरिक रिवटमेंट्।
5. बमों के खोल और गोलों के फोरजिंग।
6. विमानों के टायर।
7. लीड एसिड और अलकालाइन दोनों बैटरियां।
8. टैरीकाट आकिव ग्रीन कपड़ा।
9. युद्धक वस्त्र अलग-अलग भागों से।
10. आयल मिनरल हाइड्रालिक बफर।
11. टैंकों के पुर्जे।
12. वाहनों के पुर्जे।

(ग) इन मदों के मुख्य निर्माता सिविल सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां मझोले उद्योग और लघु उद्योग हैं। इस बारे में पूछे गए आंकड़ों का संकलन करने में बहुत श्रम और समय लगेगा क्योंकि इसके लिए पन्द्रह वर्ष से अधिक समय के रिकार्ड की छानबीन करनी होगी।

(घ) फर्मों के पास उपलब्ध सुविधाओं और विशेज्ञता के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उन्हें विशिष्ट समूह की मदों के निर्माण के लिए स्वीकृत सूची में रखा जाता है। बेरोजगार स्नातकों/पिछड़े क्षेत्रो को औद्योगिक लाइसेंस देने का काम रक्षा मंत्रालन द्वारा नहीं किया जाता।

भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स डिवीजन की आय और व्यय

9948. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम में अक्तूबर, 1981 में अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स डिवीजन की स्थापना की थी;

(ख) अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स डिवीजन ने के परिवहन कार्यों के अलावा ट्रैवल एजेन्सी का कार्य कब से आरम्भ किया; और

(ग) अशोक ट्रैवल एण्ड टूअर्स डिवीजन को परिवहन कार्य से हुई आय को छोड़कर अक्तूबर, 1981 से आय और व्यय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगाम के विपणन प्रभाग के एक भाग के रूप में अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स (ए० टी० टी०) सेल ने अक्तूबर, 1981 में कार्य प्रारम्भ कर दिया था। मई 1983 में भारत पर्यटन विकास निगम के ए० टी० टी० सेल और परिवहन प्रभाग को को मिला दिया गया था और उन्हें अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स प्रभाग के रूप में पुनः नामित किया गया था। इसकी आय और व्यय (परिवहन व्यवसाय से प्राप्त आय को छोड़कर) इस प्रकार है :—

अवधि	आय	खर्च (लाख रुपयों में)
अक्तूबर 81 से मार्च 82	1. 9	2.00
1982-83	5.26	6.43
1983-84 (अनन्तिम)	15.20	12.95

आयकर का भुगतान करने वाली सरकारी कम्पनियां

9949. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 से 1982-83 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान, वर्षवार कितनी सरकारी कम्पनियां लाभ अर्जित कर रही थीं और आयकर का भुगतान कर रही थीं;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इन कम्पनियों द्वारा निगमित कर की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी कम्पनियों द्वारा चुकता किए गए कर और कुल निगमित कर का अनुपात क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों (जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी सम्मिलित हैं) पर कर लगाया गया था उनकी संख्या क्रमश: 661 और 671 थी ।

(ख) इन कंपनियों द्वारा 1981-82 और 1982-83 के दौरान अदा किया गया निगमित कर क्रमश: 1190.59 करोड़ रुपए और 1153.68 करोड़ रुपए था ।

(ग) इन कंपनियों द्वारा 1981-82 और 1982-83 में वसूले गए कुल निगमित कर के संदर्भ में अदा किए गए कर का प्रतिशत क्रमश: 60 प्रतिशत और 52.8 प्रतिशत था ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य वर्षों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

9950. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई और वृद्धि के कारणों सहित किस सीमा तक वृद्धि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 21-4-1984 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त हुए पिछले एक वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता मदों जिनके मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई उनमें ये शामिल थीं : दालें (+17.5 प्रतिशत), दूध तथा दूध उत्पाद (+18.3 प्रतिशत), मसाले तथा गरम मसाले (+32.5 प्रतिशत), चाय (+39.4 प्रतिशत), काफी (+33.1 प्रतिशत), कोक (+24.1 प्रतिशत), चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ (+17.2 प्रतिशत), खाद्य तेल (+16.5 प्रतिशत), वस्त्र (+ .4 प्रतिशत) और साबुन (+23.4 प्रतिशत) । तथापि, दालों से भिन्न अनाजों के मूल्यों में (—4.1 प्रतिशत की) कमी दर्ज की गई है ।

वर्ष के शुरू के भाग में मानसून के आने में प्रारम्भिक देरी और अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी की विद्यमानता ने मूल्यों पर दबाव डाला । यद्यपि दालों से भिन्न अनाजों के मूल्यों में कमी हुई है तथापि ऊपर बताई गई कुछ वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धियां होने से, इस कमी का प्रभाव प्रतिसन्तुलित हो गया, जिसका कारण देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय तत्व दोनों थे ।

मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति

9951. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों के पद पर किस वर्ष तक के सहायकों (सहायक के रूप में नियुक्ति की तारीख) की अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति हो गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जिस वर्ष (सहायक के रूप में नियुक्ति की तारीख) तक सहायक इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं निम्न प्रकार हैं :—

सहायक (सीधी भर्ती वाले)

सामान्य श्रेणी	—	1972
अनुसूचित जाति	—	1976
अनुसूचित जनजाति	—	1977

सहायक (विभागीय रूप से पदोन्नति प्राप्त)

सामान्य श्रेणी	—	1958
अनुसूचित जाति	—	1967
अनुसूचति जनजाति	—	(अभी तक कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुआ है।

इन्दौर में होप टैक्सटाइल मिल का अधिग्रहण

9953. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर (मध्य प्रदेश) में "होप टैक्सटाइल मिल" पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ी है और इन्दौर के जन प्रतिनिधियों वे उनसे इसे खोलने के बारे में बातचीत की थी तथा उस समय उन्होंने इसे शीघ्र खुलवाने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या सरकार का विचार "होप टैक्सटाइल मिल" का अधिग्रहण करने का है और इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से चलाने का है और यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) होप टैक्सटाइल मिल्स, इन्दौर 16 जून, 1983 से बन्द पड़ी है। इस उपक्रम को तत्काल पुनः खोलने के सम्बन्ध में कोई विशेष आश्वासन नहीं दिया गया।

(ख) तथा (ग) सरकार ने इस मिल का अधिग्रहण करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह वित्तीय संस्थानों से परामर्श करके इस मिल को पुनः खोलने के लिए प्रयास करे ।

सिंथेटिक अवशिष्ट के रूप में पोलिस्टर स्टेपल फाइबर आयात के कारण राजस्व की हानि

9954. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि सरकार को आर० ई० पी० लाईसेन्स के अन्तर्गत "पोलिस्टर स्टेपल फाइबर" का सिंथेटिक अवशिष्ट के रूप में आयात करने से करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को "पालिस्टर स्टेपन यार्न" के निर्माताओं से इसे बन्द करने की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई उपाय किए हैं यदि नहीं; तो राजस्व की हानि को न रोकने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जहां कतिपय बेईमान आयातकर्ताओं ने पोलिएस्टर फाइबर की निकासी सिन्थेटिक अवशिष्ट के रूप में करने की कोशिश की है । सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने ऐसे माल के मामलों को निकासी से पहले ही पकड़ लिया । कुछ मामले न्यायनिर्णयाधीन हैं । इस तरह राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ख) जी, हां । उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित किस्म के दुरुपयोग के मामलों को रोकने के सिलसिले में एसोसिएशन आफ पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर मैन्युफैक्चरर्स से कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) सिन्थेटिक अवशिष्ट के रूप में शुद्ध फाइबर की निकासी नहीं होने देने को सुनिश्चित करने के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं । नमूनों को ढूंढ निकालकर उनके परीक्षण हेतु एक विशेष कार्यविधि बनाई गई है । जांच-पड़ताल के प्रतिशत-अनुपात में वृद्धि की गई है और ऐसे आयातित माल की बारीकी से छानबीन की जाती रहती है ।

क्रोम अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की मांग

9955. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से निर्यात के लिए क्रोम अयस्क प्राप्त किया जा रहा है;

(ख) निर्यात के लिए उड़ीसा से प्रति-वर्ष कितनी यात्रा में क्रोम अयस्क प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) क्या क्रोम अयस्क से निर्यात शुल्क को समाप्त करने की मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) निर्यात उद्देश्यों के लिए, उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्य से क्रोम अयस्क की अधिप्राप्ति की जा रही है।

(ख) प्रति वर्ष निर्यात किए जाने वाले क्रोम अयस्क की मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक, उड़ीसा से प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। 15 फरवरी, 1983 से क्रोमाइट पर निर्यात शुल्क को 10 प्रतिशत यथामूल्य से घटाकर 5 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया।

उड़ीसा में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण दिया जाना

9956. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के क्योंझर जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1984 तक शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 218 मामलों में 39.48 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी गई थी। इन में से उस तारीख तक 129 हिताधिकारियों को कुल 9 लाख रुपए के ऋण संवितरित किए गए थे।

वाइनाड के छोटे और मध्यम दर्जे के काफी उत्पादकों से अभ्यावेदन

9957. **श्री ई० के० इम्बिचिबावा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाइनाड के छोटे और मध्यम दर्जे के काफी उत्पादकों से काफी उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु काफी बोर्ड का पुनर्गठन करने और काफी बोर्ड में स्थानीय संसद सदस्य को प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उस पर क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) पुनर्गठित काफी बोर्ड 1 जुलाई, 1934 से कार्य आरम्भ करेगा। सरकार को काफी उत्पादकों की विभिन्न ऐसोसिएशनों से नामांकन प्राप्त हुए हैं। काफी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त नामांकनों पर गुणा व गुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारत जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यापार

9958. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच व्यापार में व्यापक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच की गत दो वर्षों के दौरान व्यापार में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार में और वृद्धि के लिए हाल ही में भारत के दौरे पर आए जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के शिष्टमण्डल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं और वार्ता में भाग लेने वाले भारत के समकक्ष अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) व्यापार ब्यौरा अर्थात क्या यह रुपए में होगा अथवा डालर में होगा और इससे भारत कहां तक लाभान्वित होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) भारत-जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य व्यापार 1981-82 में 101.15 करोड़ रु० से बढ़कर 1982-83 में 133.81 करोड़ रु० का हुआ।

(ग) श्री एच० मार्क्स, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्रालय में महानिदेशक के नेतृत्व में जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के एक प्रतिनिधिमण्डल ने नवम्बर, 1983 में, द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और 1984 के लिए व्यापार संलेख सम्पन्न करने के लिए भारत का दौरा किया। भारतीय पक्ष की ओर से प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री वी० एन० कौल ने किया अपनी वार्ताओं के परिणामस्वरूप दोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने 1984 के लिए भारत-जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य व्यापार संलेख सम्पन्न हुआ।

(घ) जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए में संतुलित क्लियरिंग आधार पर किया जाता है। इन व्यवस्थाओं से भारत को जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से मुक्त विदेशी मुद्रा का सहारा लिए बिना उर्वरकों, रौल्ड स्टील उत्पाद, सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों, डीजल जैनेरेटिंग सेटों, प्रिन्टिंग मशीनरी, मशीनी औजारों आदि जैसे आवश्यक कच्चे माल, औद्योगिक माल और मशीनरी प्राप्त करने में सहायता मिली है और उससे परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों प्रकार के माल के हमारे निर्यातों के लिए निश्चित बाजार मिले हैं।

लघु उद्योगों से निर्यात

9959. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों से निर्यात अपर्याप्त और असन्तोषजनक है;

(ख) लघु उद्योगों से पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का विचार लघु उद्योगों के निर्माताओं को किस प्रकार प्रोत्साहित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान लघु क्षेत्र के के प्रमुख उत्पाद समूहों का निर्यात दर्शाया गया है ।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं ताकि निर्यातों में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से लघु क्षेत्र के निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जा सके । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा दी जाने वाली संगठनात्मक सहायता, नकद मुआवजा सहायता, पंजीकृत निर्यातकों की योजना के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत अग्रिम आयात लाइसेंस देना, 100% निर्यात अभिमुख एककों की योजना, शुल्क वापसी, निर्यात सदनों के रूप में मान्यता देने के लिए चुनिन्दा उत्पादों के निर्यातों का न्यूनतम स्तर लघु एककों के लिए 50 लाख रु० करना तथा रियायती दरों पर ऋण देना । चालू वर्ष 1984-85 सम्बन्धी आयात एवं निर्यात नीति में, घरेलू उत्पादन तथा निर्यात विपणन के बीज सम्बन्ध को बढ़ावा देने की दृष्टि से तथा लघु/कुटीर क्षेत्र से निर्यात करने के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए "उद्यम कर्ता व्यावसायी निर्यातक" सम्बन्धी नई योजना आरम्भ की गई है ।

विवरण

लघु क्षेत्र उद्योगों के प्रमुख उत्पाद समूहों का निर्यात

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रमांक	उत्पाद समूह	वर्ष	
		1981-82	1982-83
1	2	3	4
1.	इन्जीनियरी माल	318.00	340.00
2.	मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री	59.34	99.62

1	2	3	4
3.	रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद	22.30	21.31
4.	प्लास्टिक उत्पाद	27.55	32.16
5.	तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	326.60	314.64
6.	अर्धसाधित चमड़ा	45.52	43.52
7.	समुद्री उत्पाद	258.14	332.10
8.	काजू गिरी तथा काजू छिलके का तेल	124.85	88.74
9.	साधित खाद्य पदार्थ	143.07	12[illegible].06
10.	ऊनी परिधान तथा निटवियर	85.04	71.50
11.	खेल का सामान	29.89	29.60
12.	तैयार परिधान	602.82	566.47
13.	रेयन तथा संश्लिष्ट उत्पाद	2.96	2.70
14.	साधित तम्बाकू	5.86	8.42
15.	अन्य	17.33	17.83
		2069.67	2093.67

*प्राक्कलित

1980-81 तथा 1981-82 —संशोधित आंकड़े

स्रोत : (i) निर्यात संवर्धन परिषदें

(ii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(iii) तम्बाकू बोर्ड

काले धन के बारे में अध्ययन

9960. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भा[redacted]य सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा देश में काले धन की मात्रा के बारे में कोई अध्ययन किया गया था, तथा उन्होंने सरकार को प्रस्तुत किए अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि देश में 6000 करोड़ रुपए के काला धन प्रचलन में है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश में काले धन की मात्रा राष्ट्रीय आय की 52 प्रतिशत है; और

(ग) सरकार द्वारा इस हानिकारक काले धन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम, यदि कोई है, उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार ने जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को काले धन का अध्ययन करने संबंधी कार्य सौंपा है। इस संस्थान से रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।

(ख) सरकार के पास काले धन का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है।

(ग) लगातार तहकीकात करते रहने के बाद काले धन के प्रसार और उसमें तेजी से होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर सभी संभव उपाय किए जाते रहते हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी तथा संस्थागत उपाय सम्मिलित हैं।

मुर्गीदाने का आयात

9961. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में मुर्गी दाने का आयात करना पड़ा था और यह किस प्रकार का था; और

(ख) हमें इस प्रकार का मुर्गी दाना निर्यात करने वाले देश कौन-कौन से हैं और वे हमें कितनी मात्रा में मुर्गी दाने का निर्यात करते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारतीय व्यापार वर्गीकरण संशोधन 2 (आई०टी०सी०आर० 2) के अनुसार, जिसके आधार पर किसी वस्तु के आयात (अथवा निर्यात) के आंकड़े संकलित किए जाते हैं, "कुक्कुट चारा" मद को अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तदनुसार इस मद के सम्बन्ध में आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों, परिपत्रों आदि की जांच

9962. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और बम्बई कंडक्टर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण बैंच के दिनांक 3 मार्च, 1983 के निर्णय के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सांविधिक आदेश या सांविधिक नियम बनाने या मुख्य आयात

तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए, सार्वजनिक नोटिसों, परिपत्रों आदि को कोई कानूनी शक्ति प्रदान करने का है ताकि बेईमान फर्में बचनबद्ध निबंध (प्रामिसरी एस्टोपल) का तर्क न रख सकें;

(ख) क्या विधि मंत्रालय की ओर से ऐसे सभी सार्वजनिक नोटिसों, परिपत्रों को जारी किए जाने से पूर्व जांच का कार्य मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक से सम्बद्ध कानूनी सलाहकार को, जो विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं; सौंपने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार उन्हें संसद के समक्ष रखेगी और राजपत्र में प्रकाशित करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं। इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्यों को मताधिकार

9963. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1984 के "इकानोमिक टाइम्स" में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्यों को मताधिकार दिए जाने तथा संस्था की अन्त-नियमावली में से संशोधन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कपड़ा विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों में कुछ छूट देने के वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुरोध को स्वीकार करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है कपड़ा विभाग ने किस तारीख को सिफारिश की है;

(घ) छूट लागू होने की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रुख है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) वस्त्र विभाग का मुख्य सम्बन्ध इस बात से था कि अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के निर्यातक उचित तरीके से उस क्षेत्र से प्रतिनिधि चुन सकें। इस विभाग द्वारा यह संदर्भ कम्पनी कार्य विभाग को 9 दिसम्बर, 1983 दिया गया था।

(घ) तथा (ङ) अप्रैरल निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुरोध को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

मै० एस० कुमार द्वारा जनता से धोखा-धड़ी

9964. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़िया किस्म के कपड़े (क्वालिटी फैब्रिक्स) के निर्माता मै० एस० कुमार की अपनी कोई कपड़ा मिल नहीं है बल्कि वे कहीं से कपड़ा खरीदकर उस पर अपने ब्रांड नाम की मुहर लगाते हैं और इस तरह वे जनता को धोखा देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) एस० कुमार एक ब्रान्ड नाम है जो कि निम्नलिखित फर्मों द्वारा प्रयोग किया जाता है :

(1) मैसर्स एस० कुमार लि०, बम्बई, जिनके बम्बई तथा देवास (एम० पी०) में प्रोसेसिंग सदन हैं।

(2) एस० कुमारर्स टैक्सटाइल प्राइवेट लि०, जो कपड़े का व्यापार करने वाली फर्म है।

(3) एस० कुमार एन्टरप्राइसेज (सिम्फेक्स) प्राइवेट लि०, बम्बई जिनका देवास (एम० पी०) में विद्युत करघा एकक है।

(4) श्रीराम मिल्स, बम्बई, जो कि एक मिश्रित वस्त्र मिल है।

एस० कुमार ब्रान्ड के रूप में बेचे जाने वाले कपड़े के कुछ नमूनों की वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा जांच से पता चला है कि इन नमूनों पर एस० कुमार ब्रांड ही नहीं है बल्कि विनिर्माता मिल का नाम भी है।

बम्बई के रुग्ण मिलों के मालिकों के विरुद्ध आरोप

9965. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई की रूग्ण मिलों के उन मालिकों की अनियमितताओं के बारे में "इण्डिया टैक्सटाइल मानीटर", बम्बई के अक्तूबर अंक की ओर दिलाया गया है, जिनके एककों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है और वहां अन्य कदाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पता लगाई गई अनियमितताओं और कदाचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रश्न में उल्लिखित समाचार में बम्बई 13 वस्त्र मिलों के पूर्वस्वामियों द्वारा, अक्तूबर, 1983 में उनके अधिग्रहण से पहले किए गए कुप्रबन्ध तथा वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

(ख) तथा (ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

हरियाणा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

9966. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला गांव के पश्चिमी ओर स्थित 600 कनाल (150 बीघा) रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और आसपास के निवासियों द्वारा वहां अवैध निर्माण कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं क्योंकि यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में होने के कारण अत्यन्त संवेदनशील है;

(ग) वहां अवैध कब्जे और निर्माण की अनुमति देने के लिए कौन जिम्मेदार हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंहदेव) : (क) जी, हां। 0.66 एकड़ भूमि पर आस-पास के निवासियों का अवैध कब्जा बताया जाता है।

(ख) अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कब्जा खाली करने की कार्यवाही करने के लिए डी० ई० ओ० दिल्ली को निर्देश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए एक विभागीय जांच आरम्भ कर दी गयी है।

भूतपूर्व "पब्लिक टी वेयरहाऊस" के कर्मचारी

9967. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व "पब्लिक टी वेयरहाऊस" के 400 कर्मचारियों को लगभग दस वर्ष पूर्व भारतीय चाय व्यापार निगम के अधीन ले लिया गया था;

(ख) भारतीय चाय व्यापार निगम के अन्तर्गत उनकी निरन्तर सेवा तथा अन्य लाभ बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को कलकत्ता चाय भाण्डागार मजदूर संघ, कलकत्ता से एक, बहुसंख्यक

मजदूर संघ होने के नाते प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए दिनांक 8 मार्च, 1984 का एक पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके अनुरोध पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) पब्लिक टी वेयरहाऊस का प्रबन्ध 1974 में भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंपा गया था। पब्लिक टी वेयरहाऊस में पहले से काम कर रहे व्यक्तियों का रोजगार जारी रखा गया और उन्हें प्राप्त होने वाले सेवा के लाभ भी जारी रखे जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) भारतीय चाय व्यापार निगम को कलकत्ता टी वेयरहाऊस मजदूर यूनियन से यह दावा करने वाला एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वह बहुमत वाली यूनियन है। तथापि भारतीय चाय व्यापार निगम तीन वर्षों से भी अधिक समय से नेशनल टी हैंडलिंग वर्कर्स एण्ड एम्प्लाइज यूनियन के साथ वार्ता करता रहा है। जिसने अपना भारी बहुमत दिखाया है। अत: उपरोक्त कलकत्ता टी वेयरहाऊस मजदूर यूनियन से प्राप्त पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते।

एम० ई० एस० असैनिक कर्मचारी संघ पोर्ट ब्लेयर अण्डमान से अभ्यावेदन

9968. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको एम० ई० एस० असैनिक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेयर अण्डमान से दिनांक 11-1-1984 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त अभ्यावेदन में किन समस्याओं और शिकायतों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन में उल्लिखित समस्याओं/शिकायतों को कम करने/दूर करने के लिए किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) एम०ई०एस० सिविलियन कर्मचारी यूनियन, पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान) से 11-1-1984 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें की गई थीं :—

(1) मजदूरों का वेतन 70-85 रु० के न्यूनतम वेतनमान में निर्धारित किया जाए जो सिविलियन रक्षा सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960 में इसी श्रेणी के सिविलियनों के लिए मंजूर किया गया था और 1-1-1973 से 196-232 रु० के वेतनमान में उनका वेतन बढ़ाकर 226 रु० किया जाए; और

(2) संशोधित वेतन नियम, 1973 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बढ़े हुए वेतन की बकाया रकम उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाए।

(2) उपर्युक्त मांगों की जांच की गई थी और इस बारे में स्थिति यह कि पोर्ट-ब्लेयर में गोदी के निर्माण के लिए नियुक्त ये मजदूर छः होने की अवधि के लिए, जिसे आपसी समझौते से बढ़ाया जा सकता था, ठेके के आधार पर भरती किए गए थे। 1966 में किए गए ठेके के अनुसार उन्हें 22 रु० प्रति माह की नियम मजदूरी और 78 रु० प्रति माह मंहगाई तथा अन्य भत्ते दिए गए ताकि उनका वेतन अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा पोर्ट-ब्लेयर में मजदूरों को दिए जा रहे वेतन के अनुरूप हो सके। ये नियमित कर्मचारी नहीं थे बल्कि ठेके के आधार पर काम कर रहे थे इसलिए सिविलियन रक्षा सेवाएं (संशोधन वेतन) नियम, 1960 और 1973 के अन्तर्गत नहीं आते थे और इस कारण इन नियमों में अधिसूचित वेतनमानों में वेतन निर्धारित कराने के पात्र नहीं थे। परन्तु 1970 में उन्हें अस्थाई नियमित स्थापना में लाया गया और तदनुसार उनका वेतन 196-232 रु० के वेतनमान में निर्धारित किया गया है।

चाय बोर्ड का कार्यकरण

9969. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड सरकारी उपेक्षा और कुप्रबन्ध के कारण संकट में हैं और इसके लेखाओं में भी गड़बड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बोर्ड में इस गड़बड़ी की जांच करने के आदेश दिए गए हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) चाय बोर्ड में मामलों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता को अनिवार्य जमा योजना की अदायगी से छूट

9970. **श्री दिगम्बर सिंह** :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा वर्ष 1983-84 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता को एक वैयक्तिक कर दाता की तरह 1 जून, 1983 से पहले 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य जमा योजना से छूट दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने और हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता की कठिनाई दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्ण) : (क) अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 की धारा 3(3)(ख) के अनुसार, हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्त्ता को, 1-6-83 से पूर्व 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर उसे हिन्दू अविभक्त परिवार की आय के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 1984-85 तथा उससे बाद के वर्षों के लिए तो अनिवार्य जमा की अदायगी करने की आवश्यकता नहीं है, अलबत्ता पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अदायगी करनी होगी।

(ख) आयु सीमा को 70 वर्ष से कम करके 65 वर्ष करने सम्बन्धी संशोधन 1-6-83 से ही लागू हुआ है।

(ग) इस उपबंध में कोई विसंगति नहीं है, क्योंकि यह सभी श्रेणियों के निर्धारितियों पर समान रूप से लागू होता है।

दानापुर छावनी, बोर्ड बिहार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

9971. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड, बिहार के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बहुत से आरोप हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में बिहार के संसद सदस्यों और विधायकों तथा उन क्षेत्रों के लोगों से कोई पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आरोपों के संदर्भ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई जांच कराने का आदेश देने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) दानापुर छावनी बोर्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं। रक्षा भूमि और छावनी अधिकारियों द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(ग) यदि आवश्यक समझा गया तो आगे की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाएगा।

कताई क्षमता को स्थिर करना

9972. **श्री एन० के० शेजवलकर** :

श्री सत्य नारायण जटिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओर से सप्लाई क्षमता स्थिर बनाए रखने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या कारण हैं और क्या इससे जहां एक तरफ मशीनी उद्योग पर वहीं दूसरी तरफ विकासशील सहकारिता क्षेत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं। इस समय कताई क्षमता पूर्ण रूप से स्थिर बनाए रखने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बुनाई क्षमता स्तिर रखने का निर्णय

9973. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बुनाई क्षमता को स्थिर रखने के अपने निर्णय को लागू रखने पर दृढ़ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया, ताईवान जैसे देशों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है, जिन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी के स्वचालित करघे लगाकर विकसित देशों में मांग में वृद्धि का लाभ उठाया है, जबकि भारत आज तक अपने कुल 2,10,000 करघों में से 40,000 से अधिक स्वचालित करघे नहीं लगा सका है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) मार्च 1981 में संसद में प्रस्तुत वस्त्र नीति के विवरण में विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में हथकरघों की अधिकाधिक सम्भावित वृद्धि पर ध्यान दिया गया है। विवरण के अनुसार, विशेष रूप से निर्यात के उद्देश्य के लिए संगठित मिल क्षेत्र की बुनाई क्षमता में विस्तार किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही उस स्थिति में भी, जहां करघे-प्रति-करघे के प्रतिस्थापन की अनुमति है सादे करघों का परिष्कृत करघों द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कपड़ा मिलों द्वारा दी गई मशीनों के क्र्यादेशों को स्थगित/रद्द किया जाना

9974. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी कपड़ा मिलों की तरह राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलें भी मशीनरी निर्माता कम्पनियां माल ढुलाई को स्थगित और मशीनों के क्र्यादेशों को रद्द कर रही हैं जिससे उद्योग लगभग संकटग्रस्त हो गया है; और

(ख) क्या सरकार मशीनरी निर्माताओं को उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में सहायता करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा

(ख) एन० टी० सी० द्वारा वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं को दिए गए आदेशों को कुल मिलाकर कोई विशेष स्थगन/रद्द नहीं किया गया है। तथापि, वस्त्र मशीनरी विनिर्माता एसोसिएशन ने तैयार मशीनों के स्टाक के जमा हो जाने की सूचना दी है। वस्त्र उद्योग के तीव्र गति से पुर्नस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित आसान ऋण सहायता से वस्त्र मशीनों के बेहतर उठान को सुनिश्चित करने के कार्य में मदद मिली है। वस्त्र मशीनों की मांग बढ़ाने के लिए आसान ऋणों के ब्याज की दरों में कमी जैसे उपाय किए गए हैं।

प्रतिबन्धित चर्बी का आयात

9975. **श्री राम लाल राही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1984 में ओसवाल कम्पनी सहित कई कम्पनियों को प्रतिबन्धित चर्बी के आयात की अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यौरा क्या है; और

(ख) व्यापक रोष के बावजूद ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारत में किसी भी रूप में आयात की गई बीफ, भैंस तथा सुअर की चरबी की निकासी पर प्रतिबन्ध है देखिए आई० टी० सी० आदेश सं० 27/83 दिनांक 24 अगस्त, 1983। किसी भी पशु मूल की "चर्बी, वसा और/अथवा पिघलाए हुए, बिना पिघलाए हुए अथवा अन्यता तेल" के आयात पर रोक थी देखें आई० टी० सी० सार्वजनिक सूचना सं० 42-आई० टी० सी० (पी० एन०)/83 दिनांक 1 अक्तूबर, 1983।

तथापि, केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमाशुल्क बोर्ड, नई दिल्ली विभिन्न सीमाशुल्क प्राधिकरणों में स्थिति की जांच कर रहा है। जाजकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के बीड़ी उद्योग से एकत्रित किया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

9976. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में बीड़ी उद्योग से पिछले चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार और फार्म-वार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(ख) बीड़ी उद्योग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की क्या दर है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) बिहार राज्य में विगत चार

वर्षों के दौरान बीड़ियों से वसूल हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल रकम इस प्रकार हैं :—

वर्ष	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (हजार रुपयों में)
1980-81	60860
1981-82	63672
1982-83	63243
1983-84	66837 (अनन्तिम)

उपर्युक्त आंकड़ों में, मूल उत्पादन शुल्क, (जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन उद्ग्रहणीय है), विशेष उत्पादन शुल्क (जो संगत वित्त अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय है) तथा अतिरिक्त शुल्क विशेष महत्व का मालअधिनियम, 1957 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सम्बन्धी वसूलियां भी शामिल हैं। बिहार में बीड़ी-निर्माता फर्मों की संख्या बहुत अधिक है और इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने, संकलन करने तथा प्रस्तुत करने में अन्तर्ग्रस्त समय और श्रम अनुपात के लिहाज से अधिक लगेगा।

(ख) बीड़ियों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पादन शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरें इस प्रकार हैं : –

	मूल उत्पादन शुल्क	विशेष उत्पादन शुल्क	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क
1. बीड़ियां, जिनके निर्माण में शक्ति-चालित अथवा शक्ति की सहायता के बिना चलाई जाने वाली मशीनों की सहायता से कोई प्रक्रिया की गई हो।	6.00 रुपए प्रति हजार	मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत	2.00 रुपए प्रति हजार
2. अन्य बीड़ियां	2.70 रुपए प्रति हजार	मूल उत्पादन-शुल्क का 5 प्रतिशत	0.90 रुपए प्रति हजार

शत प्रतिशत निर्यात करने वाले एकक

9977. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कम्पनियों/उपक्रमों को शत प्रतिशत निर्यात एककों के लिए आर्थिक लाइसेंस अथवा आशयपत्र दिए गए हैं;

(ख) उपर्युक्त कम्पनियों/उपक्रमों में से किन-किन कम्पनियों ने कार्य आरम्भ कर दिया है और कब से;

(ग) इन कम्पनियों/उपक्रमों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गई है;

(घ) शेष मामलों में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) चालू तथा निर्माणाधीन उपक्रमों को अलग-अलग कुल कितनी विदेशी मुद्रा आबंटित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए, 31 दिसम्बर, 1983 तक 388 एककों को अनुमोदित किया गया है।

(ख) से (घ) 31 मार्च, 1984 तक, 46 एककों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है, इन उत्पादन कर रहे एककों के नाम दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के निर्यातों का कुल अनुमानित एफ० ओ० बी० मूल्य 31 मार्च, 1984 तक 84.75 करोड़ रु० था। 30 जून, 1984 तक और 27 एककों द्वारा उत्पादन आरम्भ किए जाने की सम्भावना है। शेष एकक, कार्यान्वियन की विभिन्न असंस्थाओं में हैं।

(ङ) चूंकि, अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक पूंजीगत माल, संघटकों का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत तथा शुल्क मुक्त आयात करने के पात्र हैं, इनके मामले में विदेशी मुद्रा का अलग से आबंटन करना आवश्यक नहीं है।

विवरण

1. व्हील्स इण्डिया लि०, मद्रास।
2. करीम कसकामी लि०, बंगलौर।
3. लाविनो कपूर काटन्स लि०, बम्बई।
4. कुद्रेमुख आयरन और कं० लि०, बंगलौर।
5. नव महाराष्ट्र चाकन आयल मिल्स, पूणे।
6. डेल्टा जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता।
7. स्पेशियलिटी फैट्स (प्रा०) लि०, बम्बई।
8. इण्डियन ग्जैरोग्राफिक स्ट्रिम्स, बम्बई।
9. नव भारत टाबेको कं० लि०, हैदराबाद।
10. डेल्टा हैमलिन लि०, नई दिल्ली।

11. भडकल इलैक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।

12. हिन्दुस्तान मोनार्क (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।

13. हारबुड गारमैंट्स (प्रा०) लि०, बंगलौर ।

14. इण्डिया एक्सपोर्ट हाऊस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।

15. जी० के० बी ओ पथैलमिक्स लि०, बाटिम, गोआ ।

16. नोवा सिल्क लि०, फोर्ट बम्बई ।

17. इंडो असाही ग्लास कं० लि०, कलकत्ता ।

18. गैलेट ओवरसीज, फरीदाबाद ।

19. गोयंका ओवरसीज, साहिबाबाद (उ० प्र०) ।

20. स्विस ज्यूवल्स (इं०) लि०, बम्बई ।

21. शा वालेस कं०, नई दिल्ली ।

22. ग्रीटा एक्सपोर्ट्स, मद्रास ।

23. इन्दुस इलैक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली ।

24. फैरो एलोयस कार्पो० लि० तुमसम, महाराष्ट्र ।

25. थेमिस कैमिकल्स लि०, बम्बई ।

26. रोल कोबो चेन्स कं०, बल्लभ विद्यानगर, गुजरात ।

27. डायमंड बोर्ट इन्टरनेशनल (प्रा०) लि०, मद्रास ।

28. जुआरी स्टेनलैस स्टील इण्डस्ट्रीज, बम्बई ।

29. केवा फ्रैगरैंस लि०, बम्बई ।

30. यूनिवर्सल मैगनेटिक्स (प्रा०) लि०, चण्डीगढ़ ।

31. साइंटिफिक इन्सट्रूमैंट्स कं० लि०, गाजियाबाद ।

32. उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली ।

33. इंडियन मेटल एण्ड फरो एलायस लि०, कोरापुट, उड़ीसा ।

34. नथानी स्टील प्रा० लि०, बम्बई ।

35. मैगनेटिक इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी लि०, पंजाब ।

36. बामेर लारी एण्ड कं० लि०, कलकत्ता ।

37. एच० पी० जी० रेजिस्टर्स प्रा० लि०, बंगलौर ।

38. चम्पादानी जूट कं० लि०, कलकत्ता ।

39. लिगना पैराक्वेट इं० (प्रा०) लि० ।

40. अमर एम्ब्रायडरी सेल्स कार्पो०, बम्बई ।

41. आविक प्लास्टिक्स प्रा० लि०, मद्राम ।

42. जेम ग्रेनाइड, मद्रास ।

43. नेवासर्वा कैमिकल्स प्रा० लि०, अहमदाबाद ।

44. गोगटे टैक्सटाइल्स, कर्नाटक ।

45. नानको ओवरसीज़, मैसूर ।

46. मशीन वर्क्स (इन्टरनेशनल) लि०, कलकत्ता ।

नकद राशि पूंजीगत उपकरणों और तकनोकी जानकारी आदि के रूप में विदेशी ऋण

9978. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी सहायता, ऋण आदि प्राप्त हुए; और

(ख) नकद राशि, पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी जानकारी आदि के रूप में प्राप्त की गई महायता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता (ऋण तथा अनुदान) की राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

अवधि	ऋण	अनुदान	जोड़
1981-82	1420.27	350.59	1770.86
1982-83	1821.36	339.29	2160.75
1983-84	2090.39	311.46	2402.85

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी सहायता को स्थूल रूप से तकनीकी सहायता, परियोजना सहायता और परियोजना-भिन्न सहायता अथवा कार्यक्रम सहायता की श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है जिसके अन्तर्गत कई किस्म का कच्चा माल, फालतू पुर्जे, पूंजीगत उपस्कर आदि को शामिल किया जा सकता है। सम्बद्ध वर्षों के सम्बन्ध में विदेशी सहायता का ब्यौरा संसद के सामने प्रस्तुत केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध---IV में दिया गया है। विभिन्न सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में पूंजीगत उपस्करों और तकनीकी सेवाओं के सम्बन्ध में अदायगी की व्यवस्था होती है, इसलिए प्राप्त सहायता का उल्लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत अलग-अलग ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

आयातित कारों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

9979. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अनिवासी द्वारा आयात की गई कार के हस्तान्तरण अथवा बिक्री की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि कार की कीमत विदेशों में अर्जित राशि से दी गई है और इसके लिए बहुत ही अधिक उत्पाद शुल्क की अदायगी की जाती है;

(ख) क्या कारण है कि आयात किए गए टी० वी० सेट और वी० सी० आर० तथा अन्य चीजों को बेचने की तो अनुमति दी गई है लेकिन कार को बेचने की अनुमति नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आयातित कारों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है क्योंकि मारुति कार का अनिवार्य रूप से पूर्णतया आयातित कार है और यह कार हस्तांतरणीय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गैर आवासी भारतीय द्वारा उनके आवास के बदलने पर एक निर्धारित अवधि के बाद आयात की गई कार का अन्तरण अथवा बिक्री के लिए आयात नीति में प्रावधान है।

(ख) आयातित टी० वी०, वी० सी० आर० तथा अन्य मदें भी एक निर्धारित अवधि से पहले नहीं बेची जा सकतीं।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शाखाओं को खोलने के लिए लाइसेंस जारी करना

9980. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** हिमाचल प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं को खोलने के बारे में 9 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2917 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुबंध एक में दी गई सूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा पता लगाए गए 46 केन्द्रों में से कुछ अन्यों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां पर अब तक शाखाएं खोल दी गई हैं और शेष केन्द्रों पर कब तक शाखाएं खोलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 9 दिसम्बर, 1983 के बाद प्रश्न में उल्लिखित 40 केन्द्रों में से कोई भी केन्द्र भारतीय स्टेट बैंक को आबंटित नहीं किया गया है। अलबत्ता इसे हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के पोरिया नामक स्थान पर एक शाखा खोलने का प्राधिकार दिया गया है। बैंक से इस प्राधिकार का जल्दी से उपयोग करने के लिए कहा गया है। बैंक ने शिमला जिले के बाहली स्थान पर भी एक शाखा खोली है जिसके लिए उसे नवम्बर, 1983 में लाइसेंस प्राप्त था।

भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास निदेशालय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करना

9981. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास निदेशालय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के बारे में 26 अगस्त, 1983 के तारांकित प्रश्न सं० 454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशालय का जोनल निदेशालयों, केन्द्रीय/राज्य/जिला सैनिक बोर्डों सहित, पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन दल की रिपोर्ट इस बीच सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं तथा यह रिपोर्ट सरकार को किस तारीख को प्राप्त हुई थी; और

(ग) रिपोर्ट को क्रियान्वित करने हेतु विशेष रूप से केन्द्रीय/राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के ढांचे का पुनर्गठन करने तथा कार्य-करण में सुधार करने के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट अक्तूबर, 1 83 में प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें हैं :—भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए निगम बनाना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का पूरा उपयोग करना, निजी क्षेत्र के यूनिटों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर खोजना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि करना, प्रस्तावित निगम में व्यावसायिक दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करना ताकि परियोजनाएं तैयार की जा सकें और आंकड़े तैयार करने की व्यवस्था करना और निगम के लिए उपर्युक्त कार्यालय आवास तथा परिवहन आदि का मूल्यांकन करना और उसकी व्यवस्था करना।

(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान के बारे में प्रक्रिया

9982. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** पेंशन की स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया के बारे में 6 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान के सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं की जांच करने वाली समिति द्वारा अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गई और उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार को यह प्रतिवेदन किस तिथि को प्राप्त हुआ था ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशें विभिन्न एजेंसियों को पेंशन मंजूर करने की शक्तियां प्रदान करना और कुछ राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पेंशन के भुगतान से सम्बन्धित कार्य विभागीय एजेंसियों द्वारा अपने हाथ में लिए जाने से सम्बन्धित है। पेंशन के भुगतान से सम्बन्धित सिफारिशों के अनुसरण में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर राज्यों और संघ शासित क्षेत्र—दिल्ली और चण्डीगढ़ में पेंशन पे मास्टर का कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है।

(ग) यह प्रतिवेदन अगस्त, 1983 के अन्त में प्राप्त हुआ था।

कांगड़ा और मंडी जिलों में ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

9983. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के बारे में 11 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला कांगड़ा और मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां 31 मार्च, 1984 तक ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए दोनों बैंकों द्वारा अब तक क्या नए प्रस्ताव किए गए हैं;

(ग) क्या लिपिकीय तथा अन्य संवर्गों के लिए भर्ती में राज्य के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन पदों पर भर्ती की ठीक-ठीक सही प्रक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सरकार ने हिमाचल ग्रामीण बैंक सहित सभी क्षेत्रीय ग्राकीण बैंकों को, जो मण्डी, कांगड़ा और कुल्लू के जिलों में कार्य करते हैं, लिपिकीय पदों की भर्ती अपने-अपने कार्य क्षेत्रों के उम्मीदवारों में से ही करने के अनुदेश दिए हैं। क्षेत्रीय पर्यवेक्षक की भर्ती बैंक के कार्यक्षेत्र और उसके साथ लगे जिलों के उम्मीदवारों में से की जाती है। अधिकारियों के पदों के लिए उम्मीदवार उस राज्य के होने चाहिए जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहा हो।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की चैम्बर-मेड्स के वेतनमान और उनको दी जाने वाली सुविधाएं

9084. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चैम्बर-मेड्स को दिए जाने वाले वेतन-मान तथा अन्य सुविधाएं और भत्ते आदि देश तथा राजधानी में चल रहे भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में एक समान हैं;

(ख) यदि हां, तो देश तथा राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दिए जाने वाले वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चैम्बर-मेड्स का पेशा अब आकर्षक नहीं रहा है, और आर्हता-प्राप्त चैम्बर-मेड विदेशों को चली जाती हैं और भारत अन्य देशों को नर्सों की भांति चैम्बरमेड भी भेजने वाला देश बन गया है; और

(घ) क्या सरकार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में चैम्बरमेड के स्तर, व्यवसाय सुरक्षा तथा वेतन आदि में सुधार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम में नियुक्त एक ही स्टेशन पर कार्यरत चैम्बर-मेड्स एक समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं ले रहे हैं।

(ख) चैम्बर-मेड्स के पद से सम्बन्धित वेतन-मान इस प्रकार हैं :—

(1) 330-505 रु०

(2) 350-550 रु०

(3) 360-570 रु०

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में चैम्बर-मेड्स को प्रदान की गई सुविधाओं में डाक्टरी इलाज/चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रिआयत का नकदीकरण, वर्दियां, इमदादी कैन्टीन सुविधाएं, भविष्य निधि योगदान, आदि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए श्रेणी चार के मैसेंजरों की सेवाएं नियमित करना

9985. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ श्रेणी-चार के मैसेंजर, जो पहले सी० एच० ओ० जी० एम० में या भारतीय पर्यटन विकास निगम के किसी अन्य होटलों में दैनिक दिहाड़ी पर कार्यरत थे, इस समय भारतीय पर्यटन विकास निगम में तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी बार और कितनी अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी सेवाएं नियमित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

थाणे से आयकर कार्यालयों को आयकर आयुक्त, बम्बई के अधीन लाने की मांग

9986. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाणे जिला (महाराष्ट्र) के आयकर कार्यालय, आयकर आयुक्त, पुणे के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि थाणे जिला (महाराष्ट्र) स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों को कुछ समय पूर्व बम्बई के अन्तर्गत लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब और उक्त निर्णय के क्या कारण थे;

(घ) क्या विभिन्न वर्गों के लोगों ने सरकार से थाणे जिला (महाराष्ट्र) के आयकर कार्यालयों को आयकर आयुक्त, बम्बई के अधीन लाने की मांग की है;

(ङ) मांग के समर्थन में क्या कारण बताए गए हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 1-7-1983 के पूर्व ठाणे जिला स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, बम्बई-II के अधीन थे। 1-7-1983 को ठाणे में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का एक नया समाहर्तालय खोला गया था, जिसका मुख्यालय आरजी तौर पर बम्बई में था। ठाणे स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय में अन्य इलाकों के अलावा, ठाणे जिला आता है परन्तु ठाणे जिला के पालघर, दहानु तथा बसीन ताल्लुका उत्पादन शुल्क समाहर्ता, बम्बई-II के अधीन आते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिए गए कारणों में निर्धारितियों तथा विभाग की प्रशासनिक सुविधा का उल्लेख है।

(च) मामला विचाराधीन है।

जीवन बीमा पालिसियां

9987. **श्री नवीन रावणी** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1 अप्रैल, 1979 से 1 जनवरी, 1984 तक कितनी जीवन बीमा पालिसियां बनाई हैं और प्रत्येक वर्ष में डिवीजन-वार कितनी धनराशि का बीमा किया गया;

(ख) उक्त अवधि में कितनी पालिसियों की अदायगी की गई और कितनी बीमाकृत धनराशि की अदायगी की गई; और

(ग) उक्त अवधि में बीमा की गई धनराशि और अदायगी का अनुपात कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1979-80 से 1983-84 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए कारबार के डिवीजन-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8330/843**]

(ख) 1979-80 से 1982-83 के वर्षों के सम्बन्ध में निवल प्रदत्त पालिसियों का ब्यौरा (अर्थात् प्रदत्त पालिसियों में से पुनः प्रवर्तित पालिसियों को घटाने के बाद) का विवरण नीचे

दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान निवल प्रदत्त पालिसियां	
	पालिसियों की संख्या (लाखों में)	वीमाकृत राशि में कटौती (करोड़ रुपयों में)
1979-80	2.95	193
1980-81	3.10	207
1981-82	3.74	254
1982-83	3.64	250

1983-84 वर्ष के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) वर्ष 1979-80 के नए कारबार का निवल प्रदत्त अनुपात निम्नलिखित हैं :—

नए कारबार का वर्ष	नए कारबार की तुलना में निवल प्रदत्त अनुपात	
	पालिसियों की संख्या प्रतिशत	वीमाकृत राशि प्रतिशत
1979-80	0.71	0.70

कम से कम तीन वर्ष प्रीमियम के भुगतान के पश्चात ही पालिसियां प्रदत्त मूल्य पाने योग्य होती हैं । अतः वर्ष 1980-81 तथा उसके पश्चात जारी की गई पालिसियां 31 मार्च, 1983 तक प्रदत्त नहीं हो सकती थीं, इसलिए प्रदत्त पालिसियों के आंकड़े इस समय उक्त अवधि के लिए ही उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखा बैंकों का कार्यकरण

9988. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के कामकाज में लोगों की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कई योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण कार्यभार बढ़ा है और बैंक कर्मचारियों का गठन पहले जैसा ही है;

(ग) बैंकों के सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु बैंक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के लिए उनके मंत्रालय का कोई विचार है; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और इन शाखाओं के मुख्यालय ने उत्थान कार्यक्रमों में इन बैंकों की भूमिका के बारे में कोई अनुदेश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कारोबार के विस्तार तथा सामाजिक उन्नति की नयी योजनाओं और कार्यक्रमों के शुरू किए जाने को ध्यान में रखते हुए बैंक समय-समय पर अपनी शाखाओं की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं और जब जरूरी समझा जाता है तो अपने कार्मिकों की संख्या को बढ़ाते हैं । जून 1969 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की संख्या 1.75 लाख से बढ़कर दिसम्बर 1982 में 5.46 लाख हो गयी है ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के काम की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर समीक्षा की जाती है और समय-समय पर बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ कमजोर वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में उनके सक्रिय योगदान के बारे में यथोचित अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

हथकरघा एककों का विकास

9989. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा विकास बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बोर्ड ने राज्यों में गैर-सरकारी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त हथकरघा एककों के विकास हेतु राज्यों से जानकारी एकत्रित कर ली है;

(घ) यदि हां, तो अब तक स्थापित हुए और कार्य कर रहे इस प्रकार के एककों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हथकरघा एकक शुरू करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस समय कोई हथकरघा विकास बोर्ड नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

व्यय की अस्वीकृति का विज्ञापन पर प्रभाव

9990. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यय की 20 प्रतिशत अस्वीकृति को रुग्ण एककों की सूचि में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि घाटे में रहने वाली कंपनियों के विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्धन परिव्यय के 20 प्रतिशत को लाभ के रूप में माना जाएगा और यदि यह व्यय हानि से अधिक है तो हानि के वावजूद भी कंपनी को आयकर देना होगा;

(ख) क्या 20 प्रतिशत की अस्वीकृति की वैधता के विरोध में अनेक कंपनियों ने न्यायालयों में याचिकाएं दायर की हैं यदि हां तो वे कौन-कौन सी कंपनियां हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अस्वीकृति के कारण विज्ञापन एजेंसी के कर्मचारियों की छंटनी हुई है और इससे काफी संख्या में स्नातक उद्यमी जिन्होंने इस व्याव्साय को प्रारंभ किया था, बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 की संगत उपधारा (3क) 1-4-1984 से ही जोड़ी गयी थी । इस धारा के प्रभाव का अध्ययन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) तथा (घ) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुछ वस्तुओं के आयात में कमी

9991. **श्री भीखा भाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक वस्तुओं के आयात में कमी करने की पर्याप्त गुंजाइश है और लघु क्षेत्रों में आयात प्रति स्थापक उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसी वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनके आयात प्रतिस्थापक उपलब्ध हैं; और

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा यदि कोई सर्वेक्षण कराया गया है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) अलग-अगल मदों के सम्बन्ध में आयात नीति का निर्धारण घरेलू उत्पादन तथा अन्य

सम्बन्धित तत्वों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों से परामर्श करके किया जाता है। यह सरकार की सामान्य नीति है कि वह निर्यात उत्पादन के लिए एक सीमित दायरे तक के अलावा स्वदेश में उपलब्ध मदों के जो मांग को पूरा कर सकें, आयात की अनुमति न दें।

(ग) निर्यात नीति में परिवर्तन करने सम्बन्धी सुझाव की जांच करने के लिए निर्यात नीति की वार्षिक समीक्षा के अलावा एक स्थायी व्यवस्था है ताकि स्वदेशी उत्पादकों के वास्तविक हितों पर आयातों का बुरा प्रभाव न पड़े।

फर्मों की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

9992. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय का अब अध्ययन कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 (145 आई० टी० आर० 485 में उल्लिखित) की धारा 16-ए के अन्तर्गत किसी फर्म परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को विषय वस्तु बनाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वर्तमान सम्पत्ति कर नियमों में कोई संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, यदि हां, तो यह कब किया जाएगा और इसको अधिसूचित किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या न्यायालय के उक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन अधिकारियों को इस आशय के कोई निर्देश जारी किए गए हैं कि वे किसी फर्म की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उसके बाजार मूल्य के आधार पर करें न कि केवल पुस्तक मूल्य के आधार पर; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उन फर्मों की परिसम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन किया जाएगा जिनका मूल्यांकन पहले पुस्तक मूल्य के आधार पर किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय राजस्व के पक्ष में है। इसलिए, आगे कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विदेश में भारत का संयुक्त उद्यम

9993. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** अपने मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर विदेशों में भारत के स्थापित किए जा रहे संयुक्त उद्यमों सहित, स्थापित किए जा चुके संयुक्त उद्यमों के बारे में पूरी जानकारी, जैसे सम्बन्धित भारतीय उद्योग-गृहों का

नाम, इक्विटी साझेदारी के सन्दर्भ में सहयोग की शर्तें, तकनीकी जानकारी, उपकरण, **जनशक्ति** तथा **स्वदेश** भेजे जाने वाले लाभ की सीमा, बनाई जा रही/बनाए जाने वाले उत्पादों **के नाम** तथा उद्यमों के संचालन में होने वाले लाभ या हानि के बारे में पूरी जानकारी दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय चल रहे संयुक्त उद्यमों द्वारा उनके चालू होने से लेकर अब तक यदि कोई लाभ राशि स्वदेश भेजी गई है तो वह कितनी है;

(ख) उचित लाभ राशि स्वदेश भेजने तथा इन व्यापारिक घरानों द्वारा विदेश में अपने कार्यकारियों और निदेशकों की खातिर लाभ-राशि का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है; और

(ग) उचित लाभ राशि स्वदेश भेजने तथा इन व्यापारिक घरानों द्वारा विदेश में अपने कार्यकारियों और निर्देशक की खातिर लाभ-राशि का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार 159 संयुक्त उद्यम उत्पादन/कार्य कर रहे हैं और 78 कार्यान्वियन अधीन है। एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8331/84**] जिसमें भारतीय प्रोत्साहक, अवस्थापना के देश का नाम, सहयोग का क्षेत्र, कुल इक्विटी, भारतीय इक्विटी तथा अनुमोदन की तारीख दी गई है। ऐसा अनुमान है कि लाभांश, तकनीकी जानकारी फीस आदि के रूप में स्वदेश भेजी गई राशि लगभग 28 करोड़ रु० है।

(ग) आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने सम्बन्धी अनुमोदन जारी करते समय जो शर्त लगाई गई हैं उनमें से एक शर्त यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी संयुक्त उद्यमों के निदेशकों की रिपोर्ट सहित लाभ तथा हानि खाते के तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियां तथा विदेशी लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र मांगता है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय भागीदार पर बकाया लाभांश आदि की राशि प्रप्त हो गई है।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार

9994. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मंत्रियों की परिषद के अध्यक्ष भी हैं, के बीच हाल ही में पेरिस में हुई बैठक के सन्दर्भ में, भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच लम्बे समय से चले आ रहे सम्बन्धों को मजबूत करने तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के व्यापार सन्तुलन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने अध्यक्ष देश के रूप में ई० ई० सी० का प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रांस के साथ इन्डो ई० ई० सी० राजनैतिक बातचीत का उद्घाटन करने के सम्बन्ध में फ्रांस का दौरा किया। हालांकि इन्डो-ई० ई० सी० के आर्थिक तथा वाणिज्यिक मामले राजनैतिक बातचीत के सीमाक्षेत्र में नहीं आते, फिर भी, विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार कारोबार, विशेषतौर पर उसमें भारत भाग को बढ़ाने के लिए; विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न मंचों पर निरन्तर अनुवर्ती कार्यवाही के समनुरूप, फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान इन मामलों को मोटे तौर पर उठाया।

भारत और आयरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार

9995. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आयरलैंड के बीच कोई द्विपक्षीय व्यापार शुरू हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब से हुआ है; और उक्त सहयोग के क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) भारत तथा आयरलैंड व्यापार में सतत आधार पर सहयोग करते हैं। आयरलैंड के हमारे निर्यातों की मुख्य मदों में शामिल हैं : चाय तथा मेठ, तम्बाकू, वस्त्र यार्न, कपड़े, तैयार वस्तुएं, अपैरल तथा क्लोदिंग की वस्तुएं तथा फुटवियर जबकि आयरलैंड से हमारे आयात मुख्य रूप से दूध तथा क्रीम, मक्खन, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के हैं।

भारत में चल रही ग्लाईडिंग क्लबें

9996. **श्री जी० बाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी ग्लाइडिंग क्लब चल रही हैं; और

(ख) ग्लाइडिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) देश में 8 ग्लाइडिंग क्लब तथा फ्लाइंग क्लबों के 7 ग्लाइडिंग विंग हैं। इनके अतिरिक्त नागर विमानन विभाग का पुणे में एक ग्लाइडिंग केन्द्र है।

(ख) देश में ग्लाइडिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा ग्लाइडिंग क्लबों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

(1) किए गए लौंचों के आधार पर आर्थिक सहायता के रूप में ग्लाइडिंग क्लबों को सहायता अनुदान दी जाती है।

(2) ग्लाइडर/विंच यदि उपलब्ध होते हैं, क्लबों को उधार दिए जाते हैं।

(3) जहां उपलब्ध होती हैं क्लबों को ग्लाइडरों, विंचों, एयरो टोइंग विमान, जीप इत्यादि के लिए आवास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(4) ग्लाइडरों तथा एयरो टोइंग विमान के लिए अवतरण कार्यकलापों की सुविधा।

(5) ग्लाइडिंग प्रशिक्षकों तथा विंच प्रचालकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं।

हथकरघा और लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज

9997. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने हथकरघा और लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कौन से उत्पाद नए बाजारों के लोकप्रिय हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

फलों का निर्यात

9998. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष फलों का निर्यात करती है;

(ख) यदि हां, तो फलों का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है और प्रत्येक मामले में कौन-कौन से फलों का निर्यात हो रहा है;

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान फलों के निर्यात से अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) फलों के निर्यात में वृद्धि हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत ताजे फलों के निर्यात की मुक्त रूप में अनुमति है बशर्ते कि विदेशी क्रेता द्वारा परेषण के एफ० ओ० बी० मूल्य के 100% के लिए अप्रतिसंहरणीय साख पत्र खोल लिया गया हो अथवा विदेशी मुद्रा में अधिकृत व्यापारी के माध्यम से परेषण के 100% एफ० ओ० बी० मूल्य के लिए अग्रिम अदायगी प्राप्त हो गई हो।

(ख) इस समय ताजे फलों का निर्यात मुख्यत: खाड़ी के देशों को किया जाता है । निर्यात किए जाने वाले मुख्य फल हैं आम, अनन्नास, चीकू, अंगूर, अमरूद आदि ।

(ग) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान भारत से ताजे फलों के निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित अनुसार है :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपए)
1982-83*	1,284
1983-84*	1,571* अनन्तिम

(घ) सरकार ताजे फलों के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता, आयात, प्रतिपूर्ति लाइसेंस तथा पैकेजिंग सामग्री पर शुल्क वापसी के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

बिहार में नए पर्यटन स्थल

9999. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उपलब्ध पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन स्थलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों के मिले-जुले संसाधनों के माध्यम से बिहार राज्य में पर्यटक सुविधाओं के एकीकृत विकास के लिए निम्नलिखित तीन यात्रा परिपथों का निर्धारण किया है :—

(1) पाटलिपुत्र (पटना) नालन्दा-राजगीर-भीमबन्ध-गया-बोधगया-सासाराम-बक्सर-जगदीशपुर-मनेर-पाटलिपुत्र (पटना) ।

(2) पाटलिपुत्र (पटना) वैशाली-मुजफ्फरपुर-अरेराज-मोतीहारी-बरहरवा-बेतिया-लौरिया-नन्दनगढ़-बाल्मीकिनगर-रक्सौल-सीतामर्नी (जनकपुर) मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र (पटना) ।

(3) पटना-पावापुरी-तिलैया बांध-पारसनाथ-हजारीबाग-रांची-बेतला-नेतरहाट-रांची ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग ने निम्नलिखित स्कीमों को प्रारंभ किया है/करने का विचार है :—

1. बेतला पालामाऊ वन्य विहार में एक वन-गृह का निर्माण ।

2. पटना में यूथ होस्टल।

3. पटना में भोजन-कला संस्थान।

4. बक्सर में प्रकाश-पुंज व्यवस्था।

5. बोधगया में एक मैडीटेशन पार्क (गौतम वन) का विकास और बोधगया में यात्री-गृह का विस्तार।

6. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से रांची में एक होटल का निर्माण।

7. बेतला में प्रशिक्षित हाथी।

8. हजारीबाग में एक मिनी बस की व्यवस्था।

9. तिलैया, पटना में नावें।

10. मेलों और त्यौहारों का संवर्धन।

11. राजगीर में एक कैफेटेरिया का निर्माण।

बौद्ध रुचि के स्थानों का विकास करने के लिए, विभाग ने बोधगया, राजगीर और नालंदा की मास्टर प्लानें (भूमि उपयोग योजना) तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त, बौद्ध-महत्व के स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए "ग्रेट इण्डियन रोवर" नामक एक विशेष रेलगाड़ी चलाई गई है। एयर इण्डिया और होके क्लब ऑफ जापान के संयुक्त उद्यम के रूप में राजगीर में एक होटल निर्माणाधीन है।

पूंजी परिसम्पत्ति का निर्माण

10000. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी बजट से कितना वास्तविक पूंजी परिसम्पत्ति निर्माण किया गया है तथा इस बारे में पिछले वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूंजी परिसम्पत्ति की कुल बजट की प्रतिशतता के रूप में क्या मूल्य है;

(ग) क्या यह सच है कि पूंजी बजट में भी उपभोग भाग में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों में बजट साधनों में से सकल

पूंजी निर्माण की राशि और केन्द्रीय सरकार के वित्तीय दायित्वों में हुई वृद्धि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार के बजट साधनों में से सकल पूंजी निर्माण	केन्द्रीय सरकार के वित्तीय दायित्व में वृद्धि (नकदी शेष में हुए परिवर्तनों के अनुसार समायोजित)
1979-80	7228	6298
1980-81	9012	8863
1981-82	10799	8732
1982-83 (संशोधित अनुमान)	12389	10724
1983-84 (बजट अनुमान)	13071	10671

उपर्युक्त पूंजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण पर आधारित हैं जिसे प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। पूंजी निर्माण के इन अनुमानों को पूंजी और राजस्व खातों के बजटीय वर्गीकरण के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता जो सरकारी लेखा प्रणाली की स्थापित परम्पराओं पर आधारित होता है और यह आर्थिक दृष्टिकोण से व्यय के स्वरूप को हमेशा प्रकट नहीं करता। आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों को आर्थिक श्रेणियों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर दी गई राशियों से प्रकट होता है कि 1979-80 से 1983-84 (बजट अनुमान) तक पिछले पांचों वर्षों में, केन्द्रीय सरकार के साधनों में से किया गया पूंजी निर्माण केन्द्रीय सरकार की वित्तीय देनदारियों में हुई वृद्धि से अधिक हैं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र को बैंक ऋण

10001. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र को 1980 से अब तक कुल कितनी धनराशि के बैंक ऋण दिए गए और कितने व्यक्तियों ने ये ऋण प्राप्त किए तथा इनके वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन्होंने कितनी धनराशि प्राप्त की तथा उसके वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पम्प खरीदने के लिए बैंक ऋण दिए गए थे जिसमें 75 प्रतिशत राशि आर्थिक राज सहायता थी लेकिन अब उनसे तमाम धनराशि वसूल की जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और धनबाद जिले में आतंक पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना पद्धति से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, बिहार में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समस्त ग्रामीण शाखाओं के अग्रिमों की बकाया राशियों के सम्बन्ध में वर्ष 1980 से लेकर आगे के वर्षों के उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

निम्नलिखित वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति अनुसार	बकाया आग्रिम (लाख रुपए)
1980	14638
1981	17475
1982	25693
1983 (मार्च तक)	26033

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण, क्षेत्रों के वास्ते सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है।

बिहार राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष-वार की गई प्रगति इस प्रकार है :—

वर्ष	दिए गए सावधि ऋण	सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या	कुल हिताधिकारियों में अनु० जाति/अनु० जन-जाति के हिताधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
1980-81	1793.94	2,52,630	48,894 (1 .35)

1	2	3	4
1981-82	3611.35	2,76,169	1,02,380 (37.07)
1982-83	6713.53	3,62,354	1,35,374 (37.35)
1983-84 (फरवरी 1984*तक)	5104.05	2,88,038	1,13,060 (39.25)

*अनन्तिम

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल हिताधिकारियों में अनुसूचित जाति/अ० ज० जाति के हिताधिकारियों की प्रतिशता के द्योतक हैं।)

(ग) और (घ) अनुसूचित जन जाति के हिताधिकारियों के वास्ते समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की परिकल्पना पूंजी लागत के 50 प्रतिशत के बराबर की गई है बशर्ते कि यह राशि 5000 रुपए से अधिक न हो। जब कभी अनियमितता के कोई विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तब उपचरात्मक कार्रवाई करने के लिए इनकी जांच की जाती है।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दक्षिण क्षेत्र द्वारा लिपिकीय पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करना

10003. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड दक्षिण क्षेत्र द्वारा वर्ष 1983 में लिपिकीय पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे;

(ख) आवेदनों में कितने आवेदक स्नातकोत्तर, स्नातक, उच्चतर माध्यमिक और सीनियर सैकेण्डरी थे; और

(ग) प्रत्येक भर्ती द्वारा कितने अभ्यार्थियों का चयन किया गया और उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दक्षिण समूह) मद्रास और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दक्षिण समूह) बंगलौर द्वारा वर्ष 1983 में आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर लिपिकीय संवर्ग पदों के वास्ते चुने हुए उम्मीदवारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल रख दी जाएगी।

(ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा क्लर्कों की भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित

परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास उच्चतम माध्यमिक (द्वितीय श्रेणी) मैट्रिक (प्रथम श्रेणी) है। भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश देने के समय बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड शुरू में उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते हैं। उसके पश्चात् भर्ती उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ के बिना, उसके द्वारा लिखित परीक्षा इन्टरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है। चयन की प्रक्रिया समाप्त होने पर, चुने हुए उम्मीदवारों के आवेदन और बायो-डाटा फार्म सम्बन्धित बैंक को भेज दिए जाते हैं। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा सभी उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार सूचियां नहीं रखी जाती।

पावरलूम बुनकरों को वित्तीय ऋण, न दिया जाना

10004. **श्री बाबूराव परांजपे :**

श्री भीखा भाई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1954 की धारा 17(2)(बी० बी०)/4 (सी०) हथकरघा बुनकरों पर लागू होती है, लेकिन महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में, जहां हथकरघा से पावरलूम में परिवर्तन सोसाइटियों को तो वित्तीय सहायता दी जाती है परन्तु पूर्णतः पावरलूम सहकारी समितियों को ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, पावरलूम बुनकरों को ब्याज की रकम और उचित दरों पर हथकरघों जैसे वित्तीय ऋण ऐसी स्थिति में भी नहीं दिए जाते, जबकि वे सहकारी समिति का गठन कर लेते हैं और सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कम्पोजिट मिलों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्याज की दर क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) हथकरघा तथा विद्युतकरघा बुनकर सोसाइटियों को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित धारा 17(2)(ख ख) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले दी जाने वाली पुनर्वित्त की सुविधा एन० ए० बी० ए० आर० डी० द्वारा जारी है। एन० ए० बी० ए० आर० डी० द्वारा एन० ए० बी० ए० आर० डी० अधिनियम 1981 की धारा 21(3)(क) के साथ पठित धारा 21 (1)(IV) के अन्तर्गत पुनर्वित्त प्रदान किए जाते हैं। हथकरघा तथा विद्युत करघा बुनकर सहकारी सोसायटियों को पुनर्वित्त की सुविधा ब्याज की एक जैसी रियायती दर अर्थात् बैंक दर से $2\frac{1}{2}\%$ कम पर दी जाती है। तदनुसार एन० ए० बी० ए० आर० डी० की वर्तमान पुनर्वित्त दर $7\frac{1}{2}\%$ वार्षिक है। हथकरघा सहकारी समितियों को विद्युतकरघा सहकारी समितियों में बदलने और विशुद्ध विद्युतकरघा सहकारी समितियों में कोई भेद नहीं है। हथकरघा सहकारी समितियों के मामले में राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक अलग-अलग राज्य सरकारों से ब्याज उपदान में से अपने मार्जिन का दावा कर सकते हैं। इस प्रकार हाथकरघा सहकारी समितियां अपने पुनर्वित्त $7\frac{1}{2}\%$ वार्षिक पर प्राप्त कर रही हैं। चूंकि

विद्युतकरघों के लिए ब्याज उपदान की कोई योजना नहीं है, विद्युतकरघा समितियों से ब्याज 9% वार्षिक लिया जाता है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्तों की किश्त पर राहत की अदायगी

10005. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन भोगियों को मंहगाई भत्ते की एक किश्त पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत राहत दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि सेवारत कर्मचारियों के 4 प्रतिशत की अदायगी की जाती है; और

(ख) मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ते की राशि पर मंहगाई भत्ते की बकाया राशि जिसे 1982 में केवल एक वर्ष के लिए भविष्य निधि खाते में रखा गया था, वापस न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) 400 रुपए प्रतिमास तक मूल वेतन प्राप्त करने वाले सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अखिल भारतीय कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 12 महीने के औसत में 8 अंकों की वृद्धि होने पर 4% की दर से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता स्वीकार किया जाता है और 400 रु० प्रतिमास से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मूल्य सूचकांक में इसी प्रकार की वृद्धि होने पर प्रति महीने 3% की दर से कुछ न्यूनतम और अधिकतम राशियों के अधीन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता स्वीकार किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को, चाहे उनकी पेंशन की राशि जो भी हो, मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि होने पर $2\frac{1}{2}\%$ की दर से अतिरिक्त राहत दी जा रही है जो प्रति महीने कम से कम 2.50 रु० और अधिक से अधिक 12.50 रु० होती है। पेंशनभोगियों को दी जा रही मंहगाई राहत की राशि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। आयोग ने पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत उसी दर पर, जिस दर पर सेवारत कर्मचारियों को दी जा रही है, मंजूर करने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि पेंशन-भोगियों की पारिवारिक और अन्य जिम्मेदारियों को उतना नहीं माना जा सकता जितना कि सेवारत कर्मचारियों की होती है।

(ख) 1-2-1982 से औसत सूचकांक स्तर 320 तक मंहगाई भत्ते के विलय के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराए भत्ते और प्रतिपूर्ति नगर भत्ते की अतिरिक्त राशि को 1-2-1982 से 28-2-1983 तक कर्मचारियों के सामान्य के भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया गया था। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-8-1981, 1-10-1981, 1-11-1931 और 1-1-1982 से मंहगाई भत्ते की मंजूर की गई 4 किस्तों के परिणामस्वरूप 28-2-1982 तक की बकाया राशि को भी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कर कर दिया गया था। सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की गई इन राशियों की 31-3-1983 के बाद एक-मुश्त रूप में अथवा अन्यथा रूप में अदायगी किए जाने के प्रश्न को, संयुक्त

परामर्शदात्री तंत्र में इस बारे में निर्णय लेते समय, अनिर्णीत छोड़ दिया गया था। सभी संगत मुद्दों पर विचार करने के बाद सरकार ने इन अधिशेषों को, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के सामान्य अधिशेषों में विलय करने का निर्णय लिया।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण को अधिकतम सीमा

10006. **श्री बाबूराम परांजपे :**

श्री पिताम्बर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि मकानों के निर्माण, बने बनाए फ्लैटों की बढ़ती लागत की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने वरिष्ट अधिकारियों को गृह निर्माण ऋण की अधिकतम सीमा 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मकानों बने बनाए फ्लैटों की बढ़ी हुई लागत की पूर्ति के लिय मध्यम प्रबन्धक स्तर से नीचे के अन्य कर्मचारियों को भी समान लाभ प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल ही में कुछ यूनियनों/एशोसिएशनों द्वारा उपर्युक्त मामला प्रबन्धकों के ध्यान में लाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मकानों/फ्लैटों को प्राप्त करने में अधिकतर कर्मचारियों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रबन्धकों ने इस मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण पेशगी की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपए है।

(ग) यूनियमों द्वारा पेश किए गए मुख्य सुझाव निम्निलिखित हैं :—

(1) मंहगाई भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को गृह-ऋण प्रदान करने हेतु कर्मचारियों के वेतन में शामिल किया जाए।

(2) ऋण-वापसी की क्षमता मंहगाई भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को शामिल करते हुए मूल वेतन के 50% पर नियत की जाए।

(3) ब्याज की दर घटा दी जाए।

(घ) आई० टी० डी० सी० एम्पलाइज हाउसिंग (ग्रांट एंड रिकवरी) रूल्ज को केन्द्रीय सरकार के नियमों के बराबर लाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

अनधिकृत विद्युत चालित करघों के विनियमन की अन्तिम तारीख का नियत किया जाना

10007. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनधिकृत विद्युत चालित करघों को विनियमित करने के लिए कपड़ा आयुक्त द्वारी जारी की गई प्रेस विज्ञाप्ति में अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 1979 और उसके बाद की तारीखें नियत किए जाने के कारण बहुत सी प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा अन्तिम समय सीमा को बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 1982 तक किया गया था यद्यपि प्रत्येक वार आवेदन देर से पहुंचे और वे देर से पहुंचने के आधार पर रद्द कर दिए गए;

(ख) यदि हां, तो बिना कोई अन्तिम तारीख निर्धारित किए नई प्रेस विज्ञाप्ति जारी न करने के क्या कारण हैं;

(ग) देरी से प्राप्त होने के कारण आयुक्त द्वारा कितने आवेदन नामंजूर कर दिए गए हैं जिसके कारण राजस्व की हानि हुई है जो विनियमन शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा करायी जाती; और

(घ) आयुक्त द्वारा उन विद्युत करघों का चलाया जाना रोकने के लिए जिनका विनियमन के आवेदन देर से प्राप्त होने के कारण नामंजूर कर दिया गया था क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 31 दिसम्बर, 1982 के बाद डाक में डाले गए आवेदनपत्र वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। पूर्व अवसरों पर देर से प्राप्त होने वाले आवेदनपत्र इस कारण से अस्वीकार नहीं किए गए थे।

(ख) वस्त्र नीति के अनुसरण में, यह विनिश्चय किया गया कि 31-3-1981 को या पहले कार्य कर रहे विद्युतकरघों का नियमितीकरण किया जाए। इन मामलों में तीन अवसर दिए गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि कोई नया प्रेस नोट जारी किया जाए।

(ग) वस्त्र आयुक्त, बम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त लगभग 2000 आवेदनपत्र जो कि 31-12-1982 के बाद डाक में डाले गए, अस्वीकार किए गए। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नियमितीकरण की योजना का इरादा 31-3-1981 को चल रहे अनधिकृत विद्युतकरघों का था।

(घ) अनधिकृत विद्युतकरघों का पता लगाने तथा अनधिकृत विद्युतकरघों को चलाने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को है।

चुनाव प्रचार के लिए प्रधान मंत्री/राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा हवाई जहाज का उपयोग

10008. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री दयाराम शाक्य : क्या **रक्षा मंत्री** चुनाव प्रचार के लिए प्रधान मंत्री/राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा हवाई जहाज के उपयोग के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित **प्रश्न** सं० 4046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और पूर्वी राज्यों में पिछले विधान सभाई चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार हेतु सभी विमान यात्राओं के लिए प्रधान मंत्री को कितनी उड़ानें उपलब्ध कराई गई;

(ख) प्रधान मंत्री/राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार हेतु हवाई जहाज के उपयोग के बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या संगत आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) ऐसे दौरों के लिए वसूल की जाने वाली दरें क्या हैं और उपर्युक्त प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में उपर्युक्त उड़ानों के लिए कितनी राशि की अदायगी की गई; और

(घ) क्या अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी समान प्रयोजनों के लिए शुल्क की अदाएगी पर हवाई जहाज उपलब्ध कराए जा सकते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) प्रधान मंत्री को 21 अक्तूबर 1983 के दौरान कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी राज्यों में अपने गैर-सरकारी दौरों के लिए कुल 263 विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई;

(ख) भारतीय वायु सेना की वी० आई० पी० उड़ानों के उपयोग से सम्बन्धित सरकारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार प्रधान मंत्री अपने गैर-सरकारी दौरे/यात्राओं के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग करने का हकदार है। संगत आदेशों की एक प्रतिलिपि संसद भवन के पुस्तकालय में रखी है।

(ग) रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार विमान यात्रा के लिए किराया लिया जाता है। प्रधान मंत्री द्वारा 21 अक्तूबर 1982 से 3 जून 1983 के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वी राज्यों के विमान से गैर-सरकारी दौरे किए जाने से सम्बन्धित विमान भाड़े के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नियमों के अन्तर्गत केवल प्रधान मंत्री ही सरकार के अध्यक्ष होने के नाते अपने कर्त्तव्यों के विधिवत् अनुपालन के लिए और साथ ही सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से भारतीय वायु सेना के विमान/हैलिकाप्टर का गैर-सरकारी दौरा/यात्राओं के लिए किराए के भुगतान के आधार पर उपयोग कर सकती हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को किराए पर वायु सेना के विमान/हैलिकाप्टर नहीं दिए जाते।

विवरण

पिछले विधान सभाई चुनावों के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वी राज्यों में गैर-सरकारी कार्यों के लिए प्रधान मंत्री तथा उनके दल को उपलब्ध की गई विमान सेवा के सम्बन्ध में वसूल रकम का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	उड़ान के ब्यौरे	वसूल रकम	प्रधानमंत्री की ओर से अदा की जाने वाली रकम	प्रधानमंत्री की ओर से अदा की गई रकम	प्रधान मंत्री की तरफ बकाया रकम	प्रेस एजेंसियों द्वारा देय रकम	प्रेस एजेंसियों द्वारा अदा की गई रकम	प्रेस एजेंसियों की तरफ से बकाया रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और त्रिपुरा	2 दिसम्बर, 82 से 5 जनवरी 83 के दौरान प्रधानमंत्री और उनके दल को गैर-सरकारी यात्रा के लिए दी गई विमान सेवा	29560777.60 रु०	2861175.05 रु०	2801675.05 रु०	शून्य	94902.55 रु०	शून्य	94902.55 रु०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम और मेघालय	फरवरी, 83 के दौरान प्रधानमंत्री तथा उनके दल की गैर-सरकारी दौरों के लिए दी गई विमान सेवा	0174695.50 रु०	156426.60 रु०	156426.60 रु०	शून्य	18268.90 रु०	शून्य	18268.90 रु०
3.	जम्मू तथा कश्मीर	मई-जून 83 के दौरान प्रधानमंत्री तथा उनके दल की गैर-सरकारी दौरों के लिए दी गई विमान सेवा	07110323.90 रु०	695338.05 रु०	695338.05 रु०	शून्य	14985.85 रु०	शून्य	14985.85 रु०
		जोड़	38418097.00 रु०	3712939.70 रु०	3652939.70 रु०	शून्य	128157.30 रु०	शून्य	128157.30 रु०

आयात निर्यात गृहों द्वारा निर्यात और आयात अधिनियम का उल्लंघन

10009. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री गुफरान आजम :

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि अनेक ऐसे आयात-निर्यात गृह जो आयात और निर्यात नियन्त्रक द्वारा स्वीकृति प्राप्त है आयात और निर्यात अधिनियम के नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार को पता चले ऐसे गृहों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके आयात-निर्यात लाइसेन्सों को रद्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) आयात तथा निर्यात नीति में, पंजीकृत निर्यातक की एक नियमित सदन के रूप में मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के प्रावधान हैं, परन्तु एक आयात सदन के रूप में मान्यता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

निर्यात सदनों द्वारा आयान तथा निर्यात अधिनियम, 1947 के नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने सम्बन्धी ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

बम्बई के गोदामों में लावारिस पड़ा आयातित इस्पात

10010. **श्री ए० के० राजन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1984 के 'ब्लिट्ज' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बम्बई के गोदामों में 4 लाख रु० का आयातित इस्पात लावारिस पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच आयोग ने इस इस्पात आयात घोटाले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 1981 में आयकर विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा ली गई तलासियों के दौरान, बहुत सी पार्टियों के इस्पात को, अधिप्राप्ति के स्रोत का प्रमाण मिलने तक विभिन्न गोदामों में सील कर दिया गया। माल के कुछ हिस्से को या तो अधिप्राप्ति स्रोत बनाए जाने की वजह से अथवा स्वीकार की गई गुप्त आय पर कर अदा करने के फलस्वरूप छोड़ दिया गया। लगभग 25 लाख रु० मूल्य का माल अभी निषेध आदेश के अन्तर्गत है। आयकर विभाग को मामले की जानकारी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम को हुआ लाभ

10011. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम को वर्ष 1983-84 में कितना शुद्ध लाभ हुआ है; और

(ख) शुद्ध लाभ के रूप में निगम की कुल कितनी आस्तियां हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लाभ की वाणिज्यिक रूप से स्वीकृत धारणा जीवन बीमा कारबार पर लागू नहीं होती है। जीवन बीमा कारबार का आवधिक बीमांकिक मूल्यांकन करते समय, बीमांकिक मूल्यांकनकर्त्ता उस राशि को निर्धारित करता है जिसे **अधिशेष** कहते हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गज जीवन बीमा निगम से प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार अपने कारबार का बीमांकिक मूल्यांकन करवाने की अपेक्षा की गई है और मूल्यांकन द्वारा जितना अधिशेष निकलता है उसकी 95 प्रतिशत राशि को लाभ-सहित पालिसीधारकों को आबंटित करना पड़ता है।

31 मार्च, 1983 को जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा कोष में 8631.72 करोड़ रुपए जमा थे तथा उस तारीख को किए गए द्विवार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन से 783.13 करोड़ रुपए के अधिशेष का पता चला था जिसके आधार पर जीवन बीमा निगम ने आजीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति हजार बीमा राशि पर 42.50 रुपए का प्रतिवर्ती बोनस घोषित किया और बन्दोबस्ती बीमा पालिसियों के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति हजार बीमा राशि पर 34.00 रुपए की दर से बोनस देने की घोषणा की है।

ऊन का आयात

10012. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊन मिलों द्वारा ऊन का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह आयात सीधे किया जाता है अथवा किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से;

(ग) प्रत्येक कम्पनी ने 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में और किस किस्म की ऊन का आयात किया और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत ऊन के उत्पादन में आत्मनिर्भर है; और

(ङ) यदि हां, तो ऊन उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा खर्च करके ऊन का अध्ययन करने के बजाय भारतीय ऊन का प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) सीधे ही।

(ग) क्योंकि ऊन का आयात ओ० जी० एल० के अन्तर्गत होता है, मात्रा तथा किस्म के बारे में पार्टी-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जहां कहीं सम्भव हो, वहां भारतीय ऊन के प्रयोग के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मदों के लिए जहां भारतीय ऊन प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, वहां ऊन का आयात अनिवार्य हो जाता है।

वस्त्र निर्यातकों द्वारा की गई कोटा सम्बन्धी धोखाधड़ी

10013. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे वस्त्र निर्यातकों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान कोटा सम्बन्धी धोखाधड़ी लाइसेंस वैधता और निर्यात कोटा मात्रा आदि में हेरा-फेरी की है;

(ख) कितने मामलों में (नाम सहित) दोषी व्यक्तियों को 2 से 12 महीने तक की अवधि के लिए पंजीकरण रद्द कर देने और चेतावनी आदि जारी करने जैसे दण्ड दिए गए हैं; और

(ग) किन-किन वस्त्र निर्यातकों के मामले मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात के पास उचित दांडिक कार्यवाही के लिए कब-कब से विचाराधीन है तथा उन पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ग) उन परिधान निर्यातकों की सूची जिन पर परिधानों के निर्यात में विभिन्न अनियमितताएं करने सम्बन्धी आरोप लगाए गए हैं और जिनके मामले मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात के कार्यालय में लम्बित हैं, विवरण 1 पर हैं। वे मामले मुख्य नियन्त्रक, आगात व निर्यात के कार्यालय में जांच/कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) अद्यतन जानकारी के अनुसार अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने 32 निर्यातकों के पंजीकरण समाप्त कर दिए हैं और चेतावनी जारी की हैं तथा 7 निर्यातकों के ई० एम० डी० समाप्त कर दिए हैं। 31 निर्यातकों के मामलों में चेतावनी जारी की गई हैं। नामों की सूची विवरण 2 में संलग्न हैं।

विवरण—1

उन परिधान निर्यातकों की सूची जिन पर परिधानों के निर्यात में विभिन्न अनियमितताएं करने के आरोप लगाए गए हैं तथा जिनके मामले दण्डात्मक कार्यवाही के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के पास लम्बित हैं।

क्रमांक	भारतीय निर्यातक का नाम
1.	मैसर्स फैशन रिवाइवल, नई दिल्ली।
2.	मैसर्स जे० पी० एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
3.	मैसर्स सुपर क्रिएशन्स, नई दिल्ली।
4.	मैसर्स जनरल ओवरसीज मार्किटिंग (प्रा०) लि० नई दिल्ली।
5.	मैसर्स ईस्ट वैस्ट मैनेजमैंट एण्ड मैनपावर कंसलटेशनस, नई दिल्ली।
6.	मैसर्स कोस्मीक्यू एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
7.	मैसर्स आदमस वियर इण्डिया, नई दिल्ली।
8.	मैसर्स धवन एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
9.	मैसर्स इस्टर्न एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
10.	मैसर्स विनियोग इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
11.	मैसर्स गुरुकुल इण्टरनेशनल, नई दिल्ली।
12.	मैसर्स रेमला एम्ब्राइडरी मिल्स, (प्रा०) फरीदाबाद
13.	मैसर्स सी० एण्ड ए० इंटरनेशनल, नई दिल्ली।

क्रमांक	भारतीय निर्यातक का नाम
14.	मैसर्स सिंग एण्ड इस्माइल (आइ,) प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
15.	मैसर्स वंदना एक्सपोर्टस मार्किटिंग (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
16.	मैसर्स इण्डियन एक्सपोर्ट हाऊस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
17.	मैसर्स स्माइलिंग रोजिज, नई दिल्ली ।
18.	मैसर्स निता वियर, नई दिल्ली ।
19.	मैसर्स कान्ता इण्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
20.	मैसर्स चौधरी इण्टरनेशनल, बम्बई ।
21.	मैसर्स जे० डी० एक्सपोर्टस, नई दिल्ली ।
22.	मैसर्म गाजिबो, नई दिल्ली ।
23.	मैसर्स मोहन इण्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
24.	मैसर्स चन्द्रमणी, नई दिल्ली ।
25.	मैसर्स मोहर ओवरसीज (प्रा) लि०, नई दिल्ली ।
26.	मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया गारमेंट्स (प्रा) लि० ।
27.	मैसर्स शिवानी एक्सपोर्टस इण्डस्ट्री, नई दिल्ली ।
28.	मैसर्स एटेक्स इण्डिया, नई दिल्ली ।
29.	मैसर्स स्टिच आर्ट एक्सपोर्टस (प्रा) लि० कलकत्ता तथा नई दिल्ली में भी ।
30.	मैसर्स दिदि मोड्स (प्रा) लि०, नई दिल्ली ।
31.	मैसर्स यूनिक्य क्रिएशन्स इम्पैक्स (प्रा) लि०, बम्बई ।
32.	मैसर्स सिंध इंटरनेशनल, नई दिल्ली ।
33.	मैसर्स नार्दन इण्डिया ट्रेडिंग कं०, नई दिल्ली ।
34.	मैसर्स इम्पैक्स इंटल, बम्बई ।
35.	मैसर्स इण्डिया अपैरल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
36.	मैसर्स दादू एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली ।
37.	मैसर्स भारत इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, नई दिल्ली '
38.	मैसर्स हैंडीक्राफ्ट इंटल, लखनऊ ।
39.	मैसर्स एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, नई दिल्ली ।

क्रमांक	भारतीय निर्यातक का नाम
40.	मैसर्स हरि इंटरनेशनल, नई दिल्ली ।
41.	मैसर्स हरि इन्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
42.	मैसर्स दुग्गल एण्ड बजाज, नई दिल्ली ।
43.	मैसर्स यू० एन० सी०, नई दिल्ली ।
44.	मैसर्स अलंकार मार्केटिंग एसोसिएटिस, नई दिल्ली ।
45.	मैसर्स एक्सपो इम्पो लिंकर्स, नई दिल्ली ।
46.	मैसर्स ईस्टर्न सिल्क इन्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली ।
47.	मैसर्स जेमिनी ओवरसीज लि०, कलकत्ता ।
48.	मैसर्स पी० एण्ड ए० कम्पनी, कलकत्ता ।
49.	मैसर्स माटी क्राफ्ट्स, बम्बई ।
50.	मैसर्स के० के० इंटरनेशनल, कलकत्ता ।
51.	मैसर्स इन्द्रा इन्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
52.	मैसर्स हिन्दुजा निट वियन, बंगलौर ।
53.	मैसर्स फैशन ओवरसीज, नई दिल्ली ।
54.	मैसर्स विवियरले मिल्स, नई दिल्ली ।
55.	मैसर्स अमरप्रीत इंटरप्राइजिज (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
56.	मैसर्स स्टिच आर्ट एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
57.	मैसर्स शिवम इण्टरनेशनल, मद्रास ।
58.	मैसर्स किरण निट इंडस्ट्रीज, (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
59.	मैसर्स ला-डिरनिरज मोडे, नई दिल्ली ।
60.	मैसर्स गुड़िया एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
61.	मैसर्स अपोलो इंटरप्राइजिज, नई दिल्ली ।
62.	मैसर्स बिग बियर, नई दिल्ली ।
63.	मैसर्स जे० के० एक्सपोर्टस, नई दिल्ली ।
64.	मैसर्स मार्डन निटवियर, नई दिल्ली ।
65.	मैसर्स साड़ी इन्ट०, नई दिल्ली ।

क्रमांक	भारतीय निर्यातक का नाम
66.	मैसर्स टोप एण्ड बाटम्स, नई दिल्ली।
67.	मैसर्स ओआ-सिस एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
68.	मैसर्स रेने डिफैशन (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
69.	मैसर्स वियरल एजेन्सीज, नई दिल्ली।
70.	मैसर्स कॉन्ट्रीनेन्टल एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०।
71.	मैसर्स इन्डो इम्पैक्स, नई दिल्ली।
72.	मैसर्स रुचित कार्पो०, नई दिल्ली।
73.	मैसर्स फैशन एक्सपोर्ट कार्पो० आफ इंडिया, नई दिल्ली।
74.	मैसर्स शकुन इण्टरनेशनल, नई दिल्ली।
75.	मैसर्स मोहरा एसोसिएट्स, नई दिल्ली।
76.	मैसर्स शकुन्तला एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
77.	मैसर्स भन्डारी हौजरी मिल्स (प्रा०) लि०, लुधियाना।
78.	मैसर्स गोयल ड्रैसिज, मद्रास।
79.	मैसर्स गोकुलदास फैशंस, बंगलौर।
80.	मैसर्स मोडे इंटरनेशनल, नई दिल्ली।

विवरण—2

उन परिधान निर्यातकों की सूची जिनका परिधान निर्यातों में तथाकथित अनियमितता करने के लिए पंजीकरण समाप्त किया गया अथवा चेतावनी जारी की गई।

क्रमांक	निर्यातक का नाम
1.	मा० सारा इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
2.	मा० टोप एण्ड बोटम्स, नई दिल्ली।
3.	मैसर्स बाकसस ऐंसपार्ब्स, नई दिल्ली।
4.	मैसर्स रेने डिफूशन प्रा० लि०, नई दिल्ली।
5.	मैसर्स मेहरा एसोसिएट्स, नई दिल्ली।
6.	मैसर्स सिंह इंटरनेशनल।
7.	मैसर्स नादर्न इण्डिया ट्रेडिंग कं०, नई दिल्ली।

क्रमांक	निर्यातक का नाम
8.	मैसर्स पीयर्ल एलेन्सीज, नई दिल्ली ।
9.	मैसर्स माथुर इम्पोर्टस एण्ड एक्सपोर्टस प्रा० लि० ।
10.	मैसर्स स्टिच क्राफ्ट्स (आई०), नई दिल्ली ।
11.	मैसर्स ओल्ड टाउन, नई दिल्ली ।
12.	सनलोर्ड अपैरल्स मैन्यु० कं० प्रा० लि० ।
13.	मैसर्स कन्टिनेन्टल एक्सपोर्टस प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
14.	मैसर्स इंडो इम्पैक्स, नई दिल्ली ।
15.	मैसर्स रांची कार्पोरेशन, नई दिल्ली ।
16.	मैसर्स फैशन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली ।
17.	मैसर्स शकुन इंटरनेशनल, नई दिल्ली ।
18.	मैसर्स शकुन्तला एक्सपोर्टस, नई दिल्ली ।
19.	मैसर्स जैडका हौजरी फैक्टरी, रजिस्टर्ड ।
20.	मैसर्स इण्डियन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ।
21.	मैसर्स डेलफिन एन्टरप्राइजेज ।
22.	मैसर्स एनबी, नई दिल्ली ।
23.	मा० गुरुकुल एक्सपोर्टस ।
24.	मैसर्स जय पी एक्सपोर्टस ।
25.	मैसर्स गामान्स इण्टरनेशनल ।
26.	मैसर्स पटवारी एक्सपोर्टस प्रा० लि०, मद्रास ।
27.	मैसर्स गुप्ता गार्मेंट्स ।
28.	मैसर्स ईस गार्मेंट्स ।
29.	मैसर्स बेवरले हिल्स, नई दिल्ली ।
30.	मैसर्स महारानी इण्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
31.	मैसर्स अना एक्सपोर्टस, नई दिल्ली ।

वे मामले जिनमें चेतावनी जारी की गई और ई० एम० डी० समाप्त की गई

1. मैसर्स ला-डरनियर्स मोड, नई दिल्ली ।

क्रमांक	निर्यातक का नाम
2.	मैसर्स बिग बीयर, नई दिल्ली।
3.	मैसर्स गुड़िया एक्सपोर्टस प्रा० लि०, नई दिल्ली।
4.	मैसर्स यू० एन० पी०, नई दिल्ली।
5.	मैसर्स अपोलो एन्टरप्राइसेस, नई दिल्ली।
6.	मैसर्स जे० के० एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
7.	मैसर्स मार्डन निटवियर, नई दिल्ली।

इन निर्यातकों के पंजीकरण समाप्त किए गए

1. मैसर्स हेमला एम्ब्राइडरी मिल्स (प्रा०) लि०।
2. मैसर्स इम्पेक्स इंटेल, बम्बई।
3. मैसर्स इण्डिया अपैरल इंडस्ट्रीज।
4. मैसर्स शिवानी एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
5. मैसर्स दादू एन्टरप्राइजिज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
6. मैसर्स एक्सपोर्ट मर्चेंटस, नई दिल्ली।
7. मैसर्स हैंडीक्राफ्ट इन्टेल, लखनऊ।
8. मैसर्स भारत इन्टेल, नई दिल्ली।
9. मैसर्स हरी इन्टेल, नई दिल्ली।
10. मैसर्स हरी इन्टेल, नई दिल्ली।
11. मैसर्स बिजनेस एसोसिएट्स, नई दिल्ली।
12. मैसर्स एक्सपो इम्पो लिन्कर्स, नई दिल्ली।
13. मैसर्स इस्टर्न सिल्क इन्ड० लि०, नई दिल्ली।
14. मैसर्स एटल्स इण्डिया, नई दिल्ली।
15. मैसर्स दुग्गल एण्ड बजाज, नई दिल्ली।
16. मैसर्स यू० एन० पी०, नई दिल्ली।
17. मैसर्स यू० एन० पी०, नई दिल्ली।
18. मैसर्स अलंकार मार्किटिंग एसोसिएट्स, नई दिल्ली।

क्रमांक	निर्यातक का नाम
19.	मैसर्स जेमिनी ओवरसीज लि० [पहले लक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि० विख्यात]।
20.	मैसर्स डेफोडिल्स, नई दिल्ली।
21.	मैसर्स अमरप्रीत एन्टरप्राइजिज।
22.	मैसर्स इन्दिरा इंटरनेशनल।
23.	मैसर्स गोकलदास फैशन्स।
24.	मैसर्स फेशन ओवरसीज।
25.	मैसर्स हिन्दूजा निटवियरर्स, बंगलौर।
26.	मैसर्स शिवम इन्टरनेशनल कं०।
27.	मैसर्स सिटिच आर्ट एक्सपोर्टस (प्रा०) लि०।
28.	मैसर्स मेटी क्राफ्ट।
29.	मैसर्स पी० एण्ड ए० कम्पनी।
30.	मैसर्स के० के० इण्टरनेशनल।
31.	मैसर्स शाकुन इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।
32.	मैसर्स मोड इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।

बैंक आफ इण्डिया बम्बई में कार्यकारी निदेशक तथा महाप्रबन्धक के खाली पदों को भरना

10014. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ इंडिया बम्बई के कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधक सहित कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने या तो इस्तीफे दे दिए हैं अथवा वे हाल ही में सेवानिवृत्ति पूर्व लम्बी छुट्टी पर चले गए हैं;

(ख) क्या उक्त खाली पदों को, ऐसे लोगों से भरने का कोई प्रयत्न किया गया है जो महाप्रबन्धकों की श्रेणी में कार्य संचालन से स्कन्ध अथवा कार्य के विषय से सम्बन्धित न हों; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उक्त खाली पदों को भरने हेतु बैंकिंग कार्य संचालन में अनुभव रखने वाले उचित व्यक्तियों को लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसी बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री डी० एन० शुक्ल ने यह संकेत दिया है कि

वे 12 अगस्त, 19 4 को कार्यपालक निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के पूरा हो जाने के बाद बैंक की सेवाओं से निवृत्त होना चाहेंगे। उन्होंने 1 जून, 1984 से छुट्टी के लिए भी अनुरोध किया है।

बैंक ने यह भी सूचित किया है कि श्री आर० पी० वैद्य, महाप्रबन्धक ने 1 जनवरी, 1984 से अपना त्यागपत्र दिया है जिसे बैंक प्रबन्धकों ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले, उसी बैंक के महा-प्रबन्धक श्री आर० परमेश्वरन ने पहली फरवरी, 1984 से अपना त्याग पत्र दिया था।

कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 3(क) के अधीन की जाती है। महा-प्रबन्धक के पद बैंक द्वारा बैंक आफ इण्डिया (आफीसर्स) सेवा विनियमन, 1979 के अनुसार भरे जाएंगे।

बोइंग 767 और एयरबस 310 के लिए चालक दल

10015. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोइंग 767 और एयरबस 310 के लिए चालक दल में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है; और

(ख) यदि कम चालक दल की आवश्यकता होती है, अर्थात केवल पायलट और सह-पायलट की, तो इन विमानों के अधिग्रहण पर फालतू होने वाले विमान-चालक कर्मचारियों के सम्बन्ध में एयर इण्डिया ने क्या योजना बनाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बोइंग 767 और एयरबस 310 विमानों के लिए 2 संदस्यीय चालक दल ही मूल कर्मीदल है।

(ख) एयर इण्डिया द्वारा लिए जाने वाले विमानों के प्रकार के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा किराए पर लिए गए भवन के किराए का भुगतान

10016. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ महाराष्ट्र ने ए-13, रिंग रोड साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 स्थित भवन को 1982 तक 4000 रु० प्रति मास के किराए पर लिया था तथा अक्तूबर,

1983 में इस भवन का किराया पिछली तारीख से बढ़ा हुआ मानकर 30,000 रुपए कर दिया;

(ख) क्या यह भवन वाणिज्यिक है या रिहायशी है;

(ग) यदि यह रिहायशी भवन है तो उसके दुरुपयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) किराए की राशि एक बार में ही 4000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक भी इतना अधिक किराया अदा कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो बैंकों द्वारा किराए के भवनों पर अनावश्यक खर्चे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस शाखा के लिए 2000 वर्ग फुट स्थान दिसम्बर, 1974 में 4,000 रुपए मासिक किराए पर 5 वर्षों के लिए लिया गया था। लेकिन मई, 1978 में सम्पत्ति का मालिक बदल गया। वर्तमान मालिक ने दिसम्बर, 1979 में पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टानामे के नवीनीकरण के लिए पहले 15 रुपए प्रति वर्ग फुट के किराए की शर्त रखी। बैंक ने मांग को ऊंचा देखते हुए 6 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराए का प्रस्ताव किया जिसे मालिक ने स्वीकार नहीं किया। इसी बीच, चूंकि यह परिसर समनुरूप क्षेत्र में नहीं था इसलिए बैंक ने कोई वैकल्पिक स्थान ढूंढ़ना शुरू किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बैंक को मूलचन्द कम्पलेक्स की पहली मंजिल पर स्थान अलाट किया जो शाखा के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था। उस क्षेत्र में शाखा का स्थान बदलने के लिए बैंक द्वारा विज्ञापन के जरिए किए गए प्रयास भी निष्फल रहे। ऐसी परिस्थितियों में बैंक ने मौजूदा मालिक के साथ 1-1-1983 के 15 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से पट्टानामा किया। बैंक आफ महाराष्ट्र के अनुसार पट्टानामे पर हस्ताक्षर करते समय बाजार किराए को देखते हुए दिया गया किराया तर्कसंगत है। बैंक आफ महाराष्ट्र के अनुसार भू-मालिक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक की साउथ एक्सटेंशन शाखा को समनुरूप-भिन्न (नान कन्फार्मिंग) क्षेत्र में चलाने पर लगाए जाने वाले दण्ड का खर्च वहन करना मान लिया है।

(ङ) और (च) अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं के लिए साउथ एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के स्थान लिए जाने का किराया/किराए पर लेने के समय किए गए पट्टानामे की शर्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पट्टे/किराए पर स्थान लेने के मामले में अस्वस्थ स्पर्धा से बचने

के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से अक्तूबर, 1983 में विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए थे।

बैंकों द्वारा नव ज्योति टैक्सटाइल मिल्स को ऋण देना

10017. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बैंकों द्वारा गुजरात के "काडी नगर में स्थिति नव ज्योति टैक्सटाइल मिल्स को, गलत जानकारी के आधार पर ऋण दिया जा रहा है और क्या इस सारे मामले की जांच के आदेश दिए जाएगे ताकि बैंकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और कानूनों के अधीन अनुज्ञेय और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएंगी।

आल इंडिया कन्फैड्रेशन आफ बैंक आफिसर्स की कार्यकारी समिति की बैठक

10018. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कन्फैड्रेशन आफ बैंक आफिसर्स की केन्द्रीय कार्यकारी समिति की अन्य बातों के अलावा सामहिक ऋण वितरण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष-स्व रोजगार कार्यक्रमों के नाम पर सभी को बैंक ऋणों के अविवेकपूर्ण वितरण से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए बम्बई में 5 मार्च, 1984 को बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में अन्य किन निर्णयों अथवा मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या इन बैंक अधिकारियों द्वारा कोई सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनकी सिफारिशों पर किस हद तक विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि आल इंडिया कन्फैड्रेशन आफ बैंक आफिसर्स आर्गनाइजेशन्स को 5 मार्च, 1984 को बैठक हुई थी। सरकार की उक्त बैठक में चर्चित विषयों और लिए गए निर्गमों की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) आल इंडिया कन्फैड्रेशन आफ बैंक आफिसर्स आर्गनाइजेशन्स ने सरकार को कुछ पत्र भेजे हैं जिनमें सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों के साथ अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है लेकिन इन कार्यक्रमों को कायन्वित करने में आने वाली कुछ कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में विभिन्न अभिकरणों को आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनकी ओर बराबर ध्यान दिया जाता है। कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के वास्ते भारतीय रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों के अलवा बैंक और राज्यों के अभिकरण विभिन्न मंचों पर एकत्र होते हैं जो विशेषकर खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर बनाए गए होते हैं और जहां कार्यान्वियन अभिकरणों की क्षेत्रीय समस्याओं को हल किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

भारत पर्यटन विकास निगम में पदों का दर्जा बढ़ाने/दर्जा कम करने की नीति

0019. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम में पदों का दर्जा बढ़ाने और दर्जा कम करने के बारे में निदेशक-मंडल द्वारा स्वीकृत कोई निर्धारित नीति नहीं है;

(ख) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो पदों के (एक) सृजन; (दो) पुनः निर्धारण: (तीन) दर्जा बढ़ाने और (चार) दर्जा कम करने के बारे में निदेशक-मंडल द्वारा स्वीकृत नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभाग-वार और एकक-वार उन कर्मचारियों (अधिकारियों और गैर-अधिकारियों) के नाम, पद और वेतनमान क्या हैं जिसके पदों का जनवरी 1980 से जनवरी 1984 तक की अवधि के दौरान दर्जा बढ़ाया गया है दर्जा कम किया गया है/पदनाम पुनः निर्धारित किया गया है। पदों का सृजन किया गया है और उन्हें भरा गया है तथा प्रत्येक मामले का औचित्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) निगम के व्यावसाहिक हित को ध्यान में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम में उन पदों को, जिनके अनुमोदित वेतनमान हैं और जिनकी अधिकतम सीमा 2250/- रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है; उन्हें भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक-मंडल के अनुमोदन से सृजित, पुनः निर्धारित किया जाता है, उनका दर्जा बढ़ाया जाता है और उनका दर्जा कम किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत चालित करघा नियमितीकरण शुल्क की वापसी को रोकना

10020. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा आयुक्त ने वर्ष 1978 से विद्युत चालित करघा नियमितीकरण शुल्क की वापिसी और वर्ष 1979 से परमिट के आवेदन-पत्रों के निबटान को रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बिलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या आयुक्त दोनों विद्युत चालित करघों और उनके मालिकों को अपनी पुरानी जगह पर जोर देता है और इस सम्बन्ध में शाक्तियों का प्रत्यायोजन किए बिना, इसे अपने मातहतों द्वारा पारित करवा देना चाहता है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) शुल्क आवेदन-पत्र की धनराशि वापसी हेतु दावों की बैंकों से जांच की जानी है। परमिट आवेदनों के निपटान में प्राप्त आवेदन-पत्रों की बड़ी संख्या में होने के कारण कुछ समय लगा। 1979 में प्राप्त आवेदन-पत्र निपटाए जा चुके हैं।

(ग) तथा (घ) वस्त्र आयुक्त को विद्युत करघा यूनिटों का दौरा करने और जब कभी आवश्यक हो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वस्त्र नियंत्रण आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्युत कारघों के कार्यालय के अस्तित्व की हड़ताल करने हेतु निदेश देने की शक्ति दे दी गई है।

तीसरे दक्षिणी ध्रुव (एन्टारक्टिका) भारतीय वैज्ञानिक अभियान में वायुसेना के हेलीकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

10021. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी ध्रुव (एंटारक्टिका) को तीसरे भारतीय वैज्ञानिक अभियान में मिशन के तीसरे दिन वायुसेना के हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की दुखद घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या उक्त हवाई दुर्घटना से अभियान के कार्य में बाधा पड़ गई है?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) दुर्घटना की जांच करने वाली जांच अदालत की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। अदालत की सिफारिशों के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

(ग) जी नहीं।

राजस्थान सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट

10022. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान सरकार द्वारा 31 मार्च, 1982, 1983 और 1984 को कितना ओवरड्राफ्ट किया गया?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 31 मार्च, 1982 और 31 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान का समायोजित ओवरड्राफ्ट क्रमशः 271.46 करोड़ रुपए और 2.07 करोड़ रुपए था। उपलब्ध असमायोजित नकद अधिशेष की स्थिति के अनुसार 31-3-1984 को राजस्थान सरकार ओवरड्राफ्ट में नहीं थी।

कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के धन का दुर्विनियोग किए जाने सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

10023. **श्री कुंवर राम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानपुर छावनी बोर्ड में वर्ष 1977 और 1981 के बीच बोर्ड के धन का दुर्विनियोग/अनियमितताएं और प्रबन्ध करने के कारण कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सी० बी० आई० जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1977 से 1981 के दौरान दानापुर छावनी बोर्ड में धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं आदि के दो मामलों की जांच की थी ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दानापुर छावनी बोर्ड के दो कार्यकारी अधिकारियों और पांच अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कतिपय प्रशासनिक चूकों और अनियमितताओं की रिपोर्ट दी थी ।

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की गई है । दो में से एक कार्यकारी अधिकारी को भारी दण्ड देने की कार्यवाही चल रही है और दूसरे अधिकारी की निन्दा की गई है । उक्त छावनी बोर्ड के दोषी पाए गए कर्मचारियों में से दो की निन्दा की गई है और शेष तीन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है ।

ब्रिटेन में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ की गई धोखाधड़ी

10024. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों के साथ ब्रिटेन में ईसल कामोडिटीज नामक एक फर्म ने धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक को कितना धोखा दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में जांच की है और सम्बन्धित बैंकों को लन्दन में अपने सम्बद्ध संगठन के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह दी है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह नहीं मानी है तथा लन्दन से केवल अपने एक प्रबन्धक को वापिस बुला लिया है और अपने महा-प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीत-रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अलबत्ता यह बताया जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक मामले पर विचार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की जांच परिणामों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

सब एरिया मुख्यालय, दिल्ली छावनी के अधीन सफाई सेवा के ठेके देना

10025. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद के अप्रैल, 1984 से सफाई ठेके पिछले वर्ष की दरों पर देने के क्या कारण हैं और क्या जिन फार्मों को ठेके दिए गए हैं वे पंजीकृत हैं और न्यूनतम दर भरने वाली फर्म को ठेके न देने के क्या कारण हैं;

(ख) सब-एरिया मुख्यालय, दिल्ली छावनी के अधीन लाल किला, आदन्द पर्वत, गुड़गांव आदि पर वर्तमान सफाई सेवा ठेकेदार कितने वर्षों से कार्यरत हैं और वे किस दर पर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त स्थानों पर एक ही ठेकेदार का एकाधिकार है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और क्या चालू वर्ष के लिए टेंडर मांगे हुए हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लाल किला, आनन्द पर्वत और दिल्ली छावनी की क्रमश: सफाई दरें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) वायुसेना स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद में सफाई सेवाओं के लिए ठेका देने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा अभी पूरी नहीं की गई है। अन्तरिम उपाय के रूप में जिससे कि मौजूदा व्यवस्था भंग न हो, वर्तमान ठेकेदार को मौजूदा दरों पर ही तब तक के लिए सफाई सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है जब तक नए ठेके नहीं दिए जाते।

(ख) और (घ) लाल किला, आनन्द पर्वत और शकूर बस्ती में सफाई सेवा के लिए मौजूदा ठेकेदारों की नियुक्ति। अप्रैल, 1983 से की गई है और इसकी दर 9.50 रु० प्रति सफाईवाला प्रतिदिन और सैनिक क्षेत्र गुड़गांव के लिए 10 रु० प्रति सफाई वाला प्रतिदिन रखी गई है।

(ग) जी, नहीं। चालू वर्ष के लिए लाल किला, आनन्द पर्वत, गुड़गांव और शकूरबस्ती में सफाई-सेवाओं के सम्बन्ध में निविदाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित की गई और इस सम्बन्ध में 14-12-1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में विज्ञापन भी दिया गया। दिल्ली छावनी में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं इसलिए सफाई सेवा के सम्बन्ध में वहां ठेका नहीं दिया जाता।

भारतीय रुई निगम द्वारा बीज पेराई कार्यक्रम पर किया गया खर्च

10026. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम ने अपने बीज पेराई कार्यक्रम पर काफी रकम खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को किसने तैयार किया और चिराला में मै० कापोल को छः करोड़ रुपए का कार्य सौंपा;

(ग) इस निगम पर कुल कितनी हानि हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है; और

(घ) क्या यह सच है है कि भारतीय रुई निगम ने इस क्षेत्र में बिना किसी अनुभव के बीजों की पेराई का कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप यह हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) भारतीय रुई निगम ने, बिनौले के निपटान के लिए तथा नए ढंग के कार्य-कलापों में तजुर्बा हासिल करने के लिए, 1979-80 से 1982-83 मौसम तक पेराई कार्यक्रम आरम्भ किया है। सम्भाव्यता रिपोर्ट निगम के तेल प्रौद्योगिकी विज्ञापन द्वारा तैयार की गई थी। बिनौला पेराई परामर्शदात्री समिति की तकनीकी सलाह पर तथा निगम के निदेशक मंडल के अनुमोदन पर रुई पेराई का काम मैसर्स कैंपल चिराला को सौंप दिया गया था। आन्ध्र प्रदेश में पेराई कार्यों पर हुआ कुल घाटा 95.13 लाख रु० की मूल्य का रहा।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में बिनौला पेराई कार्य आरम्भ करने से पूर्व निगम ने वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में पंजाब तथा हरियाणा में भी आजमाइशी आधार पर ऐसे कार्य-कलाप किए थे।

"इन्कवारी इन्टू ग्रांटिंग आफ बैंक लोन्स अर्जड" शीर्षक में प्रकाशित समाचार

10027. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1984 के स्टेट्समैन में "इन्कवारी इन्टू ग्रांटिंग बैंक लोन्स अर्जड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो महाराष्ट्र के पूणे जिले में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए धन के दुर्विनियोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के अन्य भागों से भी इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित समाचार में की गई शिकायत की जांच करने के लिए कहा गया है।

(ग) से (ङ) जब कभी सरकार को कोई खास शिकायत प्राप्त होती है तो उपर्युक्त उपचारात्मक कारंवाई करने के विचार से उसकी जांच की जाती है।

जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहायता

10028. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मई, 1983 के नेशनल कान्फ्रेंस के सरकारी मुख्य नवाए-सुबह में प्रकाशित (जम्मू तथा काश्मीर) के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह जम्मू और काश्मीर के विकास के लिए विदेशों से सीधी वित्तिय सहायता लेने का प्रयास करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आल इण्डिया टायर डीलर्स फेडरेशन से प्राप्त ज्ञापन

10029. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया टायर डीलर्स फैडरेशन से दिनांक 1 मार्च, 1984 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें और मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार टायर उद्योग को मूल्य वृद्धि वापस लेने के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री के निदेशों को ध्यान में रखते हुए टायरों/ट्यूबों पर उत्पाद-शुल्क में रियायत वापस लेने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रक/बस टायरों के सम्बन्ध में 1 अक्तूबर, 1983 से घोषित उत्पादनशुल्क रियायत को वापस लिए जाने के खिलाफ फेडरेशन ने अभ्यावेदन दिया था और उस रियायत को जारी रखे

जाने के लिए निवेदन किया था। फेडरेशन ने "भार के आधार" पर शुल्क की विशिष्ट दरों की लेवी की भी सलाह दी थी।

(ग) सरकार ने मामले पर विचार किया था और ऐसा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं पाया जिससे अक्तूबर 1983 में दी गई छूट को बरकरार नहीं रखे जाने के फैसले पर पुन विचार किए जाने का कोई औचित्य हो।

अल्यूमिनियम के आयात की स्वीकृति में विलम्ब

10030. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्यूमिनियम की भारी कमी के कारण जिसके बारे में सरकार भलीभांति अवगत है समूचे देश में मची हाय तोबा के बावजूद 15000 टन अल्यूमिनियम का शीघ्र आयात करने सम्बन्धी मामला उनके मंत्रालय में स्वीकृति के लिए लम्बे समय से अटका पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कुछ प्राथमिक उत्पादक 5000 रुपए प्रति टन अधिक वसूल करके वर्तमान संकट का अनुचित लाभ उठा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में अल्यूमिनियम का आयात करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) 1984-85 की पहली तिमाही में 15000 मेट्रिक टन एल्यूमीनियम का जो आयात किया जाना है, उसके लिए समस्त आवश्य अभिस्वीकृतियां, जिनमें विदेशी मुद्रा को जारी किए जाने की अभिस्वीकृति भी सम्मिलित है, अप्रैल, 1984 के पहले सप्ताह में ही प्रदान कर दी गई थीं। कुल मात्रा के सम्बन्ध में संविदा निष्पन्न कर लिया गया है। खनिज पदार्थ तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयात का बंदोबस्त इस ढंग पर किया जा रहा है कि 13,750 मेट्रिक टन एल्यूमीनियम का जहाजी लदान अप्रैल तथा मई के महीने में ही हो जाए। जैसे ही देश में एल्यूमीनियम की उपलब्धता से सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वैसे ही इस अग्रेतर आयात के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति

10031. **श्री वी० श्रीनिवस प्रसाद** :
श्री के० लकप्पा :
श्री निहाल सिंह जैन :
श्री गुफरान आजाम : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल टैक्सटाइल कारेपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्डों में तदर्थ आधार पर कुल कितने निदेशकों की नियुक्ति की गई है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ निदेशकों ने अपनी इस प्रकार नियुक्ति से पूर्व अपने पूर्व रोजगार योग्यताओं तथा पूर्व रोजगार में उनकी सेवाओं को समाप्त करने के कारणों के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों को छिपाया था जिनको यदि सही रूप में बताया जाता तो वे नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों में इस प्रकार तदर्थ नियुक्ति पाने से निर्वाजित हो जाते;

(ग) क्या उनमें से कुछ निदेशकों के विरुद्ध अब तक भ्रष्टाचार आदि के आरोप तथा इस बीच जांच करने पर ये आरोप प्रमाणित हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा प्रत्येक सहायक कम्पनी के बोर्ड में इस प्रकार के तदर्थ रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उनके नाम और संख्या क्या है तथा इन निदेशकों को तत्काल हटाने के लिए क्या अग्रेतर कार्रवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायक कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में तदर्थ आधार पर कार्यात्मक निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया :—

सं०	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ओ० पी० बंसल	निदेश (वाणिज्यिक) एन० टी० सी० (एम० पी०)	14-12-79
2.	श्री जे० एन० श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक) एन० टी० सी० (यू० पी०) लि०	21-2-80
3.	श्री ए० के० होम चौधरी	निदेशक (तकनीकी) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० बाद में एन० टी० सी० (यू० पी०) लि० को स्थानान्तरित	24-11-80
4.	श्री० एस० सी० बनर्जी	निदेशक (वाणिज्यिक) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि०	7-10-80

इन सभी व्यक्तियों को बाद में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। बाद में, यह पाया गया कि श्री ए० के० होम चौधरी ने अपने पिछले नियोक्ता द्वारा सेवाओं के समाप्त किए जाने का वास्तविक तथ्य छिपाया था। तदनुसार, 18 अक्तूबर, 1982 के अपराह्न से उनकी सेवाएं को समाप्त कर दिया गया।

समाचार भारती न्यूज एजेंसी के प्रबंधकों द्वारा बैंकों के साथ धोखाबाजी

10032. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार भारती न्यूज एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा यह शिकायत की गई है कि इस एजेंसी के प्रबन्धकों द्वारा कई राष्ट्रीयक्रत बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं तथा कितने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई है;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी धनराशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही की है तथा उनके द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई और उनको किस सीमा तक सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और कानून के अधीन यथासंभव सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ओरियंट पेपर मिल आदि को आयकर में छूट

10033. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि ओरियंट पेपर मिल, बृज राजनगर, उड़ीसा, ओरियंट पेपर मिल, अम्बलाई, मध्य प्रदेश, हिन्दुस्तान मोटर्स हावड़ा और हिन्दुस्तान चैरिटि ट्रस्ट, कलकत्ता को बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची में अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए आयकर में छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां तो इन संस्थानों के शुरू होने के बाद इन्हें अब तक कितने आयकर की छूट दी गई है और उनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पती पर चर्बी का आयात करने के कारण लगाया गया जुर्माना

10034. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य आयांत तथा निर्यात नियंत्रक, नीति तैयार करने वाला प्राधिकारी है;

(ख) क्या कानून के अन्तर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारी जुर्माना लगाने सहित आयात के कार्य की देखभाल करते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एक बार अनुधिकृत वस्तुओं पर जुर्माना लगाए जाने पर वे आयातित वस्तुएं वैध करार दी जाती हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति द्वारा चर्बी के आयातों के मामलों में जुर्माना लगाया गया था जिसके द्वारा आयात को वैध करार दिया गया था और यदि हां, तो दूसरी बार जुर्माना लगाने की कार्यवाही करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस फर्म को एक ही अपराध के लिए दो बार घसीटा गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) यह नीति सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय में बनाई जाती है । वह इसे कार्यान्वित करता है ।

(ख) जी, हां । तथापि, सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने सम्बन्धी शक्ति प्राप्त है ।

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत, माल की निकासी की व्यवस्था है, भले ही वह माल किसी विशिष्ट उल्लंघन के कारण जब्त किए जाने योग्य हो । ऐसी निकासी की इजाजत, माल की जब्ती की एवज में जुर्माने की अदायगी किए जाने पर, दी जाती है । उल्लंघन के स्वरूप के मुताबिक आयातकर्ता पर वैयक्तिक अर्थदण्ड भी लगाया जाता है ।

(घ) और (ङ) माननीय सदस्य जिस आयातित का उल्लेख कर रहे हैं; उसके ब्यौरे के अभाव में कोई उत्तर दे पाना सम्भव नहीं है ।

एयर इण्डिया को मानार्थ टिकटों के बदले में किराए पर मकान लेने से तात्कालिक लाभ

10035. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** एयर इण्डिया को किराए पर आवास वाले मकान मालिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के बारे में 9 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2132 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया को कितना तात्विक लाभ होता है जब किराए के एक हिस्से की अदायगी मानार्थ टिकप के रूप में की जाती है और टिकट की कीमत दिए गए किराए और मार्किट के किराए के अन्तर से अधिक होता है, जैसा कि उत्तर में दर्शाया गया है, विशेष कर एयर इण्डिया

द्वारा स्थाई बुकिंग देने के सन्दर्भ में और यह अधिक धनराशि साधारणतया टिकटों की बिक्री से कब वसूल की जा सकती है;

(ख) क्या वे मामले की जांच करेंगे और इस कदाचार और पक्षपात को इन मामलों में ही नहीं बल्कि सरकारी राजस्व का नुकसान कहीं भी नहीं होने देंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में प्रबन्ध निदेशक

10036. **श्री सूरज भान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में अप्रैल, 1980 के बाद कितने प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की गई है और उनके नाम तथा उनका कार्यकाल कितना है; और

(ख) उनके द्वारा विशेष कर पिछले प्रबन्ध निदेशक द्वारा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को छोड़ने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उन प्रबन्ध निदेशकों के नाम तथा उनका कार्यालय का कार्यकाल, जिन्होंने व्यापार मेला प्राधिकरण में अप्रैल 1980 से कार्य किया निम्नोक्त प्रकार है :—

क्रमांक	प्रबन्ध निदेशकों के नाम	कार्यालय कार्यकाल
1.	श्री प्रेमनाथ	15-9-79 (अप०) से 15-9-80
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	23-8-80 से 1-10-81 (पूर्वा०)
3.	श्री आर० रामाकृष्ण	23-10-81 से 15-2-82 (पूर्वा०)
4.	श्री जफर सफिउल्लाह	15-2-82 से 31-10-83

(ख) श्री प्रेमनाथ को 15-9-79 (अपराह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया था । वह 24-4-80 से अवकाश पर चले गए तथा 15-9-80 तक भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के रजिस्टर में रहे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह 23-8-80 से एक वर्ष की अवधि के लिए, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के प्रबन्ध निदेशक नियुयत किए गए । इस नियुक्ति की समीक्षा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

के प्रबन्ध निदेशक के पद पर एक वर्ष पूरा होने पर की जानी थी। तदनुसार, समीक्षा की गई तथा यह विनिश्चय किया गया कि उनके स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को चुना जाय। श्री सुरेन्द्र सिंह ने 1 अक्तूबर, 1981 (पूर्वाह्न) को प्रबन्ध निदेशक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, का कार्यालय छोड़ा।

श्री आर० रामाकृष्ण को, जो इस मंत्रालय के वस्त्र विभाग में संयुक्त सचिव थे, 23-10-81 से 15-2-82 (पूर्वाह्न) तक की अल्पावधि के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया। यह सरकारी उपक्रम चुनाव बोर्ड/मंत्रीमण्डल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति तक अन्तरिम व्यवस्था थी। यह अन्तरिम व्यवस्था भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1981 को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

श्री जफर सैफिउल्लाह ने 15-2-82 से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के प्रबन्ध निदेशक के पद का भार सम्भाला, जिसके दौरान उन्हें भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में स्थाई रूप से कार्य करने की इच्छा के बारे में बताना अपेक्षित था। उनके कार्य निष्पादन की भी प्रथम वर्ष के अन्त में समीक्षा की जानी थी ताकि उनके शेष कार्यकाल को स्थाई किए जाने का विनिश्चय किया जा सके। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर श्री जफर सैफिउल्लाह ने 31 अक्तूबर, 1983 के अपराह्न से भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सेल्यूत-7

10037. **श्री के० प्रधानी :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के प्रथम अन्तरिक्ष यात्री, राकेश शर्मा द्वारा अन्तरिक्षयान सेल्यूत-7 भारतीय भू-भाग के ऊपर से चक्कर लगाते समय लिए गए अनेक चित्रों की कापियां इस बीच प्राप्त हो गई हैं;

(ख) क्या अगले वर्ष से आगे भारतीय उपग्रहों द्वारा किए जाने वाले सूक्ष्म खोज कार्यों के तैयारी के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और देश की भौगोलिक बनावट की दृष्टि से इन चित्रों और भेजे गए अन्य आंकड़ों का किन्हीं विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन/विश्लेषण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विज्ञापन सम्बन्धी खर्च की अनुमति न देने से भारतीय कम्पनियों पर प्रभाव

10038. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञापन प्रचार और बिक्री सम्वर्धन सम्बन्धी खर्च की 20% अस्वीकृति उन सुस्थापित 'फेरा/एम० आर० टी० पी०, कम्पनियों के लिए लाभप्रद है, जिनको छोटी कम्पनियों तथा ऐसी नई कम्पनियों जिन्हें, उपभोक्ताओं में अपनी ब्रॉड जानकारी देनी होती है, कि तुलना में व्यापक ब्रांड मान्यता मिली हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अस्वीकृति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में भारतीय कम्पनियों द्वारा बाजार में अपनी साख जमाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और इस प्रकार विदेशी कम्पनियों के एकाधिकार को बढ़ावा देगी; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय कम्पनियों को ऐसी प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सम्भवत: यह कहना सही नहीं है कि ऐसी नई कम्पनियों की तुलना में, जिन्हें उपभोक्ताओं में अपनी ब्रांड की जानकारी देनी होती है, सुस्थापित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों के लिए 20 प्रतिशत की छूट न देना लाभप्रद है, क्योंकि माल के सम्वर्धन के लिए दोनों प्रकार की कम्पनियों को विज्ञापनों का सहारा लेना पड़ता है ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 की संगत उपधारा (3क) वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1-4-1984 से जोड़ी गई है । इस धारा के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स एस्कोर्टस इण्डिया लिमिटेड पर बकाया कर राशि

10039. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स एस्कोर्टस इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद पर 1983-84 के दौरान कितनी धनराशि बकाया थी और उसकी वसूली के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैसर्स एस्कोर्ट्स इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद की तरफ 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1980-81 के सम्बन्ध में 84.67 लाख रुपए की मांग बकाया थी । सम्पूर्ण मांग अपील में विवादग्रस्त है जो आयकर आयुक्त (अपील) के पास अनिर्णीत पड़ी है । अपीलों का निपटान शीघ्र करवाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

कलकत्ता सीमा-शुल्क विभाग में परीक्षकों के पद भरना

10040. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **वित्त मंत्री** कलकत्ता में सीमा-शुल्क परीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती करने के बारे में दिनांक 29 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता सीमा-शुल्क विभाग में प्रत्येक मामले में "परीक्षकों" के डी० पी० सी० पदों के भरने के बारे में कोई उपचारात्मक कार्रवाई की है;

(ख) क्या कलकत्ता सीमा-शुल्क विभाग में "परीक्षकों" के पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे कुछ अधिक आयु के कर्मचारियों को सीधी भर्ती वाले पदों पर प्रशासन आदेश संख्या 284/82 और 311/83 के अन्तर्गत नियमित कर दिया गया, यद्यपि उस तारीख को वे निर्धारित आयु सीमा से अधिक के हो चुके थे तथा कुछ कर्मचारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 3602/8/76-प्रशासन (ए० सी० टी०), दिनांक 20-4-1978 का उल्लंघन करते हुए तदर्थ आधार पर अपने पदों पर कार्य करते रहे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं के लिए किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) कलकत्ता सीमा-शुल्क गृह में परीक्षकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में संशोधनात्मक कार्यवाही करने के लिए, सीमा-शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता ने पहले ही समीक्षा-कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश उनके द्वारा जारी कर दिए जाएंगे।

(ख) आयु की जांच प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सामूहिक ऋण वितरण समारोह

10041. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 4 जनवरी, 1984 को आयोजित किए गए सामूहिक ऋण वितरण समारोह में बैंक के खर्चे पर बसें किराए पर ली गई थीं और समारोह में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बैंक द्वारा 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का "मनोरंजन" भत्ता दिया गया था;

(ख) इस समारोह के आयोजन पर प्रत्येक बैंक को कितना खर्चा उठाना पड़ा; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक बैंक का कर्मचारी किराए और प्रचार के लिए एक निर्धारित धनराशि पंजाब नेशनल बैंक को देनी पड़ी थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों द्वारा दिल्ली में 4 जनवरी, 1984 के आयोजित किए गए सार्वजनिक समारोह के साथ-साथ, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों को तेज करने के अभियान के समापन के अवसर पर किया गया था, लोगों को शिक्षित करने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और कमजोर वर्गों के लोगों को बैंक ऋण की सहायता से अपना रोजगार स्वयं शुरू करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुछ परिसम्पत्तियां, सहायता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई थीं और उनमें से कुछ कारीगरों ने अपने-अपने हुनरों का प्रदर्शन किया था। बैंकों ने इस प्रदर्शनी से समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए अपने-अपने कार्यक्रम और योजनाएं भी प्रदर्शित की।

बैंक प्रदर्शनी और समारोह पर किए गए खर्च का अलग-अलग ब्यौरा देने की स्थिति में नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्टालों के किराए, बिजली के खर्चों, प्रचार, फर्नीचर के किराए आदि पर कुल 10.45 लाख रुपए व्यय हुए जिसमें भाग लेने वाले प्रत्येक बैंक ने 29,857.15 रुपए प्रति स्टाल के हिसाब से अंशदान किया। बैंकों ने अपने-अपने स्टालों की सजावट, बेनरों, पोस्टरों, पंर्चो आदि पर भी कुछ रकम खर्च की। कुछ बैंकों ने यह भी बताया है कि उन्होंने समारोह तथा प्रदर्शनी के लिए ऋणकर्ताओं और उनकी परिसम्पत्तियों के लाने ले जाने के वास्ते बसें और अन्य वाहन किराए पर लिए थे। संलग्न विवरण में बैंकों द्वारा किए गए ऐसे अन्य व्यय बैंक-वार प्राप्त आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए अन्य व्यय का बैंकवार ब्यौरा

क्रमांक	बैंक का नाम	(राशि रुपयों में)
1	2	3
1.	भारती स्टेट बैंक	3635..20
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	830.00
3.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1488.00
4.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	13504.42
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1217.85
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	880.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1100.00
8.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर	9198.25

1	2	3
9.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	36151.35
10.	बैंक आफ इण्डिया	11271.00
11.	पंजाब नेशनल बैंक	35000.00
12.	बैंक आफ बड़ौदा	12295.00
13.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	10773.60
14.	केनरा बैंक	19948.44
15.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1478.75
16.	देना बैंक	5000.00
17.	सिंडिकेट बैंक	12142.85
18.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	13168.75
19.	इलाहाबाद बैंक	23284.30
20.	इण्डियन बैंक	6900.00
21.	बैंक आफ महाराष्ट्र	10361.50
22.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	13002.00
23.	आन्ध्र बैंक	7047.86
24.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9670.95
25.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	14022.35
26.	विजया बैंक	12189.83
27.	कारपोरेशन बैंक	20142.85
28.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	12142.85

हिन्दालको (बिरलाज) में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

10042. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दालको (बिरलाज) में कम्पनी कानून बोर्ड के जरिए सरकारी निदेशक नियुक्त

करने के बारे में कुछ समय पहले कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था और बिड़ला घराने ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था;

(ख) क्यां यह भी सच है कि बिड़ला घराने द्वारा "हिन्दालको" पर निदेशक नियुक्त करने से इंकार कर देने के बावजूद भी सरकार ने "हिन्दालको" के लिए 394 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा के ऋर्ण सहित 1200 लाख रुपए स्वीकृति किए; और

(ग) कम्पनी में सरकारी निदेशक नियुक्त न करने देने के बावजूद भी सरकार द्वारा इतना ऋण मंजूर करने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कम्पनी कानून बोर्ड ने 3 जून, 1983 को मैसर्स हिन्दालको के नाम एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि क्यों न कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अधीन कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा सरकारी निदेशक नामित किए जाएं। कम्पनी द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका में इस कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है।

(ख) इस कारण बताओ नोटिस के जारी किए जाने के बाद सरकार ने हिन्दालको को 394 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 12‹0 लाख रुपए का ऋण मंजूर नहीं किया है। अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1982 में एकीकृत एल्यूमिना संयंत्र के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के लिए 806 लाख रुपए का रुपया ऋण तथा 394 लाख रुपए का विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर किया था।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भुवनेश्वर में कालाधन पकड़े जाने के बारे में
संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र

10044. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में 17 नवम्बर, 1983 को कालाधन पकड़े जाने के बारे में कुछ संसद सदस्यों ने पत्र लिखे हैं;

(ख) क्या मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित फर्म से कितना काला धन पकड़ा गया है, और क्या काले धन की खबर देने वाले को कोई पुरस्कार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितना पुरस्कार दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) इस माले में आयकर प्राधिकारियों ने तलाशी और अभिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की है। तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियां केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्राधिकारियों ने की थीं। कर-निर्धारण अधिकारी ने कर-निर्धारण वर्ष 1972-73, 1974-75 तथा 1975-76 के कर-निर्धारण पूरे कर लिए हैं तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्राधिकारयों और विभिन्न अन्य स्रोतों से उपलब्ध सामग्री पर विधिवत् विचार करने के बाद कुल आय में आवश्यक वृद्धियां कर दी गई हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सूचनादाता को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिए जाने तथा करों की वसूली कर लिए जाने के बाद ही पुरस्कार दिया जाता है।

मैसर्स दयाराम जैन एण्ड सन्स द्वारा कथित कर अपवंचन

10045. **श्री धर्मदास शास्त्री** :

श्री के० लकप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर तथा अन्य केन्द्रीय कर विभागों ने गत तीन वर्षों के दौरान सदर बाजार, दिल्ली छावनी में बीड़ी नं० 501, माचिस तथा अन्य उत्पादों के वितरक, मैसर्ज दयाराम जैन एण्ड सन्स, के व्यावसायिक और आवासीय अहाते में कितनी बार छापे मारे हैं;

(ख) छापों के दौरान बरामद अपराध प्रमाणित करने वाले कागजात, नकदी, सोना और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्ज दयाराम जैन एण्ड सन्स द्वारा आय-कर, बिक्री-कर और अन्य करों की करोड़ों रुपए की धनराशि के अपबंचन का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जैसे किसी केन्द्रीय कर विभाग ने मै० दयाराम जैन एण्ड सन्स, सदर बजार, दिल्ली कैन्ट के व्यावासायिक तथा रिहायशी परिसरों पर छापा नहीं मारा था।

(ख) प्रश्न नहीं ही उठता।

(ग) वर्ष 1982-83 तक पूरी की गयी कर निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा आय कर की चोरी का कोई मामला नहीं पकड़ा गया है। जहां तक बिक्री-कर का सम्बन्ध है, चूंकि दिल्ली बिक्री-कर अधिनियम 1975 के अधीन बीड़ियों तथा हाथ से बनी

माचिसों पर, फर्म जिसका व्यापार कर रही है, बिक्री-कर नहीं लगता है इसलिए बिक्री-कर की चोरी का प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीका से गाय की चर्बी का आयात

10046. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में गाय की चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान, 9 दिसम्बर, 1983 को "डोना टेला" नामक जहाज द्वारा बम्बई पत्तन पर अमरीका से 20.7 लाख किलोग्राम चर्बी के आयात की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आयात, सम्बन्धित पार्टी का नाम तथा उतारी गई चर्बी की भारत पहुंचने पर लागत का ब्यौरा क्या है; और

(क) उपर्युक्त आयात के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और आयातित गाय चर्बी का विवरण किस प्रकार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री . निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां । गाय चरबी मद को 22 अगस्त, 1983 से रोक लगी सूची में शामिल किया गया था देखें उसी तारीख की आई० टी० सी० सार्वजनिक सूचना सं० 32-आई० टी० सी० (पी०-एन०)/83 और घरेलू खपत के लिए किसी भी रूप में इसकी निकासी पर 24 अगस्त, 1983 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था देखें उसी तारीख का आई० टी० सी० आदेश सं० 27/83.

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार के बीड़ी निर्माताओं द्वारा कथित कर अपवंचन

10047. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज एस० के० नसीरुद्दीन मोह० सालूगंज, बिहार शरीफ (नालंदा), मोहम्मद सईद फिरोजुद्दीन मोह० मोगल्लकुआं, बिहार शरीफ और लोंगिया बीड़ी कम्पनी मोह० बारादरी, बिहार शरीफ (नालन्दा) सभी बिहार राज्य में बीड़ी निर्माता हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य के दूसरे भागों में भी उनके बीड़ी निर्माण केन्द्र हैं, यदि हां, तो दूसरे स्थानों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक के द्वारा गत चार वर्षों में कितना और कितनी बीड़ियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दिया गया;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रति माह वास्तविक निर्माण स्थान दूसरे स्थानों पर ले जायी गयी बीड़ियों के आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि उपरोक्त निर्माताओं द्वारा प्रति वर्ष उनके उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कड़ी निगरानी के अभाव में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की भारी धनराशि का अपवंचन किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का सरकारी राजस्व के घाटे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने करने विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा थाम्पसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों की कथित खरीद

10048. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाम्पसन प्रैस (इंडिया) लिमिटेड, फरीदाबाद एक विदेशी कंपनी है और अब इसके शेयरों को कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने खरीद लिया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कोई जांच कराई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार

10049. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार (बिहार) का प्रबन्ध हाथ में लिए जाने के बाद, मिल द्वारा देय विभिन्न धनराशियों का सरकार ने भुगतान नहीं किया है; यद्यपि प्रबन्ध हाथ में लिए जाने के बाद बहुत समय बीत चुका है;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों/पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक बार अभ्यावेदन करने के बावजूद, कई पटसन व्यापारियों

को उक्त मिल को सप्लाई किए गए पटसन के मूल्य का भुगतान नहीं मिला है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन दावों पर विचार करने के लिए अभी दक दावा आयुक्त भी नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा पटसन व्यापारियों को कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. 1980 के दौरान पटसन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 5 पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स (पी०) लि०, पी० ओ० कटिहार मिल्स, कटिवाह (बिहार) इनमें से एक मिल थी। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के दावों के बारे में सुनवाई करने और उनके बारे में फैसला करने के लिए भुगतान आयुक्त (पटसन) को पटसन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया गया। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीयकृत पटसन कम्पनियों को केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित उपक्रम के तथा उक्त उपक्रम के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकारों स्वत्व और हित के अन्तरण तथा उसमें उनके निहित किए जाने के सम्बन्ध में अधिनियम की संगत अनुसूची में उल्लिखित धनराशियां केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई। आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स के सम्बन्ध में उल्लिखित राशि 17.04 लाख रु० थी। प्रबन्ध आदि को वंचित किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए अन्य भुगतानों को देखते हुए भुगतान आयुक्त के पास 17.98 लाख रु० की राशि थी।

2. राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार भुगतान आयुक्त को अधिनियम में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही अन्तर्ग्रस्त दायित्वों को पूरा करना था। दायित्व दो भागों में विभाजित थे—भाग-1 और भाग-2। अधिनियम के अनुसार यदि प्राथमिकताओं की अनुसूची के भाग-1 में उल्लिखित 3 वर्गों में किन्हीं मदों से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों की कोई भी देनदारी भुगतान आयुक्त के पास उपलब्ध धनराशि में से उनके द्वारा पूरी तरह से नहीं निपटाई जाती, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में यह सूचित करना चाहिए कि किस सीमा तक दायित्व पूरा नहीं किया गया है और उस दायित्व को सरकार अपने ऊपर ले लेगी। अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन० जे० एम० सी०) (राष्ट्रीयकृत एककों को चलाने के लिए कम्पनी) को इस प्रकार लिए गए दायित्व को अधिगृहीत करने के लिए भी निदेश दे सकती है।

3. आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स के सम्बन्ध में भाग-1 के वर्ग के सम्बन्ध में

(कर्मचारियों की बकाया राशियों से सम्बन्धित) न निपटाए गए दायित्व को भुगतान आयुक्त द्वारा 108.35 लाख रु० बताया गया। उसके मुताबिक सम्बन्धित पार्टियों को देने के लिए राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम को 108.35 लाख रु० की राशि दी गई। तथापि, अब भुगतान आयुक्त के कार्यालय से पता चला है कि वर्ग I के दावों के सम्बन्ध में स्वीकृत दावों के उनके मूल्यांकन के बारे में औपचारिक आदेश अभी जारी होने बाकी हैं। वर्ग II और III में न निपटाए गए दायित्व की मात्रा मोटे तौर पर लगभग 42 लाख रु० बताई गई है (मोटे तौर पर वर्ग III में 12 लाख रु० और शेष वर्ग दो में); यद्यपि, इस सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति अभी भी भुगतात आयुक्त से प्राप्त होनी है।

4. जहां तक व्यापारियों के दावों का सम्बन्ध है वे दो वर्गों में आते हैं अर्थात् अधिग्रहण पश्चात् प्रबन्ध से सम्बन्धित बकाया राशियां जो वर्ग III (भाग-I में) आती हैं और अधिग्रहण पूर्व प्रबन्ध अवधि से सम्बन्धित बकाया राशियां जो वर्ग 5 (भाग-II) में आती हैं। वर्ग III के अन्तर्गत व्यापारियों को भुगतान के प्रश्न की प्रोसेसिंग भुगतान के लिए भुगतान आयुक्त की औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जा सकती है। भुगतान आयुक्त अध न्यायिक प्राधिकारी हैं और भुगतान पटसन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किया जाना है।

5. नए भुगतान आयुक्त की नियुक्ति की गई है और उनको मई के पहले सप्ताह में कार्य भार सम्भालने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों और जासूसी में संलग्न तस्करों की गतिविधियां

0051. **श्री जार्ज फर्नान्डजी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बम्बई से निकलने वाले दिनांक 27 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में कच्छ में जासूसी और राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलग्न तस्करों की गतिविधियों के बारे में छपे समाचार को पढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या तस्करों का साथ देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार का ध्यान प्रश्न में उल्लिखित खबर की तरफ दिलाया गया है।

(ख) से (घ) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि आमतौर पर गुजरात का

समुद्र-तटवर्ती क्षेत्र तथा विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र तस्करी की गतिविधियों की आशंका वाले क्षेत्र बने हुए हैं।

गुजरात के समस्त समुद्र तटवर्ती-क्षेत्र में तस्करी-निवारक उपायों को सुदृढ़ बना दिया गया है ताकि इस क्षेत्र में तस्करों की गतिविधियों से निपटा जा सके। अहमदाबाद समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार के वर्ष 1981 से 1984 (मार्च तक) तक की अवधि के दौरान पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपए)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1981	325	138
1982	659	88
1983	1613	132
1984 (मार्च तक)	714	30*

(*आंकड़े अनन्तिम हैं)

इन आंकड़ों से तस्करों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाही की पुष्टि होती है।

इस क्षेत्र में तस्करी के तौर-तरीकों की भी लगातार समीक्षा की जाती रहती हैं। इस समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर, सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को, तस्करी की आशंका वाले क्षेत्रों और तस्करी के आकर्षण वाली जिन्सों के सन्दर्भ में, सतर्क बने रहने हेतु चुस्त बनाया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल मेल से तस्करी के निवारण हेतु उचित उपाय किए जाते हैं। इस क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को भी कर्मचारियों और उपस्करों के लिहाज से सुदृढ़ बनाया गया है।

तस्करों के खिलाफ विभागीय तौर पर तथा न्यायालय में मुकदमें दायर करने कड़ी कार्यवाही की जाती है। उचित मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्दियां भी की जाती हैं।

(ङ) इसका प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स कोठारी केमिकल्स, कानपुर को आयात लाइसेंस जारी करना

10052. **श्री भीखा भाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनके लिए पानपराग का उत्पादन करने वाली एक

कम्पनी कोठारी केमिकल्स, कानपुर को लाइसेंस जारी किए गए थे तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन लाइसेंसों को किन-किन तिथियों को जारी किया गया;

(ख) आयातित वस्तुओं के नाम तथा मूल्य क्या हैं जिनका कम्पनी द्वारा पिलले तीन वर्षों के दौरान आयात किया गया है; और

(ग) क्या उपरोक्त कम्पनी द्वारा आयात करते समय आयात नियमों का दुरुपयोग करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) निर्गमित आयात लाइसेंसों के ब्यौरे आयात लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस तथा औद्योगिक लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) पार्टी-वार आयात आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) जी नहीं ।

सरकारी उद्यम ब्यूरो की रिपोर्ट

10053. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित सरकारी उद्यम ब्यूरो की 3-खण्डों वाली रिपोर्ट को दोषपूर्ण और अवास्तविक होने के कारण कटु आलोचना की गई है, क्योंकि निगमित क्षेत्र के इसी प्रकार की रिपोर्टों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन रिपोर्टों को भ्रामक समझा गया है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है; और

(ग) क्या गत वर्ष को इसी प्रकार की आलोचना के बावजूद सरकारी उद्यम ब्यूरो ने रिपोर्ट बनाने सम्बन्धी अपनी पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं महसूस की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण में प्रयुक्त "लगी पूंजी" शब्द की परिभाषा, बिक्री में वृद्धि का प्रस्तुतीकरण तथा उनकी विषय-वस्तु के बारे में भी कुछ बातें दिनांक 12-3-1984 के "इकोनोमिक टाइम्स" में उल्लिखित की गई हैं। मुख्यतः उन्हीं बातों का दिनांक 12-4-1983 के "इकोनोमिक टाइम्स" में भी उल्लेख किया गया था। इनके विषय में विस्तृत जांच की गई है और यह पाया गया है कि सरकारी उद्यम कार्यालय का "लोक उद्यम सर्वेक्षण" न तो दोषपूर्ण है और न भ्रामक है, क्योंकि :

(1) सरकारी उद्यम कार्यालय "लगी पूंजी" की जिस परिभाषा का प्रयोग कर रहा है, वह व्यापक रूप से सरकारी अभिकरणों जैसे औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो, मुख्य सलाहकार (लागत) आदि, व्यावसायिक निकाय जैसे भारतीय लागत एवं निर्माण

लेखाकार संस्थान, भारतीय चार्टरित लेखापाल संस्थान तथा भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भी स्वीकृत है।

(2) बिक्री की वृद्धि-दर केवल व्यापक स्थिति की द्योतक है; और

(3) सरकारी उद्यम कार्यालय के लोक उद्यम सर्वेक्षण की विषय-वस्तु को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

रुई की आयातित गांठों की गुणवत्ता का सत्यापन

1 054. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उतरने के पश्चात विदेशी रुई की गांठों की गुणवत्ता का सत्यापन अथवा जांच की गई थी;

(ख) यदि हां तो किस के द्वारा और क्या वर्ष 1976-77 के दौरान 11·61 लाख गांठों के आयात के सम्बन्ध में यह जांच टेक्नीकल पेनल के द्वारा कराई गई जिसने अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करते समय नमूनों का चयन किया था अथवा सी० सी० आई० कार्यालयों द्वारा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या गुणवत्ता में कोई हेराफेरी किए जाने की कोई आशंका थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1976-77 के दौरान रुई के आयात के लिए निर्धारित क्रियाविधि में क्रेताओं तथा बिक्रेताओं द्वारा नियुक्त किए गए नियन्त्रणों की संयुक्त निगरानी में भारत में पहुंचने पर गांठों के नमूने लेने की व्यवस्था है। जहां कहीं क्रेताओं द्वारा क्वालिटी में अन्तर पाया गया, संविधा के प्रावधानों के अनुसार क्वालिटी की कटौती के लिए क्वालिटी के दावों को शिपरों के पास दायर किया गया। तकनीकी पैनल द्वारा मोहरबन्द किए गए नमूनों को, क्वालिटी सम्बन्धी दावों को यदि कोई हों, या तो सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाचन के माध्यम से निपटाने के लिए आधार माना गया। तथापि, इस सम्बन्ध में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार यह आवश्यक नहीं था कि रुई के भारत में आने पर तकनीकी पैनल द्वारा रुई की जांच की जाय, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट व्यवस्था है कि इस सम्बन्ध में, यदि कोई विवाद हो, तो उसको निपटाने के लिए क्रेताओं तथा बिक्रेताओं दोनों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियन्त्रकों द्वारा नमूने लिए जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के शराब के ठेकेदारों द्वारा कर अपवंचन

10055. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के शराब के ठेकेदारों का ग्रुप शराब की बिक्री से हुई अपनी आय के बारे में लम्बी विवरणियां भेज रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने मध्य प्रदेश उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पी-5 प्रमाण पत्र की हेराफेरी से आय कम दर्शायी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभाग द्वारा इन ठेकेदारों पर छापे मारे गए तथा अनेक आपत्ति जनक दस्तावेज पकड़े गए और उनके कुछ मामले पुन: खोले जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; इन ठेकेदारों द्वारा अनुमानत: कितने कर की चोरी की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) प्रत्येक मामले में कर निर्धारण किए जाने के समय शराब की बिक्री से हुई आय की सत्यता की जांच कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है और जहां-कहीं आवश्यक होता है विवरणी में दिखाई गई आय में वृद्धि की जाती है।

(ख) पी-5 प्रमाण-पत्र राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि इन प्रमाण-पत्रों में छलसाधन किया गया था, आयकर विभाग के पास कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) तथा (घ) मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 1974 में तथा उसके बाद के वर्षों में बहुत से शराब के ठेकेदारों के मामलों में तलाशियां ली गई थीं। बहुत से मामलों में कर-निर्धारण पुन: खोले गए हैं। कुछ मामलों में 'की गई वृद्धियां' निकाल दी गई हैं और कुछ अन्य मामले अपीलीय प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े हैं। सभी मामलों में कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही कर की चोरी की राशि का पता लग सकता है।

कलकत्ता पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा निस्तप्त अभ्रक खेपों को लगाने की स्वीकृति न दिया जाना

10056. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** कलकत्ता पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा निस्तप्त अभ्रक खेपों को लगाने की स्वीकृति न दिए जाने के बारे में 23 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4627 के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात बढ़ाने और नए उद्यमियों को विशेष सुविधाएं देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उन खेपों का ब्यौरा क्या है जिनकी मंजूरी में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है और इस प्रकार के विदेशी सौदों का क्या भविष्य होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करके सदन के सभा-पटल पर कब तक रखी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) इस विषय का सम्बन्ध मुख्यतया वाणिज्य मंत्रालय से है, जिसने इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे निर्यात की

विभिन्न मदों के सम्बन्ध में नकद प्रतिपूर्ति सहायता, आर० ई० पी० लाइसेंस तथा अन्य वर्गों के लाइसेंस मंजूर करना।

(ख) ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है, जिसमें प्रतप्त अभ्रक की खेपों की निकासी के सम्बन्ध में सीमाशुल्क विभाग की तरफ से कोई अत्यधिक विलम्ब हुआ हो।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही पेश कर दी जाएगी।

चाय बोर्ड द्वारा अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए मांगा गया परिव्यय

10057. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान चाय उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं, के वित्त पोषण के लिए चाय बोर्ड द्वारा कुल कितने परिव्यय की मांग की गई है;

(ख) उपर्युक्त योजना अवधि में जैसा कि चाय बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया है, चाय उत्पादन योजनाओं के कौन-कौन से उन्नत तरीके अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सातवीं योजना के दौरान चाय उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय 24 करोड़ रु० है।

(ख) तथा (ग) विभिन्न चल रही परियोजनाओं के अलावा चाय खेती और विनिर्माण की उन्नति के लिए चाय जीव-प्रौद्योगिकी, चाय मशीनरी के विकास, चाय संसाधन उपस्कर, जल-प्रबन्ध, उत्पादन और संरक्षण आदि के क्षेत्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में काफी के बागान लगाने हेतु प्रोत्साहन

10058. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के उन क्षेत्रों में जो काफी बागानों के लिए उपयुक्त पाए गए काफी के बागान लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में काफी बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) काफी बोर्ड विस्तार उपदान के रूप में सुधरी हुई बीज सामग्री की सप्लाई प्रशिक्षण

सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के अलावा अनुसंधान तथा विस्तार सहायता जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं देता है। बोर्ड ने 1978 में उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक काफी प्रदर्शन फार्म भी आरम्भ कर दिया है। बोर्ड उड़ीसा में काफी की खेती में लगी सभी ऐजेन्सियों को विस्तार और परामर्शी सहायता दे रहा है।

भारतीय जल सीमा में "फिश" जासूसी जहाज

10059. **श्री के० प्रधानी :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1984 के बम्बई के साप्ताहिक ब्लिट्ज में "स्पाई शिप फिश इन इण्डियन वाटर्स" से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार का विचार देश की सुरक्षा के लिए इस खतरे से किस प्रकार निपटने का है; और

(घ) मुख्य रूप से ताईवान से आने वाले चोरी छिपे शिकार करने वाले इन गिरोहों को, जो पश्चिम तट दूर क्षेत्र में भारतीय मत्स्य उद्योग के लिए गम्भीर खतरा बन रहे हैं रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वैंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) मछली पकड़ने के विदेशी ट्रालरों द्वारा अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की घटनाएं हुई हैं परन्तु मछली पकड़ने के साथ-साथ जासूसी भी करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) तट रक्षक पोतों और विमानों द्वारा हमारे समुद्री क्षेत्रों में खास तौर से महत्वपूर्ण भागों में निरन्तर निगरानी रखी जाती है। अपनी सामान्य गश्त के समय भारतीय नौसेना भी निगरानी रखती है और सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले जलयानों को पकड़ने का उसे अधिकार प्राप्त है। विदेशी पोतों द्वारा हमारे समुद्री क्षेत्र में गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं की सरकार को जानकारी है। विगत समय में, इनमें से कुछ पोत पकड़ लिए गए हैं और उन पर मुकदमा चलाया गया है। तट रक्षक संगठन विकास योजना के लिए मंजूर किए गए और पोतों और विमानों के प्राप्त होने पर तट रक्षक मुख्यालय इस क्षेत्र में और प्रभावी निगरानी रख सकेगा।

सोवियत संघ से भारी उद्योग मशीन का आयात

10059-क. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से पर्याप्त मात्रा में भारी उद्योग मशीनों का आयात करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उद्योग के लिए यह कितना लाभदायक होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सोवियत संघ के साथ संतुलित द्विपक्षीय रुपया व्यापार प्रबन्धों तथा आयात की मदों के विविधीकरण की आवश्यकता को देखते हुए, सोवियत संघ के साथ व्यापार योजनाओं में विभिन्न मशीनों एवं अन्य मदों के आयात के लिए समय-समय पर पर्याप्त प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, व्यक्तिगत खरीद के निर्णय, सक्षम खरीद प्राधिकारियों द्वारा, विशिष्टियों, कीमतों, सुपुर्दगी की अवधि आदि जैसे विभिन्न सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर, लिए जाते हैं। चूंकि, सोवियत संघ से मशीनरी तथा उपकरण के बढ़े हुए आयात रुपया स्रोतों के सृजन और फलस्वरूप भारत से निर्यातों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, इसलिए स्वदेशी मशीन निर्माण उद्योग को भी उतना ही लाभ होता है।

12.00 म०प०

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमें एक-एक करके निवेदन करने की अनुमति दीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मण्डल कमीशन के बारे में हमने सजैश्चन दिया है, होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं···(**व्यवधान**) 9 तारीख तक पार्लियामेंट है। मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में आपकी बड़ी कृपा है, आपने बार-बार इस सदन में बहस करवाई है, लेकिन इसके बाद भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट की क्या दुर्गति हो रही है, यह हमें पता नहीं है। ···(**व्यवधान**) आप होम मिनिस्टर से कहें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मण्डल कमीशन से इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी दोनों की बात सुन ली मैंने।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम सरकार के विचार जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात वह सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम सरकार की नीति को जानना चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपके माध्यम से मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। क्या इसके साथ कोई पवित्रता जुड़ी हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात वह सुन रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने कान में उंगली डाल रखी है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : **खड़े हुए**

(**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : पिछड़े वर्ग की भावनाओं का प्रश्न मण्डल कमीशन से है। आपको चाहिए कि··(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। पहले ही सदन में तीन आश्वासन दे चुके हैं। क्यों वह इसे नहीं कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गृह मंत्री के वक्तव्य देने से पहले, आपके माध्यम से हम गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार मण्डल समिति प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में बताने में असफल हो गई है, अतः, विरोधी दल के सदस्य संसद भवन के बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान दीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हम सभी ने स्वयं स्वस्थगन प्रस्ताव दिया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप उनको सुनना नहीं चाहते। सेठी जी बैठ जाइए, ये सुनना नहीं चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब वह सुनाने को तैयार होते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते।

(**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : वह यही कहना चाहते थे ?

(**व्यवधान**)

गृह-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मैं मण्डल समिति प्रतिवेदन के बारे में कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार द्वारा अत्यधिक सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : कितने समय से ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बात समाप्त करने दीजिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, जहां तक कल की घटना से सम्बन्धित प्रश्न का सम्बन्ध है, 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । यह कहना गलत है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा । हमने मण्डल समिति प्रतिवेदन पर चर्चा की। सरकार को अभी फैसला करना है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार किन-किन सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है । सरकार की नीति क्या है ? सरकार के विचार क्या हैं ? ये बात हम जानना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, अखबारों में बहुत ही बेचैन कर देने वाली खबरें हैं कि पाकिस्तान सीमा के पार लद्दाख क्षेत्र में अपनी फौज को जमा कर रहा है । हम मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रक्षा मंत्री बिल्कुल अभी वक्तव्य देने जा रहे हैं। मैं जो कुछ कर सकता था, वह मैंने कर दिया है। आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम इसे बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं···**(व्यवधान)**। संसद में हम न्याय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं अतः हमें सदन के बाहर सत्याग्रह के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम बाहर जा रहे हैं और संसद के बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं···**(व्यवधान)**

12.06 म०प०

(तत्पश्चात् प्रो० मधु दण्डवते तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए ।)

अध्यक्ष महोदय : अब रक्षा मंत्री की बारी है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : व्यवस्था के प्रश्न पर । कृपया आप मंत्री जी को एक मिनट इन्तजार करने के लिए कहिए जब तक मैं बाहर जाता हूं और वापस आता हूं ।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वैंकटरामन) : मैं एक मिनट इन्तजार करूंगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : होम मिनिस्टर ने कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक्टिव कनसिडरेशन में है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं : —

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।

12.07 म०प०

तत्पश्चात् श्री एम० बनातवाला सभा भवन से बाहर भले गए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे भी बहिगमन किए गए सदस्य की भांति ही समझिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको दोनों की तरह समझेंगे।

12.07½ म० प०

पाकिस्तान ग्रधिकृत उत्तरी काश्मीर में पकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों के समाचार के बारे में वक्तव्य

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, 1. पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के उत्तरी भाग में पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों की हमें जानकारी है। अगर इस इलाके में या जम्मू तथा कश्मीर में कहीं अन्यत्र इस तरह का खतरा पैदा होता है तो उसका सामना करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं।

2. कुछ दिन पहले पाकिस्तानी हैलिकाप्टर और युद्धक विमान हमारे हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। इन हवाई उल्लंघन के बारे में हमने पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है।

3. जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। हमारे सैनिक बहुत संयम बरतते हैं और बहुत उकसाए जाने पर ही जवाबी गोलाबरी की जाती है। किसी तरह के मतभेद को हल करने के लिए हम आमतौर पर फलैग बैठकें करने के पक्ष में रहते हैं। हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान भी इसी प्रक्रिया को अपनाएगा।

4. पाकिस्तान के साथ सहयोग और सदभाव की नीति का पालन करने के लिए भारत वचनवद्ध है। हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिससे शान्ति और सद्भावना में बाधा पहुंचे और उनके साथ संबंध सुधारने के हमारे प्रयासों को धक्का पहुंचे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या आप पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के विकास पर चर्चा के लिए अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों से भलीभांति अवगत हैं। हमेशा नियमों के अन्तर्गत ही कहिए।

———

12.08 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 तथा चाय अधिनियम 1953, चाय (डीलरों का पंजीकरण और स्टाक की घोषणा) आदेश, 1984 आदि-आदि के अधीन अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पिसी हुई हुड्डियों, खुरों और सींगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1984, जो 14 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1220 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दियासलाइयों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984, जो 14 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचिना संख्या का० आ० 1221क में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8287/84]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1983, जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 930(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चाय (निर्यात हेतु लाइसेंस देने का विनियमन) आदेश, 1984, जो 22 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 108(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8288/84]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चाय (डीलरों का पंजीकरण और स्टाक की घोषणा) आदेश, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 9(अ) प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गए। देखिए संख्या एल० टी०-8289/84]

(4) कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8290/84]

(6) (एक) हस्त-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्त-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8291/84]

(8) (एक) रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ, बम्बई, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8292/84]

(10) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8293/84]

भारतीय आयात निर्यात बैंक (बांडों का निर्गम और प्रबन्धन विनियम 1983, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944, आदि

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय आयात-निर्यात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय आयात-निर्यात बैंक (बांडों का निर्गम और प्रबन्धन) विनियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-8294/84]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 30 (अ) जो 23 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 219/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि अधिसूचना के अन्तर्गत सीमा-शुल्क की छूट के लिए आयातक भारी उद्योग विभाग के बजाय नौवहन और परिवहन मंत्रालय (नौवहन प्रभाग) द्वारा अनुमोदित संघटकों और उपकरणों की सूची दे सकें।

(दो) सा० का० नि० 304(अ), जो 26 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1982

की अधिसूचना संख्या 80/82-सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 अप्रैल, 985 तक बढ़ाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-8295/84]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 301(अ), जो 23 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 197/62-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि बिजली के पंखों के रेगुलेटरों को उन मदों की सूची में शामिल किया जा सके, जिनको भारत से निर्यात किए जाने की अवस्था में शुल्क से छूट प्राप्त है।

(दो) सा० का० नि० 302(अ), जो 23 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय उन धातु आधानों पर उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के उपबन्धों को लागू करना है, जिनका उत्पादन, उनके निर्माताओं द्वारा ऐसी चादरों से शक्ति की सहायता के बिना किया गया हो, जिन पर अन्य उत्पादकों द्वारा शक्ति की सहायता से, 1 मई, 1970 से 18 फरवरी, 1977 तक की अवधि के दौरान कलई, मुद्रण, लेपन और वार्निश किया गया हो।

(तीन) सा० का० नि० 305(अ), जो 26 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 75/84-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि (क) "फुरफुल एक्सट्रेक्ट" पर 100 रुपए प्रति किलो लीटर के उत्पाद-शुल्क की रियायती दर उस स्थिति में निर्धारित की जा सके जब उसका प्रयोग "कार्बन ब्लैक" के निर्माण में "औद्योगिक फीडस्टाक" के रूप में किया जाता हो और (ख) 1-3-84 की अधिसूचना संख्या 75/84-के० उ० शु० की क्रम सं० 11-क. 13 के सामने उल्लिखित निर्बन्धकारी खण्ड को समाप्त किया जा सके। इस खण्ड के अनुसार किसी परिष्करणशाला में उत्पादित तथा विनिर्दिष्ट विद्युत उपक्रमों द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु आशयित "लो सल्फर हैवी स्टाक" के सम्बन्ध में शुल्क की छूट का लाभ उठाने के वास्ते आयातित कच्चे तेल की तुलना में स्वदेशी कच्चे तेल का अनुपात बनाए रखा जाना अपेक्षित था।

(चार) सा० का० नि० 310(अ), जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 27 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना संख्या 127/83-के० उ० शु० और 128/83-के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 30 अप्रैल, 1986 तक बढ़ाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-8296/84]

(4) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में 30 जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8297/84]

काफी बोर्ड के वर्ष 1979-80 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं काफी बोर्ड के 1979-80 के लेखाओं (पुंज निधि) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8298/84]

12.09 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव के प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, वित्त विधेयक 1984 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 23 अप्रैल, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, वित्त विधेयक 1984 को, जिसे लोक सभा द्वारा पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) विधेयक, 1984 को जिसे लोक सभा

*वार्षिक प्रतिवेदन 30 मार्च, 1984 को सभा-पटल पर रखा गया था।

द्वारा अपनी 27 अप्रैल, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

———

12.10 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 7 मई, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा : —

(1) आज की कार्यसूचि से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, 1984

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1983

(ग) दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1980

(3) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्संबंधी भारत सरकार की नीति पर विदेश मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। कल ही सदन में माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया था कि लैण्ड एक्वीजिशन अमेण्डमेन्ट बिल आ रहा है—यह बात प्रोसीडिंग्ज में भी है—वह क्यों नहीं लाया गया इसका जबाब मंत्रीजी दें। चार वर्षों से लगातार कहा जा रहा है कि बिल ला रहे हैं, प्रधान मंत्री ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा और आपने भी कहा कि आना चाहिए और कल भी यहां पर मंत्री जी ने कहा कि आ रहा है फिर क्यों नहीं लाया गया—इसका जबाब आप दिलवाइए !

श्री बूटा सिंह : मैंने जो कल कहा था उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। बड़ी एडवांस्ड स्टेज पर विचार चल रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं :

संसद में बार-बार मांग करने एवं महाराष्ट्र में लगातार चल रहे आन्दोलन के बावजूद भी

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय नहीं रखा गया। यह भले ही राज्य का विषय है, लेकिन करोड़ों अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों तथा डा० अम्बेडकर के अनुयाइयों की भावना पर चोट पहुंच रही है। महाराष्ट्र विधान सभा ने 1978 में सर्वसम्मति से निर्णय किया था कि औरंगाबाद स्थिति मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय कर दिया जाए।

महाराष्ट तथा देश के दूसरे भागों में इसको लेकर आन्दोलन चल रहे हैं। अत: या तो सरकार इसे माने या इस सम्बन्ध में बहस कराई जाए।

सरकार की नीति है कि वह किसी जाति विशेष के नाम से सरकारी विभागों में संघ की मान्यता नहीं देती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी जब भी अनुसूचित जाति जन-जाति कर्मचारी संघ की मांग करते हैं सरकार यह तर्क देती है कि जाति के नाम पर किसी भी ऐसे संगठन को मान्यता नहीं देगी। लेकिन आश्चर्य है कि रक्षा मंत्रालय में आज भी जाति के नाम से विभिन्न रेजिमेंट चल रहे हैं। सिद्धांत में भले ही किसी भी रेजिमेंट में किसी अन्य समुदाय के लोगों की नियुक्त की बात की जाती है लेकिन व्यवहार में जिस जाति का रेजिमेंट रहता है उसी समुदाय के लोगों की नियुक्ति होती है। इसके कारण अनुसूचित जाति जन-जाति एवं ऐसे समुदाय जिनका रेजिमेंट नहीं है, का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। यह प्रथा अंग्रेजों ने चलाई थी जिसका उद्देश्य फूट डालो और राज करो था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संसदी अनुसूचित जाति जनजाति की समिति ने भी जाति के आधार पर गठित रेजिमेंट का विरोध किया है।

अत: सरकार से मांग है कि या तो जाति के नाम पर चल रहे तमाम रेजिमेंट का नाम बदला जाए या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नाम से भी रेजिमेंट खोला जाए। जिससे उन्हें भी अपना शौर्य एवं वीरता का प्रदर्शन करने का मौका मिले।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, दिनांक 7 मई, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में जो वक्तव्य संसद कार्य मंत्री ने दिया है, उसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

1. नेशनल डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन तथा उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से जहां देश का अधिक ढांचा कमजोर हुआ है वहीं पर डेयरी के नाम से लोगों को घृणा पैदा हो गई है। आपरेशन फ्लड प्रथम सक्सेस नहीं हो पाया फिर भी दूसरा आपरेशन फ्लड चालू करवा दिया गया। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

2. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे टिहरी, पौड़ी, उत्तर काशी, चमोली, देहरादून में विकास कार्यों के नाम पर लूट हो रही है। केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलती है उसको कर्मचारी तथा अधिकारी मिलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। जिससे गढ़वाल का विकास कार्य होना असम्भव है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आगामी सप्ताह के कार्य के लिए मैं निम्न-लिखित मदों का सुझाव देता हूं :

संसद सदस्य होना अब पूर्णकालिक रोजगार है और जब तक कोई संसद में रहता है तो वह विधाई कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं रहता है। सांसदों के लिए अंश-कालिक व्यवसाय की पुरानी संकल्पना, अब स्पष्टतया पुरानी पड़ गई है। अब कर्तव्यनिष्ठ सांसद के लिए कोई छुट्टियां नहीं होती हैं, फालतू समय नही होता है या अन्य व्यवसाय अथवा कमाई की कोई सम्भावना नहीं होती है। यहां तक कि उसके पास परिवार के लिए भी समय नहीं होता है।

अत:, सांसदों की पूर्णकालिक व्यस्तता की नवीन संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, संसद को वेतन और भत्ते निर्धारित करने चाहिए। संसद सदस्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से अपना कार्थ निष्पादन करने योग्य बनाने तथा अन्य व्यवसाय में लगे लोगों को इस सेवा में लाने के लिए इसे इस योग्य बनाया जाए जिससे कि वे अपने व्यवसाय को त्याग कर संसदीय राजनीति में आएं, मैं सुझाव देता हूं कि सरकार निम्नलिखित संशोधन करे :

1. प्रत्येक संसद सदस्य को पूर्णकालिक आशुलिपिक और दो अनुसंधान सहायक संसद में और उसके चुनाव-क्षेत्र दोनों स्थानों पर संचित निधि से दिए जाने चाहिए।

2. संसदीय चिह्न वाले लिफाफों वाली सभी डाक नि:शुल्क जानी चाहिए।

3. दिल्ली और चुनाव-क्षेत्र के निकटस्थ वाले स्थान के बीच नि:शुल्क असीमित हवाई यात्रा की अनुमति होनी चाहिए।

ये तीनों संशोधन मंत्री महोदय को आगामी सप्ताह लाने चाहिए। कम से कम उन्हें ये वेतन और भत्ते समिति को भेज देने चाहिए जिससे कि आगामी संसद इन पर विचार कर सके।

श्री बूटा सिंह : यह निश्चित करने के लिए कि क्या ये विषय/मस्ले सबको स्वीकार्य हैं, सभी राजनीतिक दलों की एक अन्य निर्वाचिका सभा हो और फिर हम आपकी बात सुनेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप निर्वाचिका सभा बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय : केवल तभी जब सभी सहमत होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम सभी सहमत हैं।

श्री बूटा सिंह : केवल तभी जब सभी सहमत होंगे।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने के लिए निम्नलिखित विषय जरूरी समझता हूं :

इस साल मार्च, अप्रैल और मई में आग लगने के वाक्यात देश के हर हिस्से में हो रहे हैं। अभी कल ही दिल्ली के सीमापुरी इलाके में और अलीगढ़ जिले के गांव में भयानक आग से सात

और दस लोगों के मरने के समाचार मिले हैं। सैंकड़ों मकान झुग्गी-झोंपड़ी आग की लपेट में आ गए हैं। सैंकड़ों गरीब लोग बेघर हो गए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले तीन महीनों में हजारों वाकयात हुए हैं जिनमें जानें भी जाया हुई और गरीबों की झोंपड़ी खपरेल पक्के मकान और खलिहान में रखी हुई फसल तबाह और बरबाद हो गई। गोरखपुर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 54 गांव में अब तक आग लग चुकी है जिससे जान-माल मकान झुग्गी-झोंपड़ी, मवेशी और तैयार फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। देश की बात है कि पुरानी सरकारी कायदे-कानून दुर्घटनाओं और देवी आपदाओं के वक्त मुसीबतजदा लोगों की बड़े पैमाने पर मदद में बाधक होते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर मदद की जानी चाहिए। मरने वाले के परिवार को 25,000 रु० मवेशी के लिए 1,000 रु० मकान के लिए 5,000 रु० और फसल के लिए समुचित सहायता और मुआवजा तत्काल देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इसको तो अगले सप्ताह चर्चा के लिए ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देख लेते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज संसद कार्यमंत्री को अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं :

दस हजार मेगावाट के परमाणु बिजली घर लगाने की योजना को हरी झन्डी देकर अगले सोलह सालों में 140 अरब रुपए खर्च करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब 235 मेगावाट के 17 और 500 मेगावाट के दस परमाणु बिजली घर लगाने का विचार है। होमी भाभा और विक्रम सारा भाई का कुल बिजली का तीन चौथाई परमाणु बिजली घरों में बनाने का सपना टूट चुका है। विश्व ऊर्जा सम्मेलन में रूस से 440 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर खरीदने का सुझाव दिया गया परन्तु कोटा के लिए बनी सरकारी समिति ने पूरी परमाणु योजना के बखिए उधेड़ दिए। इससे न तो आत्मनिर्भरता आई न बिजली।

अत: जब तक सामरिक नजरों से परमाणु ऊर्जा सही न मानी जाए यह कार्यक्रम किसी कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्योंकि जब तक परमाणु बिजली घर 600 मेगावाट से बड़े न हों वे तापीय बिजली घरों से होड़ में अक्षम हैं।

एशियाई विकास बैंक से बीस अरब रुपए के कर्ज पर भारत की अर्जी पर तीन साल से आना-कानी हो रही है जो अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 56 अरब रु० का कर्ज लेने में मामूली विरोधी था। सस्ते दर पर एशियाई बैंक से 20 अरब के कर्ज का आज तक विरोधी है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हमें अपने अधिकारों की रक्षा की पूरी कोशिश करनी चाहिए। परन्तु विदेशी मदद पर निर्भरता घटाकर अपने संसाधन जुटाना चाहिए। पर अब एक दलील है कि विदेशी कर्ज लेकर ऐसी परियोजना में लगाए जिससे आमदनी बढ़े और ज्यादे विदेशी मुद्रा मिले। आत्म-निर्भरता और विकास के लिए हमें इससे बचना होगा।

12.20 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : प्रधान मंत्री महोदय ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार हेतु उपाय करने के बारे में विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रियों, राज्यों के सभी मुख्य मन्त्रियों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को 11 मई, 1983 को एक निर्देश भेजा था। ये उपाय उनकी सुरक्षा तथा उन शैक्षिक एवं आर्थिक समस्याओं के प्रश्न से सम्बद्ध है जिनका कि उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तथापि, उन्हें सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास भेजने और केन्द्रीय गृह मन्त्रालय में एक कक्ष बना देने के अलावा, इन उपायों का (वे चाहे कितने ही अपर्याप्त क्यों न रहे हों) कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन उपायों और निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में प्राधिकारियों द्वारा त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए। तब से एक वर्ष बीत गया है और प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजे गए हैं। अतः सरकार द्वारा इस बारे में व्यापक वक्तव्य दिए जाने और सदन में पूर्ण चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है।

मैंने अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित) अधिनियम, 1983 के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संशोधनार्थ भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 20 प्रस्तावित न्यायाधिकरणों में से लगभग 7 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और शेष को गठित किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि नियमों के संशोधनार्थ मेरे प्रस्ताव पर, जिसे पहले ही विचारार्थ स्वीकार किया जा चुका है, इस उद्देश्य से विचार किया जाए कि न्यायाधिकरणों के कार्यकलापों में अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार से परेशान न किया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं :—

(1) केन्द्रीय सरकार को, हाल ही में स्वीकृत की गई मंहगाई भत्ते की तीन किश्तों के बाद भी, अपने कर्मचारियों को अभी भी मंहगाई भत्ते की दो किश्तों का भुगतान करना है जो कि गत जनवरी से पहले ही देय हो चुकी हैं और यदि कीमतों की स्थिति नहीं बदलती है तो आगामी महीनों में कुछ और किश्तें देय हो जाएंगी।

समय पर मंहगाई भत्ते का भुगतान न किए जाने के कारण कर्मचारी ठीक ही उत्तेजित हो रहे हैं। चूंकि मंहगाई भत्ते के भुगतान की वर्तमान प्रणाली कीमतों में वृद्धि की पूर्णतया क्षतिपूर्ति नहीं करती है, इसलिए कर्मचारियों को दोहरी हानि उठानी पड़ती है। भुगतान में विलम्ब से उन्हें और अधिक हानि होती है।

कर्मचारी संगठनों (केन्द्र और राज्य) ने अपनी उत्तेजना को उजागर करने का फैसला पहले ही कर लिया है और कथितरूप से हड़ताल के लिए मतदान आह्वान किया है। इसमें केन्द्र और राज्य के कई लाख कर्मचारी सम्मिलित हैं।

इस विषय पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

(2) सभा को पता होगा कि पश्चिम-बंगाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अभी राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंजूरी दी जानी है। राज्य में सत्तारूढ़ दलों के गठजोड़ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्वाचकीय वायदों को पूरा करने के लिए पारित किए गए कुछेक विधेयक मंजूरी के लिए 1981 से लटके पड़े हैं।

सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट करने वाला वक्तव्य तुरन्त दिया जाना चाहिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर): कश्मीर में आरम्भ हुआ पर्यटन मौसम बेकार जाता लगता है, क्योंकि पर्यटक बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं और यदि पर्यटन व्यापार के आगामी महीनों में भी ऐसीं ही स्थिति रहती है तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कारण स्पष्ट है। पंजाब कश्मीर का द्वार है और उस राज्य में विधि और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का पर्यटन व्यापार पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और अन्य महत्वपूर्ण नगरों से आने वाले लोग रेलों में जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं समझते हैं और जम्मू जाने वाली रेलों में फिश-प्लेटों के उखाड़े जाने और पटरियों के हटाए जाने आदि गड़बड़ी का भय सदैव बना रहता है। जम्मू और कश्मीर जाने के लिए केवल हवाई मार्ग को सुरक्षित समझा जाता है और वहां जाने के लिए पर्यटक सर्वथा रेलों की यात्रा से बच रहे हैं।

भारत सरकार को, पर्यटन व्यापार को प्रभावित करने वाली समस्या और वस्तुतः लाखों कश्मीरियों की जीविका की समस्या को, सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। यह दस्तकारों और दस्तकारी की वस्तुएं बेचने वाले व्यवसाई समुदाय और बहुत से होटल-मालिकों तथा शिकारा-मालिकों से सम्बद्ध मामला है जो कि बेकार बैठे हैं।

इस समस्या का हल यह है कि जो पर्यटक रेल द्वारा कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए श्रीनगर तक हवाई उड़ानों में कई गुना वृद्धि की जानी चाहिए।

हवाई जहाज के टिकटों पर विशेष राज-सहायता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त रियायती मौसमी हवाई टिकट जारी किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यय की गई धनराशि न केवल पर्यटन व्यापार में और जम्मू-कश्मीर की डूबती अर्थ-व्यवस्था में प्राण फूंकेगी; परन्तु भारतीय पर्यटन को भी गति प्रदान करेगी तथा कश्मीर भ्रमण के लिए विदेशी पर्यटकों को भी प्रोत्साहित करेगी। यदि उनकी संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो इस उद्योग की आय में भी वृद्धि होगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: केवल अभी-अभी दिया गया विवरण ही, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न विषय आगामी सप्ताह के एजेन्डे में सम्मिलित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं :

(1) राजस्थान प्रान्त विद्युत संकट के गम्भीर दौर में गुजर रहा है। कोटा अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई 4 मार्च, 1982 से बन्द है। केन्द्र सरकार के आणविक विभाग ने इसी जांच के बारे में प्रसाद कमेटी नियुक्त की थी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत किए हुए भी छः माह हो चुके हैं परन्तु अभी तक कोटा अणु बिजलीघर की इकाई नं० 1 के शुरू न होने से विद्युत संकट की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। केन्द्र सरकार उक्त कमी की पूर्ति के लिए सिंगरोली सुपर थर्मल प्लान्ट में अपने रिजर्व का हिस्सा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को दे और प्रदेश के विद्युत के स्थाई हल के लिए कोटा में दो नए अणु बिजलीघर स्थापित करे।

(2) केन्द्र सरकार ने राजस्थान प्रान्त में स्वतन्त्रता के बाद में नई रेलवे लाइनों की स्थापना में बड़ी उदासीनता की नीति अपनाई है। राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों की तो और भी अधिक अवहेलना की गई है। मेरे लोक सभा बाड़मेर-जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से केरल प्रान्त से दुगुना और पंजाब के बराबर है, पठानकोट से कांड़ला वाया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ब्रोडगेज की मांग मैं बराबर कर रहा हूं। इसको रेलवे विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में लेने का प्रस्ताव है और केन्द्र सरकार के वित्त एवं योजना विभाग मान्यता दे कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पठानकोट से कांडला ब्रोडगेज रेलवे लाइन का कार्य कम्पलीट करे।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विद्यार्थी, लड़के व लड़कियां, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से इम्तिहान देने वाले हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि उनका सेन्टर हरियाणा में रोहतक, हिसार न रख कर के दिल्ली रखा है जिससे लड़के व लड़कियाँ आईं और उन्हें वापिस भी जाना पड़ा क्योंकि उनके ठहरने का इन्तजाम नहीं हुआ। इसलिए सेन्टर हरियाणा में बनाया जाए। इसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में धांधली और कुछ परीक्षाएंओं के दोबारा होने का एलान हुआ है जिससे परीक्षा पद्धति पर आघात पहुंचा है। इसको अगले सप्ताह की कार्यवाही की सूची में शामिल किया जाए।

2. डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बार-बार जो डाक्टरों की हड़ताल होती है, उनके कारणों को जानना चाहिए। क्योंकि डाक्टरों की हड़ताल से जब सब से बड़े अस्पताल में काम बन्द हो जाता है तो इन्सानी जिन्दगी की कीमत नहीं रह जाती है। इसलिए अगले सप्ताह इस पर विचार किया जाए और सोचा जाए कि ऐसा कौन-सा कारण है जिनसे कि हड़ताल होती है और उन कारणों का समाधान कैसे किया जाए ताकि कभी हड़ताल न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

श्री मनी राम बागड़ी : आगे न हो, इस पर सोचा जाए क्योंकि यह पहले भी होती रही है।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर दस सदस्य उन विषयों पर बोले हैं, जिन्हें वे चाहते हैं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाए। उनमें से छः तो अपने मुद्दों की वकालत करके जा चुके हैं और केवल चार माननीय सदस्य उपस्थित हैं। इससे केवल यही पता चलता है कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। वे चीजों को प्रकाश में लाना चाहते थे और वे उजागर कर दी गई हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, परन्तु जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि कार्य मन्त्रणा समिति को, इन्हें अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करने के लिए समय निकालना होगा। मैं निश्चित रूप से इन मुद्दों को मंन्त्रणा समिति के समक्ष रखूंगा और मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी प्रेषित कर दूंगा। यदि कार्य मन्त्रणा समिति कोई समय निकाल सकेगी तो हम निश्चित रूप से इन विषयों पर चर्चा करेंगे।

एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एल्युमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) महोदय, मैं श्री एन० के० पी० साल्वे की ओर से प्रस्ताव करता हूं* :

"कि एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बने उत्पादों के जो समुदाय की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, के उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के समीप जे० के० नगर के इसके उपक्रम के सम्बन्ध में एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बने उत्पादों के, जो समुदाय की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के समीप जे० के० नगर के इसके उपक्रम के सम्बन्ध

---

*राष्ट्रपति की अनुशंसा से प्रस्तुत किया गया।

में एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एल्युमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक का स्वागत करता हूं, जिसे संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। अब यह विधेयक विचार करने तथा पारित करने के लिए आया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, यद्यपि यह बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना जुलाई, 1944 में आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के निकट जे० के० नगर में हुई थी। वित्तीय कुप्रबन्ध तथा अन्य कठिनाइयों के कारण सितम्बर, 1973 में यह कम्पनी बन्द कर दी गई थी। निजी मालिकों ने कम्पनी का शोषण किया तथा अर्जित लाभ को कम्पनी के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी स्तर को ऊपर उठाने में नहीं लगाया। एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जे० के० नगर से कमाए गए लाभ से मालिकों ने अन्य राज्यों में नए कारखाने लगा लिए। उस समय इस कम्पनी में 2,500 व्यक्ति काम कर रहे थे।

एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम उत्पाद हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हैं, विशेषकर बिजली उद्योग के लिए। 1979-80 में 76,028 टन एल्युमिनियम का आयात किया गया जिसका मूल्य 1,09,560 रुपए था। 1981-82 में उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता 3,21,170 टन थी तथा 1981 में उत्पादन 2,11,411 टन था। 1982 में उत्पादन 2,14,709 टन था तथा आयात 2,178 टन और इसका मूल्य 39 करोड़ रुपए था। 23 फरवरी, 1983 को एक उत्तर में यह बताया गया था कि 1982 में कोई आयात नहीं किया गया। लेकिन श्री साल्वे ने राज्य सभा में बताया कि 1982-83 के दौरान सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी को 30 से 45 करोड़ रुपए मूल्य का 20,000 से 30,000 टन एल्युमिनियम आयात करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर के दौरान उस बात पर स्पष्टीकरण देंगे कि क्या 1982-93 के दौरान कोई आयात किया गया और देश में आयातित एल्युमिनियम उत्पादों की कुल मात्रा कितनी थी।

सरकारी तथा निजी क्षेत्र में एल्युमीनियम उत्पादन की स्थिति क्या है? सरकारी क्षेत्र की 'हेल्को' में 1971 में 30,939 टन तथा निजी क्षेत्र की 'इन्डेल्को', 'इन्डेल' तथा 'मेल्को' में 1,80,899 टन उत्पादन हुआ। 1979 में कुल उत्पादन 2,17,838 टन था। 1980 में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 28,997 टन था तथा निजी क्षेत्र में 1,55,841 टन। 1981 में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 32,881 टन तथा निजी क्षेत्र में 1,70,689 टन था। इसलिए जब आप यह कह रहे हैं

कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बहुत बढ़ गया है, निजी क्षेत्र का उत्पादन सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक है।

मैं मांग, स्वदेशी आपूर्ति तथा आयात के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे रहा हूं। 1980-81 में मांग 3,04,628 टन स्वदेशी उत्पादन 1,87,110 टन तथा आयात 1,20,778 टन था। 1981-82 में मांग 2,79,229 टन, स्वदेशी आपूर्ति 2,64,000 टन तथा आयात 70,196 टन था। 1982-83 में मांग 238·118 हजार टन थी, तथा स्वदेशी आपूर्ति 218·862 हजार टन थी। इसमें लगभग 20,000 टन का अन्तराल है। आंकड़ों में उन्होंने दर्शाया है कि कोई आयात नहीं किया गया। लेकिन मंत्री महोदय ने राज्य सभा में एक उत्तर के दौरान कहा था कि 20 से 30 हजार मीट्रिक टन एल्युमिनियम का आयात करना पड़ सकता है। स्थिति क्या है?

हमारे देश में एल्युमिनियम उत्पादन की वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता 3,21,170 टन है। 1981 में उत्पादन 2,11,411 टन था। 1982 में उत्पादन 2,14,789 टन था। 1981 में आयात को आंकड़े मैं पहले ही बता चुका हूं।

एल्युमिनियम मण्डी में अब भी निजी क्षेत्र का आधिपत्य है और हम आयात पर हजारों करोड़ रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं।

अब 1984-85 के लिए सरकार ने एल्युमिनियम की मांग को प्रक्षेपित किया है। यह 5,00,000 टन होगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि 1984-85 में वास्तविक स्वदेशी उत्पादन कितना होगा। आप जानते हैं कि यह कम्पनी 1973 में बन्द कर दी गई थी। कम्पनी तथा कम्पनी के बन्द होने से प्रभावित हुए लोगों को पुनर्वासित करने तथा एल्युमिनियम से बने उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार 1975 से प्रयत्नशील थी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कम्पनी के मालिकों ने लाभ कमाया तथा इसे पुन: कम्पनी में नहीं लगाया। उन्होंने अन्य राज्यों में कारखाने लगा लिए। इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी देनदारियां अधिक थीं तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए अनिवार्य इस एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया को पुनर्जीवित करने के लिए पूंजी नहीं लगाई।

इसके बन्द हो जाने के बाद मैं तथा सी० आई० टी० यू० के नेता मंत्री से कई बार मिले तथा उनके मंत्रालय में भी गए और उनसे कम्पनी को दोबारा खोलने तथा इसका राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया। तदुपरान्त, 1 मई, 1978 को केन्द्र सरकार ने कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया और तब उसके बाद 1979 से एल्युमिनियम उत्पादों का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ। यह 1979 में दोबारा शुरू किया गया। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं हमारे देश के लिए, विशेषकर विद्युत उद्योग तथा प्रतिरक्षा उद्योगों के लिए; एल्युमिनियम का उत्पादन जरूरी है। लेकिन अधिग्रहण के पश्चात कम्पनी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं था और तब हम इसके राष्ट्रीयकरण के लिए कई बार मंत्री महोदय से मिले—अर्थात्, इसे केन्द्र सरकार के उपक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में मंत्री महोदय ने कहा है कि उपक्रम के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक निधि का पूंजी निवेश आवश्यक समझा गया है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम के सामान का उत्पादन होता है जो देश तथा विद्युत क्षेत्र के लिए जरूरी है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जब इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, उस समय इसे सक्षम बनाने के लिए आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी सुधार के लिए उपयुक्त पूंजी लगाई जाए, और यह राष्ट्रीयकरण बेमने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। मैं सचेत रहने की ओर संकेत करूंगा, जैसे कि आप जानते हैं, सरकार ने 1975 में बर्न स्टैंडर्ड रिफ्रेक्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन, राष्ट्रीयकरण के बाद उसमें कोई पूंजी नहीं लगाई। बर्न स्टैंडर्ड के बारे में हम इस बात का स्वागत करते हैं कि सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन उसमें कोई पूंजी नहीं लगाई गई। हमने मंत्री को कई अभ्यावेदन दिए कि जब इकाई रुग्ण हो जाती है तो राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र हल नहीं है। जब आप किसी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो पूंजी निवेश आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी स्तर में सुधार लाने के लिए उपयुक्त नियोजन किया जाना चाहिए, ताकि संस्थान को सक्षम बनाया जा सके।

लेकिन, इसी बीच, केन्द्र सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक निजी क्षेत्र जैसा व्यवहार करने लगे हैं। उन्होंने बर्न स्टैंडर्ड की दुर्गापुर-इकाई में तालाबन्दी घोषित कर दी है तथा उन्होंने 10 मई से बर्न स्टैंडर्ड की रानीगंज इकाई को बन्द करने का नोटिस दे दिया है। इससे पहले लगभग दस वर्ष पूर्व बर्न स्टैंडर्ड में 950 टन उच्चतापसहों का उत्पादन होता था। लेकिन प्रबन्धकों ने यूनियन के साथ एक समझौता कर लिया और उत्पादन लक्ष्य शनैः-शनै कम कर दिया और अब यह केवल 250 टन है। यह व्यवहार्य कैसे हो सकती है ?

पश्चिम बंगाल में आजकल मजदूर संघों के नेता और कर्मचारी इतने परिपक्व हैं, वह केवल अपने वेतन और अन्य वस्तुओं के प्रति ही सचेतन नहीं हैं अपितु सरकारी क्षेत्र के एककों को व्यवहार्य बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और वह केन्द्रीय सरकार को वैकल्पिक सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। परन्तु अधिकारी वर्ग इन वैकल्पिक योजनाओं पर विचार नहीं कर रहे हैं और यही स्थिति की विडम्बना है। बर्न स्टैंडर्ड के दो एककों के लगभग 1200 कर्मचारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। मैं तालाबन्दी उठाने और बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी की रिफ्रेक्टरीज को पुनः खोलने की मांग करता हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है और मजदूर संघ इसमें सहयोग के लिए तैयार हैं। परन्तु इसके साथ ही, पूंजी निवेश, आधुनिकीकरण और तकनीकी स्तर में सुधार के लिए उचित योजना होनी चाहिए जिससे यह व्यवहार्य बन सके।

आपके द्वारा मैं मंत्री जी और मंत्रिमंडल का ध्यान उनके द्वारा अनियोजित तरीके से कार्य किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एम० ए० एम० सी० दुर्गापुर की स्थापना कोयला खानों और कोयला धोवनशालाओं को उपकरणों और मशीनों की सप्लाई के लिए हुई थी। उन्होंने इन कोयला खानों और कोयला धोवनशालाओं को बहुत से उपकरण और मशीनें सप्लाई

की हैं, उनका कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्या हुआ ? ऊर्जा मंत्री मधुवन में एक कोयला धोवनशाला की स्थापना कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड मधुवन में एक कोयला धोवनशाला की स्थापना कर रही है। उन्होंने अभी आर्डर नहीं दिया है, लेकिन वह एक विदेशी कंपनी 'एलपाइन' को, जो कि आस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, को आर्डर देना चाहती है। यदि वे विदेशी कंपनी 'एलपाइन' को आर्डर देंगे तो इसके लिए कुल 60 करोड़ रुपए और 6 से 8 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। जब एम० ए० एम० सी० दुर्गापुर अच्छी कोटि की मशीनरी तैयार कर सकती है और उनके पास कोयला खानों और कोयला धोवनशालाओं के लिए प्रथम श्रेणी अथवा आधुनिक-तम मशीनरी तैयार करने की तकनीकी जानकारी है, तो दूसरा मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम को आर्डर न देकर, विदेश कम्पनी को आर्डर क्यों दे रहा है, जिस पर उन्हें 6 से 8 करोड़ रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी ? अतः मेरा प्रश्न यह है कि आप इस संस्था का राष्ट्रीयकरण करें और इसके साथ ही पूंजी निवेश, आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति के लिए उचित योजना बनाएं, जिससे यह कंपनी व्यवहार्य बन सके। मैं आपके द्वारा सरकार को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो मजदूर संघ और कर्मचारी इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। परन्तु फिर यह होगा कि दो, तीन अथवा चार वर्षों के बाद आप बर्न स्टैंडर्ड की तरह इस संस्था को बन्द कर देंगे। सरकार कुछ संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में लेती है और कुछ वर्षों बाद उन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर इन्हें अनुसूचित कर देती है जैसा कि कलकत्ता की कार्टर पूलर के सम्बन्ध में किया गया है जिसे अनुसूचित कर दिया गया। यह उचित नहीं है। आपको इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और इसे व्यवहार्य बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, पश्चिम बंगाल के व्यापार संघों के नेता और कर्मचारी इतने परिपक्व हो गए हैं कि वह सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के उपक्रमों को व्यवहार्य बनाने के प्रति चिन्तित हैं। सरकार को पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों द्वारा उठाए गए जिम्मेदाराना कदमों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्रालय को मेरे इन विचारों से अवगत करादें जो कि मैंने बर्न स्टैंडर्ड और दूसरी संस्था एम० ए० एम० सी० के सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं, जो कि हमारे देश की भारी इंजीनियरिंग सरकारी उपक्रम संस्थाओं में से एक है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही, मैं समाप्त करने से पहले यह दोहराना चाहता हूं कि उचित योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है कि एल्युमिनियम बाजार पर अभी भी निजी उपक्रमों का आधिपत्य है; सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पीछे रह गए हैं। हम एल्युमिनियम की वस्तुओं के आयात के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे सुझावों को उचित महत्व दें, और जब वे जवाब देंगे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा उठाए गए सभी उचित प्रश्नों का वे जवाब देंगे···

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : और संतोषजनक जवाब···

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे जवाब आप चाहते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने 'संतोषजनक उत्तर' के लिए कहा है । मैं यह कहूंगा 'मेरी सन्तुष्टि के लिए' । मैं इस संस्था के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर आफ एल्युमिनियम अन्डरटेकिंग) बिल, 1983 का मैं समर्थन करता हूं ।

प्राईवेट सैक्टर में जितनी भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां सरकारी पैसे से बनी हैं, धीरे-धीर वे अपने एसेट्स को दूसरी जगह ट्रांसफर करके सिक होती जा रही हैं । यह भी एक ऐसी ही कम्पनी है, जिसने सरकारी फिनांशल इंडस्टीट्यूशन से करोड़ों रुपए लेकर उसको सिक बनाया है । 1973 में यह कम्पनी क्लोज हुई । भारत सरकार और वैस्ट बंगाल सरकार ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी फिनांशल पोजीशन इतनी खराब थी कि वह अपने पांव पर खड़ी न हो सकी ।

1978 में सरकार ने डिसिजन लिया कि इसको टेक ओवर कर लिया जाए और भारत एल्युमिनियम कम्पनी के सुपुर्द कर दिया जाए । तब भी वह ठीक प्रकार से नहीं चल पाई, क्योंकि इसकी मशीनरी इतनी पुरानी हो चुकी है कि प्रोडक्शन लाभदायक नहीं हो सकती । इसकी मशीनरी को माडर्नाइज करने के लिए और प्रोडक्शन को लाभ की स्थिति में लाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार इसमें काफी इनवेस्टमेंट करे ।

अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 करोड़ रुपया इस अन्डरटेकिंग को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारत एल्युमिनियम कम्पनी को दिया जाए, 60 लाख रुपया माडर्नाइजेशन के लिए दिया जाए और 3.70 करोड़ रुपया ड्यूज की अदायगी के लिए दिया जाए । टेकओवर करने के बाद करीब 4 करोड़ रुपया राइट्स, टाइटल और इन्ट्रेस्ट को प्राप्त करने के लिए देना पड़ेगा । इसके अलावा 16.75 करोड़ रुपया एसेट्स को लेने के लिए देना पड़ेगा । भारत सरकार इस कम्पनी के एसेट्स और मशीनरी वगैरह को प्राप्त करने के लिए 20 करोड़ रुपए दे रही है, जबकि इस कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपए कमाए गए हैं ।

1.00 म०प०

अगर ट्रांसफर आफ असेट्स या मैनेजमेंट की वजह से कोई कम्पनी सिक होती है तो उसके लिए सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए, हां, अगर मजदूरों को पैसा चुकाना हो, तो दूसरी बात है । वरना जब किसी कम्पनी ने काफी पैसा कमा लिया हो तो उसको इस प्रकार का एमाउन्ट देने की आवश्यकता नहीं है । उस कम्पनी को आप नेशनलाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने का यत्न करें ।

आज पब्लिक सेक्टर में जो कम्पनियां चल रही हैं उनका प्राटवेट सेक्टर की कम्पनियों के साथ कम्पिटीशन होना चाहिए। आज प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों में बड़ी मिकदार में प्राफिट होता है जबकि पब्लिक सेक्टर की जो एल्युमिनियम या अन्य कम्पनियां हैं उनमें प्राफिट बहुत कम है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की बड़ी-बड़ी कम्पनियां तो लास में भी चलती हैं। मैं समझता हूं पब्लिक सेक्टर में जब तक आप कम्पनियों का मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तब तक उनमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लाभ नहीं मिल सकेगा। उन कम्पनियों का प्रशासन, मैनेजमेंट कुशल तरीके से चलाया जाना चाहिए जिसके अभाव में आज वहां पर घाटा हो रहा है। बड़े-बड़े अधिकारियों को वहां पर बिठा दिया जाता है जोकि एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वे वहां पर राजाशाही की तरह से रहते हैं और अनाप-शनाप खर्च करते हैं और इस प्रकार से कम्पनी का दिवाला निकालने का प्रयत्न करते हैं। इन कम्पनियों में जिन लोगों को भी रखा जाए, जिनको भी वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बनाया जाए उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनका यह परम कर्तव्य है कि वे कम्पनी का संचालन इस प्रकार से करें जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राफिट हो सके।

आज बड़ी-बड़ी Key-(की) इण्डस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में ही हैं और इनकी—इण्डस्ट्रीज के आधार पर ही देश की अन्य कम्पनियां चल सकती हैं। इसलिए इनकी—इण्डस्ट्रीज का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। यह जो एल्युमिनियम कम्पनी हैं। इनका भी पावर तथा अन्य सेक्टर के लिए बड़ा महत्व है इसलिए इनका मैनेजमेंट ठीक प्रकार से चलाया जाना नितान्त आवश्यक है। और भी एल्युमिनियम कम्पनीज देश में खड़ी की जा सकती हैं। फिर आपको बाहर से इसका इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और एल्युमिनियम की सारी चीजें देश में ही बन सकेंगी।

सरकार ने जो कदम उठाया है वह मैं समझता हूं हाफ-हार्टेड है। हाफ-हार्टेड कदम उठाने से मैं समझता हूं आपको कामयाबी नहीं मिलेगी आप जब तक ठीक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए या तो पूरी तरह से नेशनलाइज कीजिए या ऐसे अवसर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और वे लोग देश की ज्यादा सेवा कर सकें।

सरकार को इन कम्पनियों के सिक होने के बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बराबर एक कम्पनी को सिक करके दूसरी बनाने में लगे रहते हैं। उनका इन्टरेस्ट यह होता है कि उसमें से सब माल निकाल लें और जब उसमें रद्दी चीजें रह जाती हैं तब उसको छोड़ देते हैं। इसमें उनका अपना तो कोई नुकसान होता नहीं है क्योंकि सब पैसा फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज का लगा होता है, अपनी गांठ का वे कोई पैसा नहीं लगाते हैं। ये जितने बड़े सेठ लोग हैं, कोई भी अपनी गांठ का पैसा नहीं लगाते हैं, चाहे जितने करोड़ की इण्डस्ट्री स्थापित करें सारा पैसा फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज का, बैंक का लगता है और कहने के लिए जो 10-20 परसेन्ट अपना दिखलाते हैं, उसको भी वे फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज के पैसे में से निकालते हैं और इस तरह से बड़ी-बड़ी कम्पनिनों के मालिक बन कर बैठ जाते हैं और इस तरह से जीवन गुजारते हैं

जो किसी देश का राजा-महाराजा भी नहीं गुजारता होगा। परिवार के सब लोगों को कम्पनी में लगा देते हैं, किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, किसी को डायरेक्टर बना दिया और हर एक के लिए दस-दस और बीस-बीस हजार की तनख्वाह लगा देते हैं। ऐसी कम्पनियों में जहां सरकार का पैसा लगा होता है सरकार को उनकी पूरी निगरानी करनी चाहिए।

सरकार की तरफ से इन कम्पनियों में डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। किसी डिप्टी सैक्रेटरी को, किसी ज्वाइन्ट सैक्रेटरी को या कन्सर्ण्ड मिनिस्ट्री के सैक्रेटरी या ज्वाइन्ट सैक्रेटरी को नामिनेट कर दिया जाता है। वे लोग वहां जाते हैं, चाय पीते हैं, मौज करते हैं और घूम-फिर कर आ जाते हैं। यह देखने का प्रयास नहीं करते कि कम्पनी की क्या हालत है, वह ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज से जो पैसा मिला है उसका ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं उसके एसेट्स ट्रांस्फर करके दूसरी जगह तो नहीं ले जा रहे हैं—इन सबको देखने वाला कोई नहीं है। आज बहुत सी कम्पनियां जो सिक हो रही हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार का इन्टरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए वहां जिन अधिकारियों को मुकर्रिर किया जाता है वे ठीक प्रकार से सरकार के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करते, बल्कि अपना इन्टरेट सेफगार्ड करते हैं। थोड़े दिनों बाद जब वह रिटायर होते हैं तो उनको उसी कम्पनी में जाब मिल जाती है, जहां कुछ दिन पहले वे गवर्नमेंट के नामिनेटेड डायरेक्टर थे। मैं ऐसी एक नहीं बहुत सी नजीरें दे सकता हूं जहां बड़े-बड़े अधिकारी जो इन कम्पनियों के डायरेक्टर रहे हैं, इन कम्पनियों को आगे बढ़ाने में जिन्होंने सहयोग किया, वे रिटायरमेंट के बाद इन्हीं कम्पनियों में बड़े अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं और उम्र भर पैसा प्राप्त करते रहते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी कोई कम्पनी सिक होने लगे तो उस पर पूरा ध्यान रखा जाए, उसको सिक न होने दिया जाय जिस से कोई मजदूर बेकार न हो। इस कम्पनी में 5-6 साल तक ढाई हजार मजदूर बेकार रहे। किस तरह से उन लोगों ने अपनी गुजर-बसर की होगी, आप उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। इसलिए भारत सरकार को कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन कम्पनियों में जिनमें भारत सरकार और फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज का पैसा लगा है, सिक न होने पायें। सिक होने से पहले भारत सरकार को पता लग जाय जिससे भारत सरकार कार्यवाही कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मोनोपोलिस्टक विचार-धारा वाले लोग इसका ज्यादा लाभ न उठा सकें। जब मिल टेकओवर कर ली जाती है, उसके बाद ये पूंजीपति लोग बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलकर उस मिल को वापिस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। सरकार को चाहिए कि जब एक बार टेकओवर किया है तो उसको नेशनलाइज करे। आपने टेकओवर करते समय करोड़ों रुपया इन्वैस्ट किया है। यह जो अब कदम आपने उठाया है, इसको बरावर आगे बढ़ाइए। इसको नेशनलाइज कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और देश को फायदा हो।

एक बार पुनः आपने जो कदम उठाया है, उसका स्वागत करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एल्युमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1983 का समर्थन करता हूं।

आज का युग प्लास्टिक और एल्युमिनियम का युग है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के घरों में आपको एल्युमिनियम के ही बर्तन मिलेंगे। इस आवश्यकता को देखते हुए इसका उत्पादन बहुत कम है। एल्युमिनियम का जितना विकास होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हुआ है। आजादी के 38वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है, लेकिन अभी तक इसका आधुनिकी-करण नहीं हो पाया है। पिछले समय मंत्री महोदय बता रहे थे कि देश में पांच लाख टन एल्युमिनियम की आवश्यकता है, लेकिन यदि लेखा-जोखा देखा जाए तो तीन-सवातीन ही एल्युमिनियम के उत्पादन की क्षमता है और उसमें भी 50 परसेंट से ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। एल्युमिनियम की महत्ता को देखते हुए, इसके विकास के लिए सरकार को सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। अधिग्रहण करने के लिए यह बिल लाया गया है, इसीलिए हम लोग इसका हार्दिक समर्थन कर रहे हैं। यह कार्पोरेशन एक प्राइवेट कम्पनी ने आसनसोल के नजदीक जे० के० नगर में बनाया था। इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और अच्छा सराहनीय कार्य उन्होंने किया। विषम परिस्थितियों के कारण और यह भी हो सकता है कि जो पूंजी वित्तीय संस्थानों की लगाई गई, उसका दुरुपयोग करने की परम्परा शुरू हो गई। जितनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने उद्योग लगाती हैं, वित्तीय संस्थानों से पैसा लेती है, आगे चलकर वे पारिवारिक व्यवहार के लिए उसका उपयोग करने लगती है। इस कारण पूंजी व्यवस्था में न लगाकर उसका डाइवर्जन होता है, जिसके कारण व्यवस्था ठीक नहीं चल पाती है।

1.15 म०प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

दूसरी बात यह है कि तत्कालीन श्रमिक संगठनों को भी इसमें दोष दिया जा सकता है। जो भी उस समय श्रमिक संगठन थे, उन्होंने उस समय के मालिक के जो सम्बन्धी थे, उनकी हत्याएं की और अन्य लोगों की भी हत्याएं हुईं, जिसके कारण प्रबन्धकों को यह छोड़ देना पड़ा। इस कारखाने को छोड़ने में यह भी एक बात रही है कि मजदूरों ने चाहे जिस तरह का उग्र रूप धारण किया हो लेकिन मजदूरों के भुगतान में भी गड़बड़ी हुई हो या अन्य कारण रहे हों। और मजदूरों की तरफ से भी ज्यादती हुई थी, जिससे प्रबन्धकों को हतोत्साहित होकर और इस तरह से हत्याओं का तांता देखकर, इसे छोड़कर भागना पड़ा। इसके लिए जो भी दोषी हों लेकिन उसके बाद इस कारखाने को चलाने के लिए बंगाल सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने प्रयास किया। 1975 में जब वे इसमें सफल नहीं हो सके, तो फिर 1 मई, 1978 को इसको टेकओवर किया गया और तब से इसका कार्यकरण जो चलाया जा रहा है, वह वह बहुत ही सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता। अभी जो बिल आया है इससे आशा की जाती है

कि इस कारखाने का भविष्य उज्जवल होगा लेकिन भावष्य को उज्जवल करने के लिए जो प्रबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। इसमें बाईलाज और डेलीगेटेड पावर का प्रावधान है और फिर अधिकारी वर्ग अपने ढंग से रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स, नियम और कानून जो भी होंगे, वे बनाएंगे और उसके बाद यह कितना अच्छा चल सकेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है, वहां पर बीमार मिलों, बीमार उपक्रमों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाजीनगर में कागज का कारखाना, सेन रेलों का कारखाना और इसी तरह से नेशनल जूट मिल भी बीमार रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो बीमार पड़े हुए हैं। इसके लिए कारणों को ढूंढ़ना होगा कि किस कारण से वहां पर बड़े-बड़े कारखाने भी बन्द हो जाते हैं और इस दिशा में सरकार को सचेष्ट रहना चाहिए और हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसको देखना चाहिए कि श्रमिकों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो और श्रमिकों को भी अपनी रोटी पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कारखाना बन्द होने की नौबत आए। यदि मजदूरों का शोषण होता है, मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, लाभांश का वितरण ठीक से नहीं होता है या बोनस देने में प्रबन्धकों द्वारा कोई सौतेला व्यवहार होता है, तो उस चीज को सरकार को देखना चाहिए। इस कारखाने की उपयोगिता बहुत है और अब तो सौर ऊर्जा की बात चल रही है और सौर ऊर्जा पैदा करने में एल्युमिनियम का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। एल्युमिनियम हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है और उसके लिए करोड़ों रुपयों की व्यवस्था विदेशी मुद्रा के रूप में करनी पड़ती है और अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम मंगाने में काफी विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती है। इसके लिए मेरा कहना यह है कि जहां पर अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम बनता है, वहां से टेक्नोलाजी को मंगाया जाए, उसको खरीदा जाए या कोलाबोरेशन किया जाए। सर्वोत्तम क्वालिटी के एल्युमिनियम से वहिर्वेधित सेक्शनों, फायलों और कंडक्टरों और दूसरी तरह के सामान बनते हैं। हमारे यहां ऐसी गुणवत्ता वाला एल्युमिनियम होना चाहिए, जिससे विदेशों से हमें एल्युमिनियम न मंगाना पड़े। आज बहुत सी कम्पनियां एल्युमिनियम बाहर से मंगाती हैं और उसमें हमारे देश की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। इसको हमको रोकना चाहिए। हमारे यहां नेलको और बहुत से दूसरे कारखाने हैं, जहां पर यह अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम बनाया जा सकता है। हमारे देश में बाक्साइट के बहुत बड़े भण्डार हैं। लोहरडागा के सैकड़ों वर्ग मील में एल्युमिनियम का बाक्साईट खनिज उपलब्ध है। वहां उसको निकालने के लिए कारखाना बनाना चाहिए। वहां कारखाना नहीं बनाया जाता है। अगर वहां कारखाना बनाए जाएं तो वहां के जो आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी भूखों मर रहे हैं और जिन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए पंजाब और दूसरे-दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उनके लिए वहीं रोजी-रोटी की सुविधा हो सकती है और वे लोग तबाही से बच सकते हैं। वहां पर कारखाने को बनाने से वहां के आदिवासियों को लाभ होगा। इस बात को आपको देखना चाहिए।

बालको और हिन्डालको सभी को मिलकर विचार करना चाहिए कि देश को कितनी एल्युमिनियम की आवश्यकता है, पांच लाख टन या दस लाख टन ? उसी के अनुसार जहां सम्भावनाएं हैं, जहां-जहां खनिज उपलब्ध हैं उन्हीं इलाकों में कारखाने बनाने चाहिए। इस तरह से आसानी से एल्युमिनियम पैदा किया जा सकता है। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न किया था कि लोहरडागा इलाके में एक कारखाना बनना चाहिए क्योंकि वहां इसका खनिज पैदा होता है। यह कारखाना वहां नहीं बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। आपको इस सम्बन्ध में किसी भी क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात मैं प्रबन्धन और व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। आपने इसके सुधार के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपए का इस बिल में प्रावधान किया है जिसमें से 66 लाख रुपए कारखाने के मीडरेनाइजेशन में खर्च होंगे। मीडरेनाइजेशन के लिए यह राशि कम है। वहां के इन्जीनियर, साइन्टिस्ट्स या एक्सपर्टस आपको जो राय दें उस पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हीं को यह कारखाना चलाना है। आपने जो इस राशि का प्रावधान किया है उसको सही ढंग से खर्च करना है। यह न हो कि ब्योरोक्रेसी जो अनाप-शनाप खर्च बताए, उसमें ही राशि खर्च हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह राशि केवल कागजों और बाउचरों में ही खर्च होगी, वास्तव में खर्च नहीं होगी। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस कारखाने के मैनेजमेंट में बराबर सावधानी बरतें। नहीं तो क्या होता है कि वहां पर जो अधिकारी बहाल होते हैं वे पक्षपात और भाई-भतीजावाद चलाने लगते हैं। वहां पर उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जिनकी कि आवश्यकता हो। जिनकी आवश्यकता न हो उनको बहाल कर देने से बहुत बर्बादी होती है और कारखाना सही ढंग से नहीं चल पाता है।

जितने भी बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं—वे या तो श्रमिकों की साजिश से हुए हैं, या पूंजीपतियों की साजिश से बन्द हुए हैं। इसीलिए सरकार को उनको अपने हाथ में लेना पड़ा। मैं चाहता हूं कि उनके प्रबन्धन में और व्यवस्थापन में मजदूरों को भी हिस्सेदार और साझीदार बनाने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे कारखाने हैं, अगर उनमें मजदूर भी हिस्सेदार और भागीदार होंगे तो वे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उन्हें कारखाने में अपनत्व का बोध होगा। इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

आपको इस कारखाने के प्रबन्ध के लिए अच्छे अधिकारियों को पदस्थापित करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की वहां नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो कि पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। आप इन बातों का ध्यान रखें, तभी इस कारखाने का, एल्युमिनियम का भविष्य अच्छा होगा और तभी जनता की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदय, कृपया मुझे भारतीय

एल्युमिनियम निगम लिमिटड के अर्जन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने की अनुमति दें। महोदय, समय-समय पर संस्थाओं का अधिग्रहण किया जाता है। यह बड़ी खेदजनक बात है कि उपक्रमों के अर्जन में किसी नीति का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ दिन पहले, जब मद्रास की बकिंगम एण्ड कारनेटिक मिल लिमिटेड के अर्जन की मांग थी, सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेने से इन्कार कर दिया। सरकार जब अपने अधिकार में लेना चाहती है, वह हर हाल में अपने अधिकार में ले लेती है, चाहे वह संस्था अधिग्रहण के काबिल हो या न हो। इस विशेष मामले में, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी निधि लगाई जा रही है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनाई जाए कि क्या कोई संस्था सरकार द्वारा अधिकग्रहण के योग्य है अथवा नहीं। यदि संस्था के उद्धार के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो हमें यह सोच कर संतोष कर लेना चाहिए कि यह पुनः लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी और अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सकेंगी। यह आवश्यक है कि उचित योजना की जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को दुबारा नुकसान न हो यथा सम्भव प्रयास किए जाएं।

इसके अतिरिक्त, इस संस्था का प्रबन्ध व्ययस्था भारतीय एल्युमिनियम कम्पनी को दी जा रही है। मैं नहीं चाहता कि इस संस्था को अपने अधिकार में लेने से भारतीय एल्युमिनियम कम्पनी भी मुसीबत में फंस जाए। अतः यह आवश्यक है कि नई प्रबन्ध व्यवस्था वही गलती न करें जो कि पुरानी संस्थाओं द्वारा की गई है। अतः यह पता लगाना आवश्यक है कि यह संस्था घाटे में क्यों गई और पहले की गई गलतियों की पुनरावृति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि संस्था का काम सुचारु रूप से चलता रहे।

सभी कम्पनियों को प्रत्येक वर्ष मिश्रित पूंजी कम्पनियों के रजिस्ट्रार को लाभ-हानि का लेखा और तुलन पत्र भेजना पड़ता है। इस सम्बन्ध में केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार को यह पता लगाने के लिए कि कौनसी कम्पनियां अच्छी स्थिति में नहीं है और घाटे में जा रही हैं एक तन्त्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर संस्थाएं अत्यधिक घाटे में चल रही हो और ऐसी स्थिति में यदि औपचारिक कदम उठाए जाएं तो उन्हें वापिस सुचारु बनाने में बहुत कठिनाई होगी। मेरा सुझाव है कि ऐसा तन्त्र बनाया जाए जो कम्पनियों के लाभ-हानि के लेखे और तुलन पत्र का अध्ययन करे, और देखे कि जो कम्पनियां घाटे में जा रही हैं, उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रारम्भ में ही कदम उठाए जाएं जिससे के बहुत अधिक संचित हानि न हो। बहुत सी कम्पनियों के घाटे में जाने की सम्भावना है क्योंकि इन कम्पनियों की अधिकांशतः मशीनें पुरानी हैं। बहुत सी कम्पनियों के घाटे में जाने और दिवालियां होने की सम्भावना है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

इस संस्था को अपने अधिकार में लेने के बाद, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्पनी का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है अथवा नहीं आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। आजकल एल्युमिनियम का अच्छा भविष्य है, क्योंकि पहले एल्युमिनियम का प्रयोग केवल बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। परन्तु आजकल एल्युमिनियम का प्रयोग अन्य कामों जैसे

फिटिंग, मोटर उद्योग, विमानन और अन्य अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। अतः देश में एल्युमिनियम उद्योग के विकास की बहुत आवश्यकता है।

इस संस्था के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों और कच्चे माल के अतिरिक्त, एल्युमिनियम उद्योग के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण पहलू बिजली है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ती है, अतः बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बिजली की कमी के कारण संस्था का कार्य रुक न जाए।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कम्पनी के सभी कर्मचारियों को नई संस्था में ले लिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को लेने के स्थान पर मेरा सुझाव है उन्हें छांट लिया जाए, उनकी और जो कम्पनी की अप्रतिष्ठा के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? हो सके तो ऐसे सभी कर्मचारियों को न लिया जाए जो कम्पनी की अप्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार हैं।

किसी भी संस्था के अधिग्रहण पूर्व श्रमिकों को यह देखने के लिए क्यों नहीं दिया जाता एक अवसर कि क्या वह संस्था का स्वयं प्रबन्ध कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो कई कम्पनियां बहुत सुचारु रूप से चल सकेंगी। अतः सरकार को इन मजदूरों को भी अवसर देना चाहिए और देखना चाहिए कि वह काम कैसे चलाते हैं। इसके लिए सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो सरकार बहुत सी सिरदर्दी से बच जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक नीति बनाई जानी चाहिए जिससे यह पता लग सके कि कौन से उद्योगों का अधिग्रहण करना है अथवा नहीं क्योंकि सरकार बहुत सी सार्वजनिक धनराशि डुबा रही है। अतः जब तक कोई कड़ी नीति नहीं बनाई जाएगी रूग्ण संस्थाओं के अधिग्रहण से कोई लाभ न होगा। मैं संस्थाओं के अधिग्रहण के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु एक बार जब आपने किसी संस्था का अधिग्रहण किया है तो यह देखना आपका कर्त्तव्य है कि वह बची रहे और प्रगति करे। वह राष्ट्रीय अपव्यय नहीं बननी चाहिए। दूसरी ओर वह राष्ट्रीय बिकास में सहायक होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक नीति बनाएं कि कौनसी संस्थाएं योग्य हैं और कौन सी नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर दिया।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एल्युमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1983, पेश किया गया है, बहुत अच्छी बात है। विधेयक के पृष्ठ 15 पर कहा गया है कि

> "उपक्रमों की कार्य व्यवस्था, प्रबन्ध के अधिग्रहण के पश्चात इस बात की पुष्टि की गई कि यदि आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन और प्रबन्ध ढांचे को पुर्नगठित किया जाए तो दुबारा से वह सुविधाएं मिल सकेंगी और संस्था व्यवहार्य होगी। असनसोल के निर्माण कार्य 1979 में फिर से शुरू हुआ। इन सुविधाओं की कार्यकुशलता सन्तोषजनक न थी

और केवल आधुनिकीकरण से ही इसमें सुधार लाया जा सकता है। उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक धन का पूंजी निवेश आवश्यक है।"

मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह जो सिक यूनिट लिए गए हैं, इसके साथ 2500 लोगों की जीविका का प्रश्न भी जुड़ा हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यह किसी सिक यूनिट को लेने का कारण भी हो सकता है। जब आप सिक यूनिट्स लेते हैं तो मर्ज इतना बढ़ चुका होता है कि बेचारा आखिरी सांस ले रहा होता है। 3178.85 करोड़ रुपया जनता का सिक यूनिट्स में पड़ा हुआ है। हालत दिन-पर-दिन खस्ता होती जा रही है। जब सिक यूनिट लिए जाएं तो यह देखना चाहिए कि आपरेशन में वाएबल हैं या नहीं ? प्रोडक्शन जो होगा, वह कम्युनिटी और देश के लिए आवश्यक है या नहीं ? नहीं तो क्या होता है कि प्राईवेट सेक्टर के लोग पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स से पैसा ले लेते हैं और मैनेजमेंट या कुछ और खामियों की वजह से इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं। पहले लाक-आऊट होता है, उसके बाद सरकार को बाध्य होकर अपने हाथ में ले लेना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इसकी रेमेडी होनी चाहिए। वरना यह सिलसिला रोज चलता रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाएगी। प्राईवेट सेक्टर में तो कुछ अन-ट्रेन्ड लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब तक उनका इन्टरेस्ट रहता है तब तक तो इन्डस्ट्री ठीक रहती है। मैं चाहता हूं कि इसे चैक करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद इकाइयां जो समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यह दिमाग में साफ हो जाना चाहिए। एल्युमिनियम के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो सिकनेस की बीमारी इन्डस्ट्री में फैलती है, उस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। वैस्ट बंगाल की हालत तो बहुत ही खराब है। इस ओर आपकी भी थोड़ी सी तवज्जुह नहीं है। वहां अकसर विरोध पक्ष की सरकार ही रहती है। इसलिए, इन्डस्ट्रीयल रिलेशन्स हमेशा तनावपूर्ण बने रहते हैं। इस सम्बन्ध में कहीं-न-कहीं कुछ-न-कुछ होना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी इन्डस्ट्री के सिक होने के कारणों का पता लगाएं, किस कारण से वह सिक हुई तो मान्यवर उसके पीछे एक ही कारण नजर आएगा कि उसमें वही पुराने ढंग की रीति अपनाई गई, उस यूनिट का मौडर्नाईजेशन नहीं हुआ और उसमें वही आउटडेटिड टैक्नालौजी का प्रयोग किया गया। वहीं सरकार का भी यह प्रयास होना चाहिए कि नई-नई टैक्नालौजी से उस यूनिट को अवगत कराती रहे। क्योंकि उन इन्डस्ट्रीज का सैट अप ही सारा गड़बड़ है, उनमें कुछ ऐसी खामियां हैं, जिनकी वजह से वे सिक होना शुरू हो जाती हैं और उनमें गड़बड़ होने लगती है। उसमें वही घिसी-पिटी मशीनें चल रही हैं, पुराने जमाने की टैकनालौजी अपनाई जा रही है तथा मालिक और मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। यदि इन सारी चीजों का पहले से ख्याल किया जाए तो आगे चलकर ऐसी स्थिति पैदा न हो।

मान्यवर, जहां तक एल्युमिनियम का प्रश्न है, मैं थोड़ी सी बात उस अन्डरटेकिंग के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां एल्युमिनियम पर चार प्रतिशत ज्यादा व्यय कन्ज्यूमर को वहन करना पड़ता है जब कि दूसरी ओर अमेरिका और जापान में जहां लकड़ी की जरूरत होती है तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हमें यहां भी उसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने की

आवश्यकता है। क्योंकि एक तो लकड़ी की कीमत अधिक है, दूसरे सरकार भी चाहती है कि देश में पर्यावरण बना रहे। इसलिए लकड़ी की जगह एल्युमिनियम के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे पास एल्युमिनियम के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सैक्टरों में एल्युमिनियम कन्ट्रोलर द्वारा रिकग्नाइज्ड लोगों द्वारा अनियमितताएं अपनाई जाती हैं, उसकी सप्लाई में बड़ी गड़बड़ हमेशा बनी रहती है। किसी यूनिट को तो आप निर्धारित कोटे से बहुत अधिक दे देते हैं और किसी को कम देते हैं। आपके एलाटमेंट कोटे में बहुत खामियां हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ तवज्जह देने की आवश्यकता है। आपके यहां से जो मैटल की सप्लाई अन्डरटेकिंग को की जाएगी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ न हो सके, वह सही तरीके से हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, इसकी भी अवश्य व्यवस्था करें। फिर हमारे कन्डक्टर यूनिटस में अधिकांश स्माल स्केल यूनिटस हैं और उनमें हमेशा यह शिकायत बनी रहती है। छोटे यूनिटस को तो नियमित रूप से एल्युमिनियम मिलना ही चाहिए ताकि वे उससे बरतन वगैरह बनाते रहें। उसका कारण यह है कि हमारे देश का गरीब आदमी आज भी एल्युमिनियम के बर्तन ज्यादा पसन्द करता है क्योंकि उसकी कौस्ट स्टेनलैस स्टील के बर्तनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। मैंने पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि गरीब आदमी ऐसे बर्तन लेना पसन्द करते हैं। अतः बर्तन बनाने वाली यूनिटस को भी एल्युमिनियम की नियमित सप्लाई होना आवश्यक है जिससे आम लोगों को, उपभोक्ताओं को तथा खरीदार को सस्ते दामों पर बर्तन मिलते रहें। इतना ही कहते हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस कम्पनी के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि माननीय सदस्य हाल्दर जी ने बहुत कह दिया है। परन्तु इसके साथ जो अन्य कम्पनियां हैं, उनको भी आपको लेना चाहिए और मैं उनके बारे में ही बोलना चाहता हूं। जैसे मालको, बिड़ला जी की हिंडालको, बालको और मूरी स्थित इन्डल है जो कि बिहार के रांची जिले में स्थित है। वैसे तो आप लोग बिड़ला जी के खान्दान के एक आदमी को मैम्बर बनाकर उस हाउस में ले आए हैं, आपके एम० एल० एज० ने उनको चुना है। मैं इन चारों कम्पनियों की बात ही कहना चाहता हूं। ये कम्पनियां मुनाफा स्वयं अपनी जेबों में रख रही हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से जो करोड़ों रुपया कर्ज लेती हैं, आप उनको देते हैं, लेकिन ये आपको बकाया नहीं देतीं। मैं इसी संदर्भ में कुछ तथ्य, जैसा माननीय मंत्री जी ने दूसरे सदन में बतलाए थे, उनकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आप इनसे क्यों नहीं लेते? प्रश्न यह है कि पैसा सार्वजनिक है और इस्तेमाल कर रहे हैं निजी इजारेदार, पूंजीपति। इन पर आपका हथौड़ा नहीं चलता है। अगर गरीब पर बाकी रहें तो तुरन्त कुड़की, जप्ती, जेल, फांसी सब कुछ कर देंगे।

मालको की सुन लीजिए :—

"मालको ने 15 जुलाई, 1980 से 26 मार्च, 1981 तक जमा हुई 1513 करोड़ रु० की देय राशि का भुगतान नहीं किया है।"

इसमें तो यही लिखा है कि 1513 करोड़। आप इन लोगों से वसूल करने में क्यों कतराते हैं ?

आखिरी उदाहरण यह है। अतारांकित प्रश्न 505 जो कि 1 मार्च, 1984 को उन्हीं दोनों सदस्यों द्वारा पूछा गया है—

"क्या यह सही है कि इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, जैसी एक बड़ी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी ने 1980 से 1983 तक जमा हुई 25 करोड़ रु० की देय राशि का एल्युमिनियम नियन्त्रण आर्डर के अनुसार एल्युमिनियम नियमन अकाऊन्ट को भुगतान नहीं किया है।"

एक स्टेयर्ड कैवश्चन नं० 53, 17 नवम्बर, 1983 को श्री कल्याण राय और श्री लाडली मोहन निगम द्वारा राज्य-सभा में पूछा गया—

हिन्दुस्तान एल्युमिनियम (बिरला) को 31 अक्तूबर, 1983 तक एल्युमिनियम नियमन एकाऊन्ट को कितनी राशि देनी है ?

मैं इसके सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता, टोटल बता देता हूं। श्री साल्वे ने जबाव दिया कि 37.24 करोड़ इन्होंने नहीं दिया एल्युमिनियम रैगुलेशन एकाउन्ट को और ये रेनुकोट में बसे हुए हैं। ये मजदूरों का शोषण करते हैं, गुण्डों से मजदूरों को लड़ाते हैं यह इनका हाल है।

बालको की बात सुन लीजिए। इसके बारे में अतारांकित प्रश्न 362 भी 17 नवम्बर को उपरोक्त सदस्यों द्वारा पूछा गया था —

"क्या यह सही है कि भारत एल्युमिनियम कम्पनी और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 7.35 करोड़ और 6.37 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है जो पहले हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कम्पनी के बकाया राशि के भुगतान के न किए जाने के कारण नहीं किया जा रहा था। इसका जवाब क्या देते हैं। इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी ने सितम्बर 1980 से जुलाई 1981 तक की 19.420 करोड़ रुपए की देय राशि का भुगतान नहीं किया। अप्रैल 1982 से उसने इस राशि का 4 करोड़ रु० दे दिया है जिससे अभी भी उसे 15.420 करोड़ रु० देने हैं।"

इसमें और भी बातें हैं। इस सवाल का जवाब इस प्रकार है :—

"इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी ने सितम्बर 1980 से जुलाई 1981 तक एल्यु-मिनियम नियमन एकाऊंट को 19.42 करोड़ रु० की देय राशि का भुगतान नहीं किया। इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी ने बकाया राशि का भुगतान अप्रैल 1982 से करना शुरू किया। 1 अप्रैल, 1982 से अगस्त 1983 तक उन्होंने 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया जिससे कि अभी भी 15.42 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करना शेष है।"

एक मल्टी-नेशनल के साथ इस सरकार की कैसी गाढ़ी दोस्ती है, उसका उदाहरण इससे मिल जाता है।

अब गांवों में मिट्टी वाली पुरानी हांड़ी नहीं चलती है। अब गांवों और शहरों में एल्युमिनियम की देगची, चाय बनाने वाली केतली और दूसरे बर्तन चलने लगे हैं। ये इजारेदार और पूंजीपति एल्युमिनियम के दाम बढ़ा कर जनता को लूट रहे हैं और अरबों रुपए कमा रहे हैं। इसके बावजूद वे सरकार के ड्यूज नहीं देते। अगर सरकार बेमन से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोशिश करती है, तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और मामला वहीं ठप्प हो जाता है। इन तथ्यों की रोशनी में मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में कोई कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए।

बिड़ला के रेणुकूट में स्थित हिन्दालको के कारखाने को उत्तर प्रदेश की सरकार दो पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से बिजली देती है। इसकी तुलना में मेरे राज्य में आम जनता को 47 पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और दिल्ली में बिजली का रेट कम से कम 37 पैसे प्रति-यूनिट जरूर है--इससे ज्यादा भी हो सकता है। आम उपभोक्ताओं की तुलना में पूंजीपति को बिजली रियायती दर पर दी जाती है। इस स्थिति में सरकार को घाटा नहीं होगा, तो क्या होगा? उनको वित्तीय संस्थानों से कर्जा भी दिया जाता है, जिसको वे वापिस नहीं करते हैं। फिर भी सरकार उनके साथ दोस्ती रखती है और उनको संसद् में लाती है। यह सरकार नाम तो समाजवाद का लेती है, मगर काम समाजवाद का गला रेतने का करती है।

यह आवश्यक है कि सरकार इन तमाम एल्युमिनियम कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करे। इसको केवल पश्चिमी बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस उद्योग में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें तंग किया जाता है; ठीक से तनख्वाह नहीं दी जाती। सरकारी कारखाना न होने के कारण सम्बन्धित कानून वहां पर लागू नहीं हो सकते। वे कानून उन पर लागू किए जाने चाहिए। लड़ने वाली यूनियनों को सरकार और बढ़ावा दे, ताकि वे मजदूरों के हित में संघर्ष करके पूंजीपतियों के नाक में नथनी पहना सकें, उनको नाथ सकें। जिस तरह सींग मारने वाले बदमाश बैल के नाक को रस्सी से नाथा जाता है, उसी तरह इन पूंजीपतियों को नाथने के लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी होगी।

बर्तनों के अलावा अब बिजली के तार भी एल्युमिनियम के बनने लगे हैं। अब तांबे के तार नहीं इस्तेमाल किए जाते, क्योंकि चोर उन्हें काट कर ले जाते हैं। एल्युमिनियम के ट्यूब भी बनते हैं। ये सब बड़ी उपयोगी चीजें हैं। सरकार उनको सस्ता करे, उनका उत्पादन करने वालों पर सख्ती करे, अपने बकाया पैसे को वसूल करे। वह इन सब कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके जनता का उद्धार करे। इस उद्योग को फलने-फूलने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि आम जनता और देश का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने विचाराधीन विधेयक को पूरा समर्थन दिया।

जे०के० नगर स्थित एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड औद्योगिक संस्थान है, जो कि एल्युमिनियम के उत्पादन और एल्युमिनियम निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में रत है वह उद्योगों की प्रथम अनुसूची (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत है। सितम्बर 1973 असनसोल के समीप, जे०के० नगर स्थित कम्पनी का उपक्रम वित्तीय एवं अन्य कठिनाइयों के कारण बन्द कर दिया गया था। उस समय इस उपक्रम में करीब 2,500 व्यक्ति काम कर रहे थे। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस उपक्रम को मजदूरों के पुर्नवास और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, फिर से चलाने के प्रयत्न किए। लेकिन यह प्रयत्न सफल नहीं हुए क्योंकि कम्पनी की सारी पूंजी बकाया देनदारी में समाप्त हो गयी और प्रबन्धक वर्ग कुछ और धन लगाने के लिए राजी नहीं था। इन परिस्थितियों में कम्पनी के उपक्रम का प्रबन्ध केन्द्र सरकार ने 1 मई, 1978 को अपने अधिकार में ले लिया।

इस प्रकार का हस्तक्षेप करने से पहले सरकार को इस ओर को यह देखना पड़ता है कि क्या वह इकाई कुछ समय में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य सिद्ध होगी ? इस बात पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान जोर डाला है। दूसरी बात जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या यह कार्रवाई लोक हित में होगी। हमारा अनुमान है कि राष्ट्रीयकरण और आधुनिकीकरण के बाद दूसरे वित्त वर्ष में यह उपक्रम लाभ दिखाएगा।

यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 1 मई, 1978 को इस उपक्रम के प्रबन्ध का अधिग्रहण किए जाने के बाद, पहले दो वर्षों में इसने घाटा दिखाया उसके बाद थोड़ा लाभ दिखाया और तत्पश्चात घाटा। 1983-84 में शुद्ध घाटा 281 लाख रु० का था और सकल घाटा 152 लाख रु० का था। भारत एल्युमिनियम कम्पनी ने उधार पर दिए कच्चे माल (प्राथमिक धातु) पर 70 लाख रु० का ब्याज लगाया है। पुनर्वास योजना जो सरकार क्रियान्वित करना चाहती है उसके लिए 1 करोड़ रु० की चल पूंजी का प्रावधान है। इसके बाद कच्चे माल पर दिया गया ब्याज समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 1983-84 का सकल घाटा 80 लाख रु० का होगा। इन आंकड़ों को और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए सरकार का यह विचार है कि यह इकाई आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध होगी। और हमारा विचार है कि कुछ अरसे के दौरान हम आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता की प्रथम कसौटी को प्राप्त कर लेंगे, दूसरी बात यह है कि इस उपक्रम के प्रबन्ध के अधिग्रहण के फलस्वरूप आज इस उपक्रम में 1973 में बन्द होने के समय पर काम कर रहे 2500 कामगारों में से 1,140 को फिर से काम दिया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य में, जहां औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट आ रही है, इस

स्तर पर रोजगार देना एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का मामला है। इस उपक्रम के पास कुशल अर्ध-निर्माण की सुविधाएं हैं। ए० जे० आई० यू० तैयार माल विभिन्न उपभोक्ताओं को देती है जिनमें रक्षा संस्थान और आयुद्ध कारखाने भी शामिल हैं। इन वस्तुओं की अर्ध-निर्माण सुविधाओं की आपूर्ति पूर्वी क्षेत्र के लोक हित में है।

महोदय माननीय सदस्य श्री हाल्दर यह जानना चाहते थे कि हमने एल्युमिनियम की कितनी मात्रा का आयात किया है। 1979-80 में···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं 1982-83 के आंकड़े चाहता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : 1982-83 में हमने कुछ आयात नहीं किया। 1983-84 के दौरान हमने 30,000 टन का आयात किया।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : श्री साल्वे ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 1982-83 में 20,000 से 30,000 टन के आयात की आवश्यकता हो सकती है और उसके बावजूद भी आपने 1982-83 में कुछ भी आयात नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उनसे यहा ज्ञात होता है कि 1982-83 में हमने कुछ आयात नहीं किया है। किन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि 1983-84 में 30,000 टन आयात किया गया। 1982-83 में इस पर निर्णय लिया गया था।

सरकार को इस उपक्रम को फिर से चलाने के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जुलाई 1979 से इसे चलाने के अनुभव पर भारत एल्युमिनियम कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञों में मशीनरी की क्षमता का अनुमान लगाया (**व्यवधान**) मेरी जानकारी के अनुसार श्री साल्वे ने यह बात जुलाई 1983 के आसपास कही थी। मैं इसको बाद में स्पष्ट करूंगा।

मैं इप उपक्रम को दोबारा से चलाने की योजना के बारे में बता रहा था। मैंने कहा था कि जुलाई 1979 से इस संकाय को चलाने के अनुभव पर भारत एल्युमिनियम कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने मशीनरी की जांच पड़ताल की। निषकर्ष यही निकलता है कि अर्ध-निर्माण क्षमता को दोबारा चलाना लाभप्रद होगा, जैसे कि एक्सट्रजन मिल, रोलिंग मिल, कंडक्टर मिल इत्यादि, संकाय के यह सब भाग अच्छी हालत में नहीं हैं अतः आधुनिकीकरण आवश्यक है। 1981 में भारत एल्युमिनियम कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने आधुनिकीकरण के लिए 60 लाख रु० की मांग की थी।

भारत एल्युमिनियम कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञों का अनुमान है कि एलुमिना प्लांट, एल्युमिनियम स्मैलटर और पावर प्लांट को दोबारा चालू करना ठीक न होगा। एलुमिना प्लांट (18000 टन प्रति वर्ष) स्मेलटर क्षमता (9,000 टन प्रति वर्ष) और पावर प्लांट (10.2 मेवा) बहुत कम क्षमता वाले हैं और पुरानी मशीनरी का अधिक उपयोग है जिससे कि वे आर्थिक दृष्टि से

लाभप्रद नहीं हो सकते हैं। भारत एल्युमिनियम कम्पनी राष्ट्रीयकरण के बाद दोबारा से चलाने की सम्भावनाओं की जांच करेगा।

2.00 म०प०

श्रीमन्, मैं समझता हूं माननीय सदस्य मेरी बातों को सुनकर सन्तुष्ट हुए होंगे, सन्तुष्ट तो वे पहले से ही हैं, उन्होंने खुद ही इस बिल का स्वागत किया है। कम्पनी के अधिग्रहण का स्वागत करते समय चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उन्हें सुझाव ही कहा जा सकता है जैसे कम्पनी की कार्य-शैली को, कार्य-क्षमता को किस तरह से और ज्यादा सुधारा जाय। मैं खास तौर से बुजुर्ग माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री और श्री राजेश कुमार सिंह जी का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कई ऐसा बातें कहीं हैं जो इस अधिग्रहण से सीधे सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि दूसरी कम्पनियों से सम्बन्धित हैं, फिर भी उन्होंने जो कहा है उसको हमने नोट कर लिया है···

श्री रामावतार शास्त्री : जवाब तो दे सकते हैं, जैसे वे पैसा नहीं देती हैं। पैसा वसूलने के बारे में आप बतला सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप इसे व्यवहार्य बनायें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस एकक को सामान्य और व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार जो योजना शुरू करने वाली है, वह मैंने पूरी की पूरी आपको बता दी है।

उन्होंने जो सुझाव दिए हैं —मंत्रालय आगे आने वाले दिनों में कम्पनी के सम्बन्ध में फैसले करते समय माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनको निश्चित ही ध्यान में रहेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने बताया है कि 1140 श्रमिकों को नौकरी दी गई है। लेकिन वहां 2500 श्रमिक थे। आधुनिकीकरण के पश्चात क्या शेष 1300 श्रमिकों को काम पर लिया जाएगा या नहीं ? क्या उनकी सेवा में निरंतरता बनी रहेगी ? जब प्रबन्ध वर्ग बन जाएगा तो क्या श्रमिको के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार राष्ट्रीयकृत संस्था संतोषजनक कार्य करती है और जितना शीघ्र हो सके ऐसी राष्ट्रीयकृत संस्था को व्यवहार्य बनाया जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने बताया है कि इस उपक्रम के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के परिणामस्वरूप आज तक 1140 कर्मचारियों को दोबारा नौकरी दी गई है। कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को सेवांत लाभ देने के लिए, श्रमिक संघ के साथ एक समझौता किया गया है, जिसमें नोटिस की अवधि के लिए उपदान, छुट्टी, वेतन और छंटनी पूतिपूर्ति शामिल है। आज तक 1045 कर्मचारियों ने अपने सेवांत लाभ प्राप्त कर लिए हैं।

जहां कहीं भी सम्भव हुआ और जहां यह व्यवहार्य था हमने लगभग सभी कर्मचारियों को वापिस ले लिया है। मैं नहीं समझता कि उनको वापिस नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की गई है। जहां कहीं हम उन्हें नहीं ले पाए, उनकी, विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति की गई है। **(व्यवधान)**...कर्मचारियों को प्रबन्ध कार्यों में सम्मिलित करने के विषय में श्रम मंत्रालय...**(व्यवधान)**

यह योजना पहले से ही चल रही है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सभी उपक्रमों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कहा गया है। यह एकक भी इसी योजना के क्रियान्वयन के विषय में विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बने उत्पादों के जो समुदाय की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, के उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के समीप जे० के० नगर के इसके उपक्रम से सम्बन्ध में एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड(ख) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 31 तक विधेक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खन्ड 2 से 31 तक विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खण्ड 1

सभापति महोदय : खण्ड 1 का सरकारी संशोधन संख्या 4 है।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 3, पंक्ति 6—

"1983" के स्थान पर

"1984" प्रतिस्थापित किया जाए(4)

(श्री आरिफ मोहम्मद खां)

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 3, पंक्ति 1—

"चौंतीसवें" **के स्थान पर ।**

"पैंतीसवें **प्रतिस्थापित किया जाए**(3) ।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राक्कथन विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्राक्कथन विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

2.07 म० प०

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद को लेते हैं ।

श्री निहार रंजन लास्कर ।

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

महोदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और उससे सम्बन्धित मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का विकास करने की व्यवस्था करना चाहता है । यहां विद्यमान माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह देखा होगा कि विद्यमान अधिनियम, जो संसद ने 1963 में पारित किया था, कि कुछ अपूर्णताओं, अपर्याप्तताओं और कामियों को हटाने के लिए यह विधान प्रस्तुत किया गया है, जिससे निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण स्कीम का अधिक प्रभावी रूप से संचालन कर सकेंगी ।

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963, का अधिनियम पारित हो जाने के पश्चात् लगभग 875 मदों का निर्यात अब अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण और नौभरण-पूर्व

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

निरीक्षण के अन्तर्गत आ गया है। निर्यात-पूर्व. निरीक्षण के अतिरिक्त क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण प्रणाली को आसान बनाने के लिए तथा क्वालिटी बनाए रखने के वास्ते विनिर्माताओं और निर्यातकों के बीच चेतना जगाने के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए हैं। विनिर्माताओं और निर्यातकों को अपने निर्यात उत्पादों की क्वालिटी को ऊंचा उठाने के लिए अपने स्तर पर क्वालिटी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे रहा हूं। पहले उठाए गए कदमों का निर्यातित उत्पादों की क्वालिटी पर हितकारी प्रभाव पड़ा है और विदेशी खरीदारों से क्वालिटी के विषय में प्राप्त होने वाली शिकायतों में कमी आई है। यह अनुभव किया जा रहा है कि विश्व-बाजार में विश्वसनीयता का ऊंचा स्तर बनाने के लिए क्वालिटी मानक सुनिश्चित करने के लिए और आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रबल प्रतियोगिता के वर्तमान वातावरण में श्रेष्ठ क्वालिटी की प्रतिष्ठा का वातावरण बन जाने की एक खास वजह से ही उत्पादों का विपणन करना आसान हो जाता है। निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के विद्यमान खण्डों की समीक्षा करते समय कुछ अपूर्णताएं और कमियां सामने आई हैं। इसलिए अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण और नौभरण-पूर्व निरीक्षण स्कीम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

विद्यमान अधिनियम की अपूर्णताओं और कमियों को हटाने के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, इस विधेयक में **'अन्य बातों के साथ-साथ'** अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन करने की व्यवस्था है :—

(क) यह निर्यात निरीक्षण परिषद की सदस्यता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 11 व्यक्तियों की वर्तमान सीमा के बजाए केन्द्रीय सरकार को 15 व्यक्ति नामित करने की अनुमति देकर इसकी सदस्यता बढ़ाएगा।

(ख) विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा किसी जिन्स के लिए निर्यात-योग्यता प्रमाण-पत्र एक बार जारी हो जाने के पश्चात् वापिस नहीं लिया जा सकता, चाहे ऐसा विश्वास करने के कारण भी विद्यमान हों, कि यह प्रमाण-पत्र मूल से या ऊपर से जारी किया गया था। ऐसे प्रमाण-पत्र को अधिनियम के अन्तर्गत नियमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार संशोधित, स्थगित या रद्द करने के लिए एजेंसियों को शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्तमान अधिनियम में निर्यात-योग्यता प्रमाणपत्र का केवल छलपूर्वक उपयोग करने के विरुद्ध या इस अधिनियम का कोई अन्य उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। अनुभव ने यह दर्शाया है कि इन उपायों से क्वालिटी नियंत्रण और नौभरण-पूर्व निरीक्षण सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसी भी कोई गारन्टी नहीं है कि न्यायालयों द्वारा सुनाई

गई कारावास या जुर्माने के सजा के परिणामस्वरूप इन सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त हो रही पाप की कमाई में कुछ कमी आएगी। इस अधिनियम से भी इस कमी को हटाने की दृष्टि से यह प्रविष्टि करने का प्रस्ताव है कि ऐसे परिसर का, जहां अधिसूचित जिन्सों, जिनको निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों द्वारा परीक्षण होने के पश्चात् धोखेबाजी करके रखे जाने या उससे सम्बन्धित दस्तावेजों या वस्तुओं को रखने या छिपाए जाने का शक है, निरीक्षण और तलाशी ली जा सके और माल जब्त किया जा सके। इस विधेयक में ऐसे माल को जब्त करने और दण्ड लगाने का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

(घ) निर्यात-निरीक्षण परिषद या एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर रोक लगाने के विचार से ऐसा प्रावधान करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने अपने प्राधिकारों का दुरुपयोग किया है, को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी जा सकेगी।

(ङ) विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात पर तब तक प्रतिबन्ध है, जब तक इन वस्तुओं के साथ निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र साथ न लगाए जाएं। ऐसी कुछ विशेष आकस्मिकताएं हो सकती हैं, जब कुछ वस्तुओं या क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिनियम के समस्त या कुछ प्रावधान का अस्थाई रूप से स्थगन करना या उनके प्रचलन में छूट देना आवश्यक हो जाए। इसलिए यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को सौंपने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

इस अधिनियम को सुदृढ़ और अधिक कड़ा बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे यह कुछ उपाय हैं। मुझे आशा है कि इस विधेयक को माननीय सदस्यों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर चर्चा करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में संशोधन के लिए विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाए।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय विधेयक का उद्देश्य, निश्चय ही, प्रशंसनीय है और यही कारण है कि विधेयक का समर्थन करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में निम्नलिखित रूप से विहित है :

"गुणता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से भारतीय निर्यात व्यापार के स्थाई विकास के लिए..."

निर्यात की गुणता ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग हमसे खरीदें उन्हें गुणता के बारे में विश्वास हो और विश्व समुदाय में हमारे नाम को बट्टा न लगे।

वस्तुत: किसी भी सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि देश में से जो भी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, उनकी गुणता इस प्रकार की हो कि ग्राहक और उपभोक्ता सन्तुष्ट हो जाएं क्योंकि इसी विश्वास पर ही तो निर्यात का विस्तार होता है। जापान ने ऐसा कानून बनाया है। आज जापान के प्रधान मंत्री हमको सम्बोधित करेंगे। चाहे मैं जापान की अर्थव्यवस्था के कई कार्य-कलापों से असहमत हूं लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा कि वे जो भी वस्तुएं बनाते हैं, उनकी गुणता के प्रति वे बहुत जागरूक हैं। यही कारण है कि जापान से बाहर उन्होंने बहुत नाम कमा लिया है। जो लोग उनकी वस्तुएं खरीदते हैं, उनको विश्वास है कि उनके साथ धोखा नहीं होगा। चाहे जापान के पास गुणता नियन्त्रण का यह अधिनियम है, लेकिन जापान के बाद केवल भारत के पास गुणता नियन्त्रण का यह अधिनियम है। किन्तु यहां वास्तव में क्या हो रहा है? अधि-नियम के प्रावधानों के बावजूद और माल को लादने से पहले गुणता नियन्त्रण करने के लिए सरकार की इच्छा के बावजूद इस अधिनियम का, वास्तव में, कभी भी पालन नहीं किया जाता।

विधेयक में सरकार ने कहा है कि जो मदें/गुणता नियन्त्रण के अधीन आएंगी, उन्हें अधि-सूचित कर दिया जाएगा। भारत से बाहर हम लगभग 8000 मदें निर्यात करते हैं। केवल 80' मदें अधिसूचित की गई हैं, अर्थात केवल इन 800 मदों के सम्बन्ध में गुणता नियन्त्रण के लिए निरीक्षण आवश्यक है। अन्य मदों का क्या होगा? निर्यात मदों की निम्न गुणता के कारण भारतीय व्यापारियों का नाम पहले ही बदनाम हो गया है। व्यापार समुदाय पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अपने व्यवहार द्वारा उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या कारण है कि 6000 से अधिक मदों में से केवल 875 मदों को अधिसूचना के अधीन लाया गया है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। सरकार ने स्वत:-प्रमाणन की योजना तैयार की है। बजाए इसके कि सरकार गुणता के प्रमाण-पत्र जारी करे, आप देखें, कि व्यापारी स्वयं यह प्रमाणित करेंगे कि जो वस्तुएं वे निर्यात कर रहे हैं, वे निर्धारित स्तर की हैं। मैं समझ नहीं पाया हूं कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। सरकार व्यापारियों को यह अधिकार दे रही है कि वे सरकार की तरफ से यह प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, कि वे जो वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं, अच्छी हैं और उच्च किस्म की हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप गुणता नियन्त्रण कैसे लागू कर सकते हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों को नियन्त्रित करना है, उन्हें ही यह प्रमाणित करने की शक्ति दे दी गई है कि वे अच्छे हैं। हमेशा ही किसी ऐसे प्राधिकरण की आवश्यकता होती है जिसका कोई इसमें व्यापारिक लाभ न हो। उसे ही यह प्रमाण-पत्र जारी करने चाहिए। वास्तव में केन्द्र सरकार अथवा इसकी कोई एजेन्सी, जो निरीक्षण करती है, को प्रमाणित करना चाहिए। जब से आपने स्वत: प्रमाणन की योजना आरम्भ की है, शिकायतें

ही शिकायतें हो गई हैं। शिकायतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि व्यापारियों पर जो आपने विश्वास किया है, उन्होंने उसका निरादर किया है। चीन को निर्यात किए गए तम्बाकू की बुरी किस्म के बारे में भी चीन से शिकायतें आई हैं। सोवियत संघ को जो चमड़ा निर्यात किया गया था, उसकी बुरी किस्म के बारे में भी शिकायत आई है। हर तरफ से शिकायतें आई हैं और यह शिकायतें तब से बढ़ गई हैं जब से हमने स्वतः-प्रमाणन की योजना आरम्भ की है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्वतः प्रमाणन की योजना से जो सरकार को अभी तक अनुभव हुआ है, उसके आधार पर क्या सरकार इस योजना को वापिस ले रही है अथवा नहीं। गुणता नियन्त्रण सरकारी एजेन्सियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार ने गुणता नियन्त्रण का कार्य करने के लिए निजी एजेन्सियों को भी अनुमति दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये निजी एजेन्सियों गुणता नियन्त्रण कार्य में क्यों लगी हुई हैं। ऐसा करना सरकार का काम होना चाहिए क्योंकि व्यापारी लोग निजी एजेन्सियों पर प्रभाव डालने की स्थिति में होते हैं। कभी-कभी उनके सामानहित होने के कारण व्यापारी अधिकतम लाभ के सिद्धांत द्वारा ही प्रेरित होते हैं। वे समाज-कल्याण की परवाह नहीं करते। वे देश की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। वे किसी अन्य बात की भी परवाह नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ है, लाभ के अलावा कुछ भी नहीं। यदि आप निजी एजेन्सियों को गुणता नियन्त्रण और प्रमाण-पत्र जारी करने का काम दे देते हैं तो वह उद्देश्य ही, जिसके लिए संसद ने पिछला विधेयक पारित किया था, समाप्त हो जाता है। इसलिए में चाहता हूं कि माननीय मंत्री घोषणा करें कि आज के बाद माल लादने से पूर्व गुणता नियन्त्रण केवल सरकारी एजेन्सियों द्वारा ही किया जाएगा।

आप देखेंगे कि एक बहुत अजीब सी घटना हो रही है। हम लोह-अयस्क कलकत्ता और प्रदीप से निर्यात करते हैं। मेरे विचार से मैं इस बारे में सही हूं। किन्तु वह संस्था जिसे निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है, वह मद्रास में है। सरकार कलकत्ता में भी ऐजेन्सी रख सकती है क्योंकि लोह-अयस्त कलकत्ता अथवा प्रदीप से निर्यात होता है। ऐसा क्यों है, कि निरीक्षण मद्रास द्वारा किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। यह अनियमित बात क्यों घट रही है? कलकत्ता में यह निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता? महोदय आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि निर्यात के नाम पर हम अपने देश में क्या कर रहे हैं। उस दिन मैं एक विदेशी द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ रहा था। वह विदेशी भारत में यात्रा करने आया था। उसने उस पुस्तक में कहा है कि गई अन्य देशों में तो विश्वास किया जा सकता है किन्तु भारत में व्यापारिक समुदायों तथा व्यापारियों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपने देश में ही हमें अपमिश्रित भोजन मिलता है। कोई दण्ड नहीं है। हमें घटिया स्तर की वस्तुएं मिलती हैं। किन्तु विदेशी तो अच्छी किस्म की विशेषकर विकसित देशों की बनाई हुई वस्तुओं के आदि हैं। वे, इसलिए, आशा करते हैं कि हमारे देश से जो वे वस्तुएं खरीदते हैं, वो एक ऊंचे स्तर की होंगी। कम से कम वे घटिया स्तर की तो नहीं होनी चाहिएं।

यहां क्या हो रहा है ? हम बासमती चावल निर्यात कर रहे हैं। इस चावल की भारत के बाहर बहुत मांग है। जो यहां हो रहा है, उस पर बड़ी मुश्किल से विश्वास किया जा सकता है। हम जितना बासमती चावल पैदा कर रहे हैं, उससे अधिक हम निर्यात कर रहे हैं। यह कैसे होता है कि देश इतनी पैदावार को निर्यात कर सके, वास्तव में हम यही कह रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे बासमती चावल की पैदावार के आंकड़े क्या हैं और हमारे निर्यात के आंकड़े क्या हैं ? यदि निर्यात आंकड़े पैदावार आंकडों से अधिक हैं, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि यह अतिरिक्त चावल कहां से आ रहा है अथवा यह कि विदेशियों को वह चावल बासमती के रूप में भेजा जा रहा है जो बासमती नहीं है क्यों कि विदेशी बासमती की किस्म के बारे में नहीं जानते हैं। महोदय, ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कर रहें हैं क्योंकि किसी भी स्वाभिमानी देश को अपने व्यापारियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। निम्न किस्म का चावल बासमती चावल के साथ मिलाया जाता है और बाद में उन दोनों को बासमती के रूप में विदेशों को निर्यात किया जाता है। यदि भारत सरकार कोई स्वाभिमान् रखती है तो उसे इसकी पूरी पूछ-ताछ करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए ताकि हमारे अच्छे नाम को, जिसे पहले ही बट्टा लग गया है, और बट्टा न लगे।

एक और ऐसी मद है जिसकी पैदावार से अधिक, हम निर्यात कर रहे हैं। यह हैं दार्जिलिंग चाय। यह चाय अपनी गुणता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। विदेशों में इसकी बहुत मांग है। यह महंगी भी है। दार्जिलिंग चाय की पैदावार प्रति वर्ष 1 करोड़ कि० ग्रा० होती है जब कि इसका निर्यात प्रति वर्ष 4 करोड़ कि० ग्रा० किया जाता है। यह अधिक मात्रा कहां से आती है। (**व्यवधान**) महोदय, हम अपने कर्मों के आधार पर इज्जत कमाते हैं और विश्वसनीय बनते हैं। हम निश्चित रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं। दार्जिलिंग चाय के नाम पर हम दार्जिलिंग चाय से भिन्न कोई घटिया किस्म की चाय निर्यात कर रहे हैं और वही मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है ? हमारे द्वारा निर्यात की हुई वस्तुएं वे लौटा रहे हैं। यह बहुत संभव है कि माननीय मंत्री जी जानते हों कि कभी-कभी ये विदेशी हमारे द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं को स्वीकार करने से मना कर देते हैं क्योंकि वे तय हुए स्तर से बहुत ही घटिया स्तर की होती हैं। जब यह वस्तुएं इन देशों को भेजी जाती हैं तो उन्हें वे बहुत ही घटिया स्तर की पाते हैं। इसी लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात की जांच करे।

महोदय, इस बासमती के साथ एक प्रसिद्ध नाम जुड़ा हुआ है और वह है **······ जो बन्दूकों के निर्माण में लगा है और ···**··· जो बासमती चावल के निर्यात में भी लगा हुआ है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप नाम क्यों बताते हैं।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने शिव गन फैक्टरी के संबंध में नाम बताया है। मैं यह बता रहा हूं क्योंकि वह निर्यात में लगा हुआ है।

सभापति महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपके कहने का अर्थ यह है कि उनका नाम बताने योग्य नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा।

वास्तव में उनके पास ऐजेन्सी थी और उन्होंने सोवियत संघ को निर्यात किया। यह पता चला कि बासमती चावल के मामले में इस विशेष···**···ने बासमती चावल निर्यात नहीं किया अपितु कुछ अन्य घटिया किस्म के चावल निर्यात किए। इसका पता लग गया था। सम्भवतः यह भी एक कारण है कि वे इस देश के सत्तारूढ़ परिवार की कृपा से वंचित हो गए हैं।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। मुझे विधेयक के उद्देश्यों पर कोई आपत्ति नहीं है। व्यवहार्य में देखा जाए तो जो विधेयक में दिया है, उसके विपरीत हो रहा है। सरकार की निर्यात निरीक्षण परिषद है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निर्यात निरीक्षण परिषद के लिए आप लोगों का चयन कैसे करते हैं? क्या आप इस सभा को विश्वास दिलाएंगे-कि इस निर्यात प्रोन्नति परिषद के निदेशक तकनीकी ज्ञान रखते हैं? क्या आप विश्वास दिला सकते हैं कि आप केवल तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही भर्ती कर रहे हैं? भर्ती के नियम क्या हैं? उनका पालन किया जाता है? क्या यह सच है कि कोई-व्यक्ति, जिसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है किन्तु वह यदि बहुत ही प्रभावशाली-व्यक्तियों को सन्तुष्ट कर रहा हो तो, इस संगठन के प्रमुख के रूप में रह सकता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सभा को यह बताएं कि नियुक्ति के सम्बन्ध में कभी नियमों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। जब भी कोई नया मंत्री आता है, नई भर्ती की जाती है।

मुझे पता लगा है कि निदेशक को कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं है। मैंने इसे विभिन्न समाचार-पत्रों से एकत्रित किया है और इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन बातों की जानकारी सदन को दें।

मैं मानता हूं कि हमें विदेशी मुद्रा कमानी है, हम जितनी मात्रा में उत्पादन करते हैं और जिस मात्रा तक उसका निर्यात करने के लिए समर्थ हैं; विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर निर्भर हैं। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में काफी सख्ती बरती जाए क्योंकि इस विदेशी मुद्रा से हम बाहरी देशों से वस्तुओं की खरीद करते हैं। इस महत्वपूर्ण मामले के प्रति सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि इस समय हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हमें अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार काफी प्रतिबन्धित और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का हो गया है। इसलिए राष्ट्रहित में सरकार को सभी नियमों को सख्ती से लागू करना

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए और इनके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए। विधेयक में प्रावधान इस सम्बन्ध में हैं। किन्तु मात्र दण्ड देने की इच्छा की ही आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको इन लोगों को दण्ड देना होगा उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी ताकि कदाचार करने वाले लोगों को दण्ड दिया जा सके। हमें यह देखना होगा कि हमारे देश के नाम पर किसी भी तरह कोई धब्बा न लगे। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, एक्सपोर्ट (क्वालिटी कंट्रोल एण्ड इंस्पैक्शन) एमेंडमेंटबिल का मैं समर्थन करता हूं। यह बिल जिस मकसद से लाया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है। जैसाकि माननीय सदस्य, प्रो० चक्रवर्ती, ने कहा है, अगर हमारे एक्सपोर्ट के माल की क्वालिटी ठीक होती है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा फोरन एक्सचेंज अर्न करेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

आप जानते हैं कि हमारे देश का व्यापारी किस तरह का है। हमारे यहां का व्यापारी बढ़िया माल के नाम पर घटिया से घटिया माल देकर ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करने को कोशिश करता है। माननीय सदस्य ने गलत नाम लिया है। उन्होंने बेचारे साधू के बारे में कह दिया कि उसने एक्सपोर्ट किया। किसी और ने एक्सपोर्ट किया था। यह सब कुछ **इंडिया टूडे में** निकला था। उसने बासमती के नाम पर परमल चावल भेज कर नाजायज तौर पर 6 करोड़ रुपए कमाए। अखबारों में आया था कि उसने पता नहीं कितने लाख टन चावल रूस को एक्सपोर्ट किया, रूस की इंस्पैक्शन एजेन्सी ने उस पर एतराज किया, लेकिन दोनों देश के बीच अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से उसने घटिया माल को वापस नहीं लौटाया। सरकार को ऐसे गलत आदमियों को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस या परमिट नहीं देना चाहिए।

जैसाकि प्रो० चक्रवर्ती ने कहा है, सेल्फ-इंस्पैक्शन की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। हमारे यहां के व्यापारी ऐसे नहीं हैं कि उन्हें सेल्फ-इंस्पैक्शन का अधिकार दिया जाए। वे इसकी आड़ में घटिया माल भेज कर अरबों रुपए कमा सकते हैं। आपने सुना होगा कि एक व्यापारी ने पत्थर भर कर एक जहाज को डुबो दिया और इनशोरेंस का करोड़ों रुपयों का क्लेम किया।

एक्सपोर्ट के क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत अपर्याप्त है। एस्टीमेट्स कमेटी के काम के सिलसिले में हमने देश भर में कंपनियों, कस्टम्ज डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को एग्जामिन किया। हमको यह जानकारी मिली कि जो लोग एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, वे तरह-तरह से धोखा देते हैं, वे ड्यूटी देने में भी गड़बड़ करते हैं, आइटम्ज के वैल्यु-एशन में भी गड़बड़ करते हैं। गलत और नाजायज तरीके से पैसा कमाना ही उनका धंधा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में कहा गया है :—

"इस बात की कोई गारन्टी नहीं कि न्यायायालयों द्वारा कारावास दण्ड देने से

अथवा जुर्माना करने से सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाले लोगों द्वारा गलत ढंग से कमाए जा रहे लाभ पर प्रतिबन्ध लग सकेगा ।"

जो फैसिलिटीज उनको दी है उससे जो नाजायज तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं उनको आप क्या सजा देंगे ? आपने लिखा है :

"जिन परिसरों में निर्यात निरीक्षण एजेंसियों की जांच के बाद अधिसूचित वस्तुएं अथवा उनसे सम्बन्धित वस्तुएं रखने या छुपाने का सन्देह हो, उनपर कब्जा करने के लिए उन परिसरों के निरीक्षण व खोज के लिए इन्दराज हेतु यह प्रस्ताव है । विधेयक में ऐसी वस्तुओं को जब्त करने, जुर्माना लगाने के उपबन्ध का भी प्रस्ताव है ।"

उनकी प्रापर्टी कांफिस्केट करनी चाहिए । लेकिन अपने पनिशमेंट के लिए जो व्यवस्था की है वह बहुत कम है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा । कोई ऐसी माकूल सजा उनको मिलनी चाहिए जिससे कि आगे किसी की भी हिम्मत गलत काम करने की न पड़ सके । जो करोड़ों रुपया कमाता हो उस पर 10-5 हजार का जुर्माना देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । कुछ दिनों के लिए जेल जाने का भी उनपर कोई असर नहीं पड़ेगा । इस देश का बनिया जेल जाने से भी नहीं हिचकिचायेगा । मैं समझता हूं आप उसको रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से सजा दीजिए, जितना भी उसने गलत तरीके से पैसा कमाया हो, वह सारा कांफिस्केट कर लीजिए । अब आप इस प्रकार का प्रावधान करेंगे तभी उसकी ऐसा काम करने को हिम्मत नहीं हो सकेगी और फिर हमारे देश की बदनामी भी नहीं होगी । जैसा कि प्रोफेसर साहब ने यहां पर नजीरें भी दी हैं जैसे घटिया किस्म की चाय भेज दी गई, चार करोड़ किलोग्राम चाय विदेशों को भेजी जाती है दारजिलिंग टी के नाम से जबकि इस देश में केवल एक करोड़ किलोग्राम ही दारजिलिंग टी पैदा होती है तब 4 करोड़ किलोग्राम दारजिलिंग टी किस प्रकार से एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई ? मैं समझता हूं इसमें सरकारी अधिकारियों की मिली-भगत है इसलिए उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । जो अधिकारी इस प्रकार से गलत इंस्पैक्शन करते हैं उनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे किसी अधिकारी की हिम्मत न पड़ सके कि वे कोई गलत इंस्पैक्शन करें । इस प्रकार का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं रखा गया है जिसकी वजह से गलत आइटम्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं । इस प्रकार की बातों से हमारे देश की बदनामी भी होती है और हमरा एक्सपोर्ट भी घटता है । आज जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो 4-5 हजार तनख्वाह लेते हैं, वे सरकारी धन घरों में भर रहे हैं । आप यहां दिल्ली में ही देख लीजिए, यहां बड़े-बड़े अधिकारियों की प्रापर्टीज, बैंक बैलेंसेज, सेक्योरिटीज के सम्बन्ध में आप जानकारी हासिल कीजिए तो पता चल जाएगा कि किन अधिकारियों ने नाजायज तरीके से फायदा उठाया है । आप एक दो बड़े-बड़े आदमियों की प्रापर्टी को कांफिस्केट करलें, उनके लाकर्स से सोना चांदी और जवाहरात कांफिस्केट करलें तो —उसका दूसरे लोगों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और फिर वे गलत काम करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत बड़ी आवश्यकता है । आपके बहुत से अधिकारी ऐसे हैं तो इस तरीके से बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिलकर उसका नाजायज फायदा उठा करके उसके जरिए से अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं । इसलिए इस व्यवस्था को माकूल तरीने से रोकने की आवश्यकता है ।

इंसपैक्शन बोर्ड के सम्बन्ध में आपने कहा है कि मैम्बरों की संख्या 11 से 15 कर दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनकी संख्या को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? उनको ज्यादा पैसा देने की क्या जरूरत थी और सरकार का खर्च एक लाख रुपया या अधिक बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे कौन से एक्सपर्ट रह गए थे, जिनको आपने इसमें शामिल करने की कोशिश की है? एक्सपोर्ट इंसपैक्शन काउन्सिल का क्या कर्तव्य है? जो घटिया किस्म के एक्सपोर्ट किए गए हैं,उनके खिलाफ अब क्या कार्यवाही की गई है? कितने केसेज ऐसे हैं, जिनमें आपने उनको सत्ता दिलवाई है? यदि आप इसकी कारगुजारी का नक्शा पेश करें तो हाउस को भी मालूम हो जाएगा कि इस इंसपैक्शन बोर्ड ने क्या काम किया है। अनुच्छेद 4(ii) के उद्देश्य और कारण व्याख्या में कहा गया है :

"यह प्रस्ताव है कि एजेंसियों को अधिकार हो कि नियमों द्वारा निर्धारित होने वाली प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्रमाण-पत्रों को संशोधित अथवा निलम्बित अथवा रद्द किया जा सके।"

इस काउन्सिल को जो आपने सर्टिफेकेट कैंसिल करने का अधिकार दिया है, उसने कितने लोगों के सर्टिफिकेट कैंसिल किए हैं और उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? जिससे यह मालूम पड़े कि एक्सपोर्ट ट्रेड के अन्दर कितने घोटाले हुए हैं, और कितने लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में भी आप जानकारी दीजिए।

अनुच्छेद 4 (iii) में कहा गया है :—

"इस अधिनियम से अभी केवल निर्यात प्रमाणपत्रों द्वारा धोखा करने वालों के विरुद्ध और अधिनियम के उल्लंघन करने वाले पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अनुभव से यह बात सामने आई है कि गुणवत्ता नियन्त्रण में और भेजने से पूर्व निरीक्षण सुविधाओं में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए इन उपायों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकले।"

आप यह बताइए कि ऐसे कितने लोगों को प्रोसीक्यूशन किया है, इसमें कितने लोगों को सजा मिली है? अमेंडमेंट से पहले ऐसे कितने केसेज हुए हैं और कन्फिसकेशन की कार्यवाही के लिए क्या किया है?

पैरा 4 (ii) में कहा गया है :—

"एक ऐसा उपबन्ध करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा जिस अपराधी अधिकारी नें अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड पाने का हकदार होगा।"

इसमें आपने कहा है कि जो आफिसर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अन्जाम नहीं देंगे, उनको सजा दी जाएगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले के कानून में जब किसी अधिकारी ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं था? यदि प्रावधान

था तो कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है और कितनों को आपने सजा दी है? यह मामला कोई एक लाख या 50 हजार का नहीं है, करोड़ों रुपयों में यह काम किया जाता है। रोजमर्रा इस प्रकार की बातें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? जैसा प्रो० साहब ने कहा कि एक अग्रवाल नाम का व्यक्ति था, उसने 6 करोड़ रु० का फायदा उठा लिया। उस आदमी के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक इस कानून से, इस अमेंडमेंड से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आपने जो अमेण्डमेन्ट किया है, वह तो ठीक है लेकिन इसमें जो सजा का प्रावधान है, वह मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को माकूल सजा मिलनी चाहिए। इस में करोड़ों रुपया इन्वाल्व्ड होता है, इस लिए केवल सामान ही नहीं, उनकी पूरी प्रापर्टी भी कन्फिस्केट होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, महल बनाए हुए हैं—वे कन्फिस्केट होने चाहिए। भविष्य के लिए उनका लाइसेंस खत्म होना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में कोई व्यापार न कर सकें। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम जिस तरह से अपनी एक्सपोर्ट ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, वह नहीं बढ़ सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, मगर मंत्री जी से यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जिन कमियों के सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षित किया है उनको दूर करने का निश्चित तरीके से जरूर प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक, 1983 जो इस समय हमारे सामने प्रस्तुत है, इसके उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है—

> "इन पुनर्विलोकन से अधिनियम में कुछ अपर्याप्तताएं, कमियां और अभाव देखने में आए हैं और इसलिए अधिनियम के कुछ उपबन्धों को संशोधित करने का प्रस्ताव है।"

यह बात तो सही है, कुछ दिक्कतें ऐसी पैदा हुई हैं जिनके कारण आपको संशोधन बिल लाना पड़ा है। व्यास जी अभी बड़े जोर से कुछ अधिकारियों के सम्बन्ध में कह रहे थे और मेरी दृष्टि में भी मुख्य मुद्दा वही है। आप सही नियन्त्रण की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, नियम तो बन जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेन्टेशन कौन करेगा? मसला इम्प्लीमेन्टेशन का है, उनको अमलीजामा पहनाने का है और आपकी अमलीजामा पहनाने वाली जो मशीनरी है उसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ है। आपने एक जगह कहा है—"अभिकरण, आदि के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपराध। यदि परिषद का कोई अधिकारी या कर्मचारी या धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी या उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट परीक्षण गृहों के सर्वेक्षक या नमूना परीक्षक या कोई कर्मचारी कोई ऐसा कार्य या चीज करने के लिए उपमत होगा या कोई करार करेगा, उसे करने से प्रविरत रहेगा, अनुज्ञा देगा, छिपाएगा या मानानुकूलता करेगा जिस से कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है या हो सकता है तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।"

मान्यवर, जैसा चक्रवर्ती जी और ब्यास जी ने भी कहा है, जो उस धन्धे से करोड़ों रुपया कमाएगा और उसमें सब मिल कर एक करोड़ रुपया खा जाएं, तो उस पर पांच हजार रुपया जुर्माना करके छोड़ देंगे तो इससे अपराध करने वाले के मन में कोई भय पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरी दृष्टि में इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। पनिशमेन्ट में दो वर्ष का कारावास भी पर्याप्त नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट का काम बढ़िया हो और विदेशों से जो लोग हमारा माल मंगाते हैं उनके मन में हमारे माल के प्रति विश्वास हो तो सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके मन में भय व्याप्त हो, उनको इस बात का अहसास हो कि यदि उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसकी कठोर सजा मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां सजा का प्रावधान है उस में "सश्रम कारावास" की सजा होनी चाहिए।

एक बात मेरे दिमाग में उठ रही है—जिसका उल्लेख उद्देश्यों और कारणों में भी किया गया है—"अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पांच निर्यात निरीक्षण अभिकरणों की स्थापना की गई है और अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुछ प्राइवेट निरीक्षण अभिकरणों को भी मान्यता दी गई है।" यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है—इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? प्राइवेट अभिकरणों को मान्यता देने का क्राइटेरिया क्या होगा ? इसके लिए आपने क्या मानदण्ड बना रखा है। एक तरफ तो आप क्वालिटी कन्ट्रोल की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट अभिकरणों को मान्यता दे रहे हैं—यह कन्फयूज करने वाली बात है। प्राइवेट और सरकारी जब दोनों बातें सामने आती हैं तो यह एक विवाद का विषय बन जाता है।

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिसूची में शामिल जो 875 वस्तुएं हैं, उनमें अन्य वस्तुओं को भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए जिससे यह साबित हो जाए कि आप एक्सपोर्ट की अच्छी क्वालिटी की चीजें बाहर भेजना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि यह 1981-82 की बात है। आगरा का जूता बाहर जाता था और रूस जाया करता था और कानपुर से भी कुछ यूरोप में चप्पल गई, मुझे ख्याल नहीं पड़ रहा है कि किसी कन्ट्री में गई लेकिन 60 लाख रुपए की चप्पल भेजी गई और वह 60 लाख रुपए का माल रिजेक्ट कर दिया गया और इस बेसिस पर रिजेक्ट किया गया था कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी और जो माल दिखाया गया था, वह नहीं भेजा गया और उसकी क्वालिटी कुछ और थी। जहाज पर माल ले जाने पर भी खर्चा हुआ होगा और इस तरह से आप देखिए कि सारा गड़बड़ हो गया और एक आदमी गलती करता है, तो उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्वालिटी पर नियन्त्रण करने की बात तभी हो सकती है जब आपकी मशीनरी सही काम करे।

इस में एक जगह पर यह भी लिखा है और पहले कानून में यह नहीं था और अब एक प्रावधान कर दिया गया है :

> "किसी वस्तु के लिए एक बार जारी किए गए निर्यात योग्यता प्रमाणपत्र को वापस नहीं लिया जा सकता है, यहां तक कि यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रमाणपत्र को गलत तौर पर या कपटपूर्वक जारी किया गया था। यह प्रस्ताव है कि हर अधिकरण

को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए ऐसे प्रमाणपत्र को संशोधित या निलम्बित या रद्द करने के लिए सशक्त किया जाए।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस में रद्द करने या कैंसिल करने का प्रस्ताव है लेकिन होता क्या है कि प्रमाणपत्र मैं ले लेता हूं और दूसरे को बेच देता हूं। तो यह एक आम बात है कि एक्सपोर्ट के लाइसेंस किसी के हैं और एक्सपोर्ट कोई और कर रहा है। अगर आप एक प्रमाणपत्र रद्द कर देंगे, तो दूसरे के प्रमाणपत्र पर काम हो जाएगा। तो इस में कहीं न कहीं कोई ऐसा रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सके। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि आपका जो कन्ट्रोलर आफ एक्सपोर्ट्‌स एण्ड इम्पोर्ट्‌स का दफ्तर है, वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां की हालत क्या है। वहां पर हालत बहुत खराब है और जब हालात ऐसे बने हों, तो आप यह सोच रहे हैं कि जो आपका डेफीसिट एक्सपोर्ट्‌स का है, वह शायद आप पूरा कर लेंगे और ऐसा अच्छी क्वालिटी का माल भेज कर करेंगे, तो मैं यह कहूंगा कि उसमें आपको कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं हो पाएगा।

इसमें एक बात और है। आप ने प्राइवेट अधिग्रहण को अधिकार देने की बात कही है। मैं समझता हूं कि इसका दुरुपयोग होगा। सरकारी मशीनरी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है और ऐसी शिकायत आम लोगों की है लेकिन और सर्टीफिकेट इशू करने का अधिकार आपने प्राइवेट लोगों को दे दिया, तो यह जो व्यापारी वर्ग है, इसके लम्बे-चोड़े हाथ होते हैं, यह वहां पर भी अपना काम करा लेगा। जब सरकारी आदमी से करा लेता है, तो वहां पर भी प्रभाव डाल कर काम करवा लेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि आपने जो बोर्ड बनाया है, इसमें आपके नुमायन्दे भी हों और एक्सपर्ट्‌स भी होते, तो अच्छा होता। आपका डाइरेक्टर कितना बड़ा विशेषज्ञ है, यह मुझे मालूम नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए और जो लोग इस मामले के जानकार हों, जिन लोगों को अच्छी जानकारी हो, उनको ही इस परिषद का सदस्य बनाया जाए। जो कानून आप बनाते हैं, उस पर अगर अमल सही तरीके से होता है, तो कुछ कानून की बात होगी वरना आज आप एक कानून बनाएंगे और फिर संशोधन लाएंगे। मेरा सुझाव तो यह है कि इसके लिए आपको कोई काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए और सख्ती के साथ उस पर अमल कराया जाना चाहिए जिससे निर्यात को जो बढ़ावा आप देना चाहते हैं, वह निर्यात बढ़ सके। दोनों तरफ से आपको बांधना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं कुछ हो पाएगा और एक अच्छा बिल आपको इसके लिए लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

3.00 म०प०

*श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली) : माननीय सभापति महोदय मैं अपनी पार्टी द्रविण मुनेत्र कझगम की ओर से निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक, 1983 पर कुछ सुझाव पेश करता हूं।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भारतीय निर्यात निरीक्षण कोउन्सिल की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। इसका मुख्य कार्य केन्द्र सरकार को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए सलाह देना है। जब से इस काउन्सिल की स्थापना की गई 875 वस्तुएं निर्गमन-पूर्व आवश्यक निरीक्षण के दायरे में लाई गई हैं जिनमें देश के कुल निर्यात की लगभग 40 प्रतिशत चीजें आ जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस काउन्सिल के दायरे में शत प्रतिशत निर्यात वस्तुएं कब तक लाई जाएंगी। मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया।

विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा केवल 1 प्रतिशत है। मुझे शंका है कि कहीं वह इससे भी कम न हो जाए। दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे छोटे-छोटे देशों का विश्व व्यापार में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि हमारे देश का निर्यात व्यापार नहीं बढ़ा है क्योंकि हमने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि सरकार को इस कानून में खामी तलाश करने और उन्हें दूर करने में 20 वर्ष लग गए। इस किस्म के इतने महत्वपूर्ण मामले में हुई असाधारण देरी की सराहना नहीं की जा सकती, हाल ही में मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा कि भारत से भेजी गई कैण्ड मच्छली अमरीका की पार्टियों द्वारा वापस लौटा दी गई हैं, क्योंकि वह घटिया किस्म की थी। उसी प्रकार समाचारों द्वारा रिपोर्ट मिल रही है कि अन्य देशों को भेजी गई केन्ड मच्छली घटिया होने के कारण वापस आ रही हैं। इससे लगता है कि निर्यात की जा रही वस्तुओं के स्तर के बारे में हमें तनिक भी चिंता नहीं।

यह भी बड़ी हैरानी की बात है कि 38 निजी संस्थाओं को निरीक्षण कार्य सौंपा गया है। हम जानते हैं कि कुछ निजी निर्यातक घटिया किस्म की वस्तुएं निर्यात करने के काम में लगी हैं। यदि निरीक्षण कार्य के लिए निजी एजेन्सी हों तो फिर कदाचारों का कभी अन्त नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय गुणवत्ता निरीक्षण कार्य कर रही मौजूदा व्यवस्था से निजी एजेन्सियों को तुरन्त अलग करें। हालांकि यह वैधानिक उपाय ठीक है फिर भी मुझे सन्देह है कि इससे निर्यात में हो रहे सभी कदाचार समाप्त हो सकेंगे, मेरा सुझाव है कि हमारे निर्यात की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार एक व्यापक और कड़ा कानून लाए।

तमिलनाडू में हमारे इलाके से कार्डमोम का निर्यात किया जाता है, वर्ष 1979-80 में हमने 2636 टन कार्डमोम निर्यात किया। वर्ष 1982-83 में गिरकर यह 711 टन रह गया है। कार्डमोम के निर्यात में इतनी गिरावट के लिए मैं कारण जानना चाहता हूं। हमारा कार्डमोम उच्च श्रेणी का है, मध्य-पूर्वी देशों में इसकी बड़ी मांग है। किन्तु ग्वोटेमाला जिसने कार्डमोम के बाजार में अभी-अभी प्रवेश किया है, इसकी कीमत काफी कम करके बाजार पर कब्जा कर लिया है। जहां तक कार्डमोम का प्रश्न है, हमने ग्वोटेमाला से असमान प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

यहां पर मैं एक अन्य खेदजनक बात का उल्लेख करूंगा। कार्डमोम की मांग में गिरावट आ

रही है क्योंकि अन्य देशों में इसका उत्पादन बढ़ गया है और कार्डमोम बोर्ड जानबूझकर इसके उत्पादन में प्रसार को निरुत्साहित कर रहा है। वास्तव में कार्डमोम बोर्ड कार्डमोम के कम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने में लगा है। राष्ट्रीय समस्या के लिए यह एक गलत रास्ता है। जो भी मैंने कहा है वह वर्ष 1982-83 की वाणिज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में देखा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जांच करें और कार्डमोम बोर्ड के द्वारा गलत कदम उठाने के कारणों से सदन को अवगत कराएं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कार्डमोम अन्वेषण संस्थान क्या काम कर रहा है विशेषकर कार्डमोम की किस्म सुधारने के बारे में। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय सदन को बताएं कि कार्डमोम के पुनः वृक्षारोपण के लिए प्रतिवर्ष कितना धन आबंटित किया जाता है और इस योजना पर यह कैसे खर्च किया जाता है। मंत्री महोदय सदन को यह भी बताएं कि कार्डमोम के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

केवल कार्डमोम की ही बात नहीं चाय, रेशम, काफी और चमड़ा जैसी पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात भी काफी गिर गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह गिरावट गुणवत्ता में कमी के कारण आई है या अन्य बातों के कारण।

माननीय मंत्री को मात्र निर्यात के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वास्तव में हम अपने उत्पादन स्तर के प्रति क्रूर हैं। हम टिन की रद्दी 5 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से आयात कर रहे हैं। आयातित टिन वेस्ट की गुणवत्ता की तुलना में देश में उपलब्ध टिन वेस्ट 10 हजार रुपए प्रति टन की गुणवत्ता बहुत घटिया है। 'भारतीय बनो भारतीय खरीदो' की हम बात करते हैं। हम लोगों में स्वदेशीपन की भावना जगाने के लिए प्रचार में बड़ी राशि खर्च करते हैं। लेकिन उत्पादों के स्तर में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत में गुणवत्ता और उत्पादन के बीच कोई सम्बन्ध नहीं। इसके फलस्वरूप तस्करी बढ़ती है। हम छोटी पिन से लेकर विशालकाय जलपोतों तक का उत्पादन कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के कपड़े, टेलीविजन, रेडियो, कैसेट और अरोमैटिक्स आदि का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हमें गुणवत्ता का बिलकुल भी ध्यान नहीं। हमने देश में बहुत से पांच सितारा होटलों का निर्माण किया है। इनमें वातानुकूल पंखे, टेलीविजन सैट, लाउडस्पीकर आदि सभी आयातित हैं क्योंकि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बहुत घटिया है। देश के अन्दर ही उच्चकोटि का उत्पादन हो—इस ओर हमें ध्यान देना है। हमें निर्यात वस्तुओं का निर्गमन पूर्व निरीक्षण और कड़ा कर देना चाहिए। निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुएं निर्यातित निरीक्षण काउन्सिल के दायरे में लाई जानी चाहिए। जिन निजी एजेन्सियों को निर्यात निरीक्षण का काम सौंपा जाता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए जो देश में बने कानूनों का उल्लंघन करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.05 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुऐ)

श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने निर्यात व्यापार में सुधार के लिए वर्तमान निर्यात (गुणता नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में कुछ संशोधन करने आवश्यक हैं। वर्तमान अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए उसमें कुछ संशोधन करने के लिए मुझे वाणिज्य मंत्री को धन्यवाद देना होगा।

जैसा कि हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकलापों में भारत के निर्यात क्षेत्र का स्तर बहुत उन्नत दिखाई नहीं पड़ता।

विश्व निर्यात बाजार में भारत के हिस्से का दुर्भाग्यपूर्ण पतन हुआ है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1938 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 2.91 प्रतिशत था जो कि वर्ष 1981 में घटकर 0.40 प्रतिशत रह गया था। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के पहले छह महीनों के उपलब्ध आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग के पी० एच० डी० चेम्बर्स के अध्यक्ष श्री के० के० मोदी ने ठीक ही कहा है कि निर्यात क्षेत्र पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता थी क्योंकि आरक्षित विदेशी मुद्रा में वर्ष 1978-79 से 1982 तक 5,200 करोड़ रुपए से 3,436 करोड़ रुपए का ह्रास हुआ था।

अपने निर्यात में सुधार लाने के लिए बाजार खुफिया सूचना के लिए विदेश में व्यापारिक मिशनों की भूमिका को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

हम अपनी कुल निर्यात मात्रा का 51 प्रतिशत भाग अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान तथा पश्चिम जर्मनी को निर्यात कर रहे हैं और 20 प्रतिशत भाग फ्रांस, इटली और हालैण्ड सहित 9 देशों को निर्यात कर रहे हैं। हमें चीन के निर्यात बाजार में, जो कि बहुत बड़े बाजार के रूप में सामने आ रहा है, काफी बड़े भाग पर अधिकार करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने हैं।

हमारा भारतीय उद्योग इंग्लैण्ड में इंजीनियरी कल-पुर्जों और कम्प्यूटर के हलके-फुलके कल-पुर्जों जैसे कुछ क्षेत्रों में ऊंची ख्याति प्राप्त कर रहा है तथा हमारे उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे देशों में इसके विकास के लिए इसका लाभ उठाएं।

विदेशी व्यापार के विकास के लिए हमारे निर्यातकों और उद्योगपतियों तथा सरकार को अपनी ओर से संघर्ष करना होगा ताकि उन्हें चुनौती का मुकाबला करने में समर्थ बनाने के लिए सभी सम्भव सुविधाओं का विस्तार किया जा सके और सभी सम्भव प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जा सके।

हमें अपनी प्रौद्योगिकी के स्तर को उन्नत करने, विशेष रूप से निर्यात उत्पाद में वृद्धि करने के लिए भी विशेष प्रयत्न करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, यदि हमारे देश को विश्व बाजार में अपना अधिक माल बेचना है तो

प्रतियोगी मूल्यों पर अच्छी किस्म के माल की पूर्ति करने के लिए उद्योगपतियों तथा सरकार दोनों की ओर से सभी प्रयत्न किए जाने चाहिएं। उदाहरण के लिए जापान को लीजिए। जापान में कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वे समस्त कच्चे माल का विभिन्न देशों से आयात कर रहे हैं और वे अपनी तकनीकी सूझबूझ और राष्ट्रीय भावना के साथ आयातित कच्चे माल से अच्छी और बढ़िया किस्म की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और तैयार वस्तुओं का विश्व भर में निर्यात कर रहे हैं। उनकी वस्तुओं की दुनिया में बहुत मांग है। किन्तु भारत में, हालांकि हमारे पास काफी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं फिर भी हम अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जापान में वहां के लोग राष्ट्र के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं। दूसरे देशों में भी लोग अपने राष्ट्र के लिए कम से कम कुछ तो बलिदान करने को तैयार हैं, किन्तु हमारे देश में अधिकांश उद्योगपति और निर्यातक अपने देश के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार नहीं हैं। उनमें विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत अथवा निजी महत्वाकांक्षाएं घर कर गई हैं और राष्ट्रीय भावना बिल्कुल नहीं है।

अतः हमारे विदेशी व्यापार में सुधार लाने के लिए हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री जी द्वारा आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। मैं इस निर्यात संशोधन विधेयक, 1983 का समर्थन करता हूं। अपनी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म को बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है इसके पश्चात् ही निर्यात व्यापार में वृद्धि हो सकेगी।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से जो एक्सपोर्ट (क्वालिटी कंट्रोल एण्ड इंसपैक्शन) अमेन्डमेंट बिल, 1983 आज इस हाऊस के सामने लाया गया है, मैं इसको खुशामदीद कहता हूं। यह बिल पेश करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन, इस बिल से हमारी तसल्ली पूरी नहीं हो रही है। सर्टिफिकेट आफ एक्सपोर्ट उसकी वर्दीनेस को कैन्सिल करने का एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था। अब बना दिया है, बहुत अच्छी बात की है। प्रि-शिपमेंट इंसपैक्शन के बाद अगर कोई अदालती कार्यवाही होती थी और जो एमाल्युमेंट्स हासिल करते हैं, ऐसी नाजायज कार्यवाही करके, इसके लिए कोई कानून अख्तियार नहीं देता। लेकिन अब जो आप अमेन्डमेंट लाए हैं उससे आप अमेन्डमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं। जिन कमोडिटीज ने बारे में मुत्तलिका अथारिटी ने कहा हो कि सब-स्टैंडर्ड चीजें बनी हैं, उन पर छापा मारना कंट्रोल करना और सारी चीजों को हाथ में लेने का बहुत अच्छा काम किया है। यह बहुत अच्छा किया है कि ऐसा करने के लिए अफसरों को अख्तियार दिया है। एक्ट में कोई प्राविजन नहीं था कि आफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब यह बात आपने एक्ट में कर दी है। जिन आफिसर्स को अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं है, पैसा कमा रहे हैं और इस परपज का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में आपने बन्दोबस्त किया है। प्रोफेसर चक्रवर्ती साहब ने भी इशारा किया था कि छह हजार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फोरन कंट्रीज में भेजे जाते हैं। लेकिन उसमें से 875 पर ही क्वालिटी कंट्रोल की बात आपने की है। मैं समझता हूं कि कोई भी चीज किसी भी मिकदार में बाहर भेजी जाएगी तो उसको चैक करना लाजमी होगा। हमारी कंट्री की इमेज उस पर इनसार करती है। बड़े कारखानेदारों को सामान बाहर

भेजने के लिए लाइसेंस दिए हैं। अगर वे दूसरे मुल्कों और कस्टमर्स का धोखा देते हैं तो उससे उनका जाति फायदा होता है। लेकिन, पूरे मुल्क के चेहरे पर कालख लग जाती है। यह बहुत बड़े खतरे की बात है। इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया का कारोबार इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट पर निर्भर है। कुछ चीजें बाहर भेजी जाएंगी और कुछ वहां से खरीदी जाएंगी। इस मुल्क में कोई चीज खरीदने के लिए पैसा नहीं आएगा, अगर फारेन एक्सचेज न कमाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम यहां से चीजें भेजें। यह कोई आसान मामला नहीं है। मुल्क की सारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का चोली-दामन का साथ है। हम अपनी टैक्नोलाजी को बढ़ाना चाहते हैं और आगे लाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे सैक्टर्स में तरक्कीयाफ्ता मुल्कों से मशीनों की जरूरत है। वहां से रॉ-मैटीयरल की जरूरत है जिसके बिना हमारे कारखाने नहीं चल सकते, जिसके बगैर हमारी टैकनालौजी डैवलप नहीं हो सकती, जिसके बगैर हमारे साधन पैदा नहीं हो सकते और वे चीजें तभी होंगी जब हम बेरुनी मुल्कों को माल भेजें। लेकिन जब चोरी-चकारी और भ्रष्टाचार की बातें हमारे सामने आएंगी और ऐसे लोग गलत सामान भेजकर हमारे ट्रेड को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे हम उनको धोखा तो देंगे, हमारी इमेज भी खराब होगी। हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और हमारे ट्रैडीशनल कस्टमर्स, रिवायती खरीदार कम हो जाएंगे। इसलिए जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, जब हमने रूस को चमड़ा भेजा या कुछ दूसरा सामान भेजा तो वह गैर-मय्यारी होने की वजह से वापस आ गया। हमारे तमिलनाडु के आनरेबल एमी० पी० ने भी कहा कि जब हमने यहां से टिन्ड चीजें भेजीं तो उन्होंने उनको रद्दी, सब-स्टैंडर्ड करार देकर वापस कर दिया। इसलिए इस सिलसिले को बड़ी समझ के साथ देखने की जरूरत है और फिक्र करने की जरूरत है।

यहां एक और बात ध्यान देने की है। जिन कारखानेदारों को या बिग बिजिनैस हाउसेज को हमने कन्सेशेन दिए हैं ताकि वे अपना माल बाहर के मुल्कों में भेज सकें, उन्हें इस देश में भी रॉ-मैटीयरल खरीदने के सिलसिले में खसूसी लाइसेंस मिलते हैं, बैंकों से लोन मिलता है तथा कई दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको इंटरेस्ट पर सबसिडी दी जाती है, और कई छूटें उनको मिलती हैं। इतने सारे कन्सेशन्स और रियायतों के बावजूद भी यदि वे इस किस्म की धोखाधड़ी करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है। इसलिए जब आप इनके बारे में कानून ला रहे हैं, प्रावधान रखा है और कुछ कानून बनेगा लेकिन वह कानून जरा सख्त होना चाहिए और इतना सख्त हो कि दोबारा उनको ऐसे काम करने की जुर्रत न हो और वे दोबारा धोखाधड़ी और कारोबार में गड़बड़ न कर पाएं, हमारे बिजिनैस को नुकसान न पहुंचाएं। इस बिना पर कानून को बड़ा सख्त होना चाहिए। जहां तक अफसरों का ताल्लुक है, हमारे एक आनरेबल मैम्बर ने बिल्कुल वजाह फरमाया कि यदि कोई अफसर चाहे तो लाखों और करोड़ों रुपया कमा सकता है। लेकिन हमारे यहां ईमानदार अफसरों की भी कमी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि हर अफसर बेइमान है और ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, लेकिन चन्द एक अफसर जो बद्यानत हों, इन बिग बिजिनैसमैन के साथ हाथ मिलाकर चलने वाले हों उनके खिलाफ इस किस्म की कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि वे लोग करोड़ों रुपए का फायदा इन लोगों को पहुंचा सकते हैं और मुल्क को

नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब आपने फैसला ही कर लिया है कि जो सैक्टर में ऐसे अफसर हैं, जिनका काम तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना है तो उनके बारे में बड़ा स्ट्रिन्जैंट लॉ बनाने की आज जरूरत है ताकि वे इस किस्म की हिम्मत दोबारा न कर सकें। क्योंकि यह कोई छोटा खाता नहीं है, बहुत बड़ा खाता है।

आखिर में, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां इमेज की बात मैंने आपसे कही, हमारे हिन्दुस्तान से बैरुनी मुल्कों को काफी हैन्डीक्राफ्ट की चीजें जा रही हैं, उनकी खरीदारी भी वहां काफी हो रही है, जिसमें हथकरघा पर बना कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट कालीन आदि चीजें शामिल हैं। ये चीजें पूरे मुल्क में बन रही हैं। इसके अलावा एम्ब्रायडरी का काम पूरे मुल्क में होता है। जितना ये सामान हमारा गैर मुल्कों में जा रहा है, वहां लोग इसे कबूल कर रहे हैं और उनके कारण हमारा देश विदेशी मुद्रा कमा रहा है। लेकिन आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से और तुजुर्बे की बिना पर बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कालीन के मामले में बड़ा धोखा हो रहा है। कालीन बहुत ही डैलीकेट कारीगरी और नजाकत की चीज है और उसको बुनने वाले गरीब लोग होते हैं जो अपना खून उस पर बहाते हैं। यह सब उनकी कारीगरी और फनकारी का ही नतीजा है। लेकिन आज कश्मीर के नाम पर बड़े थर्ड क्लास कालीन, रॉ किस्म के कालीन बुने जा रहे हैं और कई जगहों पर हमारे बिग बिजिनैस हाउसेज उनका एक्सपोर्ट विदेशों में कर रहे हैं और वहां यह बता रहे हैं कि ये काश्मीर के कालीन हैं। ऊपर से तो उनकी सारी कुछ चमक-दमक काश्मीरी कालीन की तरह ही है, लेकिन जब वे लोग उनको आजमाते हैं तो वहां से अक्सर यह शिकायत आती है कि ये कालीन उम्दा नहीं हैं, यह हमसे फ्राड किया गया है। हमसे फ्राड किया गया है, धोखा दिया गया है। कालीन ही नहीं, बल्कि शाल के मामले में भी धोखाधड़ी हो रही है।

हमारे यहां का साल पूरे यूरोप में बड़ा मशहूर है, उसकी कद्र है, लेकिन मैं अर्ज करूं और इस बारे में सफाई से कहूं कि अमृतसर में शाल बुने जा रहे हैं और वह अमृतसरी शाल काश्मीरी शाल के नाम से बिक रहे हैं। अमृतसर में शाल मशीन से बनते हैं। हमारे यहां शाल दस्तकारी से बनाते हैं, जो हैंडी क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन हैं, वह उन्हें बड़ी मेहनत से बनाते हैं। लेकिन अमृतसर में कुछ बिजनेसमैन जो शाल मशीन से बना रहे हैं उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे कि यह काश्मीर में बनी हुई हो। उसको वह मुकाबलन कम कीमत पर बेचते हैं, लेकिन जब वह शाल इस्तेमाल में आती है तो उसकी वाहियात किस्म की क्वालिटी सामने आ जाती है। यह सो-काल्ड काश्मीरी शाल बड़े-बड़े शहरों में बिक रही है और आजकल के व्यापारी यही कुछ धन्धा कर रहे हैं और बाहर के मुल्कों में इसे हैंडीकाफ्ट्स के नाम से काश्मीरी माल के नाम पर इसकी तिजारत कर रहे हैं। ये लोग जो माल दे रहे हैं, वह हैंडीक्राफ्ट का होता नहीं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

इस किस्म की चीज बाहर भेजी जाए, फरोख्त की जाए, वह लोग अहमक नहीं हैं, समझदार हैं, वह उस माल को देखते और समझते हैं। इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स से उनको नफरत

हो रही है। यह बात अगर बढ़ेगी तो अरबों-करोड़ों रुपए का जो फायदा हैंडीक्राफ्ट्स से इस मुल्क को रहा है, उसमें बहुत नुक्सान होगा।

आज कालीन के मामले में हम पीछे जा रहे हैं और चीन व पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं। काश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स से बहुत ज्यादा कीमती, पैंशस फोरन-एक्सचेंज इस मुल्क को प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें एतिहात की और इसमें क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। इसमेंहैंडी क्राफ्ट्स को भी आना चाहिए, यह मैं आपसे अर्ज करूंगा और खबरदार करना चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर इस कानून को सख्त बनाइए और इतनी ही बात काफी नहीं होगी, बल्कि इसको सख्ती के साथ इम्पलीमेंट कीजिए। इस पर अमल होना बहुत जरूरी है।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मुझे निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक पर द्रविड़-मुनेत्र कडगम (डी० एम० के०) की ओर से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि :

> "विद्यमान अनुबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात तब तक प्रतिबन्धित है जब तक कि उनके साथ निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र न लगे हों।"

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। मुझे उन मामलों की जानकारी है जिनके बारे में असम से सूचना मिली थी कि वहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने रेशम निर्यात करने के लिए प्रमाण-पत्र दिया है। यह एक जाली प्रमाण-पत्र है जो कि कुछ पैसे लेकर दिया गया है। मुझे कुछ ऐसी एजेन्सियों की जानकारी है जो इस प्रकार के प्रमाण-पत्र देती हैं। अत: केवल प्रामाण-पत्र प्राप्त करना कोई मुश्किल मामला नहीं है। 1963 के बाद 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे पास केवल पांच ही निर्यात निरीक्षण-एजेन्सिया हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि 10 अथवा 20 वर्ष के बाद आप केवल पांच निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों का गठन कर पाए हैं ? मेरे साथी श्री शिवप्रकाशम् ने बताया है कि वहां 38 गैर-सरकारी निरीक्षण एजेन्सियां हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी कसौटी है जिसके द्वारा आप गैर-सरकारी एजेन्सियों की अनुमति देते हैं, क्या इसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस प्रकार की एजेन्सियां इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। यदि आप ऐसी गैर-सरकारी एजेन्सियों के गठन की अनुमति देंगे तो निर्यात निरीक्षण एजेन्सियां जगह-जगह पर स्थापित हो जाएंगी जो कि देश में बढ़ती ही जाएंगी।

वस्तुओं की किस्म के बारे में आपने बताया है कि इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। मैं भी इसी मुद्दे पर जोर देता हूं क्योंकि जहां तक गुणता नियंत्रण का प्रश्न है, हमें कठोर कदम

उठाने चाहिएं ताकि विश्व की नजर में न केवल हमारी भारतीय वस्तुओं की साख ऊपर उठ सके बल्कि हमारे देश का नाम ऊंचा उठ सके। अन्यथा, विदेशी बाजार में हमारे उत्पादों पर से विश्वास उठ जाएगा। 20 वर्ष पहले 'ब्लीडिंग मद्रास' के नाम से एक हथकरघा उत्पाद का मद्रास से निर्यात किया गया। इस उत्पाद की दूसरी लदान बहुत अच्छी थी। किन्तु पहली लदान के बारे में क्या हुआ था ? संयुक्त राज्यों में हमारी वस्तुओं की मांग समाप्त हो गई है, क्योंकि हमारे पास कोई गुणता नियंत्रण नहीं है। अतः सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी बात है सत्ता का दुरुपयोग और दण्ड अधिकारी को दिया जाना चाहिए। उसे वह सजा मिलनी चाहिए जो कि निर्यातक को दी जाती है।

जहां तक आर्डर को रद्द करने या स्थगित करने का संबंध है, यदि माल की गुणवत्ता घाटिया दर्जे की हैं तो मैं कहूंगा कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। एक बार आप उसे काली सूची में रख देते हैं तो उन्हें किसी भी नाम-बेनामी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा होता है कि एक बार आर्डर/लाईसेन्स रद्द कर दिया जाता है तो वह बेनामी-नाम से या परिवार के किसी सदस्य के नाम से उसे फिर प्राप्त कर लेता है। परिवार को इसका निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जहां तक उन दस्तावेजों को जब्त करने की बात है जो कि सही नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि गलत दस्तावेज, उत्पाद या वस्तु जो एक बार जब्त कर ली जाए वापिस नहीं की जानी चाहिए। उसे पुनर्निरीक्षण के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। हेरफेर करने के भी उपाय हैं। यदि आप उसे उन्हें पुनर्निरीक्षण आदि के लिए वापिस दे देते हैं तो आप उन्हें अपने आपको सुधारने लिए दोष बता दें। उससे समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसा करते समय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बहुत सावधान रहे। आपातकाल के दौरान क्या हुआ था ? अधिकारियों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था। सरकार को उन्हें अधिक शाक्तियां देते समय सावधान रहना चाहिए।

अब मैं पृष्ठ 8 के 11क पर आता हूं। मेरे विचार में कारावास दो वर्ष से अधिक होना चाहिए।

मेरे चुनाव-क्षेत्र में बहुत से "टैन" और सरीसृपों के निर्यातक हैं। आपने काले नागों और अजगरों के निर्यात पर रोक लगा दी है। मुझे उनके निर्यात पर रोक लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आपने चेतक और जल-सर्पों पर भी पाबन्दी लगा दी है। उस व्यवसाय पर तीन लाख लोग निर्भर करते हैं। चेतक और जल-सर्पों के पकडने पर, लगी पाबन्दी को हटा लेना चाहिए। इरुला लोगों द्वारा ये पकड़े जाते हैं जो कि देश में पद-दलित और अनुसूचित जाती के लोग हैं। वे उन्हे पकड़ते हैं और उन्हें उत्पादों के निर्माण हेतु मुसलमानों को सौंप देते हैं। परन्तु आपने निर्यात के लिए इसे भारत लैदर कारपोरेशन को दे दिया है। यह निगम घाटे में जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर पुनर्विचार करे और पाबन्दी हाटकर निजी निर्यातकों को अनुमति प्रदान करें जिससे कि सरकार को अधिक विदेशी-मुद्रा से राजस्व प्राप्त हो सके।

अंत में, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप समझते हैं कि इस अधिनियम में खामियां, त्रुटियां या कमियां है - और मैं अनुभव करता हूं कि ये हैं—तो सरकार को इसे दूर किया जाना चाहिए। एक नवीन विधेयक लाया जा सकता है, जिसमें मेरे द्वारा उल्लिखित सभी मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्यात (क्वालिटि नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक वस्तुतः उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं इसका समर्थन करता हूं। आज हमारे देश का लघु उद्योग और बड़े उद्योग, ये दोनों इसी लिए विश्व के बाजार में अपना आधिपत्य जमा नहीं पाते हैं या विश्व मार्केट को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी उत्पादित वस्तुओं की गुणावत्ता बहुत ही निम्न स्तर की होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा जी आप अन्तिम वक्ता हैं। आप अगले दिन भी अपना भाषण जारी रख सकते हैं। उसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वह अन्तिम वक्ता नहीं हैं, उनके बाद मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वह अन्तिम वक्ता हैं और उसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधाई कार्य पर विचार करेंगे।

कृषक ऋणग्रस्तता उन्मूलन विधेयक*

श्री उत्तम राव पाटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों के ऋणों के निपटारे तथा कृषकों को ऋणों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उयाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कृषकों के ऋणों के निपटारे तथा कृषकों को ऋणों के विनिमयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*दिनांक 4-5-84 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री उत्तमराव पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

3.31 म० प०

जानकारी की स्वतन्त्रता विधेयक*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकों के लिए लोक जानकारी तक पहुंच होने और उसे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय अभिकरणों की व्यवस्था करने और तत्सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकों के लिए लोक जानकारी तक पहुंच होने और उसे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय अभिकरणों की व्यवस्था करने और तत्सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

3.32 म० प०

तकनीकी सफाई-मरम्मत एककों का विनियमन तथा नियन्त्रण विधेयक*

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं प्रस्तावित करती हूं कि देश में तकनीकी सफाई-मरम्मत एककों के विनियमन तथा नियन्त्रण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में तकनीकी सफाई-मरम्मत एककों के विनियमन तथा नियन्त्रण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*दिनांक 4-5-84 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करती हूं।

3.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 169 में संशोधन)*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमनि दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीखा भाई—उपस्थित नहीं हैं। श्री जी० एस० निहालसिंह वाला।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : श्री निहालसिंह वाला जी उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : उनके विधेयक को आज की कार्य-सूची में रखा गया है। नियम 27, 29 और 294 को निलम्बित करने के क्या कारण हैं। यह नियम 388 के अधीन प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अभी पुर:स्थापित नहीं किया गया है। किसी भी विधेयक का विरोध करने का आपको पूर्ण अधिकार है और इसे सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : हम उन परिस्थितियों को जानना चाहते हैं जिनके अधीन नियमों को निलम्बित किया जा सकता है। इस विधेयक को कार्य-सूची में कैसे रखा गया था ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी किया गया है नियमों के अधीन किया गया है।

---

*दिनांक 4-5-84 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खण्ड-2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जगपाल सिंह : नियम 294 को निलम्बित करने की क्या जल्दी है ? विधेयक को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के समक्ष नहीं रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पुरःस्थापन अवस्था में है । कोई भी किसी भी विधेयक को पुरःस्थापित कर सकता है ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं आपकी समिति का सदस्य हूं । क्या आप मुझे एक मुद्दा उठाने की अनुमति देंगे ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक व्यवस्था के प्रश्न पर । आपने कार्य-सूची में, मद संख्या 7 में, नियम 388 के अधीन एक प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है । अब नियम 388 आपातस्थिति में उठाया जाने वाला कदम है । बहुत ही महत्वपूर्ण होने पर ही, इसको पुरःस्थापित किया जा सकता है । यहां पर आपने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पास न जाकर के और विधेयक वहां पर पुरःस्थापित न करके, नियम 388 के अधीन एक प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है, जिसमें नियम 27, 29 और 294 के निलम्बन की अनुमति दी गई है । यह कैसे सम्भवतः हो सकता है ? और फिर वह नहीं आए । जिसका अर्थ है सत्तारुढ़ दल ने उन्हें आने से रोका । मैं नहीं जानता हूं ।

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : हमने उन्हें नहीं रोका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा ।

श्री जी० एम० बनात वाला (पौन्नानी) : कृपया पहले हमारी बात सुनिए । **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : महोदय, प्रत्येक सदस्य को विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव देने का अधिकार है । और उस विधेयक के मामले में, जो कि सांविधान में संशोधन करने वाला है, उसे कार्य-सूची में लाने से पूर्व, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति को इस पर विचार करना होता है । अन्य विधेयकों को वह पेश कर सकते हैं और सचिवालय इन्हें कार्य-सूची में सम्मिलित कर सकता है । अगर ऐसी प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी । आज एक विधेयक को पेश किए जाने की अनुमति मांगी गई और नियम 388 के अधीन एक प्रस्ताव भी है । विधेयकों को पेश किए जाने की एक समयसीमा होती है, और आपको एक माह का नोटिस देना होता है । सातवीं लोकसभा के कार्यकाल में ऐसा एक भी अवसर नहीं आया, जब इसमें छूट दी गई हो । और आपका यह भी प्रस्ताव है कि एक विधेयक को पेश करने से लेकर चर्चा तब सम्बन्धित प्रक्रिया के सभी नियमों को निलम्बित कर दिया जाए । नियम 27 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को वरीयता दिए जाने से सम्बन्धित है । नियम 29 को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है । नियम 294 भी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य संचालन से सम्बन्धित है । इसका अर्थ है कि नियम 388 के अधीन प्रस्ताव दिए जाने से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों से सम्बन्धित सभी नियमों को

निलम्बित करना। जैसाकि मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि यह एक असाधारण विधेयक है। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के विधेयक को इस प्रकार का महत्व देने की क्या आवश्यकता थी। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक एक हानिकर किस्म का···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इसका प्रयोजन अकाली दल पर प्रतिबन्ध लगाना है या कोई और प्रयोजन है ?

श्री चित्त बसु : इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा— हालांकि मैं आपको ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर सकता—आप सभा को उन परिस्थितियों की जानकारी दें जिनके कारण यह असाधारण कदम उठाना पड़ा है। **···और अच्छी प्रकार जानते हुए भी––मैंने विधेयक का प्रारूप देखा है; यह एक हानिकर विधेयक है और इसे पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी; अगर इसे पेश करने की अनुमति मांगी जाती, मैं इसका विरोध करता···

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : मैं समझता हूं कि शब्द···** को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। हमें इसे 'अध्यक्ष' के पास भेज देना चाहिए। ···**···

मुझे इससे अपार खुशी हुई है···

उपाध्यक्ष महोदय : इसे तो पेश भी नहीं किया गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमन्, केवल एक ही वाक्य बोलना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अध्यक्ष ने नियमों को निलम्बित करने के प्रस्ताव को पेश करने के लिए स्वीकृति दे दी है, जब भी कोई सदस्य आपको ऐसी सूचना देता है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। इसका फैसला सभा करेगी कि क्या वह निलम्बित रखा जाए या नहीं। मैं एक सदस्य की हैसियत से उत्साहपूर्वक इसकी रक्षा करूंगा। आज के बाद अगर कोई सदस्य इस बात की सूचना देता है कि उसके विधेयक से सम्बन्धित नियमों को निलम्बित किया जाए तो उस सूचना को अध्यक्ष द्वारा कार्य-सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तब हम उस पर वादविवाद कर सकते हैं और सभा इस पर निर्णय दे सकती है। आपने यह एक अच्छा पूर्वदृष्टांत पेश किया है, और हम सबके लिए रास्ता बनाया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, इस बात के बावजूद कि जिस विधेयक को पेश किए जाने की अनुमति मांगी गई है वह अति आपत्तिजनक, विवादास्पद और हानिकर भी है। इस विशेष तथ्य के बावजूद आपने ऐसा रास्ता खोला है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृपया भविष्य में भी इस प्रकार की अनुमति देते रहें।

श्री चित्त बसु : अगर आप ऐसा करते हैं तो सबके लिए ऐसा ही करें।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सूरज भान : खड़े हो गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उस मद पर अभी नहीं पहुंचे हैं ।

श्री सूरज भान : श्रीमन्, मैं केवल एक ही वाक्य कहना चाहता हूं । इस बिल को लाने का मतलब यह था कि रिजर्वेशन का यह शैडयूल्ड कास्टस् और शैडयूल्ड ट्राइब्स का बिल स्वटल हो जाए । इसको पास करने का मकसद नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, नियम 388 में कहा गया है—

> "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा ।"

श्री जी० एम० बनातवाला : हमेशा ऐसा ही करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु ने यह कहा है, समिति में हम इन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं । अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जाती है और तब विधेयक पेश किया जाता है । लेकिन जब इसको पेश करने की अनुमति मांगी जाएगी तो आपको इस विधेयक को पेश करने का विरोध करने का पूरा हक होगा । और सभा में इस पर मतदान किया जाएगा । जब यह पारित हो जाएगा तभी यह विषय वस्तु या संविधानिक संशोधन या सभा के सम्मुख अन्य बात बन पाएगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसकी आवश्यकता क्या थी ? आपने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इससे मतलब नहीं है । कोई भी सदस्य अध्यक्ष को किसी बात की सूचना दे सकता है और हम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते । यह उसका अधिकार है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति देना भी किसी स्थिति पर आधारित होगा । इसकी आवश्यकता क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ नहीं कहना है । यह अध्यक्ष की मर्जी है । नियम 388 के अधीन स्थिति यही है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनका सन्तुष्ट होना मनमाना नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी सम्मति को चुनौती भी नहीं दी जा सकती ।...अब इस पर चर्चा समाप्त होती है ।

सदस्य मगर यहां उपस्थित हो, तो शायद उसने इसे पेश किया होता और आपको पूरा अधिकार है, आप में से प्रत्येक इसका कड़े शब्दों में विरोध कर सकता है, और तब इसे सभा में

मतदान के लिए रखा जाएगा और अगर सभा इसे अस्विकृत कर देती है तो इसे पेश नहीं किया जायेगा। अगर सभा अनुमति दे देती है तो इस पर चर्चा की जाएगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : ऐसे प्रस्तावों को हमेशा ही मंजूरी दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि वह यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे पेश नहीं किया जा रहा है।

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अव हम 23 मार्च, 1984 को श्री सूरज भान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए 6 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 4 घण्टे 55 मिनट पहले ही चर्चा हो चुकी है और अब केवल एक घण्टा 5 मिनट और चर्चा होनी है। श्री अजित बाग अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री अजित बाग** (सीरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय यह सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं का समाधान करने के बारे में गम्भीर या उत्सुक नहीं है। यह इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि सरकार जानबूझकर मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के अपने निर्णय को प्रकाशित करने में आनाकानी कर रही है। उसकी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति कोरी सहानुभूति है। श्रीमान् आपको जानकारी है कि हम; यानि विपक्ष के सभी सदस्य सरकार के इस रवैए के विरोध में सभा से बाहर चले गए थे।

पिछली दफा, अपने भाषण के शुरू में, मैंने कहा था कि वास्तव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समस्यायें मूलरूप में आमूल भूमि सुधारों के प्रश्न से जुड़ी हुई हैं। बिना आमूल भूमि सुधार किए, इस देश के 16 करोड़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इस संदर्भ में, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, की वामपंथी सरकार ने अपने सीमित साधनों और शक्तियों से इस दिशा में क्या प्राप्त किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि के वितरण में कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। काफी संख्या भूमिहीन लोगों में फालतू भूमि बांटी गई है। उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों की संख्या कमशः—5,29,308 तथा 2,73,692 है। इस प्रकार से कुल 8,03,000 लोग हैं जोकि कुल भूमिहीनों को बांटी गई भूमि का 55% है।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जिन बटाईदारों को भूमि वितरित की गई है उनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 4,82,612 है और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 2,17,175 है। इनका कुल योग 6,99,787 बैठता है, लगभग 7 लाख---जोकि कुल बटाईदारों जिन्हें भूमि आबंटित की गई है, का 58% बैठता है।

पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में नौकरियों के आरक्षण के मामले में हालांकि आंकड़े सन्तोषजनक नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रगति अच्छी हुई है। 31-3-77 को पश्चिम बंगाल में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के 6.17% लोग और अनुसूचित जनजाति के 1.68% लोग थे। लेकिन 31-3-82 को इनका प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 12% और 4% हो गया। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में नौकरियों के आरक्षण के मामले में सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालय, नगरपालिकायें, सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं यानि कि -- प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, कालेज और यहां तक कि विश्वविद्यालय भी आरक्षण की नीति का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं।

श्रीमन्, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को शिक्षा देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण उनके लिए आरक्षित पद कई वर्ष खाली पड़े रहते हैं। विशेषकर अनुसूचित जनजातियों में डाक्टर या इन्जीनियर नहीं मिल पाते। जब तक इन लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं किया जायेगा, इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः इन लोगों में व्यापक शिक्षा का प्रसार करना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम इन शोषित, पिछड़ी जनता को सही प्रतिनिधित्व नहीं दे पायेंगे। लेकिन यह खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी 65 प्रतिशत से अधिक हमारे लोग निरक्षर हैं और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस बारे में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की दशा काफी दयनीय और निराशाजनक है। सत्तादल को इसकी जरा भी चिन्ता नहीं है। केन्द्रीय बजट में शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि पर एक नजर डालने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

श्रीमन्, वर्तमान बजट में अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत रखे गए विभाज्य परिव्यय कम होकर 12.2 प्रतिशत रह गया है, जबकि 1983-84 में यह 20.25 प्रतिशत था। इसी प्रकार आदिवासी उप-योजना के लिए भी विभाज्य प्रावधान इस वर्ष के बजट में पिछले बजट 10.90 प्रतिशत यानि करीब 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण की झलक स्पष्ट रूप से मिल जाती है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 90 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। इसलिए हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जब तक उनके लिए व्यापक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जाता, उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। श्रीमन्, एक अन्य खेद की बात यह है कि इनके लिए पूरे देश में एक समान अनुसूची नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अगर अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उस आरक्षण के लाभ से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि दूसरे राज्य की अनुसूची में उनकी जाति सम्मिलित नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर, पूर्व बंगाल के लगभग 90 प्रतिशत विस्थापित लोग जोकि अनुसूचित जाति के हैं, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाए गए हैं। लेकिन केन्द्र शासित अण्डमान निकोबार में ऐसी कोई अनुसूची नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में आए इन विस्थापित लोगों को आरक्षण की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।

जब कि मुख्य भूमि से अण्डमान जाने वाले लोग इस सम्बन्ध में सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा उठायी जा रही कठिनाई की ओर दिलता हूं। पूर्वी बंगाल से आए अनेक विस्थापितों को दंडकारण्य में बसाया भी गया है। इनमें भी 90 प्रनिशत लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। परन्तु ऐसी अनेक जातियां और जनजातियां जो वे बंगाल या बंगलादेश (पूर्वी बंगाल) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मानी जाती हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गयीं हैं जिसके परिणामस्वरूप वहां उन्हें इनसे वंचित किया जा रहा है। इस विषमता को शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए।

वर्तमान परिस्थितियों से हम देखते हैं कि सत्ताधारी दल का सही कदम उठाने और इन उपेक्षित उत्पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा सुधारने का इरादा नहीं है। वे शब्दों में उनके प्रति केवल कोरी सहानुभूति ही दिखाता है। क्योंकि आज सत्ताधारी दल केवल शोषण करने वाले वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए और उन्हें आरक्षण आदि का लाभ पहुंचाने के लिए हम निश्चय ही अपना आन्दोलन जारी रखेंगे।

लेकिन एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के ढांचे और इसकी रचना में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। हम जानते हैं और विश्व के इतिहास से भी यह साबित हो जाता है कि श्रमजीवी वर्गों के नेतृत्व में लोकतांत्रिक जनआन्दोलन चलाकर शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को बदला जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी श्रमजीवी, शोषित वर्गों की जनता के सामूहिक आन्दोलन से हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। श्रीमन्, इस आशा के साथ मैं एक बार पुनः श्री सूरज भान के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सूरज भान ने अपने विधेयक में आरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा जाहिर की है, ताकि संविधान के अन्तर्गत जो पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, वे उन्हें पर्याप्त संख्या में मिल सकें।

श्रीमन्, आरम्भ में मैं माननीय सदस्य को उनके द्वारा यह विधेयक पेश करने के लिए और सरकार, और सभा का ध्यान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में आने वाली त्रुटियों और कमियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यह विधेयक इस आशंका के साथ पेश किया गया है कि संविधान में उन्हें जो गारन्टी दी गई है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कार्यान्वयन तंत्र में कई एक कमियों और मुश्किलों का जिक्र किया है जिसके परिणामस्वरूप संविधान में जो भी गारन्टी दी गई है वह पूरी नहीं हो रही है।

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अगले मुद्दे पर चर्चा करूं, मैं भारत सरकार द्वारा 1980-85 में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नियुक्त किए गए कार्यकारी दल की रिपोर्ट से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं :—

"वास्तव में वे (अनुसूचित जाति के लोग) एक ऐसे कुचक्र में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें जीवित रहने के लिए अपने शोषणकर्ताओं पर निर्भर करना पड़ता है और अधिकांश रूप से स्वतन्त्रत रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करने की क्षमता का विकास करने के अवसरों से वंचित किया जाता है।"

भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल की यह रिपोर्ट है। उन्होंने इन लोगों के विकास और उन्हें अन्य समुदायों के बराबर लाने के लिए कई एक उपयुक्त सुझाव दिए हैं।

इससे पता चलता है कि सरकार ने जो कुछ भी उपाय किए, उनका वांछित परिणाम नहीं निकला है। यह सच है। इसीलिए उन्होंने इसका जिक्र किया है। वास्तव में सरकार ने भी यह महसूस किया है। इसीलिए उन्होंने इस दल को नियुक्त किया, जिसने कई एक सिफारिशें की थी। मेरे विचार में मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि विभिन्न नीतियों—विशेषकर कार्मिक नीतियों—जिनका कि इस रिपोर्ट में जिक्र है—के कार्यान्वयन में कहां तक प्रगति हुई है। अनुसूचित जातियों के लोगों के दिमाग में यह अशंका है कि जो योजनाएं उनके हित के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अमल में नहीं लाया जा रहा है और उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। हमें उनकी यह आशंका दूर करनी चाहिए।

अब मैं भारत के महालेखा परीक्षक की वर्ष 1981-82 की रिपोर्ट से कुछ वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। लेकिन इन सुविधाओं का वहां तक उपयोग किया जाता है? प्रश्न यह है। भारत के निर्यातक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय ने इस रिपोर्ट को देखा होगा। उन्होंने अपनी सिफारिशों के सारांश में कहा है कि :—

"708 मामलों में 5.56 लाख रु० की राशि की छात्रवृत्तियां जाति/आय प्रमाण-पत्र

दिए बिना दी गईं। 50.64 लाख रु० की राशि की छात्रवृत्तियां ऐसे निवासियों के लिए दी गईं जो अनुसूचित जातियों के नहीं थे अथवा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए दी गई जो योजना के अधीन नहीं आते थे।"

इस तरह से आप देखेंगे कि उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है और यह बात रिपोर्ट में कही गई है। इसमें आगे कहा गया है :—

"ऊंची दरों पर छात्रवृत्तियां छात्रावासों के 3025 छात्रों को दी गई जिसके परिणाम-स्वरूप 8.36 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ। छात्रवृत्तियां देर से दी गईं। नियत तिथि से विलम्ब सामान्यत: 3 से 21 महीनों के बीच का था।"

इसी प्रकार कई एक बातों का इसमें जिक्र किया गया है। मैं सारी बातों का यहां जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रिपोर्टें पहले ही सरकार के पास हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमें बताएं कि यह सब कैसे हुआ। यह स्थिति केवल केन्द्र में ही नहीं है, बल्कि राज्यों में भी है। मेरे राज्य उड़ीसा में भी यही स्थिति है। पहले सभी छात्राओं, को खासकर जो मिडिल इंगलिश स्कूलों और हाई स्कूलों में पढ़ रही थीं छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के बराबर छात्रवृत्तियां मिलती थी, क्योंकि मिडिल इंगिलश स्कूलों में छात्रावास नहीं होते हैं।

इसीलिए सरकार ने यह नीति बनाई कि प्रत्येक छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाए यानि कि प्रत्येक छात्रा को छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के बराबर छात्रवृत्तियां दी जाएं।

4.00 म० प०

हाल ही में राज्य सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे हाई स्कूलों और मिडिल इंगलिश स्कूलों में भी छात्राओं के लिए छात्रवास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के मामलों को रोकने के लिए, एक नीति के रूप में यह निश्चय किया गया है कि छात्राओं को प्रोत्साहन और छात्रवृत्तियां दी जाएं। अब यह प्रथा क्यों बन्द कर दी गई है? वे उन्हें छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते। इस मामले में बालिका छात्राओं को भी छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के समान समझा जाना चाहिए।

इसी प्रकार, ऐसे भी मामले हैं जहां पद आरक्षण के अनुसार नहीं भरे गए हैं। इसलिए, मेरे मित्र ने यह विधेयक लाकर एक अच्छा कार्य किया है। कई एक माननीय मित्रों ने कहा है कि कई एक राज्यों ने ऐसे विधान बनाए हैं—जिनके अनुसार संविधान के अनुसार इन लोगों को आरक्षण और उचित प्रतिविधित्व दिया जाए। अगर बेमन से इस प्रकार से कोशिश की गई तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। इधर बैठे मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है कि यह आरक्षण हमेशा के लिए नहीं चल सकता और किसी-न-किसी समय इसे समाप्त करना ही होगा।

माननीय सदस्य ने इस महत्वपूर्ण मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के

लिए सही रूप में ही यह विधेयक पेश किया है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संविधान के अन्तर्गत जो कुछ भी इन लोगों का हक है, वे इन्हें मिलें और समय-समय पर बनाई गई विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू किया जाए।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण का प्रश्न है, वह अभी तक ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। समानता, एकता, भाईचारा और समान न्याय की संविधान में व्यवस्था है। महात्मा गांधी जी और नेहरू जी का हरिजन तथा आदिवासियों के लिए बहुत विशाल हृदय था। अगर पिछले 37 वर्षों का सिंहावलोकन किया जाए तो बहुत वेदना होती है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जो महात्मा गांधी, विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती और अम्बेडकर चाहते थे। दलित और पीड़ित मानव को समाज के समान स्तर पर लाने की जो हमारी कल्पना है और उसके अनुसार जो संविधान में व्यवस्था है, वह केवल किताब में ही रह गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : उनकी कल्पना थी और हम लोग कार्यान्वियन कर रहे हैं।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : कार्यान्वियन और कार्य-कलापों के बारे में तो आंकड़े बोल रहे हैं। उन आंकड़ों के आइने में आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है कि संविधान को कितना नजर-अन्दाज किया है। उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने में हम लोगों ने बेईसानी की है। इसके लिए दूसरा शब्द नहीं हो सकता। यदि आप काम अच्छा करेंगे तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने अपने यहां शैड्यूल्ड कास्टस के लिए 15 परसेंट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए साढ़े सात परसेंट का रिजर्वेशन बनाया है, दोनों को मिलाकर साढ़े बाईस परसेंट पूरे समाज में इनका भाग वन जाता है, जो कि लगभग एक चौथाई है, जिसको हम दलित और पीड़ित कहते हैं, यदि समाज के साथ-साथ आगे बढ़ने की उनमें क्षमता नहीं आती है, उनको ऊपर बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ। वैसे हमारा देश एक प्रजातंत्र है, गणतंत्र है और लोकतंत्र भी हम इसको कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि डैमोक्रेसी की डैफिनीशन क्या है—यह एक ऐसी सरकार है जिसमें सबका हिस्सा है। जब हर व्यक्ति का एक समान हिस्सा है तो इतने दिनों से रिजर्वेशन रहने के बावजूद यदि सैंट्रल सर्विसेज में देखा जाए तो शैड्यूल्ड कास्टस के लिए क्लास वन में 5 परसेंट, क्यास टू में 7 परसेंट और क्लास थ्री में 13 परसेंट तक यह पहुंचा है। इसी तरह से आदिवासियों का प्रतिशत जहां क्लास वन और टू में शून्य है, क्लास थ्री और फोर में दो या तीन प्रतिशत है तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या को हम समाज के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसको हम संविधान में प्रदत्त समानता और एकता की भावना के अनुरूप दूसरों के बराबर ला सकते हैं। क्या हमारे संविधान की भावना सिर्फ भावना बन कर ही रह जाएगी या उसको अमली जमा भी पहनाया जाएगा। इसलिए हमारे जितने कानून इस सम्बन्ध में बने हैं, उनको अधिनियमित कर दिया जाए और अधिनियमित करके समाज के इस दुर्बल अंग को मजबूत

बनाए जाए। जिस तरह हमारे शरीर की किसी उंगली में घाव हो जाता है तो उसकी हम मरहम पट्टी करते हैं, डाक्टर को दिखाते हैं ताकि उसकी प्रौपर व्यवस्था हो सके, क्योंकि उसके कारण सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है। उसी तरह समाज के इन हरिजन, आदिवासी और दुर्बल वर्ग के लोगों के साथ आज तक जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि हमने उनके साथ संवेदना नहीं रखी और इसी कारण आज उनकी परसेंटेज बिल्कुल नगण्य है और नजरअन्दाज करने लायक है। यही कारण है कि हमें जगह-जगह से हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार और सामूहिक हत्या के समाचार सुनने को मिलते हैं। बिहार में हर स्थान पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उसका कारण यही है कि उनको समाज में दूसरों के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं, उनमें छूआछूत की भावना विद्यमान है और यहां तक कि उनको अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हम लोग जानबूझ करके उनकी उपेक्षा करते हैं। इसी कारण यह परिस्थिति पैदा हुई है। यदि गरीब लोगों की तरफ बड़े लोगों का इंटरैस्ट पैदा हो जाए तो उसका मतलब होगा—जिस तरह एरिस्टोटल सिद्धांत में कहा गया है—दुर्बल वर्ग के हित ही सबल वर्ग के हित होने चाहिए। यदि हम इसी तरह चलते रहेंगे तो देश भर में दुर्बल वर्ग कभी ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमने इनके लिए जो प्रावधान किए हैं, उनको अधिनियमित किया जाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 1981 में राष्ट्रीय परिषद, कोचिन में ऐसा प्रस्ताव पारित किया था कि इसको अधिनियमित किया जाना चाहिए। हमारा वह रिजौल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ था। लेकिन आप लोग तो पावर में हैं, बैठा जी, सिन्हा साहब, आप कानून पास करवाईए। यूं तो हर मामले में एक ही फार्मूला लगाया जा सकता है—भोजनम्, भाषणम् और उद्घाटनम्—यानी जमीन पर कुछ नहीं, सब कुछ केवल भाषणम् ही भाषणम् चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सत्ता में हो, कुर्सी पर हो, सबसे पहले वह भारतीय है, चाहे हम लोग हों या आप हों, पहले हम सब भारतवासी हैं और इसीलिए संविधान की भावना को लागू करने का दायित्व आपके कंधों पर आ जाता है। मेरा निवेदन यह है कि आप इसको अधिनियमित कीजिए ताकि उनके अधिकार कानूनन उनको मिल सकें, उनको अमली जामा पहनाया जा सके और इन समाज के उपेक्षित, दलित, पीड़ित, औप्रैस्ड, शोषित जितनी भी तरह के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। ताकि इस तरह की समस्याएं जो बार-बार आती रहती हैं और हमारा समाज दुर्बल हो रहा है, उसका अवसर न मिले। भारत एक ऐसा देश है, जहां इस तरह की परिस्थितियां हैं। विदेशों में कहीं पर भी देखिए समाज का देश का जो रेस होता है, उसमें नागरिकों की समान भावना होती हैं। भारत में हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा, बैकवर्ड, फारवर्ड आदि इस प्रकार की बहुत सी कैन्सरस डिजीज पैदा हो गई हैं। जानबूझकर एक वर्ग पैदा किया गया है। असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए इसको बनाया जा रहा है। यह इस तरह की बीमारी है जो सारे देश में लाइलाज हो गई है। हरिजन की बात तो अलग, बैकवर्ड और फार्वर्ड की बात सारे देश में चल रही और यह भयंकर रूप ले रही है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सब का नेतृत्व आप कर रहे हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : नेतृत्व हम कर रहे हैं, लेकिन फायदा आप उठा रहे हैं। आप

निर्मात्री हैं, जन्मदात्री हैं, इन सब चीजें को आप पैदा कर रही हैं। यह सब हिमालयन ब्लन्डर है ।

हम एक देश में रहते हुए भी कहेंगे कि यह साउथ है, खालिस्तान अलग देश हो गया। हर जगह अगल-अलग की भावना क्यों पैदा हो गई ? यह तो बुनियादी गलती हमारे नेताओं ने की है। एक दूसरे को आज देखना नहीं चाहता ।

हम बराबर नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल की मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन इसका क्या होगा जब कि बीमारी इस कदर है, सच्चाई नहीं है। इन सब भवानाओं के भीतर जाकर इसमें ईमानदारी लानी होगी ।

हरिजन और आदिवासियों को अगर सचुमुच में समाज के साथ लाना है तो आपने जो अधिकार उसको दिया है वह और देना होगा नहीं तो आज हजारों लाखों की तादाद में हरिजन धर्मान्तिरण करके मुसलमान और ईसाई बन रहे हैं। जहां उनको सुविधाएं मिलती हैं, जहां उनको समानता का अवसर मिलता है, वह उस धर्म में चले जाते हैं। आप उनको संकट की ओर भेज रहे हैं, उससे देश के भीतर लड़ाई पैदा हो रही है। हमारी कमजोरी के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमें सही बराबरी की राष्ट्रीयता की भावना से सबको ऊपर उठाना चाहिए ।

हरिजनों में भी कुछ ऐसे हैं जिनको आई० ए० एस० तक रिजर्वेशन का कोटा मिलता है। मैरा सुझाव है कि हरिजन में अगर एक आई० ए० एस० हो जाए तो उसे बैकवर्ड क्लास में भेज दें तब वह फिर आगे बढ़ सकेगा। आपके यहां डी-लिस्ट सिस्टम भी होना चाहिए। एक बार अगर कुछ बात हो जाए तो हरिजन कहां जाए। उसको बैकवर्ड कर दीजिए। इस क्लास की कोई जाति नहीं है। इसके लिए जरूरी होगा कि आप एक लिस्ट बनाइए और जब उसमें उसका काम हो जाए तो वह दूसरी ओर चला जाए। जो आई० ए० एस० हरिजन हो जाए वह आगे बढ़े। जो हरिजन आज लाखों की संख्या में पड़े हैं, उनके लिए आमदनी का स्रोत हमें देना होगा। हर हरिजन फैमिली में एक को गारन्टी के साथ सर्विस दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अनुसार हम यह कार्य नहीं कर सकते । मैं नहीं जानता कि क्या श्री सूरज भान इससे सहमत हैं ?

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही दल के दो सदस्यों में मतभेद हैं।

श्री सूरज भान : दल का निर्णय दिया गया है । इसके लिए संकल्प है। यह एग्री नहीं करेंगे, मैं बता दूंगा कि क्यों एग्री नहीं करते ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं अपने विचार रख रहा हूं कि कोडीफायी करें, मैं उसका समर्थन

करता हूं। जब आपने उड़ीसा, वैस्ट बंगाल और मणिपुर गवर्नमेंट ने हरिजन आदिवासी की संस्था को कोडीफाई कर दिया, तो सारे देश में क्यों नहीं कर सकते ? अगर हमारे दिल में ईमानदारी है, तो हम यह काम क्यों नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिए किसी उन्नत वर्ग में कोई व्यक्ति आई० ए० एस० अधिकारी बन जाता है। क्या वह इस बात से सहमत होगा कि उनके अपने ही परिवार को आई० ए० एस० अधिकारी बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए ? केवल एक ही मामले में ऐसा क्यों है ? आपको भी उस पर सहमति देनी होगी। यदि आप उससे सहमत हैं, तो ठीक है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जो हायर कास्ट के हैं, वे मेरिट के आधार पर आएंगे। लेकिन अगर कोई रिजर्वेशन के आधार पर, सरकारी मदद से, क्लास वन या गजेटिड पोस्ट या आई० ए० एस० में आता है; तो उसको डीलिस्ट कर देना चाहिए। उसके परिवार के अन्य लोग रिजर्वेशन के आधार पर न आ सकें, मैरिट के आधार पर आएं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो अनन्तकाल तक रिजर्वेशन चलेगा। जहां तक बैकवर्ड क्लासिज का सम्बन्ध है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आए चार बरस हो गए हैं, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर यहां पर रोज हल्ला होता है। सब लोगों को उनकी संख्या के अनुसार अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है कि फार्वर्ड क्लास के लोगों के लिए उनकी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन कर दिया जाए। इससे किसी का हक नहीं मारा जाएगा। यह समस्या बहुत विकट हो रही है। इसलिए इस बारे में सरकार को पहल करनी चाहिए।

मुझे इस बात का दुख है कि मध्य प्रदेश गवर्नर,** और जम्मू-काश्मीर के गवर्नर,** ने नवम्बर, 1983 में गवर्नर के पद पर रहते हुए हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन का डट कर विरोध किया। लोग ऐसे पदों पर आसीन रहते हुए ऐसी तुच्छ भावना से कार्य करें, वह बहुत निन्दनीय है।

एक श्वेतपत्र, व्हाइट पेपर, पब्लिश करना चाहिए कि संविधान के अनुसार इस देश में हरिजनों और आदिवासियों को क्या मिलना चाहिए और उन्हें क्या दिया गया है। इससे वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी कि सरकार ने कांस्टीट्यूशन में दिए गए रिजर्वेशन के प्रावधान का कितना क्रियान्वयन किया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य की भावना का समर्थन करता हूं।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री सूरज भान, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के साथ रिजर्वेशन के बारे में हो रहे अन्याय को मिटाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य का धन्यवाद

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं। रिजर्वेशन चार जगह होता है : राजनैतिक, शिक्षा में, सर्विसिज में और रोजी-रोटी के लिए। आजादी के 36 सालों के बाद हम रिजर्वेशन नहीं चाहते। हमें उससे कोई फायदा नहीं है। वह हमें इसलिए दिया गया है कि लोग कुत्ते और बिल्ली को गोद में लेकर घूमते हैं, लेकिन इंसानों को कमरे की बात तो छोड़िए, कुएं और तालाब पर नहीं जाने देते, उन्हें खटिया पर बैठने नहीं देते। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को आगे लाने के लिए उन्हें कानून के द्वारा रिजर्वेशन का जो अधिकार मिला है, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं।

गुजरात में 1981 में एन्टी-रिजर्वेशन आंदोलन चला, जिसमें 42 आदमियों की मृत्यु हुई और दलितों का तीन करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ। महात्मा गांधी ने 1935 में यह काम शुरू किया था। वहां पर दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि हमने पचास साल तक जो प्रगति की थी, हम उससे सौ साल पीछे हट गए हैं। यह छुआछूत की दीवार हर जगह गांव-गांव में, दफ्तरों में, दुकानों में आगे बढ़ रही है। और राजनीति में भी एक नया दौर आ रहा है। हमारे यहां गुजरात में मोची जाति के लोग शेड्यूल्ड कास्ट नहीं हैं, अनटचेबल्स नहीं हैं क्योंकि वे तो ब्राह्मण, बनिया, राजपूतों की बस्ती में रहने वाले हैं और वे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से छुआछूत रखते हैं, वे उनके यहां पानी तक नहीं पीते हैं तथा वे बिजनेस में लगे हुए हैं फिर भी उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया है। वे गांव पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायतों में टिकट ले रहे हैं। इस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्टों में भी फर्क डालने को कोशिश की जा रही है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गुजरात में पिछले साल मेडिकल शिक्षा में 11 सीटें रिजर्व कोटे के लिए रखी गई थी जिनमें से सीटें मोचियों को ही दे दी गई और इस प्रकार से 35 लाख की हरिजन आबादी के लिए केवल 2 सीटें ही रह गयीं। इस प्रकार का जो अन्याय होता है वह नहीं होना चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री जी तो गरीबों को ऊपर उठाना चाहती हैं लेकिन उनके साथ इस प्रकार से अन्याय किया जाता है और छुआछूत की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

इसी तरह से मैं आपके द्वारा इस बात की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गुजरात में शिक्षा के सम्बन्ध में यह नया कानून बना है कि पहले तथा दूसरे बच्चे को ही स्कालरशिप और फ्रीशिप दी जाएंगी, अन्य बच्चों को नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि तीसरे और चौथे बच्चे ने क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको स्कालरशिप/फ्रीशिप नहीं दी जाएगी? शेड्यूल्ड कास्ट होने के नाते जो सुविधा उन बच्चों को मिलनी चाहिए उससे भी उनको वंचित किया जा रहा है। गुजरात में ऐसा नियम बनाया गया है जिसके द्वारा बच्चों के अन्दर भी भेद-भाव की नीति बरती जा रही है। केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि गुजरात सरकार से कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार का नियम उचित नहीं है।

इसी प्रकार से आप देखें कि अगर पटवारी या शिक्षकों की भर्ती करनी होती है, मान लीजिए 200 जगहें हैं तो सात परसेन्ट हरिजनों के लिए 14 स्थानों की लिस्ट अलग से बनाई

जाएगी। हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशन्स आती हैं लेकिन फिर भी 14 लड़कों को ही लिया जाता है—यह सही नहीं है। देश में हरिजन आदिवासियों की 35-40 परसेन्ट आबादी है। मेरा निवेदन यह होगा कि 60 परसेन्ट जो बड़ी जातियों के लोग हैं उनके लिए आप उसी अनुपात में जगहें रिजर्व करके दे दीजिए और शेष जगहों को दूसरों के लिए ओपेन छोड़ दीजिए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

इसी प्रकार से यहां दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब के पार्लियामेंट मेम्बरों के लिए डी०डी०ए० द्वारा फ्लैट्स बनाकर देने की व्यवस्था है और इसके लिए कई ऐसे मेम्बरों ने एप्लीकेशन्स भी दी हुई हैं लेकिन डी०डी०ए० द्वारा चार सौ पांच सौ मकान बनाकर जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिए गए परन्तु हम लोगों को आजतक कोई जवाब तक नहीं मिला है। मैं समझता हूं नियमों को पालन करने का यह कोई तरीक नहीं है।

अन्त में मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे यहां राठवा कोली जाति को आदिवासी नहीं माना गया है, यह बड़ा अन्याय है। राठवा कोली को आदिवासियों में शामिल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-2 हजार के जो ऋण दिए जाते हैं उनके बड़े-बड़े फंक्शन होते हैं लेकिन इण्डस्ट्री वालों को 25 परसेण्ट सब्सीडी के रूप में लाखों रुपए दे दिए जाते हैं जो कोई नहीं जान पाता। बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजनों और आदिवासियों को बहुत बड़ा फंक्शन करके दो-चार हजार रुपए दिए जाते हैं, अखबारों में बहुत बड़ी-बड़ी खबरें छपती हैं, लेकिन इससे फायदा बड़े लोगों को होता है। मेरी दृष्टि में यह तरीका भी अच्छा नहीं है। जहां तक सर्विसिज में प्रोमाशन का ताल्लुक है, प्रोमोशन में टाइम की सीमा को नहीं देखना चाहिए, ऐसे ही उनको प्रोमेशन दे देना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले आफिसर जातिवाद के आधार पर कुछ रिमार्क्स इस प्रकार के लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोमोशन नहीं हो पाता है।

माननीय सदस्य, श्री सूरज भान, जो बिल लाए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उपाध्यक्ष महोदय आप को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में चन्द बातें श्री सूरज भान द्वारा प्रस्तुत बिल के समर्थन में कहना चाहता हूं। मैं आंकड़ों के हेरफेर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि आंकड़े सदन में बहुत से लोगों ने सदन में पेश किए हैं। सरकार भी यह मानती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन में जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सर्विसिज में नौकरी पाकर रोजी हासिल करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए इस बिल का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब कि सरकारी सर्विसिज के साथ-साथ पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाए। जब मैं प्राइवेट सैक्टर की बात करता हूं, तो मेरा मतलब पड़े प्राइवेट सैक्टर से है. प्राइवेट सैक्टर अपने तौर से कोई सर्विस

नहीं कर रहा है, अपने तौर से कोई इन्डस्ट्री नहीं चला रहा है, इसमें सरकार के जो बैंकिंग सिस्टम हैं, एल० आई० सी० है, इससे जुड़े हैं। उनसे ऋण लेकर ही सरकार के पैसे से प्राइवेट सैक्टर चल रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य, श्री सूरज भान से दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को यदि वे इस बिल में जोड़े तभी इसका मकसद पूरा होगा। जब प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और सरकारी सैक्टर तीनों में रिजर्वेशन को सरकार देखे। इस सम्बन्ध में यदि आगे भी बढ़ा जाए, जैसे लाइसैंस, कान्ट्रैक्टस में भी ऐसी बात की जानी चाहिए, इस तरह का प्रावधान होना चाहिए जिससे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इसमें हिस्सा मिल सके।

अब मैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा 11 मई, 1983 को दी गई डायरेक्टिव के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। यह डायरेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ सभी मंत्रालयों को दी गई है, जिसमें भर्ती के सम्बन्ध में नियम बनाने को कहा गया है। जब भी कोई कमीशन भर्ती के लिए क्लास-3 या दूसरे क्लासेस की बनाया जाए उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा माइनोरिटीज के लोगों का एक-एक सदस्य रखा जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी है या अब तक जो जवाब होम-मिनिस्ट्री की तरफ से सदन की टेबिल पर रखे गए हैं, उनसे पता चलता है कि बहुत कम मिनिस्ट्रीज ने इस पर अमल किया है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव की अवहेलना खुद सरकार कर रही है।

1980 में डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन—हाई पावर्ड पैनल—के नाम से बनाया गया था। शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनारिटीज के लोगों को किस तरह से तरक्की दी जाय, किस तरह से इनको नौकरियां में जगह मिले—इन सब बातों पर विस्तार से गौर करने के लिए और रिकमेण्डेशन देने के लिए यह कमीशन बनाया गया था। साल भर के करीब हुआ इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। पिछले सत्र में जब मैंने इस पर सवाल किया तो मुझे कहा गया कि इसी सत्र में इसकी रिपोर्ट सदन की टेबिल पर रख दी जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है—अभी तक यह रिपोर्ट सदन की टेबिल पर नहीं रखी गई है। इससे सरकार की नीयत बहुत साफ जाहिर होती है कि सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनारिटीज के लिए ढिंढोरची का काम तो करती है लेकिन जहां अमल का सवाल आता है उसमें पीछे हट जाती है। मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पर सरकार ध्यान दे और अमल करे।

रिजर्वेशन का मजाक किस तरह से उड़ाया जाता है--मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरे यहां फर्टिलाइजर कारपोरेशन में एक रिजर्व्ड जगह निकली—वह जगह उर्दू टीचर की थी। इन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की—उस पोस्ट को रिजर्व्ड कर दिया और यह सोचकर किया कि न शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी आएगा और न वह जगह पूरी होगी। मेरे कहने का मकसद यह है कि इस तरह से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जाती है--इसके लिए जब तक शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेज और माइनारिटीज के लोग लड़ेंगे नहीं, जद्दोजहद नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, यह काम

होने वाला नहीं है । अगर इसमें कामयाब न हुए तो इलैक्शन आने वाले हैं, उसमें इसका जवाब देंगे—ऐसा मैं विश्वास रखता हूं । मैं अभी भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा— सरकार को चाहिए कम से कम अपने किए हुए वायदे को, संविधान में इनके लिए जो प्रावीजन है, उसको पूरा करने की कोशिश करे और श्री सूरजभान जी के बिल को पास करके दिखाए कि वह वाकई सीरियस है । इस सिलसिले में जो एमेंडमेंट श्री डागा की तरफ से मूव किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं । इसलिए विरोध करता हूं कि यह टालने वाली बात है और टालने से अब काम बनने वाला नहीं है ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है मैं उसके बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं । जहां तक इस बिल की स्प्रिट का सवाल है, बहुत अच्छी बात है । इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क को आजाद हुए 35-36 साल हो गए हैं, इस दौरान जो फायदे दूसरी कम्यूनिटीज या क्लासेज ने उठाए हैं, उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनारिटीज के लोग नहीं उठा पाए हैं । उनको ये सहूलियात जरूर मिलनी चाहिए और इसी सिलसिले में आपको मालूम है कि हम जो दूरदराज के पहाड़ी इलाकों, लद्दाख के रहने वाले लोग हैं पिछले कई सालों से इस केटेगरी में और खास तौर से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में शामिल होने के लिए बहुत जद्दोजहद करते आए हैं । केन्द्रीय सरकार ने भी यह मान लिया है कि लद्दाख रीजन के लोगों को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे देंगे बशर्ते कि जम्मू व काश्मीर सरकार आर्टीकिल 342 के तहत जो कान्फ्रेंस लेनी होती है, वह अपनी कान्फ्रेंस दे दे । यह एक लम्बी कहानी है और खसूखी तौर पर सेठी साहब इसको अच्छी तरह से जानते हैं । कभी सेन्टर स्टेट की तरफ केस को फेंक देता है और कभी स्टेट सेन्टर की तरफ फेंक देती है और यह अभी तक पता नहीं लग पाया है कि इसकी क्या फेट होगी । जम्मू व काश्मीर सरकार कहती है कि हमने सेन्टर से इसकी कोई क्लेरीफिकेशन मांगी है लेकिन वह आ नहीं रही है । पालीटीकल लेविल पर वे इसको एक्सप्लायट कर रहे हैं और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इसका क्लेरीफिकेशन दें ताकि जम्मू काश्मीर में हमको भी जो थोड़ा बहुत फायदा इसका मिलता है, वह मिले ।

जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह काम्प्रीहैन्सिव नहीं है और इसमें कई कमियां हैं। इनको एक बिल लाना चाहिए था। मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि काम्प्रीहैंसिव आर्टीकिल 25 जो है, वह मजहबी सिखों के लिए उसमें स्पेशल प्रोविजन है लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज हैं, उनको वे फैसीलिटीज एवेलएबिल नहीं हैं । हमारे प्रीएम्बिल में सेकुलरइज्म की बात कही गई है और हमारे संविधान (Constitution) में हरएक मजहब के लोगों को बराबरी के हकूक हासिल हैं लेकिन अगर कोई हरिजन दूसरा मजहब **अदर देन सिख** अख्तियार कर लेता है, तो वह उन सारी फैसीलिटीज को, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्राप्त हैं, **लूज** कर देता है । वह अपने पेशे को ओवरनाइट बदल नहीं लेता है और वह ओवरनाइट हाई क्लास का नहीं बन जाता है और उसकी एकोनामिकल कंडिशंस भी एक दम ठीक नहीं होती हैं लेकिन अपने कुछ कनविक्शन की वजह से वह अगर मजहब चेन्ज कर लेता है, तो फिर सारी फैसीलिटीज

को खो बैठता है लेकिन अगर वह सिख बन जाए, तो वे फैसीलिटीज वदस्तूर बनी रहती हैं। इस चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि अगर वह मजहब बदल कर दूसरे मजहब में चला जाता है, दूसरी बिरादरी में चला जाता है, तो उसकी फैसीलिटीज वही रहनी चाहिए और उनको उसको खोना नहीं चाहिए।

बाकी जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, हमारे कांटीट्यूशन की आर्टीकिल्स 341 और 342 के तहत और प्रेजीडेंशियल आर्डर, 1950 के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, उनके मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 15 परसेन्ट और साढ़े सात परसेन्ट रिजर्वेशन एवेलएबिल है। हां, अध्यक्ष किसी कानून या एक्ट की शक्ल में वह नहीं है। लेकिन फिर भी फैसिलिटी होने के वावजूद भी वहुत सारी पोस्ट्स फिल-अप नहीं होतीं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो एजूकेशनल है और दूसरी कम्युनिकेशन की कमी की है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ज्यादातर लोग जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं और उनकी मुश्किलात यह है कि उनके यहां कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। यह भी उनकी एक सबसे बड़ी प्राब्लम है। अगर कोई केण्डीडेट तालीमी काबिलियत रखता है और उसको वक्त पर किसी पोस्ट की इत्तिला नहीं मिलती है, या किसी इंटरव्यू का जो टाईम फिक्स है, उसके बाद उसकी उसको इत्तिला मिलती है, कभी-कभी तो यह इत्तिला महीने भर बाद मिलती है, इसकी वजह से उसको जो अपोरचुनिटी मिली है वह भी मिस हो जाती है तो ऐसी हालत के लिए सरकार कोई तरीका निकाले जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब के ऐसे केण्डीडेट्स को यह फेसिलिटी मिलती रहे। जहां तालीमी काबिलियत हो लेकिन कम्युनिकेशन की कमी की वजह से उन लोगों को फायदा नहीं मिलता है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उनको आगे लाने के लिए आपने कुछ फेसिलिटीज दे रखी हैं, लेकिन ऐसी हालत में वे लोग जो फेसिलिटीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको और फेसिलिटीज देने की जरूरत है।

इसके अलावा इस बिल में बहुत सारी अच्छी तजवीजें पेश की गई हैं। मिसाल के तौर पर सेक्शन आठ क्लाज तीन में कहा है कि जो एडहाक एपोइन्टमेंट के बारे में है वह एक अच्छी बात है। इस ओर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। यह ठीक है कि कई बार ऐसा होता है कि सुटेबल केण्डीडेट अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके लिए स्पेशल एडहाक एपोइन्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब भी उन पोस्टों के लिए सुटेबल केण्डीडेट शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मिल जाएं तो उन एडहाक एपोइंटमेंट को डिसकंटीन्यु कर दिया जाना चाहिए और उन पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रखा जाना चाहिए।

4.43 म०प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

इसी तरह से श्री सूरज भान जी ने और जो प्वाइंट हाई-लाईट किए हैं वे अच्छे हैं। इस बिल का जो स्प्रिट है, वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह एक कंप्रीहेंसिव बिल नहीं है। मिनिस्टर साहब इसके बारे में सोचें और सरकार अच्छे ढंग से एक फुलप्रूफ बिल

लाए जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो फेसिलिटीज मिलनी चाहिएं, वे मिलें और उनकी जो मुश्किलात हैं, जिनको कि हाईलाईट किया गया है, वे दूर हों।

इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से यह चाहूंगा कि वे यह बताएं कि क्या उनका इन्टेन्शन बिल लाने का है या नहीं और जो फेसिलिटीज उनको मिलनी चाहिएं वे उनको देनी हैं या नहीं। इसके साथ-साथ जो प्वाएंट मैंने अपनी कांस्टीच्युएन्सी से ताल्लुक रखने वाले रेज किए हैं जो कि लद्दाख के लोगों को शेड्युल्ड ट्राईब का दर्जा देना है, उस सिलसिले में भी कदम उठाने की जरूरत है। इसको पोलिटिकल लेवल पर एक्सप्लोएट किया जा रहा है, हालांकि यह इकोनोमिक मसला है। आपको इसको एक्सप्लोएट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इसके बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाने चाहिएं।

इसके साथ ही मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे टाईम दिया।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है। अतः हमें समय बढ़ाने के लिए विचार करना होगा ? क्यों हम इसका समय एक घण्ठा बढ़ाएंगे ? मैं समझता हूं कि एक घण्टा पर्याप्त होगा। 6 बजे हमें सभा स्थगित करनी है। यदि आप सहमत हों तो हम इसका समय एक घण्ठा और बढ़ा सकते हैं। यदि सम्भव हुआ तो हम इसे समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : जहां तक सम्भव हो संक्षेप में कहने का प्रयत्न करें ताकि हम इसे पूरा कर सकें।

श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, श्री सूरज भान जो बिल लाए हैं, इसकी भावना बहुत अच्छी है और हम सब लोग इस भावना के साथ हैं। मगर उसमें कुछ कमियां भी हैं। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक इसको एक अच्छा बिल नहीं कहा जा सकता।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना के साथ इन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है, उसके साथ पालीटिक्स भी इन्होंने जोड़ दी है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए यह किया गया होता तो निश्चित तरीके से हम इसमें सहायता करते और अपना पूरा सहयोग देते, मगर पालीटिक्स इसमें जोड़ दी गई है।

जब कांग्रेस गवर्नमेंट सन् 1980 में यहां पर आई तो यहां पर सबसे पहला कदम क्या उठाया ? अगर उसके दिमाग में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के प्रति हमदर्दी नहीं होती तो सबसे

पहला बिल 1980 में रिजर्वेशन का पास क्यों किया जाता। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस के दिमाग में इनके प्रति, इनकी उन्नति के लिए कोई बात नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। सबसे पहला बिल यही लाया गया जिसकी वजह से 10 साल के लिए रिजर्वेशन और बढ़ा, जब कि आपने कहा कि डबल कांस्टीट्वेंसी को सिंगल कर दिया। जिससे रिजर्वेशन समाप्त करने पर अग्रसर होना कहा है।

हमारी पार्टी की भावना यह है कि जो दबे हुए, पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। आज से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है तभी से उसकी यही भावना रही है। बराबर हमारा यही प्रयत्न चला आ रहा है। उसी वजह से आज जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सब इन्हीं लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम भी इन्हीं लोगों के लिए चलाया जा रहा है। ये सब प्रयत्न गरीब आदमी और खास तौर से शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को ऊपर उठाने के लिए चलाए जा रहे हैं। बराबर उनकी आर्थिक हालत को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम परिवार के एक आदमी को काम मिल जाए। इससे उनकी रोजी-रोटी ठीक प्रकार से चल सके। यह व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने, इन्दिराजी की सरकार ने की है। इसलिए यह बात कहना कि कांग्रेस के दिलोदिमाग में यह चीज नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को ऊपर उठाया जाए, ऐसा नहीं है।

हम मानते हैं कि अभी भी कुछ कमियां हैं। लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए आप सुझाव दीजिए। हम भी सुझाव दे रहे हैं। कैसे उन कमियों को दूर किया जाए ताकि उनको वाजिब हक मिल सके। इस प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सर्विसेज में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सर्विसेज में इनको पूरा स्थान दिया जाना चाहिए। फोर्थ क्लास के लिए जैसा बताया गया कि 20-25 हजार पदों को अनरिजर्व्ड कर दिया गया है। अगर इस तरह की बात है तो होम मिनिस्टर साहब को अवश्य इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का कोई भी आदमी जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए। फर्स्ट, सैकण्ड या थर्ड ग्रेड में जहां एवेलेबिलिटी नहीं है और जो पापुलेशन के आधार पर परसन्टेज दिया कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें अगर कमी है तो हमारी सरकार बराबर कोशिश कर रही है कि उन स्थानों पर बराबर एडजस्टमेंट किया जाए। उनको लगाया जाए ताकि रिजर्वेशन की पूर्ति हो। कानून में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। एक तो सैक्शन-6 में कहा गया है :

जातियों के बीच आरक्षण की अदला-बदली।

जब शेड्यूल्ड कास्ट्स का व्यक्ति न मिले तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बना दिया जाए। इसी प्रकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स का न मिलने पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति को भर्ती कर दिया जाए। इसमें बड़ी कठिनाई है। बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों में भी पैसे वाले लोग हैं। उनमें ऐसी कम्युनिटी है, जो मालदार हैं। हमारे राजस्थान में जैसे मीणा

जाति के लोग हैं। वे जाट, ब्राह्मण और गूजर से भी ऊपर हैं। आई०ए०एस० या आई०पी०एस० में सब यही लोग सिलेक्ट होते हैं। पढ़े-लिखे और सम्पन्न लोग भी हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स की जगह छोड़ दी तो सारे के सारे ये ही बन जाएंगे और गरीब लोग उससे वंचित रह जाएंगे। पांच परसेन्ट की जो कमी रह जाती है उसको आगे के लिए ब्राट फारवर्ड कर दीजिए। तीन साल में कमी पूरी हो सकती है। ऐसी व्यवस्था मत कीजिए जिससे गरीब लोगों को सहूलियत न मिल सके। यह कहा गया है कि रिजर्व्ड सीट्स के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केण्डीडेट्स नहीं मिलते हैं और तीन साल के बाद जनरल कैटेगिरी से फिल-अप करके बाद में कुछ समय के बाद उनको हटा दिया जाए। इससे बहुत बड़ी लोगों को तकलीफ होगी। आज एक आदमी को रिजर्व्ड सीट में से साढ़े बाइस या तेइस परसेन्ट रिजर्वेशन मिलता है। दो-तीन साल बाद जनरल कैटेगिरी से भर दिया, साल भर बाद एवेलेबल हो गए और फिर उन लोगों को निकाल दिया तो इससे कितनी बड़ी परेशानी होती है। जितनी परसेन्ट सीट्स पर एवेलेबिलिटी नहीं है, उनको कैरी-फारवर्ड कर दीजिए। जब भी एवेलेबल हो, उनकी पूर्ति कर दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से निश्चित ही लाभ मिलेगा। सैक्शन-10 में कहा गया है :

> "(3) व्यापक चुनाव न होने पर तथा जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त स्थानों के या तो बराबर हो या, उनसे कम हो तब, यदि वे पदों या सेवाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं रखते हों, तो उन्हें उपयुक्त समझा जाएगा और उन रिक्त स्थानों पर उस सीमा तक उनकी भर्ती की जाएगी।"

उसके बाए प्रोविजों में कहा गया है कि दस परसेन्ट कम करके उसके जरिए से फिल-अप कर दी जाए।

> "....किन्तु विहित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उनके योग्यता क्रम में रखा जाएगा और ऐसे या शेष स्थानों पर पवीक्षा पर भर्ती किया जाएगा..."

जो फेल हो जाते हैं उनको भी आर्डर आफ मेरिट में रखा जाता है। इस प्रकार के प्रावधान से हमारी सर्विस में बड़ा डिटीरियोरेशन हो रहा है। आपने कहा है कि इन्स्टीट्यूशन्स खोलकर, उनको एजुकेट करके उस लेवल पर लाया जाए जिससे एफीशिएंसी में फर्क न आए, यह अच्छा है, लेकिन आपका जो रिजर्वेशन है, उसको कम करने की भावना है। अगर डिटीरियोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो उससे व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। लैस मैरिट वालों को आर्डर आफ मैरिट में रख लिया तो उससे व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसके बजाए मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि आप नए-नए इंस्टीट्यूशन खोलकर उनको एजूकेट कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको एक्जाम्स के लिए तैयार कीजिए, उनको स्कालरशिप दीजिए ताकि वे लोग उस काडर में आ सकें और पास होकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की एफीसीएंसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

इसके बाद मैं कुछ निवेदन प्रोमोशन्स के बारे में करना चाहता हूं जो कि सीनियरटी और मैरिट के आधार पर होते हैं। सारे प्रोमोशन्स सीनियरिटी और मैरिट के आधार पर ही हों शेड्यूल्ड कास्टस के लिए अलग सीनियरटी हो और जनरल कैटगरीज की अलग सीनियरटी हो। मगर जहां सलैक्शन का मामला आए, जहां मैरिट के आधार पर सलैक्शन किया जाता है, उसमें किस तरीके से प्रोपोरशन रखा जाए ताकि प्रोमोशन में सभी को चांस मिल सके, वह कंसीडर करने की आवश्यकता है। जहां मैरिट का प्रश्न हो, वहां मैरिट के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे जनरल मामले में हो या शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में हो। यदि इसमें कोई गड़बड़ होती है तो वह ठीक नहीं होगी। इसके बाद आपने एक सुझाव यह दिया कि स्टैन्डिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी चेयरमैन हमारी प्रधानमंत्री महोदया हों होम मिनिस्टर साहब तथा एक-दो पार्लियामेंट के मैम्बर उसके सदस्य हों। वैसे यह सबजैक्ट तो पहले ही हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास है, वे उसको पहले से ही देखते हैं और उनकी निगरानी में सारा कामकाज चलता है। इसलिए इस कमेटी को बनाने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर मोहदया भी इतनी ज्यादा पहले से ही बिजी हैं कि उनको आपकी इस कमेटी के लिए समय ही नहीं है और उनके समय न मिलने की वजह से यह कमेटी एक तरह से डिफंक्ट सी हो जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें उसके बदले कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो बराबर काम करती रहे और बराबर चलती रहे। ताकि उसका फायदा कुछ मिल सके, वह केवल नाम के लिए न हो। इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गफलत करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में इसमें 15 दिन की सजा और 500 रु० का जुर्माना देने की सजा रखी है जो मैं समझता हूं बहुत कम है। जो अधिकारी कायदे कानून के विपरीत जाकर काम करे, हमारे कांसटीट्यूशन ने जिसको वैलिडिटी दी हुई है, यदि उसके खिलाफ कोई आदमी काम करता है तो उसको निश्चित रूप से सख्त-से-सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह पन्द्रह दिन की सजा और 500 रु० जुर्माना तो बहुत मामूली है। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसको आगे के लिए शिक्षा मिले और दोबारा वैसा करने से वह हिचकिचाए। कानून के खिलाफ वह काम न करे। बराबर कानून का पालन करे। ताकि शेड्यूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किसी तरह की तकलीफ न हो। ऐसी व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। उस को कम से कम 20 साल की सजा या उम्र कैद होनी चाहिए। इस प्रकार की उसको सजा दीजिए ताकि आगे के लिए इबारत हो सके।

आखिर में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कई भाईयों ने यहां पर मण्डल कमीशन की चर्चा की है कि सरकार उसकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। हमारे यहां शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोगों में लगभग ?5 प्रतिशत पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको तो रिजर्वेशन मिलना वाजिब है और जरूर मिलना चाहिए मगर मगर कुछ दूसरे लोग जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, हमसे भी ज्यादा आगे हैं। कई जाट, गूजर, अहीर, यदि देखा जाए तो ब्राह्मण, महाजन या राजपूतों के मुकाबले काफी ऊपर हैं। यदि हमने उनको रिजर्वेशन दे दिया तो दूसरों को कहां छोड़ेंगे।

इसलिए रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए । क्योंकि हमारे यहां बहुत से ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, कई राजपूती खेती करते हैं और कई बनिए तकड़ी लेकर गांव-गांव घूमते हैं ताकि दो-चार रुपए का अपना सामान बेच सकें । इसलिए रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए । मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में जाति के आधार पर उसको बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की गई है, जिससे जगह-जगह जातिवाद फैलता है । आप यू० पी० और बिहार में जाकर देख लीजिए, कहीं-कहीं तो लोग पोलिंग बूथ्स पर कब्जा कर लेते हैं और हरिजत लोगों को वोट तक नहीं डालने देते । अगर ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिल गई तो सारी सरकारी मशीनरी पर उनका अधिकार हो जाएगा, सारी सर्विसेज पर वे हावी हो जाएंगे और फिर हमारा पता नहीं चलेगा । इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो माइनोरिटीज में गरीब लोग हैं, उनको आगे लाया जा सके । हमारे कई मुस्लिम भाई यहां पर हैं । गांवों में इन माइनोरिटीज के लोगों का हाल आप जाकर देखिए । वह और भी ज्यादा खराब है ।

5.00 बजे म०प०

वैसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिले और दूसरी जातियों में जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, ऐसे लोगों की व्यवस्था न सोचें और जाति के आधार पर लोगों को पनपाने की कोशिश करें तो यह बात ठीक नहीं है ।

हमारे कम्युनिस्टि भाई इसका फायदा उठाना चाहते थे । उन्होंने भी कहा कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो । अगर उसे लागू कर दिया तो तुम्हारा किसी का पता नहीं लगेगा, सब लोग गायब हो जाएंगे । इसलिए आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात मत करिए । आपकी जो थ्योरी है, जो आप विश्वास रखते हैं कि आर्थिक तरीके से जो कमजोर हों, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वह ठीक है । जो लोग बिलो पावर्टी लाइन 48 परसेंट देश लोग में हैं, उनकी आर्थिक हालत सुधरे वह आगे बढ़ें, इस भावना से काम करेंगे तो फायदा होगा ।

इसलिए मेरा सूरजभान जी से निवेदन है कि वह होम मिनिस्टर से निवेदन करें कि इस बारे में कोई नया बिल सरकार लाए और वह अपने बिल को वापिस कर लें तो उपयुक्त होगा ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सदर साहब, मैं बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया । मुझे खुद इस बात का एहसास है कि हाउस के पास टाइम कम है ।

जहां तक सूरजभान जी का ताल्लुक है, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं । उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इस तरफ मुल्क की और कौम की तवज्जह दिलाई कि यह क्या ज्यादती हो रही है ? इस

तरफ ध्यान देना चाहिए। बात यह है कि इनका जितना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक वह सब बातें आए मगर एक बात भूल गए क्योंकि शायद खुद उस तबके से ताल्लुक रखते हैं।

शिड्यूल्ड ट्राइब और खासतौर से शिड्यूल्ड कास्ट इनके साथ मेरा ज्यादा डीलिंग रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। उनमें बहुत मुश्किलात हैं। एक तो पुराने वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं जो इनको दबाए हुए थे। उनसे तो अब इनको छुटकारा मिल रहा है, लेकिन अब नए वेस्टेड इन्टरेस्ट पैदा हो रहे हैं।

मेरी स्टेट में चन्द एक फैमिलीज हैं। वैसे ही नौकरी बेटा करे, नौकरी बाप करे, उसको बेटा नौकरी करे और वह किसी को आने नहीं देते। भगत छज्जू राम जी हमारे यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लीडर थे, उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर, मेरे बच्चे नौकर, मेरी बहू नौकर। मैं समझता हूं कि इन फैसिलिटीज के लिए जो गरीब शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं, उनको तरजीह देनी चाहिए। उसकी पहल होनी चाहिए।

अगर इसका मतलब यह है कि बैकवर्डनैस को दूर करना है, गरीब आदमी को आगे बढ़ाना है तो इसमें गरीब से गरीब को बाकी सब चीजें बराबर होते हुए, उनको तरजीह देनी चाहिए, तरक्की देनी चाहिए। इसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग खराबी करते हैं।

सूरजभान जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने यहां रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक शिड्यूल्ड कास्ट अफसर को रखा। उसने बाकियों से मिलकर इंटरव्यू में बेटे को ज्यादा नम्बर, दिलवाकर, अपनी ही, बिरादरी के शिड्यूल्ड कास्ट कैन्डीडेड, जो फर्स्ट स्टैंड करता था, उसको लास्ट करा दिया और अपने बेटे को ऊपर ले गया। मैंने हाई कोर्ट में एक और एडवोकेट को लगाकर, उसकी बेचारे की मिन्नत कर के 2, ढाई हजार रुपए खर्च करके उसे मैडिकल कालेज में एडमिशन दिलाया। इस किस्म की ज्यादती हो रही है।

जो बातें इसमें कही गई हैं, कहीं-कहीं मैं इत्तिफाक भी करता हूं लेकिन यह ऐसे मसायल हैं जिनका हल होना चाहिए और इनको हमें रोकना चाहिए।

आपने लिखा है कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिदायत जारी कीं, जो रूल बनाए और किसी क़िस्म का आर्डर दिया, वह परसू किया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्डर भी ऐसे हैं, वह भी इसमें कवर होने चाहिएं आर्टिकल 25 में आपको ध्यान देना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इक्तसादी तौर पर पिछड़े हुए शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोग ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मगर इनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारी जितनी आर्गनाइजेशन्स हैं, जितने कमीशन्स बने, जितनी पार्लियामेंट के मैम्बरों की कमेटी बनीं

हैं, वह भी इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। वह भी कहीं-कहीं चक्कर लगाकर छोटी सी रिपोर्ट दे देती हैं और चुप करके घर में बैठ जाती हैं। इसको हम पोलिटिकलाइज ज्यादा कर रहे हैं, और सही मायनों में काम कम कर रहे हैं। इस तरफ सही मानों में ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस काम के लिए श्री सेठी से बेहतर आदमी और नहीं मिलेगा। उन लोगों की जिन्दगी के सब एक्सपेट्स, सोशल, इकानोमिक बगैरह, को सामने रखना चाहिए। नौकरी की लड़ाई तो सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों की है। 90, 95 परसेंट लोग तो पांचवीं या छठी क्लास से आगे नहीं पढ़ सके हैं। उन बेचारों के लिए क्या करना है? अगर वे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो काम नहीं चलेगा। जैसाकि कि अभी आनरेबल मैम्बर ने बताया है, लद्दाख में नए शिड्यूल्ड ट्राइब्ज बनने नहीं देते हैं।

जब रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तो वह जातिवाद है। मैं श्री व्यास से एग्री करता हूं। अंग्रेज ने कहा था कि जिसके पास जमीन है, उसकी हालत सबसे अच्छी होगी, वह सब को दबा सकेगा। आज उसी बात को कुछ हेर-फेर के साथ लाया जा रहा है। बैंकवर्ड कहलाने वाले वही लोग हैं, जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो कि प्राडक्शन में सबसे बड़ा फैक्टर है। अब वे गवर्नमेंट का नौकरी पर भी अपना हक कायम करना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि सबसे से पहले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को आगे लाना चाहिए। इस सबजेक्ट को इन टोटेलिटी स्टडी करके पालिसी तब करनी चाहिए। आज वक्त आ गया है कि इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को उनके अन्दर और बाहर पैदा हुए वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स से बचाना चाहिए।

नौकरी के मामले को जरूर हल करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा इकानोमिक फील्ड में उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बारे में उनकी सहूलियतें मुहैया करनी चाहिए। बहुत सी जगह उनकी सोशल डिसएबिलिटीज काफी हद तक कम हो रही है। उनकी इकानोमिक हालत को बेहतर बनाना चाहिए, जिससे वे इकानोमिकली अपने पांव पर खड़े हो सकें। जहां लैंड रिफार्म्ज कामयाब हुए हैं, वहां छूआछूत कम हुई है और जहां लैंड रिफार्म्ज कामयाब नहीं हुए हैं, वहां छूआछूत भी मौजूद है और बांडिड लेबर भी मौजूद है। इसलिए उनमें इक्तसादी तौर पर जान पैदा करना जरूरी है।

20-सूत्री कार्यक्रम में लोगों को इण्डस्ट्री लगाने के लिए 25,000 रुपए देने की बात कही गई है। हमारी स्टेट में लोगों को पता लगने से पहले ही आपस में मिल-मिला कर, मैनेजरों को रिश्वत देकर, ये रकमें अपने चहेतों में तक्सीम कर दी गई। न शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को रुपया मिला और न बेकार नौजवानों को मिला। गवर्नमेंट के चाहनों वालों के अपने लोग वह पैसा हज्म कर गए।

होम मिनिस्ट्री का काम बहुत बड़ा है। पहले एक शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर होता था। वह कोई खराबी नहीं होने देता था। अब बड़ी कमेटियां और बड़े कमीशन बना दिए गए हैं। इससे फिफ्थ कालम पैदा हो गए हैं। वही आदमी मिल-मिला कर सब सहूलियतें ले लेते हैं। सोशल

वैलफेयर बोर्ड घर बनाने के लिए लोन देता है। चन्द आदमी अपने बेटे, बेटी या दूसरों के नाम पर वह सब ग्रान्ट लेकर खा जाते हैं। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल पाता है। इन कास्ट्स और ट्राइब्ज में इस किस्म के लोग पैदा हो गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स से मिल कर गड़बड़ करते हैं। उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुल्क को मजबूत करना है, तो इन लोगों को आगे लाना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, श्री सूरज भान ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और उनकी जो भावनाएं हैं, मैं मोटे तौर पर उनसे सहमत हूं। संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को आरक्षण का अधिकार दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत उन्हें अधिकार तो प्राप्त है लेकिन उसके अमल में सारी गड़बड़ी होती है। जो उनका कोटा है 15 और साढ़े 7 परसेन्ट का, उसकी पूर्ति नहीं की जाती है। बहाना यह कर दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, जैसे कि इनके अलावा बाकी जातियों के लोग दूध के धोए हुए हैं और यही बेचारे दूध में धोए नहीं जा सके, इसीलिए इनमें योग्यता नहीं है। यह नारा कौन लोग लगाते हैं ? वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो समाज पर कुण्डली मारकर बैठे हुए हैं, वही नारा भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और धरना भी देते हैं। तो उन लोगों की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। योग्य लोग तो सभी जगह हैं। लेकिन यह कहकर कि योग्य नहीं हैं उनकी आप भर्ती भी नहीं करते हैं और उनको प्रमोशन भी नहीं देते हैं। अब जमाना बदल गया है, आजादी के बाद लोग अब समझने लगे हैं और पढ़ने भी लगे हैं और इसीलिए उनमें नौकरी की लालसा भी जागेगी। इसलिए उनको कोटे के मुताबिक नौकरी देनी चाहिए। बहुत जगह तो कोटा पूरा होने के बाद भी लोग बच जाएंगे जिनको आप नौकरी नहीं दे पाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप समझते हैं कि योग्य लोग नहीं हैं तो आप एक स्वेत-पत्र क्यों नहीं जारी करते जिससे कि सारे देश को मालूम हो जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है।

दूसरी बात यह है कि संविधान के मुताबिक आपने रिजर्वेशन तो दे दिया लेकिन इसके पीछे कोई कानूनी संरक्षण नहीं है, जैसा कि मनीपुर, उड़ीसा और बंगाल में है। बंगाल में तो कानून में सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इस बात पर बहस की जा सकती है कि वह सजा कम है या ज्यादा होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए लेकिन यहां पर आपको इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो अधिकारी हैं वह बहानेबाजी करके इन लोगों को इनके अधिकारों से वंचित न कर सकें। यदि करते हैं तो उसके लिए सजा की व्यवस्था होनी चाहिए और उस कानून को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। इस मामले में आपको टाल-मटोल की नीति छोड़नी होगी। पंजाब के मसले पर भी हम लोग कहते हैं कि आप कठोर बनिए, उसी तरह से इस रिजर्वेशन के मामले में भी आपको कठोर बनना होगा।

एक बात और कहना चाहूंगा। रेलवे में एक्सीडेन्ट्स बहुत होते हैं। रेल मंत्रालय ने पता लगाया कि एक्सीडेन्ट करने वालों में कौन लोग हैं तो उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। इससे साबित होता है कि उनकी योग्यता कैसी है और वे

कितने एफीशिएन्ट हैं। उन लोगों की वजह से रेलवे में कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ है, दूसरे लोगों की वजह से ही हुए हैं। अतः आप नहीं कह सकते कि वे योग्य नहीं हैं। इसी प्रकार से जो डि-रिजर्वेशन कर देते हैं उसको भी सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए और वह जगहें उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनका कि रिजर्वेशन है।

इसी प्रकार से इन लोगों को आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ाना होगा, अपने पैरों पर इनको खड़ा करना होगा। देहातों में भूमि सुधार पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हो सकता है आप सभी को नौकरी न दे सकें लेकिन अगर उनके पास जमीन होगी तो उसी में उपज करके अपना काम चला सकेंगे।

मण्डल कमीशन की जहां तक बात है, इसमें भी जो रिजर्वेशन की मांग की जाती है उसका कारण यही है कि कुछ लोग ही तमाम सर्विसेज पर कब्जा जमाए हुए हैं। आज लोगों के अन्दर बराबरी की भावना जग रही है। पिछड़े हुए लोग जब अपना हक मांगते हैं तो ऊंचे वर्ग के लोगों को बुरा लगता है कि उनके लड़के कहां जायेंगे। लेकिन यह एक अलग पहलू है, जब ये लोग अपना हक मांगते हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए। इस के साथ भूमि सुधार की ओर जोर दिया जाना चाहिए। रिजर्वेशन से ही सिर्फ बैकवर्ड क्लास के तमाम लोगों को नौमरी मिल जाएगी, लैंड रिफार्म की तरफ भी आपको चलना पड़ेगा, भूमि सुधार कीजिए। ताकि जो जोतने वाला है, उसको जमीन मिले।

इसके मुताल्लिक मैं आपको बिहार प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। बिहार में जब श्री कर्पूरी ठाकुर, जनता पार्टी, की सरकार थी, तब वहां के तमाम दलों के लोगों ने रिजर्वेशन का एक कानून बनाया। एनैक्चर-I के लिए 12 परसेंट, एनैक्चर-II के लिए 8 परसेंट, किसी भी जाति की महिलाओं के लिए 3 परसेंट और गरीब चाहे किसी भी जाति के हो, ब्राह्मण हो, हरिजन आदिवासी हो, कोई भी हों उनके लिए 3 परसेंट —इस प्रकार यह बड़ा आदर्श कानून था। यदि इस तरह से आप कुछ कर सकें तो हम आपका समर्थन करते हैं। हमारा दल भी उस राय-मशिवरा में शामिल था। इस तरह से जातियता नहीं उभरेगी। जो लोग जातीयता के आधार पर जातिवाद को उभारते हैं, मैं उनका बड़ा विरोधी हूं। जातीयता नहीं उभरनी चाहिए, लेकिन अधिकार मांगना चाहिए। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए गरीबों की हमदर्दी और समर्थन हासिल करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय श्री सूरज भान के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज भी केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे बहुत से संगठन हैं, जहां पर की आरक्षण का

कोटा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ राज्य सरकारों में भी इस प्रकार के बहुत से ऐसे विभाग हैं, जहां पर यही स्थिति है। बार-बार कह दिया जाता है कि योग्य हरिजन उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए कोटे को पूरा नहीं किया गया। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है कि योग्य लोग नहीं मिलते हैं। जब यहां पर जनता पार्टी की सरकार थी, तब उक्त वक्त भी यह सवाल उठा था। उस सवाल का जवाब श्री मोरारजी देसाई साहब दे रहे थे, सवाल भाभा आटोमिक रिसर्च सैन्टर के बारे में था, जिस Aptiude के लोग चाहिए थे, ऐसे लोग नहीं मिले हैं, तो कोटा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो लोग मिलें, उनको प्रशिक्षित किया जाए। उनको भर्ती के योग्य बनाया जाए। ऐसे बहुत से विभाग हो सकते हैं; जहां योग्य लोग तत्काल उपलब्ध न होते हों।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : हरिकेश जी, ऐसे संस्थान हैं, जहां उनको एजूकेशन दी जाती है, उसके अलावा तीन साल तक कोटा आगे चलता रहता है।

श्री हरिकेश बहादुर : इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो कोटा पूरा करने में आसानी होगी। अभी एक राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में एक बात कही थी, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जो बात उन्होंने कही, वह किसी को भी पसन्द नहीं आई, न सत्ता पक्ष के लोगों को और न विरोधी पक्ष के लोगों को। कुछ समय पहले गुजरात में आन्दोलन हुआ, इसी आरक्षण के विरोध में। इस प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ताकि लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हो कि जिनका हजारों सालों तक शोषण हुआ है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं शास्त्री जी के भूमि सुधार को तेज करने के सुझाव का समर्थन करता हूं। इसके जरिए से हम सदियों से दबे हुए लोगों और गरीब लोगों के जीवन में बेहतरी ला सकते हैं, उनको खुशहाल बना सकते हैं।

इतना कहते हुए मैं सूरज भान जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जहां कहीं भी कोटा पूरा नहीं है, उसको पूरा किया जाए।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : सभापति महोदय, मैं श्री सूरज भान तथा अन्य माननीय सदस्यों को, जिन्होंने विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद देता हूं। यह बहुत दिलचस्प बात है कि सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इससे पहले कि मैं श्री सूरज भान द्वारा पेश किए गए विधेयक के मुख्य उपबन्धों पर कुछ कहूं, सभा यह जानना चाहेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने में हम कहां तक सफल रहे हैं। सदन के सदस्यों को दिए गए वार्षिक प्रतिवेदन में जो तथ्य तथा आंकड़े दिए गए हैं वे यह दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा है। सदन को यह जानकारी देना मेरे लिए गर्व की बात होगी कि 1965 मे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 13.17 प्रतिशत था जो 1982 में बढ़कर 16.67% हो गया है। यदि पूर्व संख्या देखें तो

यह 2,98,319 से बढ़कर 5,20,941 तक पहुंच गई है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी विभिन्न वर्गों क, ख, ग और घ में कर्मचारियों की संख्या 50,989 से बढ़कर, 1,49,354 तक पहुंच गई है, इसका प्रतिशत अब 4.78 हो गया है। वर्ग 'घ' पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों का प्रतिनिधित्व बढ़कर क्रमशः 23.4 प्रतिशत और 7.45 प्रतिशत हो गया है। वर्ग 'ग' के मामले में अनुसूचित का प्रतिशत बढ़कर 13.3७ प्रतिशत और वर्ग 'ख' में 9.02% हो गया है। सदन द्वार ओट करने की एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं जैसे—आई०ए०एस०, और आई०पी०एस० में हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित रिक्तियों पर इन्हीं के उम्मीदवारों को नियुक्ति करने में सफल हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इससे सरकार की किसी तरह की उदासीनता या अनिच्छा का पता चलता है, जैसाकि मेरे मित्र सूरजभान ने कहने का प्रयत्न किया है।

मैं स्वीकार करता हूं कि वर्ग 'क' और 'ख' में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जितनी हम चाहते थे। जबकि वर्ग 'ए' की सेवाओं में चयन द्वारा पदोन्नति में संरक्षण उस सेवा के केवल निम्नतम श्रेणी तक है, वर्ग 'ख' में हम रिक्तियों के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नियुक्त करने में सफल नहीं हुए हैं।

हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगा पाए है जहां इन समुदायों के उम्मीदवार आगे नहीं आ रहे हैं और हमने कई कदम उठाए हैं जिनमें उन्हें विशेष प्रशिक्षण दें और अन्य इस तरह के प्रशिक्षण देना शामिल है जिससे इन्हें रोजगार मिल सके। इस सम्बन्ध में 1984-85 में परीक्षा के लिए तैयारी कराने और अन्य सम्बद्ध योजनाओं के लिए बजट में 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

यद्यपि मेरे माननीय मित्र श्री सूरजभान ने इस काम के लिए अपने विधेयक में 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। किन्तु मुझे विश्वास है कि जितनी धनराशि का उन्होंने प्रावधान किया है उससे अधिक का प्रावधान करने के लिए वह हमें श्रेय देंगे। हालांकि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को बढ़ावा देने का दावा नहीं करते किन्तु मैं समझता हूं कि उपलब्धियां इतनी कम भी नहीं कि उन पर खेद व्यक्त किया जाए। यद्यपि सरकार की आरक्षण नीति सरकारी अनुदेशों के माध्मर्भ से लागू की जा रही है किन्तु आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो एक संवैधानकि निकाय है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति जैसी बहुत सी एजेंसियां हैं जो हमारी आरक्षण नीति की निगरानी करती हैं और समय-समय पर इस विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले निदेशों की अवहेलना और उल्लंघन करने पर उचित कार्यवाही करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करती हैं। तद्यपि यह सच है कि हमारे निदेशों में माननीय सदस्य के विधेयक की तरह का कोई भी संवैधानिक संहिता जैसा प्रावधान नहीं किया गया है, किन्तु हमने अनुभव से देखा है कि सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी हिदायतों और आदेशों से हम कम कड़ाई से काम चला सकते हैं जबकि संसद द्वारा पारित किसी विधान से यह सम्भव न हो सकेगा। इस समय जैसाकि

मैंने पहले कहा है पूरी आरक्षण योजना कार्यकारी निदेशों के माध्यम से विनियमित की जा रही है कार्यकारी निदेशों के माध्यम से आरक्षण योजना को विनियमित करने का लाभ यह है कि यह न केवल लचीली हैं बल्कि हम बदलती हुई और आपातस्थितियों में भी शीघ्र कार्यवाही कर सकते हैं और स्थल पर ही निर्णय ले सकते हैं। इसकी बजाय यदि योजना को विधान के माध्यम से लागू किया जाता है तो उस स्थिति में मेरे मित्र मुझे क्षमा नहीं करेंगे जब मैं उस कानून में छोटे से संशोधन के लिए भी सदन के समक्ष नहीं आता हूं। श्री सूरजभान द्वारा पेश किए गए विधेयक भी इतना व्यापक नहीं है जिससे आरक्षण योजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रत्येक स्थिति का सामना किया जा सके रखा गया है। यदि मानलीजिए संसद ऐसा कानून पास कर भी देती है फिर भी हमें नियम, उपनियमों को बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करना पड़ेगा जिन्हें अन्यत: अधिकारियों ने ही लागू करना है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों, उपनियमों का क्रियान्वयन सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यकारी आदेशों और निदेशों से भिन्न होगा। सदन को यह भी मालूम है कि न केवल आरक्षण योजना के सम्बन्ध में बल्कि अधिकतर क्षेत्रों में सरकार कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से ही अपनी गतिविधियां विनियमित करती है यदि सदस्य को इस बात की कोई भी आशंका हो कि इन अनुदेशों की कानूनी शक्ति नहीं होती है तो मैं उनका यह सन्देह दूर करना चाहूंगा क्योंकि। उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने पहले ही निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 1((4) और अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत जारी कार्यकारी अनुदेशों में कानून की ही शक्ति होगी। ऐसी स्थिति में मैं नहीं जानता कि यह विधान पेश करने की क्या आवश्यकता रह जाती है जिससे बजाय मदद के बाधा ही होगी। मेरे माननीय दोस्त श्री सूरजभान चाहते हैं कि उनके विधेयक में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को दण्ड दिया जाए, उसके प्रति न्याय करने के लिए मैं इसे पूरा पढ़ूंगा। अनुच्छेद 20 में कहा गया है :—

> "यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना करके कोई नियुक्ति करता है तो उस पर जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा जो पांच सौ रुपए तक होगा अथवा 15 दिन की साधारण कैद या दोनों दिए जा सकते हैं।"

शायद उन्हें यह जानकारी नहीं कि कुछ मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति, संघलोक सेवा आयोग तथा अन्य बहुत से संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ऐसे प्राधिकारियों के विरुद्ध इस किस्म का दण्ड-प्रावधान किया जा सकता है, केवल कानून शास्त्री ही इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रावधानों से बहुत सी प्रशासनिक तथा अन्य कठिनाईयां और जटिलताएं पेश होंगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं जिनमें मंत्रालयों/विभागों से नियुक्ति प्राधिकारियों को सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अन्य आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता के बारे में कहा जाता है। यह भी हिदायत दी गई है कि भेदभाव के स्पष्ट उदाहरणों और किसी कार्यालय/प्रतिष्ठान में इन आरक्षण आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के मामलों को शीघ्र समुचित

कार्यवाही के लिए उचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। हर मंत्रालय/विभाग में नियुक्त जनसम्पर्क अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और प्रतिनिधित्व पर नजर रखने के उद्देश्य से बनाए गए रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करना होता है। पहले से ही ऐसे सरकारी आदेश हैं कि इन निरीक्षणों के माध्यम से अथवा अन्यथा आरक्षण और अन्य आदेशों के मामलों में की गई अवहेलना अथवा चूक सचिव/अपर सचिव अथवा विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले में दोषी अधिकारी के विरुद्ध सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष के निदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस किस्म का विधान बनाने के लिए विभिन्न रूपों में मांग होती रही है। बहुत से पहलुओं पर विचार करने के बाद और विधान के लाभ और हानि को नजर में रखते हुए सरकार का यह दृढ़ मत है कि आरक्षण नीति को लागू करने के लिए मौजूदा व्यवस्था के स्थान में यह बेहतर उपाय नहीं होगा जो पिछले 37 वर्षों से ठीक तरह से काम कर रही है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना विधेयक वापस लें। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य हमें इस विधेयक का विरोध करने का मौका नहीं देंगे।

जहां तक श्री नामग्याल द्वारा उठाए गए मुद्दे का प्रश्न है, हमने मुख्य मंत्री, श्री फारुख अब्दुल्ला के साथ लद्दाख के बारे में इन मामलों पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई है। श्री डोगरा ने भी इस समस्या पर विचार-विमर्श करने की बात उठाई है ताकि इसे सद्भाव के साथ हल किया जा सके।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं एक या दो प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैं इस विधेयक पर पहले भी बोल चुका हूं। मैंने मंत्री महोदय से यह विशिष्ट रूप से पूछा था कि वे अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या बताएं जो संविधान की अनुसूचि 5 और 6 के अन्तर्गत आते हैं।

हाल ही में हमने देखा कि पंजाब की समस्या से निपटने के लिए दो आध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं। इतने लम्बे समय से इन विशेष आरक्षणों की व्यवस्था होने के बावजूद भी हम इन सेवाओं में इनके लड़कों को भारी संख्या में भर्ती नहीं कर पाए हैं।

सभापति महोदय : स्पष्टीकरण बाद में पूछे जाएंगे, अर्थात् उत्तर के बाद।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जब तक वह जबाव देते हैं ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। हम लोगों ने इस चर्चा में पहले भाग लिया है और मंत्री जी आज उत्तर दे रहे हैं तो वे क्लेरीफिकेशन दें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री सूरज भान द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : विधेयक पर नहीं अपितु माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उठाए गए मुद्दों पर सिर्फ मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : इसके लिए उपयुक्त समय उत्तर के पश्चात् होगा।

श्री राम विलास पासवान : पिछली दफा आपने कहा था कि हम मिनिस्ट्री के अण्डर में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स का डिपार्टमेंट खोलने का मामला अण्डर एक्टिव कंसीड्रेशन है। लेकिन श्री वेंकटसुब्बय्या जी ने हम लोगों से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहां डिविजन आफ वर्क है और हम लोग अलग-अलग अपना-अपना काम देखते हैं। मैं जब आपसे क्लेरीफिकेशन चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट कब तक खुलने जा रहा है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस पर अभी भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर० परमार : स्वीपर्स को आरक्षण में जो गिना जाता है, वह गैर-कानूनी बात है। किसी और समाज में तो स्वीपर होते नहीं।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, इस बिल पर लगभग 26 माननीय सदस्य बोले हैं जिन में आदरणीय सेठी जी भी शामिल हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। अब मैं तीन शेर कहना चाहता हूं। एक सेठी जी के प्रति, उनका जबाव सुनने के बाद मुझे कहना पड़ रहा है कि—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो कतराए खूं न निकला।

दूसरा शेर मैं उन आदरणीय मेम्बरों से कहना चाहता हूं जो कि शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं मगर उन्होंने इस बिल की हिमायत की है। उनमें शास्त्री जी हैं, वृद्धिचन्द्र जी हैं, वर्मा जी हैं। वे बहुत अच्छे शब्दों में इस बिल पर बोले हैं। उनके बारे में मैं एक बात शेर में ही कहना चाहता हूं—

हर जख्म पर रखदी है मोहब्बत ने जुबां आज
सदियों से दबाए हुए गम बोल उठे हैं।।

तीसरा शेर मुझे अपने उन साथियों के बारे में कहना है जो शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित हैं—

पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश
आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी-कभी।।

सभापति महोदय, 1965 में एक वक्त** जो एन्थ्रापालाजिस्ट, गवर्नमेंट आफिसर थे, उन्होंने गोहाटी में एक स्टेटमेंट दिया —

"आरक्षण धोखेबाजी है, इसे खत्म होना चाहिए।"

रिजर्वेशन की मुखालफत की। यह पहली बार गुजरात में नहीं हुआ और उसके बाद कांग्रेस के ही एक आनरेबल मेम्बर श्री डी० बासुमतारी ने हाउस में डिमांड की 1966 में कि एक गवर्नमेंट आफिसर मुखालफत कैसे कर रहा है। इसके खिलाफ-कार्यवाही की जाए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि** के खिलाफ कार्यवाही होने के बजाए उनको कमिश्नर फार शेड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइब्स बना दिया गया जो उनके हितों की रक्षा करेगा। जिस अधिकारी ने रिजर्वेशन की मुखालफत की, हाउस में वह सवाल उठाया गया उसको कमिश्नर फार शेड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइब्स बना दिया गया। क्या ऐसा आदमी कोई नया गुल नहीं खिलाता, यह कैसे उम्मीद की जा सकती थी। 1968 में नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल की मीटिंग श्रीनगर में हुई। ** को कमिश्नर होने के नाते बुलाया गया और कहा गया कि आप कुछ सुझाव दें कि कैसे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को कंट्री की मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। इससे उनको हालत सुधर सके। आपकी हैरानी होगी, उन्होंने दो सुझाव दिए। जुबानी नहीं रिटन सुझाव दिए। उनका पहला सुझाव था कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए और दूसरा सूझाव था कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के बच्चों को दसवीं जमात से आगे पढ़ने नहीं देना चाहिए। ये उनके रिटन सुझाव थे। कुछ लोगों को हैरानी होगी। इन सुझावों को सीक्रेट रखा गया।

(व्यवधान)

उस वक्त डिप्टी कमिश्नर शेड्यूल कास्ट** थे। मैंने उनको टेलीफोन किया। मैंने कहा कि मुझे इत्तिला मिली है, क्या यह ठीक है? उन्होंने कहा नहीं आपकी इत्तिला गलत है। मैंने कहा आप देखिए तो सही। इत्तिफाक की बात है कि उस दिन** छुट्टी पर थे और चाबी** के पास थी। उन्होंने खोलकर दो सायक्लोस्टाइल्ड कापियां मेरे पास भेज दीं। 1969 में 80 मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट्स ने, उसमें सरदार बूटा सिंह जी भी शामिल थे, चौधरी दलबीर सिंह भी शामिल थे, हमने मांग की कि ** जैसे निकम्मे आदमी को बदलो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बजाए इसके कि इस आदमी को हटाया जाता उसको बजाए तीन साल के एक साल और रख दिया गया। इससे आप नतीजा निकाल लीजिए कि सरकार का इरादा क्या हो सकता है।

मैं कुछ और बताना चाहता हूं। **गवर्नर जम्मू-कश्मीर ने हैदराबाद में एक स्टेटमेंट दिया। वहां पर सी० सी० देसाई मेमोरियल लेक्चर स्टाफ कालिज में उन्होंने जो कहा उसका एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं —

"लोक सेवाओं में कतिपय जातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने से निसन्देह ही उनकी क्षमता, योग्यता एवं निष्ठा में कमी हुई है।"

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : असंगत।

श्री सूरज भान : यह छपा है, इसके ऊपर एडीटोरियल छपे हैं। कुछ ने इसके हक में भी लिखा है, कि गवर्नर साहब को एडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा है। उनको सर्विसेस की पूरी वाकफियत है। गवर्नर लिख रहे हैं कि एफीशिएंसी, इन्टेग्रिटी और कम्पीटेंस खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद···**···डॉक्टर्स के कन्वोकेशन में कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के डाक्टर ही कर देंगे। उनका मतलब था, रिजर्वेशन के सहारे जो डाक्टर बनकर आएंगे, वह मरीजों को मारते रहेंगे। एम० बी० बी० एस० के एडमिशन में रिजर्वेशन है। उसके बाद उनको दूसरों के साथ इम्तहान देना पड़ता है। उसमें कोई रियायत नहीं होती और न रियायत मांगते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मार्क्स में भी उनको रिलेक्सेशन है। ···**(व्यवधान)**

श्री सूरज भान : ऐसी इन्स्ट्रक्शन्स दिखा दीजिए।···**(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : योग्यता पर तो ख्याल रखिए। कम मार्क्स पर···**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : खत्म कर दीजिए। कम मार्क्स पास करने के लिए नहीं बल्कि एडमिशन के लिए है। ···**(व्यवधान)** दो लाख रुपए देकर के 25 परसेंट वाले एडमिशन ले लेते हैं। वह बढ़िया हैं और 45 परसेंट वाले खराब हो जाते हैं।···**(व्यवधान)**

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं जानती हूं जिन्दगी में मैंने क्या किया है?···**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आपको तजुर्बे के साथ बोलना चाहिए। आपने कैसे कह दिया कि पास करने में रिलेक्सेशन है? ···**(व्यवधान)**

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : हम लोग बहुत लिबरल हैं और लिबरल होंगे।

श्री सूरज भान : एडमिशन के समय पर रिलेक्सेशन है। यह जो एडमिशन का प्रोसेस है। चयन करने की प्रक्रिया, वास्तव में, निष्कासन की प्रक्रिया बन गई है। बाद में तो उनको सभी के साथ कम्पीट करना पड़ता है। एक और उदाहरण आपको बता देना चाहता हूं।···**··· आइ० आइ० टी० मद्रास के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आने की वजह से एफीशिएंसी बिल्कुल जाती रहेगी। इनको आइ० आइ० टी० में लाना ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने इनको बुलाकर पूछा गया कि ऐसा क्यों कहते हो? क्या गवर्नमेंट कन्डक्ट सर्विस रूल्स लागू नहीं होते? क्या आपके पर्सनल व्यूज हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं लेना चाहिए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात आपको बताना चाहता हूं। उनका एनुअल कन्वोकेशन होता है जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी और शिक्षा मंत्री

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती शीला कौल भी बैठती हैं। उनकी मौजूदगी में वह जो कुछ कहता है, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"मैंने पहले यह कहा है कि हम जो राजनैतिक दबाव से मुक्त हो रहे हैं वही हमारी सफलता का मुख्य कारण है अब यह आदर्श स्थिति को खतरा हो गया है। स्वभावत: हमारे कई आलोचक हैं और उनमें जिन्हें हमें गम्भीरता से लेना चाहिए, अनुसूचित जातियों सम्बन्धी संसदीय समिति के सदस्य हैं।"

यह समिति पर आक्षेप है।

"वे इस बात पर चिंतित हैं कि अधिकांश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में अध्ययन में सक्षम नहीं हैं और कुछ व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि हमारा स्तर काफी ऊंचा है। इस समिति के कुछ सदस्यों ने यहां तक कहा है कि हमें अध्यापन का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं अपितु भारतीय स्तर की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह बताना सुसंगत है कि अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी में अन्तर्राष्ट्रीय विकास गतिविधियों ने जो कार्य किए हैं इन्हें भलीभांति अनुभव नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, चमड़ा, सेनिटरी इंजिनियरिंग आदि कार्य जो पहले अस्पृश्य थे अब सम्मानीय व्यवसाय माने जाते हैं।"

हमारी टैक्नालौजी ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है और इन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के चांस जा रहे हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर बाटा जूते बनाता है और उनका सारा प्रौफेशन उसने छीन लिया है। इत्फाक से अगर कहीं सड़कें साफ करने की मशीन भी इजाद हो गई तो बाल्मिकियों के सारे हक टाटा और बिरला ले जाएंगे -

उसके आगे कहते हैं—

"प्रौद्योगिकी नवीनतम विकास की हमें जानकारी हो अथवा नहीं किन्तु इस प्रश्न के अलावा इस मूल विषय पर विचार करना आवश्यक है कि यदि इने-गिने व्यक्ति शिक्षा स्तर के लिए यदि उपयुक्त नहीं हैं तो क्या उन्हें इस बात का विशेषाधिकार है कि अन्य व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए कहें; क्या सामाजिक न्याय से यह अभिप्राय है कि देश में कोई ऐसा संस्थान न हो जहां योग्यता ही मापदण्ड हो और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों को विशेष अधिकार उपलब्ध हों और मेधावी विद्यार्थियों को कोई अधिकार न मिले।"

उसके आगे एक स्थान पर कहते हैं—

"भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली की आलोचना तो हम समझ सकते हैं किन्तु जिस ढंग से यह अभिव्यक्त की गई है वह चिन्ता का विषय है। अनुसूचित जातियों संबंधी

संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों को धमकी दी, उन्हें अपमानित किया है और उनकी भर्त्सना की है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह छापने योग्य भी नहीं है।"

मैं चाहता हूं कि सारा सदन उसका नोटिस ले क्योंकि यह बिलकुल गलत बात है जो उन्होंने कही है। फिर जो कुछ हम बोलते हैं, वहां रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, उस सारे रिकार्ड को देखा जा सकता है। हमें उसका पता थोड़ा लेट लगा। यह भाषण राष्ट्रपति जी और मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में हुआ है, लेकिन उन्होंने भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जब अखबारों के जरिए हमें पता लगा तो हमने पार्लियामेंटरी कमेटी की तरफ से लिखा कि इस आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहां पर एक शैड्यूल्ड कास्टस से सम्बन्धित लोगों ने एक आर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, उन्होंने भी लैटर लिखा तो उस लैटर का जवाब भी वह बड़ी दिलेरी से देता है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो सैक्रेटरी आफ दैट आरगेनाइजेशन को लिखा गया था––

"पिछले दीक्षान्त समारोह की रिपोर्ट में व्यक्त मेरे विचार की निन्दा करते हुए कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति भेजने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं कि सरकार की नीति की आलोचना करने के लिए मेरे विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाए। चूंकि सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने के लिए मैंने जो प्रयत्न किए थे वह अब तक सफल नहीं हुए हैं, अतः मुझे आशा है कि कम से कम आपको इस काम में सफलता मिलेगी।"

वह तो कहता है कि मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाए, मैं चाहता हूं। लेकिन सरकार उसको केवल डिस्प्लैजर कन्वे किया है। वह चाहता है कि मेरे खिलाफ एक्शन लो। उसके बाद ही तो वह पब्लिक ईश्यू बनेगा। यह स्थिति है। उसके बावजूद भी हमारे मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव आर्डर्स ही काफी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, यदि किसी ने शैड्यूल्ड कास्ट्स या शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित पोस्टस को नहीं भरा तो सरकार की ओर से किसी को ऐसी वार्निंग दी गई। आपने···**···का क्या किया···**···को शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कमिश्नर बनाया, उनको एक साल की एक्सटैंशन दी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ नाम जो यहां लिए गए हैं मैं बाद में कार्यवाही वृत्तान्त से इसकी जांच करूंगा और फिर निश्चित करूंगा कि क्या इन नामों को वहां रहने की आवश्यकता है ?

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप उसके स्थान पर

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल, और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल कर लीजिए। उससे पहले आप उसमें देख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अनुसूचित जाति का अर्थ है वो समुदाय जिन्हें संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बताया गया है।

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम (मयूरम) : अनुसूचित जाति का अर्थ है हरिजन। हरिजन ईसाई तथा हिन्दुओं दोनों ही में हैं। मैं जानना चाहता हूं आप ईसाई धर्म में अथवा हिन्दू-धर्म के अन्तर्गत आते हैं ?...(**व्यवधान**)

श्री सूरज भान : स्वयं मैं अपने विचार दूंगा। यहां तक कि मैं इसी समय देने को तैयार हूं...(**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : श्री सूरज भान, कृपया आप जारी रखिए।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, मेरा बिल आर्टिकल 335 को इम्पलीमैंट करने के लिए है। सीधी सी बात है, इसमें दो राय नहीं हैं।

सरकार ने एक ब्रोचर निकाला है जिसे कुछ लोग लाल किताब कहते हैं। मेरे बिल में कोई चीज नहीं है, जो इस ब्रोचर में नहीं है। हर क्लाज को टच किया है और मैंने उसको बिल में रखा है। मेरे बिल का मतलब यह है कि इसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन होनी चाहिए।

आज अगर कोई किसी आर्डर को वायोलेट करता है तो उसको कोई सजा नहीं। अगर एक्ट बनेगा तो कोर्ट में चेलेंज किया जा सकता है। जो आदमी इम्पलीमैंट नहीं करता, उसको सजा दिलाई जा सकती है। अगर 3 स्टेट इसको बंना सकती हैं; उनका काम क्या उस एग्जीक्यूटिव आर्डर से नहीं चल सकता था ? सैंटर शुड एक्ट एज ए माडल।

आदरणीय होम मिनिस्टर ने जो प्वाइंट उठाए हैं, उनका मैं जबाव दूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज ने लगातार अपनी 6 रिपोर्टस में लिखा है कि रिजर्वेशन को इम्पलीमैंट करने के लिए कानून बनाया जाए। इलिया पेरूमल कमेटी इसी गवर्नमैंट की एक कमेटी थी। उसने रिकमैंड किया है कि एक्ट बनना चाहिए।

पार्लियामैंट कमेटी की फार वैलफेयर आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज ने अपनी दो रिपोर्ट में लिखा है कि इसका एक्ट बनना चाहिए।

होम मिनिस्ट्री ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया, अपने आफिसर लगाए, उन्होंने भी रिकमैंडेशन दी, मैंने उस दिन पढ़कर सुनाया भी था, कि एक्ट बनना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक चीज़

बाद में पता लगी, वह भी बताना चाहता हूं कि सिविल राइट प्रोटैक्शन एक्ट बनाने के लिए पहले उसका नान अनटचेब्लिटी एक्ट था। उसका नाम बदलने के लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जब हुआ तो एक ज्वायन्ट सिलेक्ट कमेटी बनी, उसने एक रिकमैंडेशन दी जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस बिल से सम्बन्धित है। यह 1974 की रिपोर्ट है वह लिखते हैं—

एक्सप्लेनेशन 2, आर्टिकल 10 के साथ जुड़ा है—

स्पष्टीकरण II—निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी सेवा अथवा पद के बारे में कोई नियुक्ति प्राधिकारी—

(क) संघ अथवा राज्य सरकार;

(ख) केन्द्र अथवा राज्य, अथवा दोनों द्वारा नियन्त्रित अथवा उनके स्वामित्व में कोई निगम अथवा उपक्रम;

(ग) किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कोई प्राधिकरण अथवा निकाय;

(घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण।

"जो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने में पदों के आरक्षण से सम्बन्धित उपयुक्त प्राधिकार के आदेशों को लागू करने में लापरवाही करता है वह अपराधी माना जाएगा और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।"

यह रिकमैंडेशन है। अगर यही एडाप्ट हो जाती, तो मेरे इस बिल की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वह हाउस में डिस्कस हुई तो उस वक्त के मिनिस्टर आफ स्टेट इन होम मिनिस्ट्री, श्री ओम मेहता ने जबाव दिया। वे कहते हैं—

"संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों की जांच-पड़ताल करने तथा अनुसूचित जातियों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को प्रभावी बनाने में उपेक्षा दिखाना अपराध माना जाना चाहिए। जहां तक सेवाओं में आरक्षण का सम्बन्ध है, आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को प्रभावी बनाने में हुई चूक अथवा असफलता का अर्थ यह नहीं है कि अस्पृश्यता की प्रथा विद्यमान है या अस्पृश्यता के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की निर्योग्यता लागू है। ऐसे प्रावधान को प्रभावी बनाने में व्यवहारिक रूप से भी कठिनाईयां होंगी।"

यह जायंट कमेटी की रीकमेंडेशन है। जो भी प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज रही हों, इसको नहीं माना गया। अगर इसको माना जाता, तो मुझे यह बिल लाने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने किसी भी रीकमेंडेशन को नहीं माना।

कुछ सदस्यों ने जो एतराज किए हैं, मैं उन सबका जबाव तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ भी जबाव जरूर देना चाहता हूं। श्री नामग्याल ने कहा कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी क्रिस्टियन या मुस्लिम हो गया है···

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम : आप अनुसूचित जाति के हितों के बारे में बोल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा 'अनुसूचित जाति' का अर्थ क्या है?

श्री सूरज भान : यह संविधान में लिखा हुआ है।

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम : ईसाई धर्म से सम्बन्धित हरिजन से, हिन्दू समुदाय के हरिजन की तुलना में, भिन्न तरीके से व्यवहार किया जाता है। एक में वह अनुसूचित जाति का है और दूसरे में नहीं, वह दूसरे में अनुसूचित जाति का नहीं रहता। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं अनुसूचित जाति का कौन है। क्या ये वो व्यक्ति हैं जोकि राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक कमजोरी से पीड़ित हैं?

श्री सूरज भान : मेरे विचार से सरकार का अपना दृष्टिकोण है। आप अपने गृहमंत्री से पूछिए, नीति क्या है?

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम : उनमें से सभी हरिजन हैं।

श्री सूरज भान : क्या यह आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है?

श्री राम विलास पासवान : अगर वह कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो उन्हें मंत्री जी से पूछने दीजिए। कि अनुसूचित जाति के बारे में संविधान में क्या कुछ लिखा व बताया गया है मैं बता चुका हूं। यही आसान अर्थ है। अगर वह इसे समझने में असमर्थ हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। और कुछ मत बोलिए। कृपया बैठ जाईए।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जो शिड्यूल्ड कास्ट किसी और धर्म में चले जाते हैं, उनको यह फैसिलिटी मिले, यह सवाल पार्लियामेंटरी कमेटी में आया था। वहां पर कुछ सज्जन आए। उन्होंने कहा कि ये लोग इस धर्म में आए हैं, लेकिन इनकी आर्थिक दशा नहीं बदली है, यह तो वैसे ही खराब है। मैंने उनसे पूछा कि आपके धर्म में आने के बाद क्या उनके साथ छुआछूत बरती जाती है—डू दे सफर फ्राम अनटचेबिलिटी? वे शशोपंज में पड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं। तब मैंने कहा कि फिर उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगी, क्योंकि रिजर्वेशन का आधार उनकी सोशल बैकवर्डनैस और सोशल वीकनैसिज है।

श्री पी० नामग्याल : मैंने कहा था कि आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी सिख बन जाता है, तो वह मजहवी सिख बनता है, सिखों में अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी को शिड्यूल्ड कास्ट की सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। लेकिन अगर कोई शिड्यूल्ड का आदमी किसी दूसरे मजहब में जाता है, तो उसको वे फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है। यह डिसक्रिमिनेशन है।

सभापति महोदय : यह दो मित्र व्याख्याओं का प्रश्न है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिये। यह ज्यादा उत्तम होगा।

श्री सूरज भान : सर्विसिज की रिजर्वेशन उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नहीं है। यह गलफहमी दूर होनी चाहिए। आर्थिक हालत सुधारने के लिए और इकानोमिक स्टेप्स हैं। सर्विसिज की रिजर्वेशन मुल्क की हुकूमत में हिस्सा देने और प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए की गई है। आर्थिक पोजीशन सुधारने के लिए सर्विसिज की रिजर्वेशन हरगिज नहीं है। क्या पार्लियामेंट के रिजर्वेशन का मतलब भी आर्थिक हालत सुधारने का है? जब मैं सर्विस में था, तो पार्लियामेंट के मैम्बर में मुकाबले में बहुत अच्छी हालत में था। पार्लियामेंट का मैम्बर बनने से मुझे आर्थिक तौर पर घाटा है। यह तो मुल्क के निजाम में, हकूमत में वे भागीदारी कर सकें यही इसके पीछे उद्देश्य है जोकि बहुत हद तक पूरा भी होने लगा है।

सभापति महोदय : ठीक है, आप कल जारी रख सकते हैं।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 मई, 1984/17 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दी इण्डियन प्रेस दिल्ली-34